चतुर्दश माला, खंड 15, अंक 18

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2005
25 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)



(खण्ड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'S'
Acc. No. 59
Dated 1 Jun 2007

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 18, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2005/25 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	342-344 और 346	1-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	345 और 347-361	34-60
अतारांकित प्रश्न संख्या	3493 से 3659	60-328
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
संसद भवन के भीतर खतरे की आशंका के बारे में		327-330
सभा पटल पर रखे गए पत्र		330-348
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		348-349
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
170वां और 171वां प्रतिवेदन		349-350
(एक) "हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के आधुनिकीकरण" के बारे में दिनांक 2.12.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1622 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		
श्री शंकर सिंह वाघेला		350
(दो) धनराशि का आबंटन के बारे में दिनांक 5.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण		
श्री प्रियरंजन दास मुंशी		350-351
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री हंसराज भारद्वाज		351

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सभा का कार्य	351-353
कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	354
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005	354
सदस्यों द्वारा निवेदन	
उड़ीसा से राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में	354-356
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	356-357
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के निर्बाध कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने के बारे में	
श्री जुएल ओराम	357
श्री चंद्रशेखर साहु	362
श्री रौलेन्द कुमार	364
श्री भर्तृहरि महताब	365
श्री गिरिधर गमांग	369
श्री अनन्त नायक	371
श्री सुबोध सिंह	375
श्री धर्मेन्द प्रधान	376
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	378
श्री तथागत सत्पथी	380
श्री टी.आर. बालू	382-390
(दो) देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यपूर्ण विकास करने हेतु कार्यवाही करने के बारे में	
श्री सर्बानन्द सोनोवाल	390-396
आधे घंटे की चर्चा	
फ्लुओरेसिस पर नियंत्रण	
श्री हंसराज जी. अहीर	396

विषय कॉलम

श्री शैलेन्द्र कुमार 397

प्रो. रासा सिंह रावत 398

श्री लक्ष्मण सिंह 399

श्री राम कृपाल यादव 399

श्री अशोक अर्गल 400

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 401

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 401–405

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 411–412

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 412–418

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 419–420

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 419–422

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** : धन्यवाद, महोदय। पंजाब में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। अन्य राज्यों की तुलना में यह बेहतर है। मेरे क्षेत्र में दो ताप विद्युत संयंत्र हैं। लेकिन अधिकांश समय वे तकनीकी समस्याओं के कारण बंद रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों को लगातार 18-18 घंटे तक बिजली नहीं मिलती। बिजली की कटौती के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सरकार द्वारा राज्य में बिजली की स्थिति को बेहतर बनाए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विद्युत परियोजनाओं में तकनीकी खामियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह प्रश्न विशेषतौर पर पंजाब के बारे में है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह उत्तर दे दूं कि विद्युत अधिनियम के पारित होने तथा सुधारों, के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व अन्य पहलुओं को देखने के पश्चात गत दो वर्षों में हम विभिन्न राज्य सरकारों को उनके राज्य विद्युत बोर्डों को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के पहलु से समर्थन प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। इससे, अब हमने यह दावा करने की शक्ति दी है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक हम निर्धारित कार्यक्रम का 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इससे पंजाब सहित सभी राज्यों को लाभ होगा।

आठवीं और नौवीं योजनावधि के खराब कार्यनिष्पादन से हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक संयंत्र का 'प्लांट लोड फैक्टर' इतना खराब था कि 1990 के बाद से यह 55 प्रतिशत से भी कम रहा जबकि अब यह 75 प्रतिशत से अधिक है। विशेषकर कृषि के पहलू को ध्यान में रखते हुए पंजाब हमारा वरीयता प्राप्त राज्य रहा है। भारत सरकार अपने सभी समुचित डेस्कों के माध्यम से इस संबंध में प्रत्येक मामले में राज्य सरकार को समर्थन प्रदान करने के लिए उससे बातचीत करती रही है। आशा की जाती है कि दसवीं योजना के अंत तक पंजाब की तस्वीर बदल जाएगी।

श्री प्रबोध पाण्डा : जो कुछ भी कहा था किया गया है, तथ्य यही है कि इस योजना के पहले तीन वर्षों में प्रगति पिछली दो योजनावधियों की भांति ही शून्य रही है। 41,110 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य के विपरीत इन तीन वर्षों में केवल 10,709 मेगावाट की वृद्धि ही की जा सकी है। अत: यहां यह कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्यारहवीं या दसवीं योजना के दौरान विस्तार की महत्वाकांक्षी विशेषकर, कोयला के क्षेत्र में, योजना पर कोयले की कमी का कोई प्रभाव पड़ा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्य ने ठीक ही महसूस किया है। तथ्य यही है, जैसा कि मैंने इस सभा में पहले भी कहा है, कि आठवीं और नौवीं योजना का कार्यनिष्पादन पुरानी मशीनों, विद्युत बोर्डों के ऊपर ऋण ब्याज का बोझ, कोयला व डीजल के ऊंचे मूल्य आदि के कारण शून्य ही था। दसवीं योजना में, पहले दो वर्षों में इसमें वृद्धि नहीं हुई परन्तु तीसरे वर्ष में, यदि आप स्थिति को देखें तो इसमें वृद्धि करनी आरम्भ कर दी है। वर्ष 2004-05 में हमने उस वर्ष विशेष के लिए निर्धारित लक्ष्य 538 मेगावाट को पार करके 587 मेगावाट का लक्ष्य हासिल किया है। इसलिए, इसमें सुधार हो रहा है। इस क्षमता को देखते हुए हम दसवीं योजना के अंत तक 80 प्रतिशत का पूर्ण लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में भी यह बताया गया है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि कोयले की आपूर्ति सहित इसी प्रकार सब कुछ चलता रहा तो यह बेहतर होगा।

कोयला धोवनशालाएं, कोयला परिवहन और अंत में पारेषण ग्रिड भी कभी-कभी समस्या पैदा करती हैं जिन्हें हमने काफी हद तक ठीक कर दिया है। पहले हमने 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्लांट लोड़ फैक्टर बताया था अब हमारे पास 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से केवल यही कह सकता हूं कि हमारे तकनीशियनों और हमारे दृष्टिकोण पर भरोसा रखें।

कोयले की आपूर्ति एक समस्या थी किन्तु उसमें भी सुधार कर लिया गया है। राज्य विद्युत बोर्डों के ताप विद्युत संयंत्रों के कोयले में राख की पर्याप्त मात्र थी। हमारे देश में कम राख वाला कोयला अधिक उपलब्ध नहीं है जबकि हमें अभी भी पर्याप्त धोवनशालाओं की जरूरत है। इसलिए आयातित किस्में भी काफी हद तक विद्युत संयंत्रों के लोड फैक्टर को सुधारने में मदद कर रही हैं। इसीलिए हम आश्वस्त हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान समेत उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत का बुरा हाल है, विद्युत के लिए हाहाकार मचा रहता है। हमारी जानकारी में आया है कि उन्नाव जनपद मुख्यालय पर एशिया का सबसे बड़ा विद्युत स्टेशन-800 के.वी.ए. का लगा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश सहित आधे राज्यों को उससे विद्युत प्रदाय की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पेसीफिक जानना चाहता हूं कि क्या उस स्टेशन से हमारे जनपद को विद्युत प्रदाय की जाएगी क्योंकि हमारे क्षेत्र के बगल में लगे जिले रायबरेली, अमेठी, इटावा, मैनपुरी आदि को उसी से 24 घंटे विद्युत प्रदाय की जा रही है। क्या उन्नाव जनपद को भी उस योजना में शामिल करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत परियोजनाओं के बारे में प्रश्न नहीं है। स्वाभाविक ही माननीय मंत्री एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं?

श्री तापिर गाव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास अकेले अरुणाचल प्रदेश से ही 50,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है। एन.ई.ई.पी.सी.ओ. और

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर

एन.एच.पी.सी. दोनों को सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार ने ये सभी परियोजनाएं निजी कंपनियों यथा - रिलायंस, जे.पी.एस. कांस्ट्रक्शन, डी.एस. कंस्ट्रक्शन इत्यादि को दे दी हैं। एन.एच.पी.सी. और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच में गड़बड़ होने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकार के साथ क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस मामले पर पिछले कुछ माह से राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है। एक बार मैं भी जल स्रोतों के लिए पानी के मुद्दे के कारण इसमें शामिल था। मामले का अभी तक हल नहीं हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को केवल यही भरोसा दिला सकता हूं कि विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुधार की एक स्वीकार्य नीति है इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई रुकावट नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश विद्युत अभाव के कारण *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बिहार के बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम वही पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि कुल 83 परियोजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में लेने जा रहे हैं, उनमें से 45 परियोजनाएं ताप विद्युत और 32 परियोजनाएं जल विद्युत की ली जाएंगी और उन पर आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं में जल विद्युत परियोजनाओं और ताप विद्युत परियोजनओं हेतु क्या आपने बिहार का सर्वेक्षण कराया है, या नहीं, यदि हां, तो यह परियोजना कब तक प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार में बिजली का बहुत ही अभाव है। वहां का किसान और आवाम बहुत ही परेशानी की हालत में है और बगैर विद्युत के कोई प्रदेश आगे बढ़ ही नहीं सकता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी जो कुल 83 परियोजनाएं हैं, जिसमें जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों शामिल है, उसमें बिहार को भी जोड़ा गया है। स्पेसिफिक बिहार के बारे में कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सहयोग के लिए श्री प्रभुनाथ सिंह को अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाता हूं। कृपया स्पष्ट प्रश्न कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप छोटा प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम् छोटा प्रश्न पूछेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बिहार को थोड़ा देखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों कह रहे हैं? आप हम सबके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बाध्य न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा ब्रीफ और स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अनुभवी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बाकी सब यहां गप्प करने आए हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या आपने राज्यवार ऐसी समीक्षा करवाई है कि किस राज्य की कितनी डिमांड है और वे कितना बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपने इसका सर्वेक्षण नहीं करवाया होगा और अगर आपने सर्वेक्षण करवाया है तो आप बताने की कृपा करें? माननीय राम कृपाल यादव जी ने बिहार का सवाल उठाया है कि वहां विद्युत की स्थिति बहुत ही खराब है और बिहार में आपका विद्युत संयंत्र पहले से है भी, जैसे आपका कांटी प्रोजैक्ट काम नहीं कर रहा है और बाढ़ में आप जो नया संयंत्र लगा रहे हैं, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। नवीनगर में ज्वाइंट वेंचर में आपका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

समस्याओं को अभिज्ञात करने और उनके समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) और (च) वर्तमान में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) या तो गठित किए जा चुके हैं या फिर अधिसूचित किए जा चुके हैं। इन राज्यों के नाम संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	छत्तीसगढ़
5.	दिल्ली
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू-कश्मीर
11.	झारखंड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र
16.	*मणिपुर
17.	मेघालय
18.	*मिजोरम
19.	उड़ीसा
20.	पंजाब
21.	राजस्थान
22.	सिक्किम
23.	तमिलनाडु
24.	त्रिपुरा
25.	उत्तर प्रदेश
26.	उत्तरांचल
27.	पश्चिम बंगाल

*इन राज्यों में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचित/गठित किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के लिखित जवाब में बताया गया है कि 32 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनसे 11924 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टिहरी में विद्युत का उत्पादन कब से शुरू होगा, वहां कितना विद्युत का उत्पादन होगा और उसकी लागत क्या आएगी? इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए भागीरथी का जल रोका गया था? यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए उसे पूर्ण रूप से रोका गया और क्या अब भागीरथी का जल फिर से छोड़ दिया गया है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यहां 83 विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। यदि परियोजना-वार प्रश्न पूछा जाता है, यदि एक अलग सूचना में एक परियोजना विशेष के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे उनका उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। तथापि, चूंकि इन्होंने टिहरी का उल्लेख किया है तो मेरे पास तो लक्ष्य उपलब्ध हैं उनके अनुसार 'हां', आरम्भ में कुछ समस्याएं थीं और उन समस्याओं को हल कर दिया गया है, लेकिन मैं उन्हें एक अलग उत्तर में उत्पादन और कार्य पूरा होने के संबंध में विस्तृत ब्यौरा भेज सकता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं कि इन 83 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं जल विद्युत की हैं और कुछ कारणों से जल विद्युत परियोजनाओं में थोड़ा अधिक समय लगता है। साधारणतया ये परियोजनाएं ताप विद्युत परियोजनाओं की भांति कार्यान्वित नहीं होतीं। हमें पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हमें अन्य परिस्थितिकीय स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

इसके बाद हमें विद्युत के साथ-साथ जल स्रोत का भी ध्यान रखना होता कि कहीं ऐसा न हो कि जल विद्युत तो पैदा होने लगे परन्तु इससे उस क्षेत्र में भू-क्षरण के कारण भूमि घसाव आदि की समस्या न उत्पन्न हो जाए। अत: स्वाभाविक रूप से सामान्य विलंब, जो कि ताप विद्युत में होना अपेक्षित है, के अलावा जल विद्युत परियोजनाओं में थोड़ा विलंब और होता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य के टिहरी की इस परियोजना विशेष के बारे में निश्चित रूप से सूचना दे दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा स्पैसिफिक प्रश्न था कि क्या भागिरथी का जल रोका गया था? यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए रोका गया था और क्या उसको पुनः छोड़ा गया है? यह सामान्य प्रश्न है, मंत्री महोदय इसके बारे में बता सकते हैं। मंत्री जी प्रश्न को साइडलाइन न करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अपने जल संसाधन मंत्रालय के विगत अनुभव के आधार पर आपको यह बता सकता हूं कि जब भी कभी किसी जल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त स्रोत का पता लगता है तो जल विद्युत की परिकल्पना को वहां इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है कि उससे छोड़े जाने वाले पानी और जल संरक्षण तंत्र की देखरेख निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप की जा सके। टिहरी में किसी भी स्तर पर पानी को केवल जल विद्युत उत्पादन करने की दृष्टि से ही नहीं रोका गया है। विद्युत उत्पादन के लिए कितना पानी छोड़ा जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार कितना पानी बचाए रखा जाना चाहिए इसकी निगरानी हेतु बनाया गया तंत्र हमेशा सक्रिय रहता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको माननीय मंत्री जी की प्रशांसा करनी चाहिए। वे बीमार हैं और फिर भी उन्होंने साहस के साथ उस अन्तर को पाटने का प्रयास किया है और मेरे विचार से वह भी बहुत प्रभावी रूप से।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय 27 राज्यों में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है या किया जा रहा है। विशेष रूप से दस राज्यों में विद्युत की कमी है। महाराष्ट्र में भी विद्युत की कमी बड़े पैमाने पर है जिससे वहां 12 से 18 घंटे तक लोड-शैडिंग होती है। क्या महाराष्ट्र सरकार ने या महाराष्ट्र के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने केन्द्र सरकार से कहा है कि हमें ज्यादा इलैक्ट्रिसिटी सैन्ट्रल ग्रिड से प्रोवाइड की जाए और जिसकी पेमैंट करने के लिए वे तैयार हैं? इस प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार आपके साथ हुआ है? यदि हुआ है, तो उसके संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या भूमिका ली है? यदि नहीं ली है, तो आप स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में खेद नहीं है कि महाराष्ट्र या किसी अन्य प्रांत में जहां बिजली का उत्पादन उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था, वे पीक लोड समय में बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र उसमें एक खास प्रांत है। इसमें दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र प्रांत ने भी भारत सरकार के हमारे बिजली विभाग से लिखा-पढ़ी की है कि हमारे सैंट्रल सैक्टर को जो नियमित आपूर्ति होती है, क्या उससे आगे हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक अनएलौकेटिड 15 परसेंट शेयर का संबंध है, उसमें तब्दीली करके हम मदद कर सकते हैं, अगर रीजनल ग्रीड की शोर्टेज न हो। महाराष्ट्र सरकार के प्रति हमने अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि रीजनल ग्रीड की जो रिक्वायरमेंट है, वह बर्बाद हो जाए। प्रांत की बिजली उत्पादन की जो शक्ति है, उसे तरक्की देनी है, उसे भी इम्प्रूव करना है, उसके लिए केन्द्र सरकार सहायता करती है।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : धन्यवाद महोदय, सभी को विद्युत प्रदान करने के हमारे प्रयासों में, जो कि इस प्रश्न का मूल सार था, मंत्री जी ने विद्युत समीकरणों के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख करते हुए उत्तर दिया है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमें अन्तर-क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए। आज, हमारे सामने यह स्थिति है कि वर्ष में किसी भी दिन या आज भी एक क्षेत्रीय ग्रिड में अतिरिक्त विद्युत है और दूसरे में विद्युत की कमी है। उदाहरण के लिए मानसून के आरम्भ में पश्चिमी और दक्षिणी ग्रिड में विद्युत की खपत में भारी कमी आ जाती है लेकिन उत्तर के कृषि प्रधान राज्यों में विद्युत की खपत बढ़ जाती है क्योंकि धान के मौसम में 'ट्यूब-वैल' और 'लिफ्ट-सिंचाई' में बिजली की अधिक आवश्यकता होती है। अतः, आपके माध्यम से हमारे इस विचार-विमर्श में मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या मंत्रालय उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी ग्रिडों के बीच विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने पर विचार कर रहा है? आज उत्तरी ग्रिड में विद्युत की कमी की स्थिति है जिसके कारण दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बिजली की भारी कटौती की जा रही है जबकि हमारे पास अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है। लेकिन हम इसे उत्तरी ग्रिड में नहीं ला सकते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्य ने सही ही कहा है कि उत्तरी ग्रिड में संकट की स्थिति इसलिए है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में अधिकतम मांग कारक (पीक लोड फैक्टर) अनुमानित रूप से 49,674 मेगावाट है जबकि उत्तर में उर्जा की आवश्यकता 3,08,526 मिलियन यूनिट है। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं मूलतः राष्ट्रीय ग्रिड को अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्क द्वारा मजबूती प्रदान की जा रही है और इसे वर्ष 2012 तक 30,000 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जब उत्तरी ग्रिड में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अंत में, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि इस सरकार की नई नीति - 'विजन 2012' इस प्रकार बनाई गई है जिसे किसी भी मूल्य पर हासिल किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको यह बता दूं कि 8वीं और 9वीं योजना की तुलना में, जिनमें विद्युत परिदृश्य बहुत खराब था और हम 50 प्रतिशत लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाए थे, जैसे कि आशा की गई थी, 10वीं योजना के अंत तक हम 80 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य हासिल कर पाएँगे। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि एक लाख मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता, जो हम 2012 के अंत में तैयार करेंगे, को 10वीं और 11वीं योजना के सम्मिलित लक्ष्यों को मिलाकर हासिल कर पाएँगे। लेकिन उस समय तक इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

किया है? इससे बचने के लिए लोगों को बिलों के भुगतान के लिए नए खाते दूसरे बैंकों में खोलने पड़ते हैं जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कठिनाइयां होती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से काफी दूर जा रह हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे इस बात का पक्का पता नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सच हैं। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने कई ऐसे उपायों की घोषणा की है जिनके तहत बैंकों के पारदर्शी होना पड़ेगा और अपनी ब्याज दरों का प्रचार करना पड़ेगा तथा निदेशित बैंकों को अपने 'नो फ्रिल्स एकाउंट्स' खोलने पड़ेगे। वास्तव में कुछ बैंक, 18 नवम्बर को मेरी उनके साथ हुई बैठक के बाद, इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे अपने यहां शून्य बैलेंस का खाता तो नहीं खोल सकते लेकिन कम से कम 50 रुपये की राशि से खाता खोल सकते हैं। पर मैं इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है बैंक कुछ ऐसे कार्य कर रहे हों जो उपभोक्ताओं के हितों के अनुकूल न हो। मैं इस बात को मानता हूं।

इसलिए हम एक नयी योजना-लोकपाल योजना लागू कर रहे हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यह योजना बनाई है। मेरे विचार से भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी, 2006 से इस योजना को अधिसूचित कर देगा।

यदि कोई ऐसी बैंक या बैंक की शाखा है जो उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल काम कर रही है, तो लोकपाल ऐसी बैंकों अथवा शाखाओं का सबसे बेहतर इलाज़ होगा। लोकपाल को इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए शक्तियां प्रदान की जा रही है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र की बैंकों के लिए 22 फरवरी, 2005 को एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की है। अभी इस बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस स्वायत्तता पैकेज की विशेषताएं क्या हैं? इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को किस तरह की स्वायत्तताएं दी गयी हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : 22 फरवरी, 2005 को घोषित किये गये स्वायत्तता पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं : (एक) समग्र कारोबार रणनीति के भाग के रूप में कारोबार के नये रास्तों को अपनाना; (दो) कंपनियों अथवा कारोबार का उपयुक्त अधिग्रहण करना, विदेशों में कार्यालय खोलना, सहायक कंपनियां स्थापित करना कारोबार को बनाये रखना तथा आर्थिक रूप से अव्यवहार्य शाखाओं का दूसरी शाखाओं में विलय करना; (तीन) बैंक कर्मचारियों की संख्या, भर्ती, पदस्थापन स्थानान्तरण, प्रशिक्षण और पदोन्नति सहित बैंकों से संबंधित सभी मानव संसाधन संबंधी मुद्दों पर निर्णय करना; (चार) कारोबार की व्यापकता के आधार पर शाखाओं के श्रेणीकरण हेतु मानदंड निर्धारित करना; (पांच) भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना (छह) विदेशों में यात्राएं करना, निवेशकों के साथ परस्पर संपर्क बनाये रखना और अंत में, जवाब देही तथा उत्तरदायित्व की नीति निर्धारित करना।

श्री खारबेल स्वाईं : माननीय मंत्री जी ने लोकपाल का उल्लेख किया है। वास्तव में लोकपाल बैंकों द्वारा की गयी शिकायतों का ही निपटान करता है। लेकिन ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का क्या होगा? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी ए.टी.एम. लगाये ताकि वहां स्थित बैंकों से आसानी से पैसा निकाला जा सके।

अध्यक्ष महोदय : इसमें दो प्रश्नों को जोड़कर एक बना दिया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम : मौजूदा लोकपाल योजना में ग्राहक भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस योजना की सभी बातों को जानने के लिए कृपया 1 जनवरी तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह अधिसूचित नहीं हो जाती। मैंने इस योजना का प्रारूप तैयार करने और उसके संपादन में घंटों लगाये हैं। इस नयी योजना में ग्राहकों के लिए हमने एक व्यापक निवारक तंत्र तैयार किया है। इसलिए कृपया 1 जनवरी, 2006 तक इंतजार करें।

जहां तक ए.टी.एम. का संबंध है, ए.टी.एम. मुफ्त में तो आते नहीं। ए.टी.एम. की स्थापना पर भी काफी पैसा खर्च होता है। अब हमने किफायती ए.टी.एम. प्रौद्योगिकी खोज निकाली है। मैंने 18 नवम्बर को हुई बैठक में किफायती ए.टी.एम. बनाने में पैसा निवेश करने का अनुरोध किया था। जरूरत के आधार पर, और ए.टी.एम. चलाने के लिए प्रतिदिन एक न्यूनतम संख्या में लेन देन होना चाहिए, मैं समझता हूं यह न्यूनतम संख्या 50 अथवा 75 या 100 लेन देन प्रतिदिन हैं, और इतनी संख्या होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में से ए.टी.एम. खोले जा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन। यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है। मैं नौ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन की बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री राधाकृष्णन से सहमत हैं? मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि वह क्या कर रहे हैं। या क्या वह भी आप से सहमत हैं?

श्री खारबेल स्वाईं : वह मेरी बात सह सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र विवधता के लिए अच्छा है। महज विरोध करने के खातिर विरोध करने से तो अच्छा है कि आप लोग कभी-कभी एक दूसरे से सहमत हो जाया करें। यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं सभा में इसी तरह का वातावरण चाहता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : बारह घंटे बैंकिंग सेवाओं की शुरूआत एक अच्छा कदम है लेकिन मैं कुछ उन मुश्किलों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो ए.टी.एम. काउंटरों के [illegible] काम करने

की वजह से पैदा होती है। त्रिवेन्द्रम शहर के एक ए.टी.एम. से पांच सौ नकली नोट निकले। पुलिस ने इस बारे में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है।

किसी न किसी तरह से पिन नम्बर लीक हो जाते हैं और दूसरे लोग ए.टी.एम. के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं। जमाकर्ता को इसका पता तक नहीं चलता। बैंकिंग की यह सुविधा सुरक्षित नहीं कही जा सकती। मुझे पता नहीं कि माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लायी गयी है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बैंकिंग सुविधा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में क्या कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यवस्था का दुरुपयोग होता है।

श्री पी. चिदम्बरम : इस तरह की घटनाएं मेरे ध्यान में नहीं आयी हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना के संबंधित बैंक के चेयरमैन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में अवश्य लाया गया होगा।

यह संभव है कि कुछ नकली नोट बैंक में जमा हो गये हों और वहां से ए.टी.एम. के काउंटर में चले गये हों। लेकिन देशभर में हजारों ए.टी.एम. है और लाखों लोग प्रतिदिन उनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस घटना विशेष को मेरे संज्ञान में लाये हैं, मैं पता लगाऊंगा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है। लेकिन हमें यह कहकर लोगों को भयभीत नहीं करना चाहिए कि ए.टी.एम. के सभी नोट नकली होते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जनता में किसी तरह का भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। तिरुअनंतपुरम में घटी घटना आम बात नहीं हो सकती।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दूंगा। लेकिन हमें यह कहकर भय का वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए कि सभी ए.टी.एम. पर मिलने वाले नोट नकली होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तिरुअनंतपुरम की घटना को आम घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

+

***343. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2012 तक "सभी के लिए विद्युत" के लक्ष्य को पाने में सरकार की असफलता के संबंध में दिनांक 20 नवंबर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या-क्या है;

(ग) क्या जल तथा ताप क्षेत्रों की अनेक विद्युत उत्पादन परियोजनाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के आश्वासन को पूरा कर पाने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या राज्यों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रत्येक राज्य में विद्युत विनियामक आयोग गठित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन (आई.ई.ई.एम.ए.) के अनुसार समाचार पत्र रिपोर्ट में चेयरमैन, आर्गनाइजिंग कमेटी, इलेकरमा, 2006 की टिप्पणियां संदर्भ से हटकर व्यक्त की गई हैं और कि चेयरमैन ने कहा था कि भारत सरकार के "सन् 2012 तक सभी का विद्युत" कार्यक्रम ने उद्योग के लिए अच्छे व्यावसायिक अवसर खोले हैं और भले ही इस लक्ष्य को सन् 2015 तक बढ़ाया जाए, उत्तम व्यावसायिक अवसर फिर भी उपलब्ध रहेंगे।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान 586.4 बि.यू. विद्युत उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 587.3 बि.यू. थी।

वर्तमान में कुल 1,90,721 करोड़ रुपये अनुमानित लागत के साथ कुल मिलाकर लगभग 39000 मेगावाट क्षमता के लिए 83 विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और इन परियोजनाओं में से 45 परियोजनाएं ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जिनकी कुल क्षमता 23,869 मेगावाट है और कुल अनुमानित लागत 99,291 करोड़ रुपये है; 32 परियोजनएं जल विद्युत परियोजनएं हैं जिनकी कुल क्षमता 11924 मेगावाट है और अनुमानित लागत 62,110 करोड़ रुपये है; तथा शेष 6 परियोजनाएं न्यूक्लीयर परियोजनाएं हैं।

उन्नत परियोजना प्रबंधन और बेहतर मॉनीटरिंग से ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन समय में कुछ कमी आई है।

(घ) विद्युत उत्पादन परियोजनाओ को समय से चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

निगरानी तंत्र को सशक्त बनाया गया है।

परियोजनाओं की अवधारणा और कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर प्रत्येक परियोजना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक नोडल अधिकारी है।

लोक सभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2005/25 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रभूषण सिंह, प्रश्न संख्या 342।

[हिन्दी]

ग्राहक सेवाएं

+

***342. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
डा. शफीकुर्रहमान बर्क :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 12 घंटे की बैंकिंग सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सेवा के लिए शहरी क्षेत्रों की शाखाओं की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई प्रणाली के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) निजी/विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रबंधकीय स्वायत्तता प्राप्त है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें शाखाएं खोलने के समय का निर्धारण करने की अनुमति दी गई है। यह बैंकों पर ही निर्भर करता है वे शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे की बैंकिंग सेवा शुरू करें तथा इस प्रयोजन के लिए शाखाओं की पहचान करें। अपने ग्राहकों को सुविधाजनक तथा प्रतिस्पर्धात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक बैंकिंग सेवा शुरू की है।

(च) भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए उपाय निर्धारित किए हैं। 1990 के पूर्वार्द्ध में सुधार प्रारम्भ करने के बाद बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सामान्य तौर से तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तुलनपत्र एवं लाभप्रदता संकेतक अर्थात आस्तियों पर प्रतिफल, निवल ब्याज मार्जिन, एन.पी.ए. अनुपात, एन.पी.ए. के लिए प्रावधान एवं वर्गीकरण मानदण्ड, पूंजी पर्याप्तता अनुपात आदि से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब विश्व के बेंचमार्क के साथ अच्छी बराबरी करता है। सरकार ने शीघ्र एवं प्रभावी निर्णय लेने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने में सक्षम बनाने हेतु बैंकों के बोर्ड को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता देने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए दिनांक 22.2.2005 को एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी स्वस्थ और अच्छी परम्परा शुरू की है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अब नैशनलाइज्ड बैंक सुबह आठ बजे से शाम को आठ बजे तक खुलेंगे और वे विदेशी बैंकों के कम्पीटिशन में भी आ सकेंगे जिससे कस्टमर्स को बहुत लाभ होगा। जैसा मंत्री जी ने जवाब में भी कहा है कि अभी कुछ ही बैंकों ने ये सेवाएं शुरू की हैं, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकार हिन्दुस्तान के बाकी विभिन्न बड़े और छोटे शहरों में ये सुविधाएं कब तक देने में सक्षम होगी? एक मेरा सवाल यह है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 18 नवम्बर को अर्थात गत माह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सी.एम.डी. के साथ हुई मेरी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आज की तारीख में भारतीय स्टेट बैंक, 444 शाखाओं, बैंक आफ बड़ौदा 488 शाखाओं तथा पंजाब नेशनल बैंक 65 शाखाओं में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कल मैंने इलाहाबाद बैंक का एक विज्ञापन देखा था जिसमें कहा गया कि उन्होंने इस तरह की सेवाएं कई शाखाओं में शुरू की है। मेरी समझ से बैंकों के चेयरमैन इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि सभी कस्बों और शहरों में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक बैंकिंग सेवाएं दी जायें क्योंकि इन स्थानों पर लंबी अवधि के लिए बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है और इस वित्त वर्ष के अंत तक इसमें काफी प्रगति होगी। बैंकों को, निश्चिततौर पर, अपने कर्मचारियों से परामर्श करना, उपलब्ध जनशक्ति की फिर से तैनाती करनी होगी और दूसरी ढांचागत व्यवस्थाएं करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कई दूसरे बैंक इस सेवा का विस्तार करेंगे और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसमें काफी सुधार हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल हिन्दुस्तान की आम जनता से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे शहरी क्षेत्र को ही यह सुविधा प्रदान करने की बात कही है। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी सुविधाएं भविष्य में ग्रामीण अंचलों में भी देने का विचार रखती है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यदि आवश्यक हुआ तो हां हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : अध्यक्ष महोदय, भारत देश में सहकारी क्षेत्र में काफी बैंक काम करते हैं। क्या यह सच है कि आपने नई शाखाएं खोलने के लिए कोई रोक लगायी है? यदि हां, तो क्यों लगायी है? क्या आप उसे वापस लेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, शाखाओं के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किये जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रतिवर्ष कई शाखाएं खोल रहे हैं लेकिन, बैंक शाखाओं की मांग खोली जा रही शाखाओं की तुलना में कहीं अधिक है। किसी बैंक की शाखा खोलना कोई आसान काम नहीं होता। किसी बैंक की शाखा खोलने के लिए कई लाख रुपयों की पूंजी का निवेश करना होता है और प्रत्येक शाखा के लिए एक न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है। छोटी बैंक के लिए यह राशि दो करोड़ रुपये तथा भारतीय स्टेट बैंक जैसी बैंकों के लिए यह राशि अधिक भी हो सकती है, फिर भी बैंक इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर बड़ी संख्या में शाखाएं खोल रहे हैं। इसमें सरकार की सिवाय इसके कोई भूमिका नहीं होती कि वह बैंकों के अनुरोधों को भारतीय रिजर्व बैंक तक उसके विचारार्थ प्रेषित कर देती है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों तथा दफ्तरों में कार्य करने वाले दूसरे लोगों और आम जनता की सहूलियत के लिए क्या मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या बैंकों को रविवार के दिन भी खोलने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : यह एक ऐसा मामला है जिस पर बैंक प्रबंधन को अपने कर्मचारी संगठनों से बात करने के पश्चात् निर्णय लेना होगा। मुझे इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि आने वाले समय में कुछ बैंक रविवार के दिन भी खुलने लग जायेंगे। लेकिन इसका निर्णय बैंक प्रबन्धन और उनके कर्मचारी ही कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने को-ऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस देने के बारे में जवाब दिया, मैं इस सैक्टर में काम करता रहा हूं इसलिए मेरा अनुभव है कि पिछले चार साल में एक भी को-ऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ने लाइसेंस नहीं दिया है। निश्चित रूप से यह वित्त विभाग के निर्णय का ही हिस्सा है। जबकि ये बैंक सभी नॉर्म्स पूरे करते हैं, सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। उदाहरणार्थ सारस्वत सहकारी बैंक जो दो-तीन स्टेट्स में काम करता है, जिनकी परफार्मेंस अच्छी है, डिपोजिट अच्छा है लेकिन पिछले चार साल में उसे एक भी लाइसेंस, मांगने पर भी नहीं मिला। जब तक आप डॉयरेक्शन नहीं देंगे तक तक आर.बी.आई. लाइसेंस नहीं देगा। इसका कारण यह बताया जाता है कि नए एक्ट में जो एम.ओ.यू. बना है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस पर साईन नहीं करती, तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा - एक कारण तो यह बताया जाता है।

यह वित्त विभाग के निर्णय का ही हिस्सा है और जैसाकि इस विभाग में वित्त राज्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुका हूं, मुझे इस बात का दु:ख है कि सरकारी बैंक के संबंध में ऐसा क्यों है? इसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे, माननीय सदस्य ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उल्लेख करते हुए अपना प्रश्न समाप्त किया है। पर उनके प्रश्न का जोर सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर नहीं है, हालांकि प्रश्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वह राज्य सहकारी बैंक तथा बहु राज्य सहकारी बैंकों की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक नीति है जिसके तहत वह सहकारी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देता है। मेरी समझ से इस नीति के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं और उसमें कुछेक प्रशासनिक और विनियामक नियंत्रणों के लिए सहमति व्यक्त करनी होती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक को लगता है कि राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तो वह निश्चित तौर पर लाइसेंस की मंजूरी दे देगी। मुझे खेद है कि मैं इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को कोई निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राहक सेवाओं में अपेक्षित सुधार न होने के बावजूद सरकारी बैंक तरह-तरह के खर्च ग्राहकों पर थोप रहे हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेविंग बैंक एकाउंट के खातों में से बिना किसी अग्रिम सूचना के केवल एक और एक से अधिक चैकबुक लेने पर 63 रुपए प्रति चैकबुक काट लिए जाते हैं -- क्या सरकार ने इस प्रक्रिया पर विचार

काम चलने की बात हुई थी, उसका काम भी अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। बिहार की स्थिति को देखते हुए विद्युत उत्पादन हेतु आपका जो संयंत्र अभी खराब पड़ा हुआ है, उसे ठीक कराने के लिए, और जो शुरू हुआ है, उसे पूरा कराने के लिए, या आप जो ज्वाइंट वेचर में काम चला रहे हैं, उसे पूरा कराने का काम कब तक करेंगे? क्या आपने उसकी कोई समय-सीमा निर्धारित की है, जिससे कि बिहार में विद्युत का उत्पादन बढ़े। *(व्यवधान)* वहां बिजली की आपूर्ति हो सके। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने दो प्रश्नों के लिए 35 मिनट ले लिये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दोनों माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रांत का सवाल है, अगर अलग-अलग प्रांत का अलग-अलग सवाल होता तो मैं सब को संतुष्ट कर सकता था, लेकिन जनरल प्रश्न के आधार पर मैं बता पाऊंगा। आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि कोई सर्वेक्षण हुआ या नहीं, किस स्टेट की क्या मांग है, इसमें मेरा कहना है कि सर्वेक्षण जरूर हुआ। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी द्वारा 16 इलैक्ट्रिसिटी पावर सर्वे हुआ है। उसमें 2011-2012 तक हमारी जो मांग है, वह उत्तर रीजन में 3,08,586 मिलियन यूनिट्स है। उसमें बिहार भी आता है। अभी बिहार का हिस्सा उसमें कितना है, वह अलग करके आपको सूचित करूंगा, लेकिन सर्वेक्षण हुआ है। खास तौर से जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के बारे में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं ताकि बिहार की जो इलैक्ट्रिक जैनरेशन की क्षमता गिर गई थी, उसको आगे कैसे लाया जाये। मैं इस पर बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि बिहार के गांवों से लेकर इण्डिया के सारे गांवों में 2009 के बीच गांवों के अन्दर रूरल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आजादी के बाद पहला कदम यू.पी.ए. सरकार ने उठाया कि प्रान्त को जो ऋण दिया जाता है, वह ऋण का बोझ प्रान्त नहीं उठा सकता। हर एक प्रान्त पर एक तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्जा, फिर उनके ऊपर जो ऋण का बोझ है, इससे उनको आजादी देकर अभी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में 90 प्रतिशत हम लोग सिर्फ ग्राण्ट दे रहे हैं और 10 प्रतिशत लोन दे रहे हैं। आर.ई.सी. उस लोन पर पहले ब्याज 7 से 8 परसेण्ट लेता था, अभी ब्याज 5 परसेण्ट कर दिया है, इसलिए यह जो कदम हमने उठाया है, इस क्रान्तिकारी कदम के द्वारा बिहार के गांवों में भी रोशनी की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तूफानी सरोज।

ऐसा न समझिये कि मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपने व्यवधान पैदा कर दिया है।

श्री तूफानी सरोज : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद का कोई प्रश्न नहीं है। आपको सभा में अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

श्री तूफानी सरोज : धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद का कोई प्रश्न नहीं है। आपको उचित सम्मान देना चाहिए। 22 माननीय सदस्य हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : हम 4-5 दिन से लगातार कह रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं चार दिन से लगातार रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि एक दिन तो मौका मिलेगा। अभी ब्रजेश पाठक *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समस्या पैदा करेंगे तो आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसे मत बताईये। कोई बात मत कहिए।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : दूसरे माननीय सदस्यों को 2-2 दिन लगातार मौका मिलता रहा है, मुझे चार दिन से नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या हमारी आपसे दुश्मनी है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि सभा में कैसा व्यवहार किया जाता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, क्वैश्चन पूछिये।

श्री तूफानी सरोज : ठीक है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भविष्य में इसे सहन नहीं करूंगा। अब आप प्रश्न पूछिये। मैं देखता हूं कि यह कितना सुसंगत है।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने टिहरी बांध से पहले जल विद्युत उत्पादन का कोई निर्धारित लक्ष्य रखा है? यदि हां तो उसके प्रथम चरण का ब्यौरा क्या है? यह उत्पादन कब से शुरू किया जायेगा? मेरा टिहरी बांध से संबन्धित क्वैश्चन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जैसा मैंने पहले ही कहा, इसका जवाब दिया जा चुका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

मैं समझता हूं कि मुझे माननीय मंत्री को इस अंतर को अच्छी तरह भरने के लिए बधाई देनी चाहिए।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

+

***344. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के सर्वाधिक सुविधा-वंचित वर्गों हेतु रोजगार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं (एस.जी.आर.वाई.) के दिशानिर्देशों में समाज के इन वर्गों के लिए प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उन्मूलन तथा देश में समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों सहित ग्रामीण गरीबों के रोजगार सृजन के लिए अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना तथा स्थायी रूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। नवम्बर, 2004 में 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरू किये गये काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भी खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करना है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में प्रत्येक ऐसे परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में देश के 200 जिलों को कवर किया जाएगा। शेष जिलों को 5 वर्ष की अवधि में कवर किया जाएगा।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% महिलाएं तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, खतरनाक व्यवसायों से निकाले गए बाल मजदूरों के अभिभावकों तथा अपंग बच्चों के अभिभावकों को तथा अन्य उपेक्षित वर्गों को तरजीह दी जाए। एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत कुल आबंटन में से 20% निधियां जिला पंचायतों, 50% मध्यस्तरीय पंचायतों तथा 50% ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित हैं। जिला पंचायत तथा मध्यस्तरीय पंचायतों के आबंटन में से 22.5% आबंटन गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाली अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए वैयक्तिक/समूह लाभार्थी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित निधियों में से 50% आबंटन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बसावटों/वार्डों में आवश्यकता आधारित ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा।

3. अखिल भारतीय स्तर पर, विगत वर्षों के दौरान एस.जी.एस.वाई. तथा एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के कवरेज का प्रतिशत इस प्रकार है :-

वर्ष	एस.जी.एस.आई के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों का प्रतिशत		एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत सृजित रोजगार का प्रतिशत	
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	महिलाएं
2002-03	46.00	46.3	55.8	26.1
2003-04	46.1	52.3	57.0	26.6
2004-05	44.8	54.4	55.5	25.8

4. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत सृजित रोजगार की राज्यवार संख्या संलग्न तालिकाओं (अनुबंध-I तथा II) में दी गई है।

अनुबंध-I

2002-03 से 2004-05 तक के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03					2003-04					2004-05				
		सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	70504	25443	7144	56847	1462	79736	27364	7202	66814	1525	64825	25688	8388	69780	2553
2.	अरुणाचल प्रदेश	1053	0	1053	321	0	1220		1220	338		1743	0	1743	582	0
3.	असम	50176	8624	15049	35229	111	45480	4416	8949	26207	697	64814	6821	13800	38121	529
4.	बिहार	123546	38236	2115	24801	389	111613	39383	1855	26467	372	128075	44850	1475	31111	310
5.	छत्तीसगढ़	25950	3205	11533	4068	135	22926	3518	9814	4181	81	28842	5578	16981	12315	93
6.	गोवा	697	49	0	252	2	364	40	0	123	3	683	47	136	410	0
7.	गुजरात	18132	2894	6385	6798	285	21462	4153	6926	8304	354	27457	4362	9357	10377	263
8.	हरियाणा	11673	5575	0	6431	104	11863	5308	0	7009	106	14132	6343	0	8543	146
9.	हिमाचल प्रदेश	5745	2478	631	3222	64	7928	3291	817	4606	83	8950	4024	718	5454	168
10.	जम्मू-कश्मीर	10617	514	1092	4493	5	6965	395	1170	2674	6	8039	487	1240	2237	9
11.	झारखण्ड	53729	9491	23513	10867	338	66644	10939	29985	26864	246	59705	9828	26022	25572	426
12.	कर्नाटक	37116	10824	3039	26963	448	43293	13879	3610	36163	234	52976	16074	5239	44984	506
13.	केरल	19778	7665	483	13875	226	20062	7281	601	15650	354	23306	8717	920	19089	529
14.	मध्य प्रदेश	51907	12346	15364	16489	323	41979	11544	13560	17373	560	48777	10987	2292	22899	879
15.	महाराष्ट्र	55442	13947	11872	32007	532	60451	16500	12115	40057	824	70146	17943	16214	53177	935
16.	मणिपुर	एन.आर.					एन.आर.					एन.आर.				
17.	मेघालय	1935	9	1926	857	0	5514	12	5502	2284	0	7508	160	6629	2994	0
18.	मिजोरम	884	0	884	291	13	1457	0	1457	866	10	1488	0	1488	629	13
19.	नागालैंड	2218	0	2218	658	0	4177		4177	1614	25	481	0	481	281	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.	उड़ीसा	48925	10808	15334	21149	206	59289	13527	17777	38667	774	65712	16243	16217	55952	1021
21.	पंजाब	6547	4045	0	3376	76	6554	4038	0	3634	116	6246	3156	0	2712	121
22.	राजस्थान	27901	8899	4867	12657	226	28618	9139	4952	13635	202	35225	11349	6804	16701	346
23.	सिक्किम	1397	119	588	264	2	1942	139	886	509	4	1598	50	695	883	5
24.	तमिलनाडु	56838	23221	812	54860	663	61120	23574	1858	60048	1249	74927	28931	2214	72642	2198
25.	त्रिपुरा	7777	1327	3023	2532	3	6581	1246	2541	2203	11	9301	1829	3044	5897	15
26.	उत्तर प्रदेश	98469	50842	196	30470	470	140622	66134	239	44899	628	246824	116998	1029	76790	1510
27.	उत्तरांचल	7690	2074	381	3830	22	10780	2695	532	5871	20	12493	3113	677	6777	20
28.	पश्चिम बंगाल	28748	6643	844	8302	13	27008	5986	866	12765	16	28280	8614	913	16577	13
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	142	0	94	29	0	350		119	143	0	373	0	9	360	0
30.	दमन और दीव	17	0	13	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
31.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	163	10	153	56	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	7	0	7	1	0	26		26	10	1	6	0	6	2	0
33.	पांडिचेरी	707	278	0	669	0	708	382		706	3	1409	668	0	1386	19
	कुल	826267	249556	130260	382613	6118	896895	274893	138909	470740	8504	1113342	352860	146532	605234	12627

एन.आर. = असूचित

अनुबंध-II

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत सृजित रोजगार (लाख श्रमदिनों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03				2003-04				2004-05			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	105.5	58.1	139.7	392.1	113.2	71.5	167.4	445.6	85.4	51.6	132.3	336.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	23.7	7.3	16.6	0.0	18.4	5.3	18.4	0.0	8.5	1.7	8.5
3.	असम	90.9	175.8	49.2	483.5	109.4	221.4	72.3	637.2	113.0	213.8	90.8	626.0
4.	बिहार	215.1	14.0	108.8	442.4	240.9	17.0	108.4	489.9	286.9	19.0	125.7	605.3
5.	छत्तीसगढ़	65.0	141.5	132.5	377.7	48.8	129.7	107.1	308.6	56.3	154.1	114.9	348.9
6.	गोवा	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.2	0.5	0.1	1.1	1.1	3.6
7.	गुजरात	38.2	75.1	59.7	201.4	71.0	108.3	92.1	323.2	61.0	86.5	70.2	264.7
8.	हरियाणा	72.5	0.0	32.6	119.2	42.4	0.0	19.6	68.9	45.5	0.0	20.4	70.1
9.	हिमाचल प्रदेश	8.7	2.5	1.2	21.7	16.5	2.8	2.3	39.1	15.9	3.8	2.4	40.2
10.	जम्मू-कश्मीर	0.0	0.0	0.0	47.1	0.0	0.0	0.0	47.9	4.7	4.6	0.0	43.7
11.	झारखण्ड	76.0	101.1	79.9	283.9	143.0	124.6	92.3	386.1	81.8	119.6	87.7	303.9
12.	कर्नाटक	163.8	58.5	151.8	519.6	154.9	52.7	172.9	566.1	117.1	43.7	133.8	419.2
13.	केरल	20.8	2.6	21.5	71.0	33.0	5.1	34.8	100.9	42.8	4.3	43.4	118.9
14.	मध्य प्रदेश	141.4	208.5	202.4	531.5	166.4	217.3	212.8	585.2	155.7	234.5	211.7	581.4
15.	महाराष्ट्र	123.9	108.0	159.3	490.4	171.6	135.3	202.7	631.0	181.7	156.6	214.4	674.7
16.	मणिपुर	0.8	8.8	3.7	14.9	1.5	9.4	3.7	14.0	2.2	19.1	8.5	31.9
17.	मेघालय	0.4	22.8	8.9	24.4	0.9	33.0	11.2	34.4	0.8	35.8	9.9	37.0
18.	मिजोरम	0.0	13.0	4.7	13.0	0.0	12.7	4.6	15.4	0.6	6.0	2.1	6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	0.0	16.4	3.8	16.4	0.0	399.0	135.7	399.0	0.0	36.7	11.0	36.7
20.	उड़ीसा	166.2	223.5	173.1	599.0	164.0	238.0	206.7	618.6	157.3	207.6	181.7	553.9
21.	पंजाब	19.4	0.0	0.5	25.9	33.8	0.0	0.3	46.0	30.9	0.0	0.8	33.4
22.	राजस्थान	129.7	124.7	153.4	377.8	99.2	74.9	108.4	266.6	75.4	63.9	87.4	219.5
23.	सिक्किम	0.7	3.1	2.5	6.3	1.2	3.2	3.0	8.2	0.4	2.5	1.8	5.3
24.	तमिलनाडु	240.3	14.5	166.7	492.0	246.6	17.0	188.0	512.1	249.9	16.1	182.4	519.4
25.	त्रिपुरा	19.8	45.5	27.1	99.5	24.9	57.4	33.7	127.0	22.3	47.6	28.4	108.5
26.	उत्तर प्रदेश	2.4	0.3	3.3	62.1	29.8	4.9	17.0	91.4	32.7	5.0	19.1	94.3
27.	उत्तरांचल	756.6	5.1	175.6	1335.1	723.2	1.6	181.9	1330.5	983.9	6.2	254.5	1750.5
28.	पश्चिम बंगाल	177.5	60.2	83.2	414.4	190.2	69.7	91.5	445.0	154.2	63.9	87.7	377.6
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	3.0
30.	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.	दादर नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32.	लक्षद्वीप	0.8	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
33.	पांडिचेरी	2.4	0.0	1.1	3.3	1.0	0.0	0.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1
	कुल	2638.8	1507.3	1954.1	7482.9	2827.2	2025.0	2276.1	8560.2	2958.5	1612.3	2125.6	8223.1

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत अंश प्रदान करती है किन्तु इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला खाद्यान्न बहुत ही घटिया होता है। सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अच्छा खाद्यान्न वितरित करने के लिए कदम उठाये जाते हैं परन्तु खाद्यान्नों के वितरण की निगरानी की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक नहीं है। सरकार को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि समाज के सबसे वंचित वर्गों को लाभ मिल सके। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से उड़ीसा और विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी को आवंटित किए गए खाद्यान्न की गुणवत्ता का ब्यौरा जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या इनके पास किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, खराब अनाज के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है। ऑलरेडी दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है कि जहां कहीं भी खराब अनाज की सप्लाई हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाये। एफ.सी.आई. गोडाउन से कभी-कभी खराब अनाज भी जाता है, उसमें सभी राज्य सरकारों को और जिलों को कहा गया है कि खराब अनाज किसी हालत में स्वीकार नहीं करें। जितने रुपये की राशि इन कैश देते हैं, उतनी ही राशि के करीब अनाज देते हैं, उतनी ही राशि का, जितनी अनाज की कीमत होती है। उड़ीसा के अलग से डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए इनका सवाल था, अब उड़ीसा की अलग से कितनी मांग है, कितना दिया गया, यह सब बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, मैं एस.जी.एस.वाई. और एस.जी.आर.वाई. दोनों के अंतर्गत महिलाओं को दिए गये आरक्षण का ब्यौरा जानना चाहता हूं। मैं ऐसे आरक्षण से लाभान्वित महिलाओं की संख्या जानना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा एस.जी.एस.वाई. और एस.जी.आर.वाई. में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास एस.जी.एस.वाई. तथा एस.जी.आर.वाई. में महिलाओं की भागीदारी के बारे में कोई सूचना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर देखने का कष्ट नहीं किया है। उत्तर में कहा गया है कि 2002-03 में 46.3 प्रतिशत, 2003-04 में 52.3 प्रतिशत और 2004-05 में 54.4 प्रतिशत महिलाओं का पार्टीसिपेशन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले से ही पूरी सूचना दे दी है। हां, श्री किशन भाई वी. पटेल।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, दसवीं योजना के दौरान एस.जी.एस.वाई. और एस.जी.आर.वाई. योजना के अंतर्गत कुल कितने रोज़गार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई थी, जबकि दसवीं योजना अपने आधे से अधिक भाग को पूरा कर चुकी है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जा चुके हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सरकार ने कुछ और श्रमप्रधान क्षेत्रों की पहचान की है, यदि की है, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2004-05 में एस.जी.एस.वाई. के अधीन कुल 82 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित किए गए। फूड फार वर्क के अधीन 7.85 मानव श्रम दिवस सृजित किए गए। अभी आधा साल ही बीता है, इसमें पिछले साल से अधिक मानव श्रम दिवस सृजित करने का लक्ष्य है और क्या हम लक्ष्य की पूर्ति हर साल कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राज्यों में केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिलास्तर की निगरानी समिति की जो बैठक बुलायी गयी, उसमें यह पता चला कि निधियों का उपयोग बहुत कम हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, आप अपनी बात रखने के लिए जो हाथ उठा रहे थे उसे नोट कर लिया गया है।

डा. के.एस. मनोज : यद्यपि मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों में निधियों का बहुत अच्छा उपयोग दिखाया गया है, पर वास्तविकता यह है कि निधियों का उपयोग उस स्तर तक नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय में उन निधियों के समय पर उपयोग की निगरानी करने और उसे प्रोत्साहित करने का कोई तंत्र है?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय में कोई निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, चार स्तर पर मानीटरिंग हो रही है - एक तो लोकल विजिलेंस कमेटी के गठन का काम हो रहा है, जहां कही योजना स्वीकृत हो, उसमें लोकल बैनिफिशरीज़ के पांच से नौ व्यक्तियों की समिति का गठन ग्राम सभा बैठाकर किया जाए जो उस पर निगरानी रख सके, दूसरा डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एण्ड

मोनिटरिंग कमेटी है, जिसमें स्थानीय सांसद चेयरमैन या को-चेयरमैन होते हैं, तीसरे एम.एल.एज. प्रखंड पंचायत समिति, जिला परिषद् के सभी अध्यक्ष और जितने सदस्य हैं, उनके जरिए अनवरत मोनिटरिंग करने की हम अपने स्तर पर करते हैं कि किस जिले में बैठक बुलाई गई है या नहीं बुलाई गई है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं बुलाई गई है, तथा चौथी माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एण्ड मोनिटरिंग कमेटी है। इसमें माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि अनिवार्य रूप से साल में कम से कम चार बार बैठक बुलाई जाए। अगर ज्यादा बार बैठक बुलानी है, तो कोई निश्चित नहीं है, जितनी बार चाहे, बैठक बुला सकते है, तीन महीने में दो-तीन बार बैठक बुला सकते हैं, लेकिन तीन महीने में एक बार जरूर बैठक बुलाकर मोनिटरिंग करें, जिसमें ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की समीक्षा की जांच पड़ताल करें। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर मोनिटरिंग के बाद, नेशनल लेवल पर भी मोनिटरिंग बहाल है। यदि कहीं से शिकायत आती है, तो यहां से आदमी भेज कर छानबीन कराई जाती है। हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी और जिला स्तर के पदाधिकारी के द्वारा सर्टेन परसेंटज का जरूर स्थानीय स्थल पर जा कर छानबीन कराएं, जिससे जो भी राशि गरीबों के रोजगार के लिए, गरीबी हटाने के लिए दी जाती है, उसका सदुपयोग हो सके। मगर सबसे ज्यादा दायित्व माननीय सदस्यों का है। उनके सहयोग के बिना इसे सरजमीन पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय सदस्यगण डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एण्ड मोनिटरिंग कमेटी की अनिवार्य रूप से बैठक जरूर कराएं और सरजमीन पर निगरानी और मुस्तैदी करने से गरीब लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। हमारे मेंडेट में कामन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया है कि सरजमीन पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस, निगरानी के साथ राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए हमें इसे सख्ती से लागू करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त गुढ़े।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए ही कहा है कि आर्डर कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूर दूरदराज के एरियाज में काम करते हैं। ऐसी जगहों पर जब वे काम करते हैं, तब उन्हें जो अनाज मिलता है, वह आठ-दस दिन का एकदम से मिलता है, क्योंकि उनके पास कूपन जमा हो जाते हैं। उनको दूर से अनाज लाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि राशन की दुकान सात-आठ गांव में एक ही होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आप राशन की दुकान नहीं दे सकते, तो वहां जो महिला स्वयंसेवी संगठन हैं, जो हर गांव में काम कर रहे हैं, एस.जी.आर.वाई. योजना के अंतर्गत क्या उन्हें अनाज देने की जिम्मेदारी दी जा सकती है - क्या इस बारे में सरकार की कोई योजना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं कि निकट के निकट मजदूरों को अनाज मिलने पर स्थान तय किया जाए। कहीं यदि कोई कठिनाई है, जैसा माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं, उस तरह से यदि राज्य सरकार करें, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। हमने कहा है कि मजदूरों को रोजगार मिले और साथ ही जो मजदूरी मिलती है या अनाज मिलता है, उसे उनके नजदीक और सहूलियत के साथ देने का प्रबंध हो, तो उस कार्य में हम कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे, बल्कि सहयोग करेंगे। यदि राज्य सरकार ऐसा करती है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि गांव की जनता की गरीबी उन्मूलन *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी उपायों के बाद, करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने के बाद, क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि अभी तक कितने प्रतिशत गरीबी उन्मूलन हो चुकी है। इसका कोई ब्यौरा क्या माननीय मंत्री जी देंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज से दस वर्ष पहले 36 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते थे, आज 26 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसलिए दस प्रतिशत गरीबी में कमी आयी है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने ऐसा सर्वे कराया है *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : यह आंकड़ा पुराना है। यह आंकड़ा 2001 का है। *(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, पांच वर्ष में एन.एस.एस.ओ. का सर्वे होता है। अब वर्ष 2005 में जो सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। जब वह आएगी, तब हम बता देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 345।

श्री पंकज चौधरी - उपस्थित नहीं

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव - उपस्थित नहीं

अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लंबित मामलों संबंधी समिति

***346. श्री अबदुल्लाकुट्टी :**
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के संगत उपबंधों का बड़ी संख्या में उल्लंघन करने वाली

कम्पनियों के विरुद्ध लंबित मामलों में सहायता और सलाह के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा किस प्रकार की सलाह दिए जाने की आशा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विचारार्थ विषय तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे न्यायालयों के ऐसे मामलों को कम करने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता) : (क) जी हां, सरकार ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन मैकेनिज्म को सुप्रवाही बनाने के लिए श्री ओ.पी. वैश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :-

(i) अपराधों के व्यापक वर्गों की पहचान जिसके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन के लिए मामले दायर किए गये थे, लंबित है और उसकी अवधि;

(ii) अत्यधिक लंबित मामलों के कारण, जहां प्रासंगिक हो;

(iii) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पहले किये गये प्रयासों, उनके परिणाम और बाधाओं का पुनरीक्षण;

(iv) उन तरीकों की पहचान जिसके द्वारा इन मामलों के निपटान को तीव्र किया जा सके;

(v) पूर्णत: तकनीकी प्रकृति वाले मामलों के शीघ्र निपटान के तरीके और इसे निश्चित समय सीमा में करने के लिए कार्यसंभव मैकेनिज्म।

(ङ) वैश समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और जांचाधीन है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन के लिए मामलों को युक्तिसंगत बनाने के परिणामस्वरूप कार्यविधि वाली प्रकृति के अपराधों से संबंधित मामलों का निपटान तीव्र गति से हो रहा है, जिसके द्वारा अधिक बड़े अपराधों के लिए अभियोजन पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो रहा है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, पब्लिक इश्यू के माध्यम से धन एकत्रित करने के बाद कई कपंनियां गायब हो गयी हैं। क्या सरकार ने मध्यम वर्गीय निवेशकों द्वारा निवेश की गयी धनराशि की वसूली के लिए इन कंपनियों को पकड़ने का प्रयास किया है? क्या जनता से धनराशि लेकर गायब होने वाली कंपनियों की रोकथाम के लिए सेबी कोई कदम उठा रही है? बस बारे में आज की तारीख में सरकार के पास कुल कितने मामले लंबित हैं? क्या इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा किन्हीं वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

श्री प्रेमचंद गुप्ता : लंबे समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कंपनियों के अभियोजन तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाये।

इस बारे में विभिन्न वाणिज्य चैंबरों तथा संसदीय समितियों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस बारे में देशभर में विभिन्न स्थानों पर 46 हजार मामले लंबित हैं।

इनमें से कुछ मामले तो 10 से 20 वर्ष तक पुराने हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस बारे में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये ताकि इस बात का समाधान तलाशा जा सके कि इस संख्या को कम कैसा किया जाये।

जहां तक दूसरे अनुपूरक प्रश्न कंपनियों के गायब होने का संबंध है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी 229 कंपनियों की पहचान की गयी है, जिनमें से काफी जांच पड़ताल के बाद 115 कंपनियों की पहचान की जा सकी है। हमने इन कंपनियों के खिलाफ कई कदम उठाये हैं पर कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन कंपनियों से पैसे भी वसूली की जा सके। लेकिन हम इन कंपनियों पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बना सकते हैं। लेकिन यदि आई.पी.ओ. अथवा पब्लिक इश्यू द्वारा एकबार पैसा उगाहने के बाद

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों को स्वायत्तता

***345. श्री पंकज चौधरी :**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमा उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को विभिन्न पालिसियों का स्वयं प्रीमियम निर्धारित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को और अधिक वित्तीय और कार्य संचालनात्मक स्वायत्तता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू के तहत गठित शुल्क सलाहकार समिति (टी.ए.सी.), निम्नलिखित श्रेणी के साधारण बीमा कारोबार की प्रीमियम दरों का नियंत्रण और विनियमन करती है :

I. आग बीमा

II. मोटर बीमा

III. इंजीनियरिंग बीमा

IV. कामगार क्षतिपूर्ति बीमा

कारोबार की अन्य श्रेणियों के संबंध में, बीमा कंपनियां, सरकारी और निजी दोनों ही अपनी प्रीमियम दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, आई.आर.डी.ए. ने 01 जनवरी, 2007 से सभी श्रेणियों के साधारण बीमा कारोबार को शुल्क मुक्त करने के लिए एक मार्ग दर्शी सिद्धांत (रोड मैप) का मसौदा तैयार किया है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया जाता है। इन कम्पनियों का संचालन इनके संबंधित बोर्ड करते हैं और इनके पास पर्याप्त वित्तीय तथा कार्यसंचालनात्मक स्वायतता है।

[अनुवाद]

हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा

***347. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में देश में हाइड्रोजन को ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस दिशा में अनुसंधान एवं विकासात्मक प्रयास करने हेतु कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 'रोड मैप' के आधार पर हाइड्रोजन ऊर्जा के संबंध में एक अलग नीति दस्तावेज तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम की एक दशक से भी अधिक समय से सहायता कर रहा है। विश्व भर में हुए तीव्र विकास को देखते हुए और देश में हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के त्वरित विकास और वाणिज्यीकरण के लिए मंत्रालय ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड ने वर्ष 2020 तक भारत के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार करने हेतु सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा की अध्यक्षता में एक संचालन-ग्रुप का गठन किया। इस रोड मैप पर संचालन ग्रुप की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और दिनांक 21 नवम्बर, 2005 को मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) और (ग) इस रोड मैप में अनुसंधान एवं विकास हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है जिसमें हाइड्रोजन के उत्पादन की विभिन्न पद्धतियां शामिल हैं और जिनमें अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन, भंडारण, उसके परिवहन एवं वितरण, अनुप्रयोग, ईंधन सैल, सुरक्षा, कोड, मानक और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाता है।

(घ) और (ङ) हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए अलग से नीति दस्तावेज की परिकल्पना नहीं है। तथापि, इस रोड मैप की अनुशंसाओं से देश में हाइड्रोजन ऊर्जा विकास और उपयोग के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रमों और विशिष्ट परियोजनाओं हेतु आधार प्राप्त होगा।

बंजर भूमि क्षेत्र

***348. श्री वी.के. थुम्मर :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर भूमि के क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने बंजर भूमि क्षेत्र का विकास किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने बंजर भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है;

(घ) इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के सहयोग से वर्ष 2005 में प्रकाशित भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया) के अनुसार देश में कुल बंजरभूमि 552.69 लाख हैक्टेयर है। बंजरभूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भूमि संसाधन विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा कृषि मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विकसित की गई भूमि संलग्न विवरण-II में दिये गये ब्यौरे के अनुसार लगभग 268.10 लाख हैक्टेयर है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां वाटरशेड आधार पर बंजरभूमि को विकसित करने, सूखा प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त करने तथा मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। इन कार्यक्रमों में वाटरशेड के अंतर्गत आने वाली अवक्रमित भूमि, चरागाह भूमि तथा वन भूमि शामिल की जाती है। इसी प्रकार कृषि मंत्रालय समस्याग्रस्त भूमि को विकसित करने के लिए अपनी चार योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध कराता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इन योजनाओं के पूरा होने पर बंजरभूमि माने गए क्षेत्र में कमी आएगी। तथापि, विकसित किए गए इस पूरे क्षेत्र में खेती नहीं की जाती है। इसमें से कुछ भाग वन आच्छादन में वृद्धि करने, चारागाह भूमि क्षेत्र को बढ़ाने तथा अन्य गैर-कृषि उपयोगों, आदि के तहत चला जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (एन.डब्लयू.डी.बी.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित किए जाने के पश्चात् इस मंत्रालय के सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इसका नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2005-06 के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा अभी तक 28 राज्यों में 16.318 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 340 आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं, कार्यक्रम वाले जिलों/राज्यों के अभिज्ञात खण्डों में 15.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 3000 डी.पी.ए.पी. परियोजनाएं तथा 10.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 2000 डी.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

2003 में भारत की राज्य-वार बंजरभूमि (भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2005 के अनुसार)

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर)

क्र. सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की सं.	शामिल किए गए जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में बंजरभूमि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068	45267.15	16.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	83743	18175.95	21.7
3.	असम	23	78438	14034.08	17.89
4.	बिहार	37	94171	5443.68	5.78
5.	छत्तीसगढ़	16	135194	7584.15	5.61
6.	गोवा	2	3702	531.29	14.35
7.	गुजरात	25	196024	20377.74	10.4
8.	हरियणा	19	44212	3266.45	7.39
9.	हिमाचल प्रदेश	12	55673	28336.8	50.9
10.	जम्मू-कश्मीर*	14	101387	70201.99	69.24
11.	झारखंड	19	79706	11165.26	14.01
12.	कर्नाटक	27	191791	13536.58	7.06
13.	केरल	14	38863	1788.8	4.6
14.	मध्य प्रदेश	49	308252	57134.03	18.53
15.	महाराष्ट्र	33	307690	49275.41	16.01
16.	मणिपुर	9	22327	13174.74	59.01
17.	मेघालय	7	22429	3411.41	15.21
18.	मिजोरम	8	21081	4469.88	21.2
19.	नागालैण्ड	7	16579	3709.4	22.37
20.	उड़ीसा	30	155707	18952.74	12.17
21.	पंजाब	17	50362	1172.84	2.33
22.	राजस्थान	32	342239	101453.86	29.64
23.	सिक्किम	4	7096	3808.21	53.67
24.	त्रिपुरा	4	10486	1322.97	12.62
25.	तमिलनाडु	29	130058	17303.29	13.3
26.	उत्तरांचल	13	53483	16097.46	30.1
27.	उत्तर प्रदेश	70	240928	16984.16	7.05
28.	पश्चिम बंगाल	18	88752	4397.56	4.95
29.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973	314.38	2.87
	योग	597	3166414	552692.25	17.45

*सर्वेक्षण नहीं किया गया क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) 120849

कुल भौगोलिक क्षेत्र : 3287263

स्रोत : आई.आर.एस.-एल.आई.एस.एस.III आंकड़ा आधार पर 1: 50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया बंजरभूमि मानचित्र-2003।

विवरण-II

वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम-वार विकसित किया गया क्षेत्र

क्रम सं.	कार्यक्रम	विकसित किया गया अनुमानित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2	3
	ग्रामीण विकास योजनाएं	
1.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	30.96
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	57.64
3.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	29.30
	योग	117.90
	कृषि योजनाएं	
4.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)	79.57
5.	क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाना	6.58
6.	नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों में भूमि संरक्षण योजना (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.)	60.87
7.	पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)	3.181
	योग	150.20
	कुल योग	268.10

विवरण-III

समस्याग्रस्त भूमि (कृषि एवं सहकारिता विभाग) तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों (भूमि संसाधन विभाग) के अंतर्गत विकसित किया गया कुल क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर में)

क्र. सं.	योजना	2002-03	2003-04	2004-05	योग
		अनुमानित विकसित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)			
ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के अंतर्गत योजनएं					
1.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	4.42	6.02	6.54	16.98
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	5.56	7.35	7.49	20.40
3.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	4.39	4.72	4.89	14.00
	योग	**14.37**	**18.09**	**18.92**	**51.38**
कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अंतर्गत योजनाएं					
4.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)	1.79	3.26	4.53	9.57
5.	क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाना	0.22	0.21	0.35	0.78
6.	नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों में भूमि संरक्षण योजना (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.)	2.04	1.79	2.05	5.88
7.	पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)	0.19	0.20	0.21	0.60
	योग	2.46	2.20	7.13	11.79
	कुल योग	16.83	20.29	26.05	63.17

विवरण-IV

वर्ष 2005-06 के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा स्वीकृत क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	आई.डब्ल्यू.डी.पी.		डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.	
		परियोजनों की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)	परियोजनों की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)	परियोजनों की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16	0.900	342	1.710	134	0.670
2.	बिहार	17	0.850	90	0.450		
3.	छत्तीसगढ़	15	0.700	135	0.675		
4.	गोवा	2	0.029				
5.	गुजरात	15	0.750	290	1.450	370	1.850
6.	हरियाणा	5	0.170			140	0.700
7.	हिमाचल प्रदेश	13	0.601	47	0.235	46	0.230
8.	जम्मू-कश्मीर	10	0.493	77	0.385	50	0.250
9.	झारखंड	6	0.300	234	1.170		
10.	कर्नाटक	17	0.850	265	1.325	198	0.990
11.	केरल	12	0.464				
12.	महाराष्ट्र	13	0.650	360	1.800		
13.	मध्य प्रदेश	19	0.939	310	1.550		
14.	उड़ीसा	15	0.745	170	0.850		
15.	पंजाब	5	0.215				
16.	राजस्थान	15	0.770	115	0.575	1062	5.310
17.	तमिलनाडु	19	0.939	190	0.950		
18.	उत्तर प्रदेश	16	0.800	190	0.950		
19.	उत्तरांचल	12	0.617	105	0.525		
20.	पश्चिम बंगाल	7	0.113	80	0.400		
		249	11.894	3000	15.000	2000	10.000
	पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	22	0.320				
2.	असम	23	1.380				
3.	मणिपुर	8	0.490				

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मेघालय	7	0.125				
5.	मिजोरम	17	1.360				
6.	नागालैंड	5	0.405				
7.	सिक्किम	4	0.090				
8.	त्रिपुरा	5	0.254				
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	91	4.424				
	क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का रोग	340	16.318	3000	15.000	2000	10.000

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*349. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाले गए ऋण की राशि गत वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की राशि से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वर्षों की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा की गई पूरी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूलियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

	बट्टे खाते डाले गए	
	2003-04	2004-05
भारतीय स्टेट बैंक	3,974	1,337
राष्ट्रीयकृत बैंक	6,328	6,192

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 20,705 करोड़ रुपए और 20,519 करोड़ रुपए की वसूली की है।

आईपीओज में फुटकर निवेशक

*350. **डा. राजेश मिश्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओज); के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.पी.ओ. के संबंध में अर्हताप्राप्त संस्थागत बोली लगाने वालों (क्यू.आई.बी.) का फुटकर/छोटे निवेशकों की तुलना में अधिकतम आरक्षण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा फुटकर/छोटे निवेशकों को आई.पी.ओ. में अधिकतम लाभ देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सेबी ने हाल ही में अन्य बातों के अलावा बही निर्माण प्रक्रम के माध्यम से आई.पी.ओ. के संबंध में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करते हुए प्रकटन और निवेशक संरक्षण दिशानिर्देश (डी.आई.पी. दिशानिर्देश) संशोधित किए हैं :

- खुदरा निवेशकों के लिए आवंटन 25% से बढ़ाकर 35% करना,
- अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यू.आई.बी.) को आनुपातिक आवंटन,
- क्यू.आई.बी. द्वारा बोलियां प्रस्तुत करते समय 10% मार्जिन का भुगतान,
- क्यू.आई.बी. श्रेणी के तहत म्यूचुअल फंडों को 5% का आवंटन,
- क्यू.आई.बी. के लिए 45% की अवशिष्ट श्रेणी में अन्य क्यू.आई.बी. के साथ म्यूचुअल फंडों की प्रतिभागिता।

(ग) बही निर्माण प्रक्रम के माध्यम से आई.पी.ओ. के मामले में जनता को निवल पेशकश का कम से कम 50% क्यू.आई.बी. को आवंटित किया जाना अपेक्षित है और कम से कम 35% खुदरा निवेशकों को आवंटित किया जाना अपेक्षित है।

नियत मूल्य मार्ग के माध्यम से आई.पी.ओ. के मामले में जनता को निवल पेशकश का कम से कम 50% खुदरा निवेशकों को आवंटित किया जाना अपेक्षित है। क्यू.आई.बी. के लिए ऐसा कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है।

किसी श्रेणी में अल्प अभिदान के मामले में अल्प अभिदत्त भाग सामान्यतया अन्य श्रेणियों के बोलीदाताओं को आवंटित कर दिया जाता है।

(घ) इन उपायों जैसे बही निर्माण के माध्यम से किए गए आई.पी.ओ. के मामले में खुदरा निवेशकें को कम से कम 35% का आवंटन, क्यू.आई.बी. श्रेणी के अंतर्गत म्यूचुअल फंडों को 5% का आवंटन और क्यू.आई.बी. के लिए 45% की अवशिष्ट श्रेणी में अन्य क्यू.आई.बी. के साथ म्यूचुअल फंडों की प्रतिभागिता और नियत मूल्य मार्ग के माध्यम से आई.पी.ओ. के मामले में खुदरा निवेशकों को कम से कम 50% का आवंटन, ने खुदरा निवेशकों को सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से पेशकश किए गए शेयरों के आवंटन में प्रभावपूर्ण वृद्धि की है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

***351. श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री जुएल ओराम :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में लघु जल विद्युत (माइक्रो हाइडल), सौर तथा पवन ऊर्जा टर्बाइनों जैसे पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जैसा कि 2 दिसम्बर, 2005 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) नयी नीति का लक्ष्य क्या है और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नए दस्तावेज में क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों को कितना जवाबदेह बनाया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में नई तथा अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यनीति दृष्टिकोण तय करने हेतु एक प्रारूप नई एवं अक्षय ऊर्जा नीति विवरण 2005 तैयार किया गया है। विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर) से आम राय प्राप्त करने के लिए इस विवरण को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वेबसाईट पर रखा गया है।

(घ) इस विवरण का उद्देश्य देश के लिए अक्षय ऊर्जा की प्राथमिकताएं और लक्ष्य निर्धारित करना है ताकि तरल, गैसीय और ठोस जीवाश्म ईंधनों के लिए इसी क्रम में विकल्पों का विकास किया जा सके। इसमें विस्तृत क्षेत्र की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा के अनुप्रयोग का प्रावधान भी है जिनमें ऊर्जा की अधिक लोगों तक आपूर्ति, पूरी न की गई मांग को पूरा करने, जीवाश्म ईंधन संबंधी कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन का प्रतिस्थापना करने, परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों में जीवाश्म ईंधन का अनुपूरण करने और ग्रिड आपूर्ति को बढ़ाने की संभाव्यता है और इस प्रकार समग्र राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिल सके।

(ङ) बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) के लिए आवश्यक है कि वे एक संवितरण लाइसेंसी के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए कुछ प्रतिशत का निर्धारण करें। तदनुसार, यह राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) पर निर्भर है कि वे अपने राज्यों में विभिन्न कारकों जैसे विद्युत मांग-आपूर्ति की स्थिति, उस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और उनके विकास की स्थिति तथा ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए ऐसी प्रतिशतता का निर्धारण करें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद संग्रहण

***352. श्री सीता राम यादव :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद और अन्य अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना राजस्व प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि किसी कंपनी की ओर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 500 करोड़ और उससे भी अधिक रुपये बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों से बकाया राशि की वसूली हेतु क्या प्रयास किए गए है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्व बजट की अधिक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने के मद्देनजर मौजूदा ढांचे में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों के राजस्व वसूली नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये)

शीर्ष	2002-03		2003-04		2004-05	
	व.अ.	वसूली	व.अ.	वसूली	व.अ.	वसूली अनंतिम
उत्पाद शुल्क	91433	82310	96791	90774	109199	98636*
सीमा शुल्क	45193	44852	49350	48629	54250	57566
सेवा कर	6026	4122	8000	7891	14150	14196
आई.ए.टी.टी./एफ.टी.टी.	1050	1324	1115	1314	-	-
कुल	143702	132608	155256	148608	177599	170398

*अन्य विभागों द्वारा अभिशासित उपकर शामिल नहीं है।

(ख) आज की तारीख में, 500 करोड़ रु. तथा इससे अधिक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क किसी भी कंपनी के प्रति बकाया नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर तक राजस्व संग्रहण में वृद्धि, लक्षित विनिर्माण वृद्धि एवं मुद्रा स्फीति दर, वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (यदि कोई हो) तथा अन्य भौतिक कारकों के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली के बीच अंतर तब आता है, जब बजट अनुमान तैयार करने के स्तर पर अपनाई गई कोई एक या इससे अधिक संकल्पनाएं अवैध हो जाती हैं। वित्त विधेयक प्रस्तुत होने के बाद वर्ष के दौरान शुल्क दर में किए गए परिवर्तनों का भी राजस्व संग्रह पर प्रभाव पड़ता है। बजट अनुमान को अपेक्षाकृत और अधिक यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन

*353. **श्री रायापति सांबाशिवा राव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का सूती वस्त्र उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता बढ़ाने और अधिक लंबे रेशे वाले कपास की नई किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और कपास बीज उत्पादकों से उम्मीद लगाए बैठा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कपास के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अमरीका और मिस्र से कपास का आयात कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में अधिक लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) कपास का उत्पादन, उत्पादकता और उपज बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया था। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-I और II, जिसके लिए आई.सी.ए.आर. और कृषि मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, के तहत अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास सहित नई अधिक उपज वाली किस्मों के विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने, एफ.एफ.एस. मोड के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन को लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं जिससे अतिरिक्त लंबे रेशे वाली किस्मों के कपास कृषकों को ई.एल.एस. किस्मों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) देश में समग्र कपास उत्पादन पिछले वर्षों के दौरान बढ़ा है। कपास मौसम 2004-05 के दौरान उत्पादन का स्तर रिकॉर्ड भारी फसल का था। पिछले तीन वर्षों के कपास उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

कपास मौसम (अक्टूबर-सितंबर)	मात्रा लाख गांठों में
2002-03	136
2003-04	177
2005-06	243

पिछले दो वर्षों से घरेलू मिलें मुख्य रूप से ई.एल.एस. कपास की कम आपूर्ति के कारण आयात का सहारा ले रही हैं। ये आयात सी.आई.एस., मिस्र, सूडान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से हैं।

विदेशों में बैंकों की शाखाएं

*354. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ ही चुनिंदा बैंकों को विदेशों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ निजी बैंकों को भी विदेशों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख) सभी भारतीय बैंकों को कतिपय विवेकपूर्ण मानदण्डों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विदेशों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाती है। बैंकों को विदेशी बैंकों के साथ संयुक्त रूप से अनुषंगियां स्थापित करने की भी अनुमति होती है।

(ग) और (घ) जी, हां। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. की बहरीन और सिंगापुर से एक-एक शाखा है। इसकी विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगियां भी हैं। भारत ओवरसीज बैंक लि. की थाईलैण्ड में शाखा है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. को भी यू.एस.ए. में शाखा खोलने की अनुमति दी गई है।

रुग्ण जूट मिलें

*355. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी जूट मिलें रुग्ण और बंद पड़ी हैं;

(ख) इन मिलों में राज्यवार कितने कामगार कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार इन रुग्ण और बंद पड़ी जूट मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई व्यापक योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन बंद पड़ी और रुग्ण जूट मिलों के कामगारों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) राज्य-वार रुग्ण और बंद पड़ी पटसन मिलों तथा उनमें शामिल कामगारों की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

राज्य	रुग्ण पटसन मिलों की संख्या		बंद पड़ी रुग्ण मिलों की संख्या		गैर-रुग्ण बंद पड़ी मिलों की संख्या		कुल बंद पड़ी मिलों की संख्या	
	मिलों की संख्या	कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	कामगारों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (4)+(6)	(9) (5)+(6)
पश्चिम बंगाल	29	97667	3	9409	1	1575	4	10984
उड़ीसा	1	1847						
त्रिपुरा	1	1328						
आंध्र प्रदेश	1	2735						
उत्तर प्रदेश	2	4550	2	4550			2	4550
बिहार	1	1241						
कुल	35	109368	5	13959	1	1575	6	15534

नोट :- राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन.जे.एम.सी.) की छह पटसन मिलें सरकारी तौर पर बंद नहीं हैं क्योंकि कामगारों को वेतन मिलता आ रहा है परंतु एन.जे.एम.सी. की इन मिलों में से किसी में भी अप्रैल, 2004 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सामान्य रूप से निजी एवं सार्वजनिक रुग्ण मिलों के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेज दिए जाते हैं, जो रुग्ण मिलों के पुनर्वासन की संभावना की जांच के लिए एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है। ऐसी इकाइयों की पुनरुद्धार योजना की तैयारी/जांच बी.आई.एफ.आर. द्वारा नियुक्त एक प्रचालन एजेंसी, जो आम तौर पर एक वित्तीय संस्था होती है, द्वारा की जाती है। पुनर्वासन पैकेज प्राप्त होने पर बी.आई.एफ.आर. अलग-अलग इकाइयों के पुनर्वासन मामलों में निर्णय लेता है। आज तक की स्थिति के अनुसार

30 पटसन मिलों के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे जा चुके हैं।

सरकार, पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.), पटसन उद्यमी सहायता योजना (जे.ई.ए.एस.), जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना और पटसन क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं बाजार विकास के लिए बाह्य बाजार सहायता (ई.एम.ए.) योजना जैसी अनेक योजनाएं भी चला रही है और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग हैं।

(ङ) और (च) जो वस्त्र एकक गैर-अर्थक्षम रहे हैं और स्थायी रूप से बंदी का सामना कर रहे हैं, उनमें कामगारों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने उनकी पहचान की है और उपाय किए हैं। निजी क्षेत्र में वस्त्र एककों के स्थायी रूप से बंद होने/परिसमापन के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए "वस्त्र कामगार पुनर्वासन योजना" पटसन वस्त्र क्षेत्र के लिए भी लागू है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों को आकर्षक वी.आर.एस. लाभों की पेशकश करती है जो ऐसी पेशकश को स्वीकार करने के इच्छुक हों।

लघु और मझौले उद्यमों को ऋण

*356. **डा. सुजान चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वास्तविक संदर्भों में समग्र नेट बैंक क्रेडिट (एन.बी.सी.) कितना रहा;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लघु और मझौले उद्यमों को वास्तविक संदर्भों में कितना नेट बैंक क्रेडिट प्रदान किया गया और इसमे इनकी कितने प्रतिशत भागीदारी रही;

(ग) क्या लघु और मझौले उद्यमों की प्रतिशतता भागीदारी में उत्तरोत्तर कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अति लघु क्षेत्र को वास्तविक संदर्भों में कितना नेट बैंकिंग क्रेडिट प्रदान किया गया है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अति लघु क्षेत्र की कितने प्रतिशत भागीदारी रही है; और

(च) सरकार द्वारा लघु और मझौले उद्यमों और अति लघु क्षेत्रों के लिए नेट बैंक क्रेडिट के हिस्से में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए निवल बैंक ऋण (एनबीसी) और बकाया ऋण संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मझौले उद्यमों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल बैंक ऋण	लघु उद्योग क्षेत्र के पास बकाया ऋण	निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत
2002-03	477899	52988	11.1
2003-04	558849	58277	10.1
2004-05	*717805	*67634	9.42

*अनन्तिम

(ग) और (घ) निवल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण के प्रतिशत में गिरावट का रुख है। इसका श्रेय लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि पर की तुलना में निवल बैंक ऋण में वृद्धि की उच्चतर दर को दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से अधिक हो गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अत्यंत लघु क्षेत्र को ऋण संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल बैंक ऋण	अत्यंत लघु उद्योग क्षेत्र के पास बकाया ऋण	निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत
2002-03	477899	26937	5.64
2003-04	558849	30825	5.52
2004-05	*717805	28053	3.91

*अनन्तिम

(च) 10 अगस्त, 2005 को संसद में "एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करने संबंधी नीति संबंधी पैकेज" की घोषणा की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छोटे एवं मझौले उद्यमों (एस.एम.ई.) के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए एस.एम.ई. के वित्तपोषण के लिए स्वयं ही लक्ष्य तय करना शामिल है। इसका लक्ष्य वर्ष 2009-10, अर्थात 5 वर्षों की अवधि के भीतर एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को दुगुना करना है। लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋण जो वर्ष 2004-05 के लिए 67,600 करोड़ रुपए था, को वर्ष 2009-10 तक बढ़ाकर 135,000 करोड़ रुपए तक किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें सभी बैंकों को इन नीतिमूलक उपायों को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

चावल का "जीनोम"

*357. **श्री रशीद मसूद :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को चावल का "जीनोम" तैयार करने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इन जीनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कॉफी, टमाटर, गेहूं और गन्ना सहित अन्य फसलों के लिए भी ऐसी कोई परियोजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) चावल के नए "जीनोम" से चावल के उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना (आई.आर.जी.एस.पी.) में भाग लिया है। 10 राष्ट्रों (जापान, यू.एस.ए., चीन, ताईवान, फ्रांस, भारत, कोरिया, थाइलैंड, यू.के. और ब्राजील) के वैज्ञानिकों की प्रतिभागिता से आई.आर.जी.एस.पी. ने चावल जीनोम के 370 मिलियन बेसों का अनुक्रमण कर लिया है। आई.आर.जी.एस.पी. के एक भाग के रूप में भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल क्रोमोसोम संख्या 11 की जीनोम सूचना का कूट सफलतापूर्वक खोल लिया है।

(ख) चावल जीनोम में 37,544 जीनों की मौजूदगी को दर्शाया गया है जिनमें से 1443 जीनों की भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अनुक्रमित क्षेत्र में पहचान की गई है।

(ग) भारत एक इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय टमाटर जीनोम अनुक्रमण परियोजना में पहले से ही भाग ले रहा है। तथापि, गन्ना, कॉफी और गेहूं जैसी अन्य फसलों के मामलों में जीनोम चित्रण, निष्पीडन के अनुक्रम टैग तथा आनुवंशिक परिवर्तनशीलता पर अनुसंधान प्रयास शुरू किए गए हैं।

(घ) चावल जीनोम के कूट खोली गई सूचना आण्विक उत्पादन के माध्यम से उन्नत चावल किस्मों के विकास के लिए नई जीन क्रियाओं एवं डी.एन.ए. मार्करों के आविष्कार में एक निर्णायक भूमिका निभायेगी। इन नई किस्मों से पैदावार में क्रांति आएगी जिसे अभी तक पारम्परिक उत्पादन पद्धतियों के जरिए प्राप्त किया जा रहा था। इस समय उत्पादन में वृद्धि के परिमाण का आकलन करना कठिन है लेकिन चावल किस्मों में सुधार संबंधी भावी कार्यक्रम को निश्चय ही चावल जीनोम अनुसंधान प्रयासों से लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

व्यवसायों (प्रोफेशंस) के लिए नया कानून

358. **एन.एस.वी. चित्तन :** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटेंट), कंपनी सचिवों तथा लागत एवं कार्य लेखाकारों (कॉस्ट एण्ड वर्कस् अकाउंटेंट) के व्यवसायों (प्रोफेशंस) को विनियमित करने हेतु एक नया कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) संसद में इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता) : (क) से (ग) जी, नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिवों के व्यवसाय क्रमश: चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के द्वारा विनियमित होते हैं। तथापि, इन अधिनियमों, को संशोधित करने के निम्नलिखित विधेयकों को 6.12.2005 को राज्य सभा में पुरस्थापित किया गया और दिनांक 13.12.2005 को इसे सदन के द्वारा पारित किया गया :-

(i) चार्टर्ड एकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005

(ii) चार्टर्ड एवं संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2005

(iii) कम्पनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005

बायो-गैस तथा अपशिष्ट पद्धार्थों से ऊर्जा

*359. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए यह अनिवार्य बनाने का है कि वे ऊर्जा की अपनी 10 प्रतिशत आवश्यकता अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से इस समय हो रहे ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बायो-गैस के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि गांव ऊर्जा की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मनिर्भर बन सके;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रणनीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दिनांक 31.3.05 की स्थिति के अनुसार ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 6161 मेगावाट है जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) एक राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (एन.बी.पी.), जिसके अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का संवर्धन किया जाता है, का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कुकिंग ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। वर्ष 2005-06 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 66000 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बायोगैस सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा साधनों के माध्यम से कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर परीक्षण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.2005 के अनुसार राज्यवार और कार्यक्रमवार संचयी ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेवा.)	पवन विद्युत (मेवा.)	बायोमास विद्युत (मेवा.)	बायोमास गैसीफायर (मेवा.)	सौर विद्युत (किलोवाट (पीक)	शहरी एवं औद्योगिक (मेवा.)	कुल क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	178.81	120.60	267.30	15.38	275.00	21.65	604.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.70	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	33.88
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	2.23
4.	बिहार	45.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	45.92
5.	छत्तीसगढ़	11.00	0.00	11.00	0.51	0.00	0.00	22.51
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07
7.	गुजरात	7.00	253.53	0.50	14.26	0.00	2.95	278.24
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	1.06	0.00	0.00	69.76
9.	हिमाचल प्रदेश	108.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	108.09
10.	जम्मू-कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	110.26
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	4.13
12.	कर्नाटक	274.88	410.68	152.00	4.61	30.00	1.00	843.20
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.73	25.00	0.00	87.37
14.	मध्य प्रदेश	41.16	28.85	1.00	4.73	339.00	2.73	78.81
15.	महाराष्ट्र	207.08	456.30	36.00	3.82	185.00	1.90	705.29
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	14.96
19.	नागालैंड	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.07	0.00	0.03	7.40
21.	पंजाब	111.40	0.00	22.00	0.70	325.00	1.75	136.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	राजस्थान	23.85	284.74	7.80	0.22	150.00	0.00	316.76
23.	सिक्किम	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2036.95	173.00	5.03	211.00	1.98	2294.87
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	17.11
26.	उत्तर प्रदेश	21.50	0.00	73.00	4.87	325.00	8.00	107.69
27.	उत्तरांचल	72.45	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	72.50
28.	पश्चिम बंगाल	92.30	1.10	0.00	6.95	50.00	0.00	100.40
29.	अंडमान और निकोबार	5.25	0.00	0.00	0.17	100.00	0.00	5.52
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.60	25.00	0.00	0.63
36.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32
	कुल	1705.63	3594.75	749.50	66.35	2740.00	41.98	6161.06

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) को देय बकाया राशि

360. श्री गणेश सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां। बिहार और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों/ राज्य यूटिलिटियों द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) को बकाया राशियों का भुगतान करना है। दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (डेसू) अवधि के बकायों का भी निपटान होना अभी बाकी है।

(ख) उक्त इकाइयों द्वारा देय बकायों के ब्यौरे दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं, नामश: राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा एन.टी.पी.सी. जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बकायों के एकमुश्त भुगतान के लिए तैयार स्कीम के अंतर्गत हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता (टी.पी.ए.) के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत की जानेवाली 30 सितम्बर, 2001 तक की शेष बकाया राशि तथा प्रतिभूतिकरण-पश्चात् अवधि अर्थात 30 सितम्बर, 2001 के पश्चात् भुगतान में विलंब से संबंधित देय राशि। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क. प्रतिभूति की जोनवाली शेष बकाया राशि (30 सितम्बर, 2001 तक की बकाया राशि)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	एस.ई.बी./यूटिलिटी	प्रतिभूति की जाने वाली शेष राशि
1.	बिहार एसईबी	427.74
2.	झारखंड एसईबी	337.85
3.	दिल्ली (डेसू अवधि*)	1310.83
	कुल-क	2076.42

*समाधान के कारण परिवर्तन की शर्त पर

ख. चालू अवधि में भुगतान चूक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	एस.ई.बी./यूटिलिटी	90 दिनों से अधिक की देय राशि
1.	बिहार	0.98
	कुल-ख	0.98
	सकल योग (कुल क+ख)	2077.40

(ग) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बकायों के एकमुश्त भुगतान के लिए दिनांक 17.04.2002 को एक स्कीम शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों ने दिनांक 30.9.2001, जो प्रतिभूतिकरण की अंतिम तारीख है, तक की बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यद्यपि बिहार और झारखंड की विद्युत यूटिलिटियों ने प्रतिभूतिकरण के जरिए अपनी बकाया राशियों के एक हिस्से का निपटारा कर दिया है, किन्तु उक्त टेबल में दर्शाई गई कुछ और राशि का प्रतिभूतिकरण किया जाना बाकी है, जो अविभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अंतिम विभाजन के उत्पन्न शेष बकायों के समाधान न होने के कारण विलंबित हुई। बॉन्डों को जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त राशि के निपटारे के सभी तरीकों से प्रयास जारी हैं। प्रतिभूतिकरण-पश्चात् अवधि की भुगतान चूक वाली धनराशि बहुत कम है और इसकी वसूली शीघ्र ही हो जाएगी।

डेसू अवधि के बकायों के निपटारे के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है।

बीमा कंपनियों का निवेश

361. श्री बसुदेब आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास और सामाजिक क्षेत्र, में गैर-सरकारी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में बीमा कंपनियों के निवेश की कुल राशि कितनी थी; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार और लोगों को क्या-क्या लाभ और उपलब्धियां प्राप्त हुई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले 3 वर्षों के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की आधारभूत विकास और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश की गई कुल राशि निम्नानुसार है :

करोड़ रुपए में

	31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र	37151.37	43657.29	51096.5
निजी क्षेत्र	637.38	947.22	1461.59

(ख) आधारभूत और सामाजिक क्षेत्रों में बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाली निवेश अधिकांशत: दीर्घावधिक निवेश होते हैं। निवेश पर बीमा अधिनियम, 1938 और आई.आर.डी.ए. विनियमन जीवन बीमा कंपनियों को आधारभूत और सामाजिक क्षेत्रों में कुल निवेश का न्यूनतम 15% और साधारण बीमा कंपनियों को आधारभूत और सामाजिक क्षेत्रों के कुल निवेश का कम से कम 10% और आवास तथा अग्नि शमन उपकरणों में कम से कम 5% निवेश करने का अधिकार देते हैं। ऐसे निवेश, जो मूल रूप से एल.आई.सी. द्वारा किए जाते हैं, पीने के पानी, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कारगर साधन रहे हैं।

हवाला कारोबार

3493. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हवाला कारोबार के माध्यम से भारतीय बैंकों में काफी मात्रा में धन जमा किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना विभाग (डी.आर.आई.) द्वारा कितने मामलों की जांच की गई;

(घ) जब्त किए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) चूंकि हवाला एक अवैध लेन-देन है या बैंकों के अभिलेखों में परिलक्षित नहीं होता है।

(ग) से (ङ) ऐसे किसी मामले की राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जांच नहीं की गई है।

[हिन्दी]

आयकर संग्रहण संबंधी सी.ए.सी. की रिपोर्ट

3494. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.ए.जी. ने आयकर तथा कार्पोरेट कर के संग्रहण में भारी अनियमितताओं का पता लगाया है जैसा कि वर्ष 2003-04 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुछ मामलों में विभाग ने कम वसूली की है जिससे इसे 5,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या इसी प्रकार विभाग ने कुछ मामलों में अधिक वसूली की है जिसके कारण करदाताओं से 470 करोड़ रुपए अधिक वसूले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने (वर्ष 2003-04 के लिए) वर्ष 2005 के अपने प्रतिवेदन सं. 12 में 14460 मामलों में न्यून कर निर्धारण के संबंध में तथा 2386 मामलों में अधिक कर निर्धारण के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं, जिनमें क्रमश: 4,838.76 करोड़ रुपए तथा 469.12 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर्ग्रस्त है।

(घ) लेखा परीक्षा संबंधी से टिप्पणियां देश भर में फैले हुए आयकर आयुक्तालयों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कर निर्धारणों से संबंधित हैं। लेखा परीक्षा संबंधी इन टिप्पणियों को तैयार करने तथा इनका निपटान करने की एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आपत्तियां प्राप्त हो जाने के बाद तथ्यो के सही होने के संबंध में मामलों की जांच की जाती है। लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करने अथवा न करने की स्थिति के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को तदनुसार सूचना दी जाती है। तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की हिदायतों के अनुसार इन मामलों में आवश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है, तथा इसी दौरान तथाकथित राजस्व हानि संबंधी मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

(ङ) ऐसे मामलों की यह देखने के लिए और आगे जांच की जाती है कि किन परिस्थितियों में गलती हुई और क्या यह गलती अनजाने में की गई थी अथवा नहीं। सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(च) मंत्रालय में, कार्य करने में होने वाली गलती चाहे अनजाने में की गई हो अथवा सोच-समझ कर की गई हो, की जांच करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली मौजूद है, जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षक, आयुक्तों द्वारा निरीक्षण और पुनरीक्षा की प्रणाली, अपर/संयुक्त आयुक्तों द्वारा मार्ग दर्शन करना तथा सतर्कता विंग द्वारा सत्यापनों की व्यवस्था है।

सहकारी बैंकों का बन्द होना

3495. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घोटालों तथा सहकारी बैंकों के बंद होने की घटनाओं की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इन सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों में की गई अनियमितताओं के संबंध में कोई नोटिस जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना

3496. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर वेली कारपोरेशन ने झारखंड के कोडरमा जिले में कोडरमा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां। दामोदर वेली कॉरपोरेशन (डी.वी.सी.) ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र चरण-I (2x500 मि.यू.) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) परियोजना की स्थापना के लिए आरंभिक कार्य प्रगति पर है। दामोदर घाटी जलाशय विनिमय समिति (डी.वी.आर.आर.सी.) से जल स्वीकृति को छोड़कर सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई

हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) भूमि अधिग्रहण तथा डी.वी.आर.आर.सी. को झारखंड सरकार से जल स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर कोडरमा ताप विद्युत केन्द्र चरण-I (2x500) का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

विज्ञान संग्रहालय

3497. श्री सुनील खां : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की युवा पीढ़ी में ज्ञान के विकास के लिए प्रत्येक जिले में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या योजना बनाई गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन.सी.एस.एम.) मुख्यत: स्कूलों और कालेजों में विज्ञान शिक्षा के विकास के उद्देश्य से अनेक क्रियाकलापों/पारस्परिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में संलग्न है। आज की तारीख में एन.सी.एस.एम. पूरे भारत में 28 विज्ञान केन्द्रों और विज्ञान संग्रहालयों को चलाता है। संस्कृति मंत्रालय विज्ञान नगरों/क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों और उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। शहरों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विज्ञान नगरों, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों, उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर की जाती है।

सरकार के खर्चे पर बीमा

3498. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खर्चे पर सड़क दुर्घटनाओं, चाहे वह मार कर भागने का मामला ही हो, में घायल होने अथवा मृत्यु हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम बीमा सुरक्षा देने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 के तहत, सरकारी क्षेत्र की जनरल बीमा कम्पनियों से मोटर प्रीमियम की 0.1% की दर के योगदान से एक मुआवजा निधि (सॅलेशिअम फण्ड) का सृजन किया गया है। निधि को, जहां दुर्घटना करने वाले वाहनों का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे मामलों में, सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25000/- रुपये और गम्भीर चोट लगने पर 12,500/- रुपये की दर से पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3499. श्री हितेन बर्मन :
श्री सुब्रत बोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एक से पांच करोड़ रुपए, छ: से दस करोड़ रुपए, पचास करोड़ रुपए तथा इससे ऊपर और सौ करोड़ रुपए तथा इससे ऊपर के स्लैबों में ऋण लेखों का बैंक-वार तथा वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ऋण स्लैबों पर संपार्श्विक के रूप में ऋण लेने वालों द्वारा बंधक/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के बही मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वर्षों में उधार देने वालों द्वारा प्राप्त किए गए संभाव्य बंधक (वर्चुअल मॉरटागेज) और ऋण का अनुपात कितना है; और

(घ) नीलाम की गई/व्यापार में लगाई गई बंधक परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दाभोल विद्युत परियोजना

3500. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाभोल विद्युत निगम के संबंध में अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कं. (जी.ई.) के दावे को निपटाने के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौते के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए जी.ई. के साथ वार्ता हेतु एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति की शर्तें और संरचना क्या है; और

(ग) समिति द्वारा की गई, यदि कोई हों, तो सिफारिशें क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार के हितों की रक्षा के लिए दाभोल पावर कंपनी के संबंध में जी.ई. के दावों के निपटान हेतु हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत कोई समिति गठित नहीं की गई है तथापि, भारतीय वित्तीय संस्थानों (आई.एफ.आई.) ने भारत सरकार (जी.ओ.आई.) को सूचित किया है कि जी.ई. सहित डाभोल विद्युत परियोजना के विदेशी स्टेक होल्डरों के गैर ऋण दावों के निपटान संबंधी बातचीत के लिए भारतीय वित्तीय संस्थानों अर्थात सी.एम.डी., आई.डी.बी.आई.; प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया; उप प्रबंध निदेशक, आई.सी.आई.सी.आई.; प्रबंध निदेशक, एस.बी.आई. कैपीटल मार्केट्स लि. और अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया था।

जी.ई. के साथ जुलाई 2005 में समझौता किया गया था, जिसके अंतर्गत 145 अमरीकी डालर की राशि निपटान के रूप में जी.ई. को दी गई है। समझौता व्यापक प्रकृति का है तथा महाराष्ट्र सरकार सहित सभी भारतीय स्टेकहोल्डरों के विरुद्ध उनके सभी बकाया दावे इसमें शामिल हैं। निपटारा बातचीत के अंतर्गत, जी.ई. ने निम्नलिखित के लिए सहमति व्यक्त की है :-

-- भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन और भारतीय वित्तीय संस्थाओं के प्रति अपने सभी दावे छोड़ना।

-- डी.पी.सी. के शेयरों में उनके अधिकार, स्वामित्व और लाभों का स्पेशल परपज़ व्हीकल को हस्तांतरण किया जाना।

-- डी.पी.सी. के विरुद्ध अनुबंध संबंधी अपने दावों को निपटाना।

-- परियोजना को पुन: आरंभ करने तथा पूरी करने में सहयोग करना।

वस्त्र केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3501. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख वस्त्र केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीरण करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक राज्य-वार संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) देश के वस्त्र केन्द्रों के सुगम कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों को स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन करने पर संकेंद्रित बल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए.पी.ई.एस.) और वस्त्र केन्द्र आधारभूत विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की थी। तथापि, एन दो योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के बाद इन दो योजनाओं का विलय करके एकीकृत वस्त्र पार्क योजना नामक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पर आधारित है और इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए उद्योग के वस्त्र एककों की स्थापना करने लिए विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाएं उद्योग को प्राप्त होंगी। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ रु. तक होगी। परियोजना की राज्य-वार स्वीकृत निम्नलिखितानुसार है :-

राज्य	के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		
	ए.पी.ई.एस.	टी.सी.आई.डी.एस.	एस.आई.टी.पी.
आंध्र प्रदेश	1	2	0
गुजरात	1	4	1
हरियाणा	0	1	0
जम्मू-कश्मीर	0	1	0
कर्नाटक	1	0	0
केरल	1	1	0
मध्य प्रदेश	1	1	0
महाराष्ट्र	1	3	1
पंजाब	1	0	0
राजस्थान	1	2	0
तमिलनाडु	2	2	0
उत्तर प्रदेश	2	1	0

(ग) नई योजना अर्थात एस.आई.टी.पी. विशेष उद्देश्य वाहनों (एस.पी.वी.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसमें उद्योग संघ/समूह मुख्य संवर्धक है। एस.वी.पी. की प्रचालानात्मक स्वायत्तता होगी ताकि वे प्रतिनिधि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न बन जाएं अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित न किए जाए। सरकार की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका होगी।

एन.टी.पी.सी. द्वारा दिया गया लाभांश

3502. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एन.टी.पी.सी.) द्वारा अच्छे निष्पादन परिणामों तथा लाभ के बावजूद कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 24% लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान भुगतान किए गए लाभांश की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान अधिक लाभांश का भुगतान किया है। गत तीन वर्षों के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा भुगतान किए गए लाभांश के ब्यौरे निम्नवत है-

	2004-05	2003-04	2002-03
लाभांश (मिलियन रुपये में)	19790	10823	7080
इक्विटी का	24.00%	13.85%	9.06%

एन.टी.पी.सी. ने अपनी क्षमता विस्तार योजना के इक्विटी भाग के वित्तपोषण हेतु अपेक्षित आंतरिक संसाधनों पर विचार करने के पश्चात लाभांश की सिफारिश की है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा न्यूनतम लाभांश का भुगतान कर पश्चात् लाभों का 30% होना चाहिए।

वर्ष 2004-05 में एन.टी.पी.सी. ने कर पश्चात् लाभों का 34.08% भुगतान किया है। अत: एन.टी.पी.सी. के निर्णय की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3503. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बैंकों के क्या नाम हैं जहां पर लेखा-परीक्षकों द्वारा डूबे हुए ऋणों के मूल्यांकन और भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण समिति रिपोर्ट में अंतर है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) बैंकरों के बीच प्रचलित प्रथा एवं रीति-रिवाजों के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत अनुमत्त या की गई अपेक्षा को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के धारा 45ङ में किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए किसी विवरण में निहित ऋण संबंधी किसी सूचना के प्रकाशन या अन्यथा प्रकटन का निषेध किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, पूर्व ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जी.टी.बी.) की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के संबंध में बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन में काफी अंतर को ध्यान में रख कर इन मुद्दों पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में विचार-विमर्श किया गया था तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व जी.टी.बी. के प्रमुख अग्रिम खातों का स्वतंत्र एवं गहन मूल्यांकन करने के लिए सनदी लेखाकारों की एक अन्य फर्म को नियुक्त किया था। पूर्व जी.टी.बी. के जमाकर्ताओं के हितों और साथ ही जी.टी.बी. की सुदृढ़ता एवं कमजोरी को ध्यान में रख कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई समामेलन योजना के अनुसार बैंक को ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में समामेलित कर दिया गया था।

लागत लेखा परीक्षा

3504. **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों के लिए लागत लेखा परीक्षा संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य कंपनियों को कंपनीवार कितने लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या इन लेखा परीक्षा की संख्या के संबंध में कोई समय-सीमा नियत की गई है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) लागत-लेखा-परीक्षा आदेश जारी करने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है। तथापि, जब लागत-लेखा परीक्षा आदेश जारी हो जाता है तब उक्त लेखा-परीक्षा वार्षिक तौर पर की जानी होती है।

पटसन अध्ययन समूह

3505. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम सहित देश में राज्यवार पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समूह ने क्या सिफारिशें की हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

3506. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में नए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का है जहां पर हथकरघा वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) गुवाहाटी, वाराणसी, सलेम और जोधपुर स्थित 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एच.टी.) केन्द्रीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये आई.आई.एच.टी. हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। सलेम और वाराणसी स्थित आई.आई.एच.टी. भी वस्त्र रसायन शास्त्र में डेढ़ वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। आई.आई.एच.टी. का उद्देश्य मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य कार्मिकों की व्यवस्था करना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वेंकटगिरि (आंध्र प्रदेश) और गडग (कर्नाटक) स्थित दो संस्थान राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार का तमिलनाडु में आई.आई.एच.टी. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले ही तमिलनाडु राज्य में आई.आई.एच.टी., सलेम कार्यरत है और आई.आई.एच.टी., सलेम में तमिलनाडु राज्य के लिए 26 स्थान निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा संचालित 2 संस्थानों में तमिलनाडु राज्य के लिए अन्य 12 स्थान निर्धारित हैं।

ई.एफ.सी. के अंतर्गत कक्षा हेतु कमरे

3507. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा हेतु ई.एफ.सी. अनुदानों के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में 1000 कक्षा हेतु कमरों के निर्माण के लिए 1900 लाख रुपए की धनराशि का अनुदान दिया है और उक्त प्रयोजनार्थ 764.18 लाख रुपए की धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि में से 708.41 लाख रुपए का उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को शेष 1135.82 लाख रुपए अनुदान को जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2000-05 के लिए कर्नाटक सरकार को प्राथमिक शिक्षा हेतु 1900 लाख रुपए के अनुदान की संस्तुति की है। राज्य सरकार ने 776.56 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर वर्ष 2000-05 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1425 लाख रुपए की राशि जारी की है।

(घ) और (ङ) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त दावों पर विचार किया गया और अनुदान जारी कर दिए गए हैं।

(च) चूंकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31.03.2005 को समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए आगे और निधियां जारी कर पाना संभव नहीं है।

विशेष ड्यूटी भत्ता

3508. श्री सुब्रत बोस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात होने वाले सरकार के असैनिक कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(ख) विभिन्न रैंकों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले एस.डी.ए. की दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित लेकिन पूर्वोत्तर में दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात अर्थात् गुवाहाटी से गंगटोक अथवा चेन्नई, केरल, पांडिचेरी इत्यादि जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात होने वाले असैनिक कर्मचारियों को भी एस.डी.ए. का भुगतान किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों को एस.डी.ए. न देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विशेष ड्यूटी भत्ता पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती हेतु "अखिल भारतीय स्थानान्तरण उत्तरदायित्व" रखने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को दिया जाता है।

(ख) विशेष ड्यूटी भत्ता केन्द्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत की दर से देय होता है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, यदि वे "अखिल भारतीय स्थानान्तरण उत्तरदायित्व" की शर्त को पूरा करते हों तथा सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह, जहां ये आदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हैं, में तैनात हों तो वे विशेष ड्यूटी भत्ता/द्वीप विशेष (ड्यूटी) भत्ता के हकदार हो सकते हैं।

(घ) विशेष ड्यूटी भत्ता इस क्षेत्र के बाहर से तैनाती पर अखिल भारतीय स्थानान्तरण उत्तरदायित्व रखने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र/अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

हथकरघा हेतु बाजार परिसर

3509. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए बाजार परिसरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां।

हथकरघा क्षेत्र

विपणन परिसर स्थापित करने की योजना 1985-86 में शुरू की गई थी। यह विपणन संवर्धन कार्यक्रम के एक संघटक के रूप में 10वीं योजना में जारी रखा गया है। कार्यक्रम के इस संघटक का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के लिए स्थायी विपणन दुकानें बनाने की दृष्टि से विपणन परिसरों की स्थापना कर विपणन सहायता प्रदान करना है।

कार्यक्रम के इस संघटक में "एक ही स्थान पर खरीददारी" की संकल्पना को पूरा करने के लिए भारत के प्रमुख शहरों/नगरों में विपणन परिसरों की स्थापना किए जाने की परिकल्पना है।

आज की तारीख तक यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, पर्याप्त वित्तीय एवं संगठनात्मक संसाधनों से युक्त अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हथकरघा संगठन भी इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमोदित किए जा सकते हैं।

इस योजना के तहत, केन्द्र सरकार शोरूम की खरीद के लिए तथा इस प्रकार खरीदे गए शोरूम की आंतरिक सजावट के लिए हथकरघा एजेंसियों को 50 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करती है। शोरूम के पुनरुद्धार, रखरखाव और उसकी व्यवस्था के लिए आवर्ती लागत शोरूम के मालिक द्वारा पूरी की जाएगी।

इन विपणन परिसरों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

हस्तशिल्प क्षेत्र

विपणन सहायता एवं सेवा योजना के विपणन अवसंरचना संघटक के तहत, शिल्पकारों के उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन के लिए वर्ष भर उन्हें विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई एजेंसियों के माध्यम से शहरी हॉट स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत शहरी हॉट की लागत का 70 प्रतिशत (प्रति शहरी हाट 2.00 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन) केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और शेष 30 प्रतिशत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

देश के विभिन्न भागों में अब तक 34 शहरी हॉट (नौवीं योजना के दौरान 16 और दसवीं योजना के दौरान 18) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से भुवनेश्वर, करनाल, अहमदाबाद, जम्मू और भोपाल में 5 हॉट चालू हो गए हैं। इन हॉटों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II के अनुसार है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के दिल्ली में अपने कोई इंपोरियम नहीं हैं उनके शोरूम बनाने के लिए स्थान प्रदान करने की दृष्टि से तथा निर्यातकों और डिजायनरों आदि के सहयोग से कार्य कर रहे अलग-अलग शिल्पकारों, स्व-सहायता समूहों, उत्पादक समूहों, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं, शिल्प गुरुओं

और हस्तशिल्प कारीगरों आदि को प्रत्यक्ष विवरण के लिए युक्तिसंगत आधार पर आवधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र में विपणन परिसर स्थापित करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया हैं। तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत 10वीं योजना के लिए 20 शहरी हॉटों की स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) सरकार उत्पाद विविधीकरण के संवर्द्धन, बाजार सहायता प्रदान करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दृष्टि से हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। मुख्य विकासात्मक योजनाएं दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, हथकरघा निर्यात योजना हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में एकीकृत हथकरघा समूह विकास (आई.एच.सी.डी.), महात्मागांधी बुनकर बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों में शामिल हैं - शिल्प समूहों में एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना का क्रियान्वयन; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्द्धन; प्रशिक्षण एवं विस्तार, अनुसंधान एवं विकास तथा ऋण गारंटी योजना आदि।

विवरण-I

विपणन परिसरों के स्थान

स्थान	स्थापित विपणन परिसरों की संख्या	प्रत्येक विपणन परिसर में इंपोरियम की संख्या
1	2	3
जयपुर	1	11
पांचमट्टी क्रोसिंग, एम.आई. रोड, अशोक मार्ग में		
कोलकाता	1	20
सी.आई.टी. कॉम्पलेक्स, वी.आई.पी. रोड, मनिकतला में		
हैदराबाद	1	06
चेन्नेथा भवन, नामपल्ली में		
अहमदाबाद	1	13
कामधेनु कॉम्पलेक्स, शाहजानंद कॉलेज के सामने में		
कानपुर	1	16
एम.जी. रोड, चन्नीगंज में		
इंदौर	1	09
पालिका प्लाजा, एम.टी.एच. कम्पाउंड, एम.जी. रोड में		
नवीं मुंबई	1	09
पहली मंजिल, फेस-1, सैक्टर-8, नेरूल में		
नई दिल्ली	1	17
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस में		

विवरण-II

शहरी हाटों का राज्य-वार स्थान

क्षेत्र	राज्य	स्वीकृत शहरी हॉटों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
उत्तरी	हरियाणा	1	उचाना (करनाल)
	जम्मू व कश्मीर	2	जम्मू व श्रीनगर
	हिमाचल प्रदेश	-	-
	पंजाब	1	पटियाला
	राजस्थान	2	जोधपुर, जयपुर
	दिल्ली	2	दिल्ली
केन्दीय	उत्तर प्रदेश	4	आगरा, कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी
	उत्तरांचल	1	देहरादून
पूर्वी	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
	उड़ीसा	3	भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी

1	2	3	4
	बिहार	-	-
	झारखंड	2	रांची तथा हजारीबाग
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	1	तिरुपति
	तमिलनाडु	-	-
	केरल	1	तिरुवनंतपुरम
	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-
	कर्नाटक	1	मैसूर
पश्चिमी	गुजरात	3	गांधीनगर, सूरत, तथा भुज
	महाराष्ट्र	2	पुणे (सिद्धांत रूप से अनुमोदित) तथा मुंबई
	मध्य प्रदेश	2	भोपाल तथा इंदौर
	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
पूर्वोत्तर	असम	1	गुवाहाटी
	मेघालय	-	-
	मणिपुर	-	-
	मिजोरम	-	-
	नागालैंड	1	दीमापुर
	त्रिपुरा	1	अगरतला
	कुल	34	

चावल में ट्रांसजेनिक रिसर्च

3510. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल से संबंधित ट्रांसजेनिक रिसर्च को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नॉन जेनीटेक्ली इंजीनियर्ड राइस गेन्स के दुर्घटनावश हो सकने वाले अपमिश्रण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापारीकरण के लिए ट्रांसजेनिक बासमती चावल के विकास संबंधी अनुसंधान को बंद कर दिया गया है। तथापि, पूसा बासमती को केवल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अनुमति दी गई है ताकि सिद्धांत का प्रमाण जुटाया जा सके।

(ग) भारत में अभी तक किसी भी ट्रांसजेनिक चावल को व्यापारीकृत नहीं किया गया है। अतः इस स्थिति में नॉन-ट्रांसजेनिक चावल का ट्रांसजेनिक चावल के साथ अपमिश्रण की आशंका का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम के विस्थापितों का पुनर्वास

3511. श्री अशोक कुमार रावत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम की परियोजनाओं के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का पुनर्वास सुरक्षित स्थानों पर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने गांवों का राज्यवार पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या उक्त गांवों के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) पुनर्वासित किए गए गांवों की कुल संख्या 215 है जिसमें से 208 गांव झारखण्ड राज्य में है और 7 गांव पश्चिम बंगाल राज्य में हैं।

(ग) और (घ) जी हां, पुनर्वास की प्रारम्भिक अवधि (1953-1979) के दौरान गांवों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई जैसे सड़कें, स्कूल, पीने का पानी, टैंक, लघु सिंचाई, मन्दिर इत्यादि। 90 के दशक के दौरान मेजिया पावर स्टेशन (एम.टी.पी.एम.) के पास जब ग्रामीणों का पुनर्वास किया जा रहा था तो राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से गांवों का विद्युतीकरण भी किया गया। इसके अलावा सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत डी.वी.सी. पुनर्वासित गांवों समेत प्रत्येक परियोजना के 10 कि.मी. के दायरे में स्थित 419 गांवों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, बुनियादी-संरचना विकास, यथा सड़कों व पेयजल कूपों, नलकूपों का निर्माण, स्कूल भवनों, चैक डैम, लिफ्ट सिंचाई का नवीकरण और कुछ गांवों के विद्युतीकरण को कवर करता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बायोगैस संयंत्र

3512. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थापित बायोगैस परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र में कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या कोयमवेडू बाजार परिसर (के.एम.सी.) चेन्नई में स्थापित बायोमिथेनेशन प्लांट से लगभग 0.3 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए प्रतिदिन सब्जी बाजार के लगभग 30 टन कचरे का शोधन किए जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु तमिलनाडु में शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिला धर्मपुरी में संस्थापित परियोजना से पिछले तीन वर्षों के दौरान कैप्टिव उपभोग के लिए लगभग 24 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में लगभग 7400 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व पर्यावरण सुविधा से आंशिक वित्तीय सहायता के साथ उच्च दर बायोमिथेनेशन प्रक्रियों के विकास पर परियोजना के अंतर्गत एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है। इस परियोजना को चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सी.एम.डी.ए.) के सहयोग से केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संस्थापना का कार्य पूरा हो गया है तथा परियोजना कमीशनिंग के अंतर्गत है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5.25 करोड़ रु. है, जिसमें से 25% लागत को सी.एम.डी.ए. द्वारा वहन किया जा रहा है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	क्षमता	कमीशनिंग का वर्ष
1.	वारालक्ष्मी स्टार्च उद्योग लि., धर्मपुरी में टेपियोका संसाधन उद्योग के अपशिष्ट पानी से विद्युत उत्पादन	0.50 मेवा.	2002-03
2.	तमिलनाडु न्यूज प्रिन्ट एंड पेपर्स लि., करूर में पेपर मिल बहिस्राव से बायोगैस उत्पादन	1.25 मेवा. समकक्ष	2002-03
3.	कोयम्बेडु, चेन्नई में सब्जी मंडी अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन	0.30 मेवा.	कमीशनिंग के अंतर्गत
4.	उडुप्पम, नामक्कल में कुक्कुट बींट से विद्युत उत्पादन	1.5 मेवा.	-वही-
5.	तिरुचेंगोडे, नामक्कल में कुक्कुट बींट से विद्युत उत्पादन	2.5 मेवा.	संस्थापनाधीन

विद्युत वित्त निगम से ऋण

3513. श्री मोहन रावले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उरन विद्युत परियोजना का 1400 मेगावाट तक विस्तार करने और खापरखेड़ा ताप विद्युत परियोजना और छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने के लिए 9600 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ऋण प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) उरान विद्युत परियोजना (1040 मे.वा. विस्तार परियोजना) के लिए ऋण सहायता का एक प्रस्ताव पावर फाईनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.)/रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) द्वारा प्राप्त किया गया है। तथापि, महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी (महाजेनको) ने न तो गैस लिंकेज के और न ही इसके लागत मूल्य के ब्यौरे भेजे हैं। इसके अतिरिक्त, पी.एफ.सी. ने खापरखेड़ा परियोजना के संबंध में विस्तृत ऋण अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

महाजेनको से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए पी.एफ.सी. या आर.ई.सी. से ऋण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3514. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना विद्युत क्षेत्र में चीन द्वारा निवेश किये जाने की आमंत्रित करने का है जिसमें पारेषण और उत्पादन शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार को अभी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) में विद्युत क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन माध्यम के अंतर्गत 100% तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। पारेषण एक लाइसेंस प्राप्त कार्य है और लाइसेंस सांविधिक विनियामक आयोग द्वारा दिया जाता है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो एफ.डी.आई. पर आंकड़ों का रखरखाव करता है, से प्राप्त एफ.डी.आई. प्राप्ति संबंधी ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से सितंबर, 2005 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) तथा विदेशी तकनीक मामले का विस्तृत विवरण

देश-चीन
क्षेत्र-विद्युत

(राशि मिलियन में)

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या एवं तारीख	भारतीय कंपनी का नाम व पता	विदेशी सहायक का नाम व पता	विदेशी इक्विटी रुपये में		विदेशी इक्विटी % अमरीकी डॉलर में
1.	238 27.4.1998	दि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड पोस्ट बॉक्स नं. 4 मेत्तूर बांध, जिला सेलम तमिलनाडु-636402.	मै. शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन 358, यानन रोड(वेस्ट) शंघाई, चीन	तकनीकी मामले		
		स्थल-सेलम (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तिथि) 48(31.7.98)	निर्माण की मद कैप्टिव पावर प्लांट			
2.	253 17.5.1999	बालाजी कोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड 12, हो-चि मिन्ह सरणी 2बी, द्वितीय तल कोलकाता-7000071 पश्चिम बंगाल	शनाक्सी अंतई ग्रुप कंपनी लि., चीन (फाइनेंशियल+टैक्नीशियन)	5.00	0.12	5.00
		स्थल-कच्छ (गुजरात) अनुमोदन सं. (तिथि) 254 (30.6.1999)		निर्माण की मद चीनी तकनीकी पर आधारित कोक एवं संबद्ध उत्पादों का विनिर्माण।		
3.	5240 1.4.1999	केरल राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुख्य लेखा अधिकारी एवं सलाहकार विद्युती भवन, पोत्तम पैलेस पो.आ, तिरुवनंथपुरम	हांगजू इंटरनेशनल सेंटर ऑन हाइड्रो पावर 136, नानशन रोड, पो.आ. बॉक्स 22, हांगजू 310002 पी.आर. चीन	तकनीकी मामले		
		स्थल- केरल (केरल) अनुमोदन सं. (तिथि) 115 (30.4.1999)		निर्माण की मद जल विद्युत का उत्पादन एवं पारेषण		

कुल तकनीकी मामले-2 कुल वित्तीय मामले-1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में-5.00
0.12 मिलियन अमरीकी डॉलर

करों और व्यय का मूल्यांकन

3515. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री रघुनाथ झा :
श्री मनोज कुमार :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संग्रहण लागत विश्व में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने कर अपवंचन और कर जाल को फैलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या कंप्यूटरीकरण से कर आधार को विस्तृत करने में मदद मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा कर अपवंचन को रोकने तथा कर जाल को व्यापक बनाने के लिए किए गए उपायों में कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए मार्ग निर्देश जारी करना, लेखा परीक्षा के माध्यम से कंपनियों के वित्तीय विवरण पत्रों की गहन संवीक्षा करना, निर्धारितियों तथा ऐसी मदों की पहचान करना जिनके कर अपवंचन की संभावना है, तलाशी लेना, उचित मामलों में जब्ती और सर्वेक्षण कार्रवाई करना, कर सूचना नेटवर्क स्थापित करना, एक निश्चित सीमा के अध्यधीन बैंकों से नकदी निकालने के संबंध में बैंकिंग नकद संव्यवहार कर की शुरुआत, सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य बना देना कि उन सभी जमाओं की सूचना देना जिनमें ब्याज आदि पर स्रोत पर कर कटौती से छूट प्राप्त हैं। आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। प्रभावी कर अपवंचन रोधी संरचना के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों जैसे परिवहन, संचार उपकरण में वृद्धि कर दी गई। इसके अतिरिक्त नौ नई सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया है, ब्रांडेड आभूषण मदों, सड़क ट्रेक्टरों आदि पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

(घ) और (ङ) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, कम्प्यूटरीकरण का उपयोग विवरणी दाखिल करना बंद कर देने वाले को पहचानने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर सूचना नेटवर्क (टिन) ने स्रोत पर कर कटौती विवरणियों की इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिले को सुलभ बना दिया है जो कि निगम और सरकारी कटौती कर्त्ताओं के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। इन इलैक्ट्रानिक स्रोत पर कर कटौती विवरणियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले डाटा का उपयोग स्रोत पर कर कटौती विवरणी को दाखिल न करने वालों की पहचान के लिए तथा स्रोत पर कर कटौती एवं सरकार में जमा कर की तुलना के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

मामलों का लंबित रहना

3516. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लिखित अधिनियम के अंतर्गत इस समय दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में चेक बाउंस होने के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अत्यधिक मामलों के लंबित रहने के कारण इन मामलों के निपटान में काफी विलंब हो रहा है; और

(ग) सरकार मामलों के अत्यधिक लंबित रहने को रोकने के लिए कौन-कौन से कदमों पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138, चेक पाने वाले को अपर्याप्त निधि के कारण अस्वीकृत हुए चेकों के मामले में चेक देने वालों के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 141 के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार, यह संबंधित व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है कि वे न्यायालय में जाने अथवा न जाने का निर्णय लें। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के डाटाबेस में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत चेक के अस्वीकृत हो जाने के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में पड़े लंबित मामलों से संबंधित सूचना नहीं होती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर, फिलहाल लगभग 3024 अस्वीकृत चेक के मामले दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई में लंबित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। लंबित मामलों को कम करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम को दिसम्बर 2002 में संशोधित किया गया था तथा एक नई धारा 143 को इसमें शामिल किया गया, जिसमें इस अधिनियम के तहत मामलों के संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि शिकायत दर्ज करने के छः महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का यथासंभव प्रयास न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

"सिक्योरिटाइजेशन एक्ट"

3517. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटाइजेशन एंड रिक्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंस असेट्स एंड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002

के अंतर्गत ऋण लेने वालों, साझेदारों, निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्ति और जमीन-जायदाद की ऋण न चुकाने की दशा में कुर्की की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिककम) : (क) से (घ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूत ऋणदाताओं के रूप में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋणकर्ताओं द्वारा चूक करने पर किसी ऋण की देय चुकौती के लिए उन्हें दी गई प्रतिभूतियों पर कब्जा करने का अधिकार है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, प्रतिभूत ऋणदाताओं को बकाया ऋणों की वसूली के प्रयोजन के न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना ऐसी प्रतिभूतियों को बेचने का भी अधिकार है। प्रतिभूत ऋणकर्ताओं को प्रतिभूति प्रवर्तन की शक्ति प्रदान करने का आधार प्रतिभूत ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं के बीच संपत्ति पर प्रतिभूत हित सृजित करने वाला करार है, जिसमें यह शर्त भी निहित है कि ऋणकर्ता प्रतिभूति ऋणदाताओं की सहमति के बिना ऐसी संपत्ति पर कोई अन्य प्रभार नहीं लगा सकता। तथापि, ऋणदाताओं को न्यायालयों या अधिकरणों से उपयुक्त आदेश प्राप्त करके ऋणकर्ताओं की बैंक के पास दृष्टिबंधक न रखी गई संपत्ति को कुर्क करने की छूट है। यदि न्यायालय या अधिकरण यह पाते हैं कि ऋणकर्ताओं की ऐसी संपत्ति पहले ही ऋणग्रस्त है तो ऋणदाता को दी गई कुर्की पहले ही मौजूद भार को और बढ़ा देगी। अत: प्रतिभूत ऋणदाताओं को, संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रदान करने वाले प्रतिभूतिकरण अधिनियम में ऐसा संशोधन करना संभव नहीं है जिससे ऋण के लिए प्रतिभूतियां प्राप्त न हों। ऐसा संशोधन प्रतिभूतिकरण अधिनियम के उस मूल उद्देश्य के विरुद्ध भी होगा, जो प्रतिभूत ऋणदाताओं को दी गई प्रतिभूतियों का प्रवर्तन सुकर बनाने के लिए हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया

3518. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली की अपनी हाल की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ से अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) आकर्षित करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाने का आह्वान किया;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ अध्यक्ष द्वारा कौन-कौन सी स्पष्ट मांगें की गईं और यूरोपीय संघ से अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्षेत्रवार अनुमानत: कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सितम्बर, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान, यू.के. और यूरोप से आए प्रतिभागियों ने सरकार को भारत में निवेश करने और भारत द्वारा पेशकश किए जाने वाले अवसरों में अपनी रुचि बनाए रखने का आश्वासन दिया।

(ग) सरकार अवसंरचना और अभिशासन को सुधारने के लिए कदम उठा रही है।

कार निर्यात घोटाला

3519. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.आर.आई. (राजस्व आसूचना निदेशालय) ने हाल ही में निर्यात में घोटालों का पता लगाया है जिसमें डी.जी.एफ.टी. (विदेश व्यापार महानिदेशालय) के अधिकारियों और नोएडा (उत्तर प्रदेश) के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित निर्यातोन्मुखी विनिर्माण इकाईयों के बीच कर-अपवंचन के लिए सांठगांठ पाई गई;

(ख) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) ने उन निर्यातकों को तस्करी के लिए कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार भी किये गये थे को बिना किसी उचित सत्यापन के कुछ लाइसेंस जारी कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) यह सही है कि राजस्व आसूचना निदेशालय नोएडा के विशेष आर्थिक जोन स्थित कतिपय इकाईयों द्वारा बृहत पैमाने पर सीमा शुल्क का अपवंचन किए जाने के मामले की जांच कर रहा है। तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि विशेष आर्थिक जोन में इकाई के गठन का अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं का हस्तांतरण

3520. प्रो. एम. रामदास : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, विशेष प्रयोजन साधनों (एस.पी.वी.), इंडिविजुएल के लिए पंपिंग सिस्टम, विशेष प्रयोजन साधन वाले विद्युत संयंत्र और बैटरी चालित वाहनों जैसी योजनाओं को राज्य सरकारों की हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हस्तांतरण योजना आयोग द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से परामर्श किए बगैर किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना की समीक्षा करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये योजनाएं अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सके;

(घ) यदि हां, तो क्षमता से कम ऊर्जा के दोहन के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय की योजनाओं की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित/बंद किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय स्रोतों के माध्यम से 10% अतिरिक्त ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इस लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही क्योंकि लगभग 18 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता अक्षय स्रोतों से प्राप्त हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम

3521. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' में शामिल कुछ खनिजों को खनिज रियायतें प्रदान करने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें समय-समय पर केन्द्र सरकार से इन खनिजों के लिए अनुमति मांगती रहती हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सकरार से स्वीकृति मांगे बिना खनिज रियायतें दे दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खानों के निजीकरण के कारण खान क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण लगातार घटता जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकारी क्षेत्र की खानों द्वारा अच्छा कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 के भाग-ग में शामिल खनिजों सहित केवल इसकी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के मामलें में राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। प्रथम अनुसूची के भाग-ग में दस खनिज नामत: एस्बेस्टास, बॉक्साइट, क्रोम, तांबा, स्वर्ण, लोहा, सीसा, मैंगनीज, जस्ता अयस्क और कीमती पत्थर शामिल हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें पूर्वोक्त खनिजों के लिए इस प्रकार का पूर्व अनुमोदन लेती रही हैं और कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर परंतु एम.एम.डी.आर. अधिनियम के भाग-ग में दिए गए खनिजों सहित इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिए बगैर खनिज रियायत प्रदान करने का ऐसा कोई भी मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(च) और (छ) हालांकि, खनिज क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है तथापि, खानों का विकास और उनका विनियमन संघ के नियंत्रण में है। प्रमुख खनिजों के लिए सभी खनन पट्टे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना सहित अनिवार्य खनन प्लान के अधीन होते हैं जो सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा विधिवत अनुमोदित और लागू हो। सभी खनन पट्टाधारकों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जिन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 23 क के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख खनिज की खान के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास खनन पट्टा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के समुचित पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक उत्तरोत्तर खान समापन योजना और अंतत: खान समापन योजना हो।

(ज) विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली खानों के निष्पादन की निगरानी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के मानदण्डों के अनुसार तिमाही आधार पर की जाती है।

सकल घरेलू उत्पाद

3522. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विकास दर कितनी रही है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यन

का योगदान प्रतिशत क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष कार्य योजना सहित देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष जोर दिए जाने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि (बागवानी एवं पशुपालन सहित), वानिकी एवं वन कटाई तथा मत्स्यन की स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत विकास दर क्रमश, 2.0 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि, वानिकी तथा वन कटाई और मत्स्यन के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा क्रमश: 23.1 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 20,668 करोड़ रुपए है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पहचान किए गए विशिष्ट ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में बेकार एवं अनप्रयुक्त/कम उपयोग में होने वाली भूमि का उपयोग, सिंचाई का विकास, विशेषकर लघु सिंचाई, उच्च मूल्य फसलों एवं कार्यकलापों का विविधिकरण, निविष्टियों की समय पर एवं पर्याप्त उपलब्धता, कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल त्वरित नीतियां शुरू करने से संबंधित सुधार तथा आधारभूत संरचना एवं जल संभर विकास में सुधार लाना शामिल है। देश में 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दोगुना करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार लक्ष्य और कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों को ऋण प्रदान करने संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य-वार लक्ष्य तथा कृषि संबंधी ऋणों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य#	उपलब्धि@
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	393102.00	408741.00	451737.00	479822.00	609116.00	678847.57
2.	झारखंड	31170.00	20315.00	36727.00	21461.00	44048.00	42397.27
3.	असम	13725.80	10127.00	17466.18	19129.00	26665.47	26288.02
4.	आंध्र प्रदेश	1092300.00	754059.00	1212798.00	1001424.00	1418750.00	1296503.73
5.	छत्तीसगढ़	51634.00	46133.00	50950.00	52377.00	69834.00	79787.85
6.	उत्तरांचल	23248.56	48416.00	55463.81	42589.00	72290.52	64364.43
7.	त्रिपुरा	6245.00	1759.00	9443.00	3000.00	5550.00	4154.75
8.	सिक्किम	475.18	325.00	648.45	425.00	968.00	439.76
9.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	630.37	382.00	578.03	385.00	700.00	683.64
10.	मध्य प्रदेश	258742.00	290285.00	304663.00	342935.00	460585.00	519207.01
11.	मिजोरम	1082.12	684.00	661.12	544.00	807.70	1756.93
12.	गोवा	2804.00	2124.00	2629.00	3938.00	4172.00	7123.05
13.	उत्तर प्रदेश	712205.00	818123.00	830681.00	810833.00	1221305.00	1010893.80
14.	नागालैण्ड	2140.74	540.00	5138.75	742.00	1311.39	1828.17
15.	जम्मू-कश्मीर	15718.92	5746.00	17947.47	6619.00	28401.61	10294.68

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	नई दिल्ली	577.17	182540.00	632.40	242367.00	1225.65	374864.52
17.	पाण्डिचेरी*	4188.20	5341.00	4449.51	6970.00	6617.00	
18.	तलिमनाडु	588812.00	627046.00	656350.00	695166.00	966235.00	916606.42
19.	कर्नाटक	451600.00	466361.00	488300.00	532600.00	625300.00	728930.52
20.	पंजाब	657192.00	762380.00	779352.00	914790.00	1088117.00	1370889.99
21.	हरियाणा	477789.00	463705.00	552871.00	628620.00	767479.00	919696.05
22.	पश्चिम बंगाल	118500.00	184244.00	200100.00	212944.00	243900.00	329576.82
23.	महाराष्ट्र	615388.00	503275.00	620293.00	528487.00	708138.00	825023.06
24.	बिहार	183609.00	72260.00	190034.00	142172.00	233986.00	177150.74
25.	अरुणाचल प्रदेश	1102.12	994.00	1797.38	390.00	1975.00	1358.00
26.	केरल	321463.00	302961.00	357000.00	377502.00	649119.00	462783.04
27.	उड़ीसा	130361.68	109688.00	139365.44	127778.00	157901.84	199444.73
28.	राजस्थान	280667.00	281911.00	312846.00	313996.00	445655.00	514689.86
29.	हिमाचल प्रदेश	26549.00	31358.00	31800.04	38232.00	50045.00	61443.09
30.	मणिपुर	1506.00	405.00	3950.00	580.00	1325.00	1868.52
31.	मेघालय	1093.05	552.00	1168.74	5184.00	1447.00	2454.44
32.	दादरा नगर हवेली*		59.00		0.00		0.00
33.	दमन एवं दीव*		24.00		0.00		0.00
34.	लक्षद्वीप**		26.00		78.00		0.00
35.	चण्डीगढ***		17848.00		73245.00		0.00
36.	निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक$ सी.बी. द्वारा अंशदान किया		585255.00		1023008.00		827632.00
37.	गया आर.आई.डी.एफ.$		149985.00		83747.00		21480.43
38.	अन्य राज्य						6732.00
39.	अप्रत्यक्ष अग्रिम						37085.86
	कुल	6463021.86	6955977.00	7337841.32	8698079.00	9912968.18	11524280.85

वर्ष 2004-05 के लिए वर्ष के प्रारंभ में एस.एल.बी.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य। तत्पश्चात् 18 जून, 2004 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बाद इसमें संशोधन कर 105000 करोड़ कर दिया गया।

$ राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

* उपलब्धि को संबंधित राज्यों जैसे *गुजरात (2003-04 एवं 04-05), **केरल (2004-05), ***पंजाब/हरियाणा (2004-05) में शामिल किया गया है।

@ अनंतिम आंकड़े।

स्रोत : उपलब्धि आई.बी.ए./बैंक/नाबार्ड

स्रोत : लक्ष्य - एस.एल.बी.सी.

[हिन्दी]

पनघारा विकास कार्यक्रम

3523. डा. वीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पनघारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किसी तरह की अनियमितता बरते जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी अधिकारी को दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) भूमि संसाधन विभाग को कभी-कभी वाटरशेड परियोजनाओं के संबंध में अनियमितताएं बरते जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों को जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है। यदि किसी शिकायत की सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो संबंधित जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/राज्य सरकार उपयुक्त कार्रवाई करती है जो गैर सरकारी संगठनों के मामले में उन्हें काली सूची में डालना, निधियां वसूल करना तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या कानूनी कार्रवाई किया जाना आदि अलग-अलग हो सकती है। इस संबंध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा

3524. श्रीमती मेनका गांधी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के विचार से प्रत्येक राज्य में कृषि केन्द्रीयकृत स्थानीय विद्युत उत्पादन एकक विकसित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) ने बायोमास गैसीफायर प्रणाली को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें गैस पैदा करने के लिए कृषि अपशिष्टों के साथ-साथ लकड़ का भी उपयोग किया जा सकता है। इस उत्पादक गैस का उपयोग विद्युत के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इन बायोमास गैसीफायर प्रणालियों को बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) दोहरा ईंधन पद्धति वाली बायोमास गैसीफायर प्रणालियों के लिए 1.5 लाख रुपये/100 कि.वा. और 100% उत्पादक गैस ईंजन वाली बायोमास गैसीफायर प्रणाली के लिए 15 लाख रुपये/100 कि.वा. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाऊसिंग एवं स्थानीय वितरण सहित 50 कि.वा. बायोमास गैसीफायर परियोजना बेसिक पैकेज के लिए 15 लाख रुपये की बैंचमार्क लागत के 90% तक केन्द्रीय वित्तीय साहयता दूर-दराज गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत राशि बढ़ाया जाना

3525. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास एवं कार्यशाला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बुनकरों को उपलब्ध सहायता को बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं। कार्यशाला-सह-आवास योजना सहित हथकरघा क्षेत्र की किसी भी योजना के तहत उपलब्ध सहायता को बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेशम की तस्करी

3526. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत में तस्करी किए जाने वाले सस्ते रेशम से कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में देशी रेशम कीट पालन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों से सस्ते रेशम की अवैध पाटन और तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) रोम कीट पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने और रेशम तस्करी के कारण उद्योग को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों से तस्करी किए गए सस्ते रेशम की जब्ती का ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है :-

वर्ष	रेशम यार्न/फैब्रिक की जब्ती के मामलों की सख्या	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2002-03	62	5.7133
2003-04	45	0.7874
2004-05	32	09.785
2005-06 (अक्टूबर, 2005 तक)	13	7.8655

(ग) आयात को उदारीकृत कर दिया गया है और सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। रेशम सामानों की मांग पूरी करने के लिए आयात बढ़ाने के वास्ते आयात शुल्क कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तस्करी पर रोक लगाने से संबंधित राजस्व आसूचना निदेशालय के सभी एकक कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं और रेशम की तस्करी रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं।

(घ) देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. 10वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादक कृषकों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 181.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है;

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से सहायता लेकर नई द्विफसलीय प्रजातियां विकसित की है। इन प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग से देश में द्विफसलीय शहतूती अपरिष्कृत रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मानक के आयात प्रतिस्थापन ग्रेड का उत्पादन हुआ है;

3. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अपने आर.एंडडी. प्रयासों से द्विफसलीय रेशम कीटों के उष्णकटीबंध में जानकारी प्राप्त की है और उच्च पैदावार वाले शहतूती पौधों की नई किस्में विकसित की हैं जिनके परिणामस्वरूप रेशम उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

4. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के गुणवत्ता वाले द्विफसलीय रेशम का व्यापक स्तरीय उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बहुउद्देश्यी रीलिंग एकक विकसित किए हैं। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन उन्नत मशीनों को पूरे देश में महत्वपूर्ण रीलिंग समूहों में रीलरों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है और ये मशीनें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रीलिंग पैकेज का प्रयोग कर अच्छे ग्रेड की गुणवत्ता वाली अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन कर रही है;

5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन हेतु स्वचालित रीलिंग मशीनें आयात कर रीलिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है।

6. मोटरीकृत रेशम रीलिंग/कताई मशीनों को शामिल किए जाने और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना से गैर-शहतूती क्षेत्र में यार्न और फैब्रिक्स की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। सी.एस.बी. ने गैर-शहतूती क्षेत्र में नए डिजायन विकसित किए हैं और उन्हें "वन्य रेशम" ब्रांड के अधीन लोकप्रिय बनाया जा रहा है;

7. सी.एस.बी. ने भारतीय रेशम मार्क संगठन (एस.एम.ओ.आई.) के माध्यम से "सिल्क मार्क" योजना शुरू की है, जो शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादों के लिए हालमार्क और रेशम उत्पादों की शुद्धता की गारंटी है। सिल्क मार्क योजना घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम के ब्रांड संवर्द्धन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

8. सी.एस.बी. ने नेशनल कमोडीटीज एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एन.सी.डी.ई.एक्स.) के माध्यम से हाल ही में कोकून और कच्ची रेशम की फ्यूर्यस टेड्रिंग शुरू की है जिसका देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने में मूल्य के उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावीरूप से एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

9. अपरिष्कृत रेशम के आयात को ओ.जी.एल. के तहत लाकर उदारीकृत किया गया है इससे अच्छी गुणवत्ता की रेशम की उपलब्धता बढ़ी है और जिससे विनिर्माता निर्यात योग्य गुणवत्ता के सामानों को तैयार कर पा रहे हैं।

10. निर्यातकों के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.बी.), शुल्क वापसी, शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र

(डी.एफ.आर.सी.) जैसी कई योजनाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिससे उन्हें निर्यातित मदों पर कर की प्रतिपूर्ति की जाती है।

11. सरकार ने निर्यातकों को प्रदान की गई इक्विजम नीति के तहत विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन/इनपुट-आउटपुट मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है।

12. सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, टेक्सटाइल्स इंडिया जैसे घरेलू मेलों में जेनेरिक संवर्धन में प्रचार, "सिल्क इंडिया" पत्रिका का प्रकाशन एवं घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग भविष्यवाणी कार्ड, निर्यातकों के मध्य विदेश व्यापार संबंधी सूचना का प्रसार-प्रचार आदि जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

13. उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए, रेशम क्षेत्र के लिए अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत लागू दर से 5% कम दर पर ऋण उपलब्ध है; और

14. बजट 2004-05 में रेशम प्रसंस्करण मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क 5% तक घटा दिया गया है। इस प्रकार इस मशीनरी की कम कीमत पर उपलब्धता आसान बनाई गई है।

कराधान संबंधी समिति

3527. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार कराधान हेतु अंतरमंत्रालयीय समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के गठन हेतु निबंधन और शर्तें क्या हैं और उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और तेल कम्पनियों द्वारा मूल्यों के स्वत: समायोजन हेतु पारदर्शी तंत्र की स्थापना को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने/तर्कसंगत बनाने की दृष्टिकोण से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं: (i) डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद-अध्यक्ष, (ii) डॉ. कीर्ति एस. पारिख, सदस्य, योजना आयोग-सदस्य (iii) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय-सदस्य (iv) डॉ. अशोक लाहिड़ी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय-सदस्य, (v) श्री सुमित्रा चौधरी, मुख्य अर्थशास्त्री, आई.सी.आर.ए., नई दिल्ली-सदस्य (vi) प्रो. बी.एच. ढोलकिया, निदेशक, आई.अई.एम. अहमदाबाद-सदस्य।

(घ) समिति द्वारा 6 महीने में रिपोर्ट दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

करों से अर्जित राजस्व

3528. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 और 2004-05 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों से कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान करों की दर में कटौती की गई थी;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कटौती की गई थी;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान राजस्व में बढोतरी हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण तालिका-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण की तालिका-II में दिया गया हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) शुल्क दरों के अलावा, राजस्व में वृद्धि, निकासी की मात्रा और निर्धारणीय कीमत में वृद्धि, जैसे अनेक कारकों के कारण होती है।

विवरण

तालिका-I

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	कुल
2002-03	2346	31460	33806
2003-04	3091	35017	38108
2004-05	3489	37898	41387

तालिका-II

उत्पाद	शुल्क दर	
	से	तक
1	2	3
2002-03		
सीमा शुल्क		
किरोसीन (पी.डी,एस.)	5%	10%
उत्पाद शुल्क		
पेट्रोल	32% + 7.00 रु. प्रति लीटर	30% + 7.00 रु. प्रति लीटर (4.6.2002 से प्रभावी) 30% + 7.50 रु. प्रति लीटर (1.3.2003 से प्रभावी)
डीजल	16 + 1.00 रु. प्रति लीटर	14% + 1.00 रु. प्रति लीटर (4.6.2002 से प्रभावी) 14% + 1.50 रु. प्रति लीटर (1.3.2003 से प्रभावी)
2003-04		
उत्पाद शुल्क		
उड्डयन टरबाईन ईंधन	16%	8%
2004-05		
सीमा शुल्क		
पेट्रोल	20%	15% (18.8.2004 से प्रभावी) 10% (1.3.2005 से प्रभावी)
डीजल	20%	15% (18.8.2004 से प्रभावी) 10% (1.3.2005 से प्रभावी)
किरोसीन (पी.डी.एस.)	10%	5% (18.8.2004 से प्रभावी) शून्य (01.3.2005 से प्रभावी)
एल.पी.जी. (घरेलू)	10%	5% (18.8.2004 से प्रभावी) शून्य (1.3.2005 से प्रभावी)
उड्डयन टरबाईन ईंधन	20%	10%
उत्पाद शुल्क		
पेट्रोल	30% + 7.50 रु. प्रति लीटर	26% + 7.50 रु. प्रति लीटर (16.6.2004 से प्रभावी) 23% + 7.50 रु. प्रति लीटर (18.8.2004 से प्रभावी) 8% + 13.00 रु. प्रति लीटर (1.3.2005 से प्रभावी)

1	2	3
डीजल	14% + 1.50 रु. प्रति लीटर	11% + 1.50 रु. प्रति लीटर (16.6.2004 से प्रभावी) 8% + 1.50 रु. प्रति लीटर (18.8.2004 से प्रभावी) 8% + 3.25 रु. प्रति लीटर (1.3.2005 से प्रभावी)
किरोसीन (पी.डी.एस.)	16%	12% (18.8.2004 से प्रभावी) शून्य (1.3.2005 से प्रभावी)
घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी.	16%	8% (16.6.2004 से प्रभावी) शून्य (1.3.2005 से प्रभावी)

[अनुवाद]

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम

3529. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री रबिन्दर कुमार राणा :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री पी. मोहन :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गोद लेना दो अधिनियमों हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एच.ए.एम.ए.) और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (जी.ए.डब्ल्यू.ए.) द्वारा शासित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन अधिनियमों में कुछ विषमताओं का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियमों में कुछ संशोधन लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) भारत के विधि आयोग ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबंधों से संबंधित अपनी 83वीं रिपोर्ट में यह सुझाव देते हुए ये सिफारिशें की हैं कि अधिनियमों के उपबंधों में लिंग भेद को दूर किया जाए और उन्हें ऐसी कमियों से मुक्त किया जाए जो उनके प्रशासन में बाधा डालती हैं। यह विषय राज्य सरकारों के परामर्श से समीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

भ्रष्ट राजस्व अधिकारी

3530. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राजस्व अधिकारियों की सूची तैयार की है जिनकी निरंतर निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से किसी भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी हां, प्रति वर्ष एक सूची केन्द्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श करके तैयार की जाती है।

(ख) यह सूची उन अधिकारियों पर निगरानी रखने में उपयोगी होती है, जिन अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल सूचना होती है। उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निगरानी के अधीन रखा जाता है और विभाग में उनके द्वारा किए गए कार्य का पुनरीक्षण अथवा निरीक्षण भी किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) सूची में जिन 111 अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनकी खोज या तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई या उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।

(ङ) अधिकारियों का निलंबन केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (सी.सी.ए.) 1965 के नियम 10 द्वारा प्रशासित होता है। नियम के प्रावधानों के अनुसार एक अधिकारी को निलंबित किया जाता है यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित होती है अथवा लंबित होती है अथवा वह राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में लगा हुआ है अथवा जहां कोई आपराधिक मामला जांच, अन्वेषण अथवा अभियोजनाधीन है। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामलों की तलाशी का संबंध है एक अधिकारी जिसे गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रखा जाता है उसे उसकी गिरफ्तारी के समय से निलंबित समझा जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (सी.सी.ए.) के नियम 10 (2) के अधीन इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अधिकारी के निलंबन का एक औपचारिक आदेश जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में धीमा विकास

3531. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में भारत का विकास अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत धीमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) विद्युत क्षेत्र का विकास अन्य एशियाई देशों के समान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (आई.ई.ए.) द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इनर्जी आउटलूक, 2004 के अनुसार 598 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के साथ भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विद्युत बाजार तथा चीन 1675 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा विद्युत बाजार रहा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत के विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत बाजार बनने की संभावना है। 2000-05 के दौरान भारत ने विद्युत उत्पादन में 4.86% की वृद्धि दर्ज की। अन्य एशियाई देशों के संबंध में आंकड़े आई.ई.ए. द्वारा संग्रहित नहीं किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत वर्ष 2012 तक ऊर्जा अभाव एवं उच्चतम ऊर्जा अभाव को दूर करने तथा स्पिनिंग रिजर्व के सृजन के लिए त्वरित विद्युत विकास संकल्पित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान 1,00,000 मे.वा. से भी अधिक क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

कृषि ऋण

3532. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कृत्यक बल ने कृषि ऋण के संबंध में "रिस्क फंड" स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कृषि एवं इससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए ऋण के प्रवाह से संबंधित परामर्शदात्री समिति (व्यास समिति) ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों एवं उधारदाता बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए भागीदार बैंकों के समान अंशदान से एक कृषि-जोखिम निधि स्थापित करने की अनुशंसा की है। सरकार ने इस अनुशंसा का परीक्षण किया है तथा फिलहाल ऐसा महसूस किया गया है कि देश में जहां जोत का आकार बहुत छोटा है तथा जमीन संबंधी रिकॉर्ड पूरे नहीं हैं, वहां इस प्रकार की निधि का परिचालन करना आसान नहीं होगा।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी

3533. मोहम्मद शाहिद :
श्री मो. ताहिर :
श्री शिशुपाल पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के लिए मजदूरी निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कार्यरत पुरुषों और महिलाओं का राज्य-वार अनुपात कितना है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत मजदूरी राज्यों में अलग-अलग है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों में महिलाओं का अनुपात कम है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। पुरुषों तथा महिलाओं, दोनों को समान मजदूरी दी जाए।

(ख) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान (अक्तूबर, 2005 तक) इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के मामले में समग्र महिला श्रमदिवस सृजन का हिस्सा 40.45% है। हालांकि, पुरुष श्रमदिवसों के हिस्से की केन्द्रीय स्तर पर अलग से निगरानी नहीं की जाती है तथापि, उपरोक्त 40.45% के अलावा शेष श्रम दिवस प्रत्यक्ष पुरुष श्रम दिवस हैं। महिला श्रमदिवसों के प्रतिशत का राज्यवार हिस्सा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है।

(ङ) केरल और राजस्थान को छोड़कर शेष राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिला श्रमदिवसों का अनुपात कम है, क्योंकि मजदूरी रोजगार के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या कम है जोकि एक सामाजिक प्रथा है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान (अक्तूबर, 2005 तक) एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत महिला श्रम दिवस सृजन का प्रतिशत हिस्सा

क्र. सं.	राज्यों के नाम	प्रतिशत महिला श्रम दिवस
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.70
3.	असम	22.70
4.	बिहार	22.53
5.	छत्तीसगढ़	31.85
6.	गुजरात	37.72
7.	हरियाणा	0.66
8.	हिमाचल प्रदेश	6.41
9.	जम्मू-कश्मीर	असूचित
10.	झारखण्ड	24.96
11.	कर्नाटक	33.54
12.	केरल	50.00
13.	मध्य प्रदेश	44.17
14.	महाराष्ट्र	असूचित
15.	मणिपुर	29.99
16.	मेघालय	30.18
17.	मिजोरम	30113.64
18.	नागालैंड	असूचित
19.	उड़ीसा	32.01
20.	पंजाब	असूचित
21.	राजस्थान	60.45
22.	सिक्किम	33.33
23.	तमिलनाडु	29.58
24.	त्रिपुरा	29.56
25.	उत्तरांचल	23.23
26.	उत्तर प्रदेश	21.53
27.	पश्चिम बंगाल	32.06
	कुल	40.45

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की छंटनी

3534. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की मनमाने ढंग से छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान आज तक बैंकों द्वारा कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ग) छंटनी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या छंटनी के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी शक्ति निदेशकों को प्रत्यायोजित करने से पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बैंक कर्मचारियों से उनके अधिकार और हक न छीने जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के किसी कर्मचारी की मनमाने ढंग से छंटनी की जा रही हो।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि के मामले में सरकार के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण प्रावधान करने के संदर्भ में भर्ती संबंधी नीति उनके निदेशक मण्डल द्वारा बनाई जाती है।

(च) आई.बी.ए. के पास ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है जिसमें सेवारत कर्मचारियों को उनके अधिकार एवं हक से वंचित रखा गया है/था।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3535. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1000 पनधार विकास परियोजनाओं और आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत 21 परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) शेष परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) महाराष्ट्र की सरकार से महाराष्ट्र राज्य को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 1000 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव फरवरी, 2004 में प्राप्त हुआ था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम वाले राज्यों को प्रति वर्ष नई परियोजनाएं एक मानदण्ड जिसमें राज्य में डी.पी.ए.पी. की कवरेज, चल रही परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन, बजट की उपलब्धता आदि शामिल है, का अनुसरण करते हुए स्वीकृत की जाती हैं। तदनुसार इस राज्य को कुल 959 डी.पी.ए.पी. परियोजनाएं अर्थात् वर्ष 2003-04 में 296 परियोजनाएं, वर्ष 2004-05 में 303 परियोजनाएं तथा वर्ष 2005-06 में 360 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

जहां तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) का संबंध है, राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की प्राथमिकता सूची पर परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान महाराष्ट्र की सरकार से 13 परियोजना प्रस्तावों की एक प्राथमिकता सूची प्राप्त हुई थी और सभी 13 परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

विद्युत उत्पादन

3536. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री बीर सिंह महतो :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री ए. साई प्रताप :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में जल, ताप और परमाणु विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का अनुपात कितना है;

(ख) क्या देश में हाल ही में जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) वर्तमान-वर्ष (अप्रैल-नवम्बर, 2005) के दौरान देश में थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन और इसका अनुपात निम्नवत था-

श्रेणी	उत्पादन
थर्मल	3,19,273 मिलियन यूनिट (78.6%)
हाइड्रो	75,105 मिलियन यूनिट (18.5)
न्यूक्लियर	11,825 मिलियन यूनिट (2.9%)
कुल	4,06,203 मिलियन यूनिट (100%)

(ख) से (घ) 1987 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूरे किए गए देश की जल विद्युत क्षमता के पिछले पुनःमूल्यांकन अध्ययनों ने

आर्थिक रूप से दोहनीय जल क्षमता को 60% लोड फैक्टर पर 84,404 मे.वा. पर रखा है, जिसे अगर पूरी तरह से विकसित किया जाए तो संभाव्य औसतन लोड फैक्टर के आधार पर लगभग 1,50,000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता तक हो जाएगा। विभिन्न बेसिनों में कुल 845 जल-विद्युत योजनाओं को चिन्हित किया गया है जो प्रति वर्ष 442 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित करेंगी। सीजनल ऊर्जा सहित, कुल ऊर्जा क्षमता का अनुमान 600 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों ने लगभग 94,000 मे.वा. की कुल अधिष्ठापना सहित पम्पड स्टोरेज योजनाओं के लिए 56 स्थलों को भी चिन्हित किया है।

कर्नाटक में नलकूपों का विद्युतीकरण

3537. श्री एम. शिवन्ना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कल्याण परियोजना के अंतर्गत आए कर्नाटक के सभी नलकूपों का इस वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (के.पी.टी.सी.एल.) की सूचना के अनुसार गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत सभी लंबित नलकूपों को मार्च, 2005 तक विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है।

(ख) डा. बी.आर. अम्बेडकर डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि. (पूर्व कर्नाटक एस.सी./एस.टी. डेवेलपमेंट कारपोरेशन), कर्नाटक बैकवर्ड क्लास डेवेलपमेंट कारपोरेशन और कर्नाटक माइनारिटी डेवेलपमेंट कारपोरेशन द्वारा प्रयोजित की गई गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत कर्नाटक में नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्य को राज्य में विद्युत आपूर्ति कंपनियों (इस्काम्स) द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

के.पी.टी.सी.एल. की सूचना के अनुसार, गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत 1419 नलकूपों को अक्टूबर, 2005 के अंत तक विद्युतीकृत किया गया है और अक्टूबर, 2005 के अंत तक 3116 नलकूप विद्युतीकरण हेतु लंबित है।

कर्नाटक सरकार ने गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित नलकूपों के 31.3.2006 के अंत तक विद्युतीकरण के लिए इस्काम्स को निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

नई टकसालों की स्थापना

3538. श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री राजनरावन बुधीलिवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में टकसालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और टकसालों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्तमान में देश में चार टकसाल हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. भारत सरकार टकसाल, मुम्बई, महाराष्ट्र।
2. भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
3. भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
4. भारत सरकार टकसाल, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) टकसालों में मौजूदा उत्पादन क्षमता देश में सिक्कों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

कापार्ट के अंतर्गत परियोजनाएं

3539. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कापार्ट के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और ये परियोजनाएं राज्य-वार कहां-कहां हैं;

(ख) अब तक आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कापार्ट का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कापार्ट के अधीन कितने प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र हैं और ये कहां-कहां हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3540. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेन गोहेन :
श्री गणेश सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितनी जल, ताप और गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या कुछेक परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की आवश्यकता है और गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नवंबर, 2005 तक देश में विद्युत भार कारक (पी.एल.एफ.) प्राप्त किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) देश में जल, ताप और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की कुल संख्या क्रमश: 266, 94 और 52 है। डीजल आधारित 152 विद्युत स्टेशन विद्यमान है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी. एंड एस.पी.) के अंतर्गत विशेषत: नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एंड एम.) और जीवन विस्तार (एल.ई.) कार्यों के लिए पावर फाईनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में 30-9-2005 तक के दौरान ताप विद्युत स्टेशनों के आर. एंड एम./एल.ई. कार्यों के लिए किये गये ऋण संवितरण का पी.एफ.सी. प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अखिल भारत संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) 72.2% से 74.8% तक भिन्न-भिन्न है और वर्तमान वर्ष के दौरान नवंबर, 2005 तक पी.एल.एफ. 70.9% है।

(ङ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए पी.एल.एफ. का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.2005 के अनुसार राज्यवार/मोडवार विद्युत स्टेशनों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जल	भाप	डीजल	गैस
1	2	3	4	5
हरियाणा	1.00	3.00	2.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	17.00	0.00	1.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	10.00	0.00	4.00	1.00
पंजाब	12.00	3.00	0.00	0.00
राजस्थान	8.00	2.00	0.00	1.00
उत्तर प्रदेश	13.00	5.00	0.00	0.00
उत्तरांचल	13.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	1.00	0.00
दिल्ली	0.00	2.00	0.00	1.00
केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र)	6.00	6.00	0.00	4.00
उप-योग (उत्तरी क्षेत्र)	80.00	21.00	8.00	7.00
गुजरात	4.00	11.00	10.00	8.00
मध्य प्रदेश	8.00	4.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1.00	1.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	30.00	9.00	0.00	3.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	1.00
दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	1.00	2.00	0.00	2.00
उप-योग (पश्चिमी क्षेत्र)	44.00	27.00	10.00	14.00
आंध्र प्रदेश	19.00	5.00	1.00	5.00
कर्नाटक	24.00	2.00	3.00	1.00
केरल	17.00	0.00	3.00	1.00
तमिलनाडु	24.00	5.00	3.00	7.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	11.00	0.00

1	2	3	4	5
पांडीचेरी	0.00	0.00	0.00	1.00
केन्द्रीय क्षेत्र (दक्षिणी क्षेत्र)	0.00	3.00	0.00	1.00
उप-योग (दक्षिणी क्षेत्र)	84.00	15.00	21.00	16.00
बिहार	4.00	3.00	0.00	0.00
झारखंड	1.00	3.00	0.00	0.00
उड़ीसा	9.00	1.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	7.00	13.00	13.00	3.00
डी.वी.सी.	3.00	4.00	0.00	1.00
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.00	0.00	34.00	0.00
सिक्किम	7.00	0.00	2.00	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	1.00	4.00	0.00	0.00
उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	33.00	28.00	49.00	4.00
असम	1.00	3.00	1.00	6.00
मणिपुर	1.00	0.00	22.00	0.00
मेघालय	5.00	0.00	5.00	0.00
नागालैंड	2.00	0.00	5.00	0.00
त्रिपुरा	2.00	0.00	7.00	3.00
अरुणाचल प्रदेश	7.00	0.00	1.00	0.00
मिजोरम	2.00	0.00	23.00	0.00
केंद्रीय क्षेत्र (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	5.00	0.00	0.00	2.00
उप-योग (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	25.00	3.00	64.00	
अखिल भारतीय केंदीय क्षेत्र	3.00	2.00	0.00	9.00
अखिल भारतीय कुल	266.00	94.00	152.00	52.00

विवरण-II

आर एंड एम थर्मल विद्युत हेतु 10वें योजना के दौरान वितरित किये गये ऋण की सूची

30.9.2005 की स्थिति के अनुसार (संपूर्ण राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	ऋणी	ऋण संख्या	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान राशि का वितरण				
				2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एपीजेनको	31304010	विजयवाड़ा टीपीएस यूनिट-I और II ईएसपी का आवर्धन	0.001	-	-	-	0.001
2.	एपीजेनको	31304012	कोठागुडम टीपीएस-ए (4x60 मे.वा.) का आर एंड एम	7.83	17.48	3.90	-	29.22
3.	एपीजेनको	31304013	विजयवाड़ा टीपीएस-ए (6x210 मे.वा.) का आर एंड एम	12.16	3.98	1.28	1.55	18.97
4.	एपीजेनको	31304014	केटीपीएस एस्टेज-V (पेजर) का एचपी/आईपी रोटर	8.57	7.89	2.14	-	18.60
5.	एपीजेनको	31304015	रायलसीमा टीपीएस (2x210 मे.वा.) का आर एंड एम	3.58	5.83	3.30	-	12.71
6.	एपीजेनको	31304016	विजयवाड़ा टीपीएस (2x210 मे.वा.) का आर एंड एम	7.54	7.08	1.29	-	15.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	एपीजेनको	31304017	कोठागुडम टीपीएस-V (यूनिट 9 एवं 10) का आर एंड एम	6.82	6.23	2.38	8.05	23.47
8.	एपीजेनको	31304018	वीटीपीएस (6x210 मे.वा.) का आर एंड एम	7.11	48.96	3.54	1.04	60.65
9.	एपीजेनको	31304019	कोठागुडम टीपीएस बी एवं सी का आर एंड एम	0.88	4.72	-	-	5.60
10.	एपीजेनको	31304020	नेल्लूर टीपीएस का आर एंड एम	0.89	0.11	-	-	1.00
11.	एपीजेनको	31304021	कोठागुडम टीपीएस-ए का आर एंड एम	-	2.86	1.84	-	4.70
12.	एपीजेनको	31304022	रामागुंडम "बी" टीपीएस का आर एंड एम	-	3.00	-	-	3.00
13.	एपीजेनको	31304023	कोठागुडम टीपीएस-बी एवं सी का आर एंड एम		39.94	14.50	2.30	56.74
14.	एपीजेनको	31304024	विजयवाड़ा टीपीएस स्टेज-I (2x210 मे.वा.) का आर एंड एम		35.89	6.02	-	41.91
15.	एपीजेनको	31304025	केटीपीएस स्टेज-V (ऐश पॉन्डा) का आर एंड एम			-	8.01	8.01
16.	एएसइबी	62104001	नामरूप टीपीएस (3x23+1x12.5+ 1x30+1x22.5 मे.वा.) का आर एंड एम	-	0.07	4.03	-	4.10
17.	एएसइबी	62104002	लाकवा टीपीएस (4x15 मे.वा. + 3x20 मे.वा.) का आर एंड एम	2.19	2.88	2.80	-	7.87
18.	जीईबी	19104010	धुवरन टीपीएस का आर एंड एम	0.82	0.44	-	-	1.26
19.	जीईबी	19104014	धुवरन टीपीएस का जीवन विस्तारण	0.13	1.02	-	-	1.14
20.	जीईबी	19104015	वानकबोरी का आर एंड एम	3.65	5.85	-	-	9.50
21.	जीईबी	19104016	गांधीनगर टीपीएस का आर एंड एम	7.43	1.98	0.15	-	9.56
22.	जीईबी	19104018	उकाई टीपीएस का आर एंड एम	2.41	1.07	4.87	0.02	8.37
23.	जीईबी	19104019	वानकबोरी टीपीएस का आर एंड एम	-	0.33	1.90	-	2.23
24.	जीईबी	19104020	सिक्का टीपीएस (2x120 मे.वा.) का आर एंड एम	-	0.23	0.05	0.62	0.89
25.	जीईबी	19104021	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस (2x70 मे.वा.) का आर एंड एम		10.95	22.69	32.39	66.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	जीईबी	19104022	आरएलए एवं एलई अध्ययन/गांधीनगर टीपीएस का कार्य		1.11	0.45	-	1.56
27.	जीईबी	19104023	आरएलए एवं एलई अध्ययन/गांधीनगर टीपीएस का कार्य		0.15	0.85	-	1.00
28.		19104024	उकाई टीपीएस यूनिट 3 एवं 4 (2x200 मे.वा.) का आर एंड एम		0.60	-	-	0.60
29.	एचपीजीसीएल	03304011	फरीदाबाद टीपीएस का आर एंड एम	0.95	3.33	1.44	-	5.71
30.	एचपीजीसीएल	03304012	पानीपत टीपीएस यूनिट-5 (210 मे.वा.) का आर एंड एम	3.15	0.34	-	-	3.49
31.	एचपीजीसीएल	03304014	पानीपत टीपीएस (4x100+2x210) का पर्यावरणीय उत्थान	1.11	0.11	-	-	1.22
32.	एचपीजीसीएल	03304015	पानीपत टीपीएस का आर एंड एम	19.93	0.05	-	-	19.97
33.	एचपीजीसीएल	03304016	पानीपत टीपीएस यूनिट 2 का आर एंड एम	3.50	11.72	0.78	-	16.00
34.	एमपीएसईबी	21104020	सतपुरा टीपीएउ का आर एंड एम	-	0.41	4.33	-	4.74
35.	एमपीएसईबी	21104021	अमरकंटक टीपीएस फेज-II (2x210 मे.वा.) का आर एंड एम		-	1.47	1.83	3.30
36.	एमएसईबी	21104023	चंद्रपुर टीपीएस का आर एंड एम	1.11	-	-	-	1.11
37.	एमएसईबी	21104024	भुसावल टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	0.77	-	-	-	0.77
38.	एमएसईबी	21104026	परली टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	3.00	-	-	-	3.00
39.	एमएसईबी	21104027	कोराडी टीपीएस का नौवें योजना में अतिरिक्त आर एंड एम	6.98	2.20	0.42	-	9.60
40.	एमएसईबी	21104029	नासिक टीपीएस का अतिरिक्त आर एंड एम	1.11	-	-	-	1.11
41.	एमएसईबी	21104030	कोराडी टीपीएस का अपशिष्ट शोधन	-	0.18	-	-	0.18
42.	एमएसईबी	21104031	नासिक टीपीएस का अपशिष्ट शोधन	0.17	-	0.15	-	0.32
43.	एमएसईबी	21104035	पारली टीपीएस का राख जल प्रति-पूर्ति स्कीम	-	0.45	-	-	0.45
44.	एमएसईबी	21104036	नासिक टीपीएस यूनिट-III (210 मे.वा.) में इएसपी का आवर्धन	5.13	1.23	-	-	6.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	एमएसईबी	21104037	कोराडी टीपीएस यूनिट-V (200 मे.वा.) और यूनिट-VII (210 मे.वा.) में इएसपी का आवर्धन	-	-	5.97	3.58	9.56
46.	एमएसईबी	21104038	कोराडी टीपीएस के केर्जीग यूनिट-III आई पी टी-120 मे.वा. की विशेष मरम्मत	-	2.29	-	-	2.29
47.	एमएसईबी	21104041	नासिक टीपीएस में ऐस वाटर रिसाईक्लिंग सिस्टम का आवर्धन	0.32	0.59	0.55	-	1.45
48.	एमएसईबी	21104042	हीट रेट ऑप्टीमाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स	-	0.61	0.99	-	1.60
49.	एमएसईबी	21104043	चंद्रपुरा टीपीएस यूनिट 3 एवं 4 (2x210 मे.वा.) का आर एंड एम	-	5.45	-	-	5.45
50.	एमएसईबी	21104045	नासिक यूनिट 4 का इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम	-	4.20	-	-	4.20
51.	एमएसईबी	21104046	10 यूनिटों का वायु प्रदूषण नियंत्रण ईएसपी आवर्धन और उन्नयन	-	2.59	1.33	1.68	5.60
52.	एमएसईबी	21104048	कोराडी टीपीएस का आर एंड एम		3.35	10.37	2.24	15.96
53.	एमएसईबी	21104049	पारली टीपीएस का आर एंड एम		-	2.10	2.19	4.29
54.	एमएसईबी	21104050	भुसावल टीपीएस का आर एंड एम		-	14.85	2.63	17.48
55.	एमएसईबी	21104051	खापरखेड़ा टीपीएस का आर एंड एम		-	2.81	-	2.81
56.	एमएसईबी	21104052	चंद्रपुरा टीपीएस का आर एंड एम		-	11.56	13.70	25.26
57.	एमएसईबी	21104053	नासिक टीपीएस का आर एंड एम		23.17	10.93	-	34.10
58.	एमएसईबी	21104054	चंद्रपुर टीपीएस यूनिट 5 और 6 का फ्लू गैस डक्स मॉडीफीकेशन करना		6.60	4.40	-	11.00
59.	एमएसईबी	21104057	पारली, खापरखेड़ा एवं कोराडी टीपीएस (कोल मील्स) का आर एंड एम			0.22	1.68	1.90
60.	एमएसईबी	21104059	पारली टीपीएस यूनिट I एवं II (2x 30 मे.वा.) का पुनर्वास के लिए आर एंड एम			-	8.00	8.00
61.	एमएसईबी	21104060	परली टीपीएस का जल आपूर्ति प्रणाली का आवर्धन			-	8.18	8.18
62.	एमएसईबी	21104061	उरान गैस टरबाईन विद्युत संयंत्र का आर एंड एम			25.10	1.07	26.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	एमएसईबी	21104062	चंद्रपुर टीपीएस का आर एंड एम			1.92	11.75	13.67
64.	पीएसईबी	06104003	जी एन डी टीपीएस भटिंडा (2x100 मे.वा.) का आर एंड एम और एल ई	10.00	4.29	67.90	29.92	112.11
65.	आरआरवीयूएनएल	07304004	कोटा टीपीएस (2x110 + 3x210 मे.वा.) का आर एंड एम		6.26	2.48	0.94	9.68
66.	टीएनईबी	36104008	इन्नॉर टीपीएस का रिनोवेशन और रीफॉरबीसमेंट करना	1.39	-	-	-	1.39
67.	टीएनईबी	36104009	इन्नॉर टीपीएस का एस ड्यूक का निर्माण	-	1.95	-	-	1.95
68.	टीएनईबी	36104011	तूतीकोरीन टीपीएस यूनिट-II का आर एंड एम	-	3.76	-	-	3.76
69.	टीएनईबी	36104012	मेट्टूर टीपीएस के लिए डाटा एक्यूजीशन सिस्टम	-	-	0.29	-	0.29
70.	टीएनईबी	36104013	तूतीकोरीन टीपीएस यूनिट I एवं II का आर एंड एम		9.87	-	-	9.87
71.	यूपीआरवीयूएनएल	08304006	अनपारा "ए" टीपीएस (3x210 मे.वा.) का आर एंड एम	6.72	1.54	-	-	8.25
72.	यूपीआरवीयूएनएल	08304007	परीचा टीपीएस (2x110 मे.वा.) का आर एंड एम	0.71	0.06	4.41	3.01	8.20
73.	यूपीआरवीयूएनएल	08304008	2x110 मे.वा. परीचा टीपीएस (पेजर) का आर एंड एम	1.07	0.05	-	-	1.12
74.	यूपीआरवीयूएनएल	08304009	हरदुआगंज टीपीएस यूनिट 5 एवं 7 (60+110 मे.वा.) आर एंड एम	-	-	10.59	-	10.59
75.	यूपीआरवीयूएनएल	08304010	पनकी टीपीएस यूनिट 3 एवं 4 (2x 110 मे.वा.) आर एंड एम	-	0.68	0.83	3.98	5.50
76.	यूपीआरवीयूएनएल	08304014	ओबारा "ए" टीपीएस (5x50 मे.वा.) का आर एंड एम और एल ई	-	5.20	-	-	5.20
77.	डब्लूपीडीसीएल	50304002	कोलाघाट टीपीएस यूनिट 1,2, एवं 3 (3x210 मे.वा.) आर एंड एम	-	-	26.73	0.56	27.29
78.	डीपीएल	50404005	दुर्गापुर मं इएसपी का रीटरोफीटींग करना	1.34	-	-	-	1.34
79.	डीपीएल	50404008	डीपीएल स्टेशन (2x30+2x70+1x 77 मे.वा.) का आर एंड एम और एल ई	19.10	5.48	-	-	24.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.	डीवीसी	77104003	चंद्रपुर टीपीएस का आर एंड एम-रिटेनर कंसलटेंसी चार्जेज		-	2.48	-	2.48
81.	डीवीसी	77104004	दुर्गापुर टीपीएस का आर एंड ए-रिटेनर कंसलटेंसी चार्जेज		-	1.66	-	1.66
82.	डीवीसी	77104005	दुर्गापुर टीपीएस यूनिट III (1x140 मे.वा.) का आर एंड एम		-	2.30	-	
83.	डीवीसी	77104006	चंद्रपुर टीपीएस यूनिट II (1x140 मे.वा.) का आर एंड एम		-	2.43	-	
			कुल	159.57	318.66	301.75	150.90	926.15

विवरण-III

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और (अप्रैल-नवंबर, 05) अवधि के लिए कोयला आधारित एवं न्यूक्लीयर स्टेशनों का राज्यवार पीएलएफ

(उत्तरी क्षेत्र)

स्टेशन का नाम	2002-03 वास्तविक पीएलएफ (%)	2003-04 वास्तविक पीएलएफ (%)	2004-05 वास्तविक पीएलएफ (%)	अप्रैल, 05 से नवंबर, वास्तविक पीएलएफ (%)
1	2	3	4	5
दिल्ली राज्य				
इंद्रप्रस्थ स्टेशन	**28.6**	**35.5**	**42.5**	42.9
राजघाट	**70.8**	**65.4**	**58.9**	40.1
आईपीजीपीएसएल कुल	**43. 5**	**46.0**	**48.3**	41.9
हरियाणा राज्य				
फरीदाबाद विस्तार	**67.3**	**54.9**	**60.1**	51.9
पानीपत	**66.3**	**78.8**	**70.7**	67.9
एचपीजीसी कुल	**66.5**	**74.9**	**69**	66
पंजाब राज्य				
जीएनडीटीपी (भटिंडा)	**64.8**	**66.1**	**51.7**	60.2
जीएचटीपी (लेहरा मुहब्बत)	**79**	**91.6**	**89.9**	83.3
रोपड़	**74.7**	**75.0**	**82.3**	84.7
पीएसईबी कुल	**73.5**	**76.4**	**77.5**	79.3
राजस्थान राज्य				
कोटा	**88**	**85.1**	**84.7**	85.7
सुरतगढ़	**88.8**	**80.7**	**85.5**	86.4
आरआरवीयूएनएल कुल	**88.4**	**82.6**	**85.1**	86.1
उत्तर प्रदेश राज्य				
ओबरा	**51.7**	**49.3**	**43.9**	40.5
पनकी	**47.9**	**50.1**	**49.2**	51.1
हरदुआगंज	**22.8**	**21.7**	**18.7**	12.8
परीचा	**49.9**	**33.9**	**50.1**	40.2
अनपरा	**81.9**	**83.7**	**80.6**	80.2
यूपीआरवीयूएनएल कुल	**61.1**	**60.1**	**57.4**	54.6
केंद्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी)				
बदरपुर	**85.6**	**87.7**	**88.5**	82.1
सिंगरौली एसटीपीएस	**92.3**	**89.0**	**90.2**	83.1
रिहंद	**88.5**	**90.6**	**91.2**	84
ऊंचाहार	**83.6**	**87.5**	**92.2**	92.7
दादरी (एनसीटीपीपी)	**82.1**	**83.8**	**92.8**	90

1	2	3	4	5
टांडा	57.7	75.3	86.1	80.8
केंद्रीय क्षेत्र (एनपीसी)				
आर.ए.पी.एस.	72.9	65.0	70.6	69.4
एन.ए.पी.एस	93.3	78.7	71.6	63.8
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात राज्य				
धुवरण	29.6	31	45.1	28.6
उकाई	71.3	61.2	68	67.9
गांधीनगर	73	58.3	59.1	62
वानकबोरी	80.6	82.4	83.6	68.9
सिक्का रेप.	53.8	47.4	67	58.8
कच्छ लिग्नाइट	55	51.5	44.1	29
जीईबी कुल	66.7	62.1	67	58.8
जीएसईसीएल (जी.5)	88.9	91.7	84.9	93.6
जीएसईसीएल (डब्ल्यू.7)	95.8	87.4	90	91.3
जीएसईसीएल कुल	92.4	89.5	87.5	92.4
मध्य प्रदेश राज्य				
सतपुड़ा	78.7	76.9	76.8	71.6
अमरकंटक	51.6	41.9	39.4	26.1
अमरकंटक विस्तार	57.7	46.8	48.8	38.1
संजय गांधी	71.1	69.4	74.4	64
एमपीजीसीएल कुल	73.1	70.2	72.1	64.1
छत्तीसगढ़ राज्य				
कोरबा-II	61.6	70.8	112.9	90.2
कोरबा-III	55.1	47.9	42.9	72.1
कोरबा-वेस्ट	75.7	76.1	74	76.6
सीएसईबी कुल	69.9	70	73	77.9

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र राज्य				
नासिक	67.6	70.6	71.4	65.3
कोराडी	65.1	65.9	68.1	63.3
खापरखेड़ा	83.6	81.3	85.4	75
पारस	58.7	81.9	77.4	87.9
भुसावाल	61.9	79	78.7	73
पारली	75.8	71.2	81	82.6
चन्द्रपुर	74.1	78.9	77.7	68.1
एमएसईबी कुल	72	75	76.6	69.9
निजी क्षेत्र				
ए.ई. कंपनी	83.3	90.1	85.4	90.2
साबरमती	87.3	85.3	89.6	98.3
ए.ई. कंपनी कुल	86.7		89	97.1
केंद्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी)				
विन्ध्याचल एसटीपीएस	85.5	82.5	90	88.6
कोरबा एसटीपीएस	89.5	88.5	92.7	88.8
केंद्रीय क्षेत्र (एनपीसी)				
काकरापाड़ा	94.9	82.2	65.2	69.8
तारापुर	90.8	88.8	92.3	71.9
निजी क्षेत्र				
दहाणु (बीएसईएस)	89	98.3	101.4	96.3
ट्रॉम्बे (टाटा)	78.7	75.4	81.2	80.4
दक्षिण क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश राज्य				
कोठागुडम	85.2	79.6	91.4	72.7
कोठागुडम न्यू			94.5	73.3
विजयवाड़ा	93.2	91.3	89.2	83

1	2	3	4	5
रामागुंडम बी	71.2	85.8	90.6	66.3
नैल्लोर	55.9	55.4	58.6	4.2
रायलसीमा	94.8	90.3	91.2	54.9
एपीजेनको	89.4	86	90.6	73.8
कर्नाटक राज्य				
रायचूर	90.4	88	83.2	60.9
केपीसीएल	90.4	88	83.2	60.9
तमिलनाडु राज्य				
एन्नौर	44.3	31.8	31	16.8
तूतीकोरिन	89	87.6	88.9	83.1
मेत्तूर	91.6	91.3	90.8	87.2
नॉर्थ चेन्नई	79.8	78.6	71	66.9
टीएनईबी कुल	81	78.3	76.9	70.8
केंद्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी)				
रामागुंडम एसटीपीएस	91.5	88.5	90.3	81.3
सिम्हाद्री	87.2	87.9	92.7	83.6
केंद्रीय क्षेत्र (एनएलसी)				
नैवेली चरण-1	84.1	83.5	81	75.1
नैवेली चरण-2	81.5	77.5	71.8	77.7
नैवेली प्रथम विस्तार	0	64.8	88	81.7
केंद्रीय क्षेत्र (एनपीसी)				
कैगा	86.1	80.8	75.9	76
एम.ए.पी.सी.	36	52.8	49.7	48.7
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार राज्य				
बरौनी	9.8	10.1	5.7	4.2
मुजफ्फरपुर	13.8	4	0	0
बीएसईबी कुल	11.4	7.6	3.3	2.5

1	2	3	4	5
झारखंड राज्य				
पतरातु	18.3	15.8	11	10.9
जेएसईबी कुल	18.3	15.8	11	10.9
तेनुघाट	37.2	36.5	36	33.3
टीवीएनएल कुल	37.2	36.5	36	33.3
उड़ीसा राज्य				
इब वैली	71	81.6	86	79.4
ओपीजीसी कुल	71	81.6	86	79.4
पश्चिम बंगाल राज्य				
दुर्गापुर	43.2	55.9	59.3	60.7
डीपीएल कुल	43.2	55.9	59.3	60.7
बाण्डेल	44	36.4	46.3	48
संथालडीह	30.1	28.7	31.8	29.1
कोलाघाट	59.8	62.3	66.9	64.1
बक्रेश्वर	72.9	78	75.7	76.8
डब्ल्यूबीपीडीसीएल कुल	54.9	55.4	59.2	58.1
केंद्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी)				
कहलगांव	67.9	80.9	82.7	85.6
तालचेर	55.8	67.9	79.3	86.6
तालचेर एसटीपीएस	73.5	82.2	81.9	79.7
फरक्का एसटीपीएस	63.9	67.5	69.2	77.4
केंद्रीय क्षेत्र (डीवीसी)				
चन्द्रपुरा	17.2	19.8	28.8	27.5
बोकारो ए			0	0
बोकारो बी	43.6	48.9	44.7	44.7
दुर्गापुर	36.1	54.3	48	56
मेजिया	60.5	72.8	80.9	74.4

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र (सीईएससी)				
मुलाजोर				
न्यूकोसीपुर	39.9	41.6	42.3	32.7
टीटागढ़	77.9	82.2	85.2	90.7
सदर्न रेप्ले.	71	78.4	84.3	90.9
बज बज	75.8	79.8	86.4	101.6
सीईएससी कुल	71		80.1	87
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
असम राज्य				
चन्द्रपुर			0	0
नामरूप एसटी	35.1	0	0	27
बोंगाईगांव		0	0	0
एएसईबी थर्मल	14.8	0	0	2.5
नामरूप जीटी		46.7	50.8	49
नामरूप डब्ल्यूएचपी		27.4	41.7	26.3
लकवा जीटी		30.4	29.7	33.1
मोबाइल गैस टीजी			35.3	
एएसईबी जीटी**		32.9	35.3	34.9

*नामरूप एसटी व डब्ल्यूएचपी सहित

**लकवा व मोबाइल जीटी सहित

नए विद्युत मानदंड

3541. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने देश में नए विद्युत मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई व्यवस्था से उपभोक्ता अपनी पंसद के आपूर्तिकर्त्ता से विद्युत खरीद सकेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन राज्यों ने अभी नए मानदंडों को कार्यान्वित किया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के द्वारा वितरण के क्षेत्र में खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) को विनियमन के माध्यम से विभिन्न चरणों में तथा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार लागू किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि 1 मे.वा. से अधिक की बिजली की आपूर्ति की मांग करने वाले उपभोक्ता को राज्य आयोगों द्वारा 27 जनवरी, 2004 से 5 वर्षों की अवधि के भीतर ओपन एक्सेस सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।

अधिनियम की अपेक्षानुसार अनेक राज्य आयोगों ने वितरण के क्षेत्र में ओपन एक्सेस को लागू करने के चरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी इच्छानुसार विद्युत आपूर्तिकर्त्ता से विद्युत की खरीद करने की प्रक्रिया को अनुबंध करते हुए विनियमन जारी किए हैं। 17 राज्यों ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल के आयोगों ने विनियम जारी किए हैं, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने विनियमों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है तथा दो राज्यों, यथा केरल एवं त्रिपुरा के विनियामक आयोगों ने इस संबंध में प्रारूप विनियम जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

भूकम्प हेतु चेतावनी

3542. श्री देविदास पिंगले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर भूकंप के पश्चात् वैज्ञानिकों द्वारा भारत के अन्य भागों में भारी भूकंप की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) 8 अक्तूबर, 2005 के भूकंप (पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद के निकट घटित) के बाद वैज्ञानिकों द्वारा देश के अन्य भागों में भारी भूकंप आने की आशंका के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। वर्तमान में विश्व में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा भूकंप

की तीव्रता, स्थान और समय का सटीकता के साथ पूर्वानुमान किया जा सके।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए भूकंपीय क्षेत्रीकरण (जोनिंग) मानचित्र के अनुसार देश को 4 क्षेत्रों, अर्थात क्षेत्र-II से V में विभक्त किया गया है। क्षेत्र V को भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र माना जाता है जबकि क्षेत्र-II को सबसे कम। सरकार ने शहरी केन्द्रों का माइक्रोजोनेशन भी आरंभ कर दिया है। माइक्रोजोनेशन की कार्य प्रणाली स्थापित करने हेतु जबलपुर के लिए किया गया अध्ययन पहले ही पूरा कर लिया गया है और इसकी मुख्य-मुख्य बातों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। 1:50,000 पैमाने पर दिल्ली के माइक्रोजोनेशन से संबंधित कार्य को हाल में ही पूरा किया गया है और इन माइक्रोजोनेशन मानचित्रों को उच्चतर पैमानों अर्थात 1::10,000 पर परिशोधित करने का कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

स्वजलधारा ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं

3543. श्री सुभाष महरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वजलधारा योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना बजट आबंटन किया गया है;

(ख) ऐसी परियोजना की लागत की अधिकतम सीमा क्या है; और

(ग) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान में अभी तक किस सीमा तक लाभ हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) स्वजलधारा दिशा-निर्देशों के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) का 20 प्रतिशत वार्षिक बजट आबंटन स्वजलधारा के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। वित्त वर्ष 2005-06 के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) स्वजलधारा दिशा-निर्देशों में परियोजना की लागत की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) स्वजलधारा के अंतर्गत लाभ ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी का सांस्थानीकरण है। पंचायतों/समुदाओं के पास स्वयं द्वारा चुनी गई योजना को परिसंपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व के साथ नियोजन, कार्यान्वयन, परिचालन, रखरखाव और प्रबंधन करने और शक्तियां हैं। स्वजलधारा के अंतर्गत राजस्थान सहित आज तक अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय आबंटन	वर्ष 2002-03 में योजना की शुरुआत से लेकर आज तक अनुमोदित परियोजनाओं की सं.
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25.01	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
2.	आंध्र प्रदेश	3045.35	2631
3.	अरुणाचल प्रदेश	933.61	181
4.	असम	1571.29	502
5.	बिहार	2232.74	8492
6.	छत्तीसगढ़	750.97	163
7.	दादर व नगर हवेली	16.67	1
8.	दिल्ली	12.50	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
9.	गोवा	28.05	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
10.	गुजरात	1629.73	423
11.	हरियाणा	511.69	364
12.	हिमाचल प्रदेश	1250.82	1352
13.	जम्मू-कश्मीर	2900.60	2497
14.	झारखंड	805.61	161
15.	कर्नाटक	2253.99	672
16.	केरल	784.65	272
17.	मध्य प्रदेश	2200.27	2244
18.	महाराष्ट्र	4019.88	1370
19.	मणिपुर	320.93	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
20.	मेघालय	366.77	43
21.	मिजोरम	262.58	19
22.	नागालैंड	270.91	30

1	2	3	4
23.	उड़ीसा	1807.40	1085
24.	पांडिचेरी	12.50	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
25.	पंजाब	530.53	20
26.	राजस्थान	4580.72	2018
27.	सिक्किम	112.53	कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई
28.	तमिलनाडु	1730.13	1141
29.	त्रिपुरा	325.10	195
30.	उत्तर प्रदेश	3608.10	1987
31.	उत्तरांचल	834.12	349
32.	पश्चिम बंगाल	1938.90	135
33.	कुल	41674.65	28647

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

3544. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की आवश्यकता के मद्देनजर नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने और विद्यमान संयंत्रों का उन्नयन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नए विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) देश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन और विद्युत की कुल वार्षिक खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विद्युत नीति में 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक "सभी के लिए विद्युत" की परिकल्पना की गई है। "2012 तक सभी के लिए विद्युत" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 10वीं और 11वीं योजना के दौरान लगभग 1,00,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था जिसमें पुराने विद्युत स्टेशनों की भी परिकल्पना की गई थी।

वर्तमान में 1,90,721 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के साथ कुल 39,000 मेगावाट की उत्पादन परियोजनाएं निष्पादनाधीन है।

(घ) 2004-05 के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन 610.499 बि.यू. (अस्थायी) था और इसी अवधि के दौरान अंतिम उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय 386.133 बि.यू. (अस्थायी) था। कुल विद्युत उत्पादन एवं उपभोग के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

*(क) 2004-05 के दौरान राज्यवार कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन (केवल यूटिलिटियां)**

राज्य/यूटी	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)
1	2
हरियाणा	9873.21
हिमाचल प्रदेश	2754.38
जम्मू-कश्मीर	710.92
पंजाब	21786.95
राजस्थान	20787.95
उत्तर प्रदेश	21203.32
उत्तरांचल	3113.13
चंडीगढ़	0.00
दिल्ली	5476.56
केंद्रीय क्षेत्र उ.क्षे.	84667.00
उप जोड (उ.क्षे.)	170373.42
गुजरात	45228.83
मध्य प्रदेश	16125.16
छत्तीसगढ़	8374.60
महाराष्ट्र	69252.58
गोवा	336.20
दादर व नगर हवेली	0.00
दमन व दीव	0.00
केंन्द्रीय क्षेत्र प.क्षे.	48156.34
उप जोड़ (प.क्षे.)	187473.71

1	2
आंध्र प्रदेश	39456.93
कर्नाटक	24635.50
केरल	6259.71
तमिलनाडु	41354.74
लक्षद्वीप	22.61
पांडिचेरी	275.41
केंद्रीय क्षेत्र द.क्षे.	46623.41
उप जोड़ (द.क्षे.)	158898.54
बिहार	207.03
झारखंड	4168.29
उड़ीसा	10309.28
पश्चिम बंगाल	24901.92
डीवीसी	10845.28
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	129.93
सिक्किम	58.83
केंद्रीय क्षेत्र पू.क्षे.	35203.03
उप जोड़ (पू.क्षे.)	85823.59
असम	903.54
मणिपुर	1.32
मेघालय	637.65
नागालैंड	3.50
त्रिपुरा	556.76
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	7929.84
केंद्रीय क्षेत्र अखिल भारत	220474.68
कुल अखिल भारत	610499.10

(^) : स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट के उत्पादन सहित

(*) : अनंतिम

नोट-झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी के विक्रय सहित।

राज्य/यूटी	कुल विक्रय की गई ऊर्जा
1	2
हरियाणा	13807.14
हिमाचल प्रदेश	2954.16
जम्मू-कश्मीर	3877.00
पंजाब	22526.11
राजस्थान	16682.55
उत्तर प्रदेश	27939.25
उत्तरांचल	3163.15
चंडीगढ़	918.29
दिल्ली	12773.39
उप जोड (उ.क्षे.)	104641.04
गुजरात	36983.39
मध्य प्रेदश	17201.89
छत्तीसगढ़	8050.58
महाराष्ट्र	55457.02
गोवा	1800.40
दादर व नगर हवेली	1001.81
दमन व दीव	1768.21
उप जोड़ (प.क्षे.)	122263.30
आंध्र प्रदेश	38677.24
कर्नाटक	24781.59
केरल	9347.88
तमिलनाडु	41285.97
पांडिचेरी	1819.09
लक्षद्वीप	19.98
उप जोड़ (द.क्षे.)	115931.75
बिहार	3951.97
झारखंड	8380.48
उड़ीसा	7814.53

1	2
पश्चिम बंगाल	19087.13
डीवीसी	109.96
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	226.70
सिक्किम	39570.77
उप जोड़ (पू.क्षे.)	1837.98
असम	177.59
मणिपुर	855.87
मेघालय	183.18
नागालैंड	380.01
त्रिपुरा	166.50
अरुणाचल प्रदेश	125.67
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	3726.80
कुल अखिल भारत	386133.66

नोट- *झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी के विक्रय सहित।

[अनुवाद]

नाल्को का विनिवेश

3545. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाल्को का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलनीमनिक्कम) : (क) नाल्को के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निधियां जुटाना

3546. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने के लिए विद्युत बांड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों की ढुलाई

3547. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क जैसे खनिजों की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में अड़चनें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) राज्य के बाहर खनिजों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 11(3) (घ) के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिज रियायत प्रदान करने हेतु किसी आवेदक द्वारा खानों और खनिज आधारित उद्योगों में उसके प्रस्तावित निवेश पर एक घटक के रूप में विचार करने का अधिकार है, यदि आवेदक एक से अधिक हों।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा करने और खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ श्री अनवर-उल-होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय, खनिज समृद्ध राज्यों की नीति की यह शर्त कि खनिज रियायत प्रदान करने के लिए खनिजों का मूल्य वर्धन उनके राज्य में ही हो, के प्रभावों की समीक्षा करना और इस संबंध में यथोचित सिफारिशें करना है।

[हिन्दी]

सहस्त्र कुंड विद्युत परियोजना

3548. श्री डी.बी. पाटिल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति करने वाले महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हिमायत नगर तालुका में जलविद्युतीय-विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सहस्त्रकुंड जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

बुनकर सहकारिता सोसायटी में वित्तीय संकट

3549. श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से हथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटियां भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है;

(ख) क्या रियायत सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं और सोसायटियां ई.एस.आई. अंशदान भी नहीं दे पा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई.एस.आई. अंशदान के बकायों के भुगतान के लिए पृथक निधि उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) कुल हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के सामने केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के कारण वित्तीय संकट नहीं आ रहे हैं बल्कि बाजार बलों के कारण ये संकट आ रहे हैं। हथकरघा उत्पाद विद्युतकरघा एवं मिल क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं।

(ख) और (ग) 15 अगस्त, 2002 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा फेब्रिकों पर एक बारगी विशेष छूट देने के लिए 100 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की थी। यह योजना 01.4.2005 से बंद कर दी गई है।

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा ई.एस.आई. के भुगतान के संबंध में सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश में हथकरघा आयुक्त/प्रभारी निदेशक ने सूचित किया है कि सहकारी समितियों को उनके अपने-अपने राज्यों में ई.एस.आई. अंशदान की वसूली के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

हथकरघा एवं वस्त्र आयुक्त एवं निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार, ने सूचित किया है कि एक समिति को ई.एस.आई. अंशदान की वसूली की सूचना प्राप्त हुई है। तथापि, उस समिति ने अभी तक अंशदान का भुगतान नहीं किया है।

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि 24 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को ई.एस.आई. अंशदान की वसूली के लिए सूचना प्राप्त हुई है। 24 समितियों में से 4 समितियों ने मांग के अनुसार ई.एस.आई. के लिए अंशदान का भुगतान किया है, 5 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और 3 समितियों ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर दी है और उनके मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। एक समिति परिसमापनाधीन है और अन्य 11 समितियां नियमित रूप से ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, ई.एस.आई. प्राधिकारियों ने दो औद्योगिक बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए ई.एस.आई. अंशदान के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। चूंकि सदस्य सहकारी समिति के शेयरधारक हैं अत: सदस्यों ने उन्हें ई.एस.आई. अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। दो औद्योगिक बुनकर सहकारी समितियों में से एक समिति ने माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और दूसरी समिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई ने ई.एस.आई. प्राधिकारियों को समिति के अनुरोध पर विचार करने का निदेश दिया है।

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक, केरल सरकार ने सूचित किया है कि सहकारी समितियों को ई.एस.आई. अंशदन का भुगतान करने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है और 26 समितियां ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान कर रही हैं।

(घ) से (च) हथकरघा बुनाई एक घरेलू क्रियाकलाप है और वस्त्र मंत्रालय ने यह रुख अपनाया है कि हथकरघा बुनकरों को श्रमिकों के रूप में नहीं माना जाता होता है और इस प्रकार वे ई.एस.आई. अधिनियम के तहत नहीं आते हैं।

भारत सरकार हथकरघा बुनाई के व्यवसाय से संबंधित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हथकरघा बुनकरों के लिए 1992-93 से स्वास्थ्य पैकेज योजना क्रियान्वित करती आ रही है। माननीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने पूर्व की स्वास्थ्य पैकेज योजना के स्थान पर 9 अगस्त, 2005 को "हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना" शुरू की है। नई योजना में केवल बुनकर ही शामिल

नहीं हैं बल्कि 1000/- रु. की वार्षिक प्रीमियम पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। भारत सरकार प्रति बुनकर 800/- रु. का अंशदान करती है जबकि बुनकर का अंशदान केवल 200/- रु. है। बुनकर और उसका परिवार 15000/- रु. तक कवर किए जाते हैं।

स्वास्थ्य पैकेज योजना के अलावा भारत सरकार दिसंबर, 2003 से हथकरघा बुनकरों के लिए बुनकर बीमा योजना नामक एक योजना भी कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में स्वाभाविक तथा दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान है। माननीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में यह योजना संशोधित की गई है और इसे पुन "महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना" नाम दिया गया है। यह संशोधित योजना 2 अक्टूबर, 2005 को शुरू कर दी गई है। इस संशोधित योजना में स्वाभावित एवं दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में हथकरघा बुनकरों के लिए बढ़े हुए बीमा कवरेज का प्रावधान है।

इस समय ई.एस.आई. अंशदान के भुगतान के लिए अलग से निधियां प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय में कोई योजना नहीं है।

उद्योगों की स्थापना के लिए उत्पाद-शुल्क से छूट

3550. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने दिसंबर, 2007 तक कच्छ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए उत्पाद शुल्क छूट योजना की समय-सीमा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन किया है;

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कच्छ के पिछड़े सुदूरवर्ती सूखा प्रवण क्षेत्र की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समी वस्तुगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 31.12.2005 के बाद छूट की पात्रता हेतु नई इकाईयों के गठन के लिए समय-सीमा नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

एस.बी.आई. में डीमैट खाता

3551. श्री संतोष गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा 10 किलोमीटर से अधिक की परिधि में शेयरों की खरीद संबंधी कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं को डीमैट खाता खोलने के लिए प्राधिकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या वार्षिक प्रभार निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, स्टॉक एक्सचेंजों के स्क्रीन आधारित स्वचालित आदेश मैचिंग प्रक्रम के माध्यम से उनकी अवस्थिति को ध्यान में लिए बगैर, निवेशकों द्वारा खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया लिमिटेड (सी.एस.डी.एल.) दोनों के पास निक्षेपागार प्रतिभागी (डी.पी.) के रूप में पंजीकृत है। अपनी रुचि के स्थानों में डीमैट सेवाओं की पेशकश करना निक्षेपागार प्रतिभागियों के विवेक पर छोड़ा गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने डीमैट खातों को खोलने के लिए संभावी शाखाओं को अभिज्ञात किया है।

(घ) और (ङ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 1996 में उनके ग्राहकों पर निक्षेपागार द्वारा अथवा निक्षेपागार प्रतिभागी द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों हेतु कोई ढांचा निर्धारित नहीं किया गया है। निक्षेपागार अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों पर प्रभार लगाते हैं और निक्षेपागार प्रतिभागी आगे अपने ग्राहकों से प्रभार लेते हैं। अतएव, वार्षिक प्रभार निक्षेपागार प्रतिभागियों के वाणिज्यिक निर्णय होते हैं और वे अपने ग्राहकों को अपेन द्वारा प्रस्तावित सेवाओं की किस्मों के आधार पर अपने प्रभार ढांचे को निर्धारित/संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वार्षिक अनुरक्षण प्रभार 250 रुपए प्रतिवर्ष हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-ईरान सहयोग

3552. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारत एवं ईरान ने नई दिल्ली में 21-

22 फरवरी 2005 को संयुक्त आयोग के 14वें सत्र के दौरान समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान से अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संतुष्ट करते हुए भूमि के ऊपर से पाईप लाईन बिछाने के विकल्प निकालने और सुनिश्चित आपूर्ति किए जाने के निर्णय का दोनों ओर से स्वागत किया गया है। ईराने ने भारतीय कंपनियों जैसे एन.टी.पी.सी. और भेल की वहां व्यापार करने की उत्सुकता को देखकर विद्युत क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करने पर आशावादी रुख दर्शाया।

[अनुवाद]

निजी बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण

3553. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्रीमती सी.एस. सुजाता :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-स्तरीय बैंकिंग समितियां सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जा रहे छात्र ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को फीडबैक प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया है;

(घ) क्या निजी बैंक जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने में इच्छुक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक शिक्षा ऋणों से संबंधित आंकड़े सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में बकाया शिक्षा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

निजी क्षेत्र के बैंक	खातों के संख्या	राशि (बकाया)
2002-03	10051	11637.89
2003-04	11323	19190.20

निजी क्षेत्र के बैंक जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय बैंक संघ द्वारा दिनांक 28.04.2001 के परिपत्र द्वारा (31.08.2004 को संशोधित) तैयार नई शिक्षा ऋण योजना निजी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अधिसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू है।

[हिन्दी]

पौधों की वृद्धि

3554. श्री राकेश सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरबल साहनी पैलियोबोटनी साइंस इंस्टीट्यूट, लखनऊ द्वारा जबलपुर में पौधों की वृद्धि के संबंध में कोई खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ द्वारा जबलपुर में और इसके आसपास व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। जबलपुर के चुई हिल से प्रारंभिक क्रिटेसस (चाकमय) काल के पौधों (लगभग 110 मिलियन वर्ष पुराने) की जानकारी मिली है। इन वनस्पतियों में टेरिडोफाइट्स (क्लैडोफ्लोबिस और स्फेनोप्टेरिस) तथा जिमनोस्पर्म्स (अरौकैरिटेस, इलैटोक्लैडस, पैचिप्टेरिस, टिलोफाइलम, आदि) शामिल हैं। ये पौधे अब विद्यमान नहीं हैं और विलुप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के विशेषरूप से दिंदोरी और मांडला जिलों से बड़ी संख्या में 65 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पौधों की जानकारी मिली है और इस संस्थान ने जबलपुर के लगभग 80 कि.मी. पूर्व शाहपुरा के निकट घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थापित करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

3555. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तहत प्रत्येक परियोजना को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न जिलों में परियोजनाएं पूरी होने के लिए लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर केरल में अलप्पूझा के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देरी के कारण हैं और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) राष्ट्रीय पेजयल मिशन नामक पेयजल प्रबंधन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में बनाया गया था। इसे 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम.) नाम दिया गया। इसके अंतर्गत, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के तहत ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत क्षेत्र सुधार परियोजनाओं तथा स्वजलधारा परियोजनाओं को छोड़कर राज्यों द्वारा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की निधियों से कार्यान्वित की जा रही पेयजल परियोजनाओं तथा उनकी स्थिति का केन्द्रीय स्तर का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं 1999 से शुरू की गई हैं।

(ख) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश में अब तक 540 जिलों में टी.एस.सी. परियोजनएं स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत एवं जारी निधियों के परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2002-03 में स्वीकृत क्षेत्र सुधार परियोजनाओं तथा स्वजलधारा परियोजनाओं और 1999 में स्वीकृत टी.एस.सी. परियोजनाओं को छोड़कर राज्यों द्वारा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की निधियों से कार्यान्वित की जा रही पेयजल परियोजनाओं तथा उनकी स्थिति का केन्द्रीय स्तर पर ब्यौरा नहीं रखा जाता है। वर्ष 2002-03 में केरल के अलप्पूझा जिले के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी। वर्ष 2001-02 मे अलप्पूझा जिले के लिए टी.एस.सी. परियोजना स्वीकृत की गई है जिसका परिव्यय 1656.13 लाख रु. है और केन्द्रीय हिस्सा 1100.05 लाख रु. है, जिसमें से अब तक 660.04 लाख रु. जारी किए गए हैं। टी.एस.सी. परियोजना को पूरा होने में सामान्यतया 4-5 वर्ष लगते हैं और अलप्पूझा परियोजना एक कार्यान्वयनाधीन परियोजना है, इसलिए इस संबंध में कोई विलंब नहीं हुआ है।

विवरण-I

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों (सामान्य + मरुभूमि विकास कार्यक्रम + स्वजलधारा) के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष (2005-06) में किया गया आबंटन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24077.35
2.	बिहार	17556.74
3.	छत्तीसगढ़	5904.97
4.	गोवा	221.05
5.	गुजरात	13968.73
6.	हरियाणा	4101.69
7.	हिमाचल प्रदेश	11855.82
8.	जम्मू-कश्मीर	22973.60
9.	झारखंड	6334.61
10.	कर्नाटक	19808.99
11.	केरल	6170.65
12.	मध्य प्रदेश	17301.27
13.	महाराष्ट्र	31610.88
14.	उड़ीसा	14212.40
15.	पंजाब	4172.53
16.	राजस्थान	48614.72
17.	तमिलनाडु	13605.13
18.	उत्तर प्रदेश	28372.10
19.	उत्तरांचल	6559.12
20.	पश्चिम बंगाल	15246.90
21.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	34.38
22.	दादर व नगर हवेली	22.92
23.	दिल्ली	17.19

1	2	3	1	2	3
24.	पाण्डिचेरी	17.19	29.	मिजोरम	2831.58
25.	अरुणाचल प्रदेश	9993.61	30.	नागालैंड	2907.91
26.	असम	16851.29	31.	सिक्किम	1195.53
27.	मणिपुर	3430.93	32.	त्रिपुरा	3503.10
28.	मेघालय	3949.77		कुल	357424.65

विवरण-II

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित भाग			कुल परियोजना परिव्यय	जारी निधि (केन्द्रीय हिस्सा)
		केन्द्र	राज्य	लाभार्थी		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26940.92	9348.16	6618.82	42907.90	15965.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	985.58	283.64	158.49	1427.71	252.26
3.	असम	7774.95	2614.82	1728.6	12118.37	2353.51
4.	बिहार	21744.43	6793.79	4530.93	33069.15	5658.86
5.	छत्तीसगढ़	9393.4	3583.32	2083.4	15060.12	2647.46
6.	दादर व नगर हवेली	35.5	0	11.64	47.14	3.15
7.	गोवा	425.58	160.75	141.24	727.57	134.67
8.	गुजरात	15074.26	6920.44	5620.94	27615.64	4445.48
9.	हरियाणा	4684.29	2476.34	2448.81	9609.46	1562.35
10.	हिमाचल प्रदेश	2571.37	1011.79	597.9	4181.06	809.96
11.	जम्मू-कश्मीर	4387.38	1510.34	993.13	6890.85	1243.41
12.	झारखंड	18921.6	6658.47	4475.44	30055.51	5649.51
13.	कर्नाटक	20715.38	7327.48	4460.29	32503.15	6436.6
14.	केरल	6099.61	2724.34	2700.67	11524.62	3567.62
15.	मध्य प्रदेश	27588.22	9512.55	5653.15	42753.92	9290.64
16.	महाराष्ट्र	22162.99	10834.95	10071.74	43069.68	8384.16
17.	मणिपुर	505.48	270.46	263.61	1039.55	151.64
18.	मेघालय	737.91	431.79	400.59	1570.29	221.37

1	2	3	4	5	6	7
19.	मिजोरम	716.47	237.95	158.02	1112.44	212.92
20.	नागालैंड	572.32	162.52	100.97	835.81	214.81
21.	उड़ीसा	28411.17	9342.6	6219.65	43973.42	9583.23
22.	पांडिचेरी	158.06	0	90.84	248.9	94.84
23.	पंजाब	4271.4	2012.3	1506.64	7790.34	1183.09
24.	राजस्थान	24700.1	8750.11	4581.03	38031.24	6945.85
25.	सिक्किम	1268.86	408.41	259.61	1936.88	617.71
26.	तमिलनाडु	24350.32	10212.68	8162.37	42725.37	16171.63
27.	त्रिपुरा	2283.64	914.22	766.96	3964.82	2055.79
28.	उत्तर प्रदेश	33099.03	13792.53	11268.82	58160.38	17085.05
29.	उत्तरांचल	3434.4	1193.8	598.79	5226.99	799.91
30.	पश्चिम बंगाल	18798.13	6537.55	14883.34	40219.02	11030.96
	कुल योग	332812.75	126028.12	101556.43	560397.30	134773.77

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कोष

3556. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री काशीराम राणा :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत अनौपचारिक सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है जो कि इसे लाखों डालर भेजने वाले अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) से प्राप्त होती है, जिससे इस देश में गरीबी कम करने में मदद मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न क्वार्टरों से इन कोषों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कोषों के गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वर्ष 2006 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में कार्यरत भारतीयों ने वर्ष 2004 में अपने परिवारों को 21.7 बिलियन अमरीकी डालर भेजे जिससे भारत का स्थान शीर्षस्थ 20 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में सबसे उच्च हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ये निजी प्रेषण हैं। भारत से प्रवासियों की संख्या में वृद्धि उपभोग के साथ-साथ निवेशो/बचतों के लिए वर्धनकारी प्रेषणों में परिणामी हुई है।

अंतर्संस्थानी ग्रुप की स्थापना

3557. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के संबंध में किसी अंतर्संस्थायी ग्रुप का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस ग्रुप की कोई बैठक आयोजित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) 10वीं योजना में संभावित रूप से शुरू होने वाली निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय समापन को सुगम बनाने के लिए जनवरी, 2004 में एक अंत:सांस्थानिक समूह (आई.आई.जी.) गठित किया गया है। आई.आई.जी. ने विद्युत परियोजनाओं के प्रवर्तकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा विद्युत मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान किया है। आई.आई.जी. ने संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के जरिए त्वरित वित्तीय समापन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजनाओं के वित्तीय समापन में हासिल प्रगति की समीक्षा के लिए अब तक दस बैठकें आयोजित की गई हैं और अंतिम बैठक 27.09.2005 को आयोजित की गई थी। इनमें परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित विभिन्न ब्यौरे जैसे इक्विटी सुनिश्चित करना, विद्युत क्रय समझौतों के ब्यौरे, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) द्वारा प्राप्त ईंधन लिंकेज तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों के अन्य मूल्यांकन मानदंडों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क मामले

3558. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्राधिकरणों में 31 मार्च, 2004 तक 23,276 करोड़ रु. के उत्पाद शुल्क के लगभग 55,000 मामले लंबित पड़े थे;

(ख) क्या लगभग 8369 मामले पांच वर्ष से अधिक से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों के तीव्र न्यायनिर्णयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए समय निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट सं. 2005 का 11 (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) के अनुसार विभिन्न प्राधिकरणों में, जिनमें विभागीय अधिकारी, आयुक्त (अपील), अधिकरण, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय शामिल हैं, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 23,275.77 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क संबंधी कुल 54,560 मामले अंतिम रूप दिए जाने हेतु लंबित थे। इनमें से 8369 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(ग) विभिन्न प्राधिकरणों में लंबित मामलों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। एक तरफ पुराने मामले निपटाए जाते हैं दूसरी तरफ नए मामले आ जाते हैं। मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(i) विभिन्न प्राधिकरणों में लंबित मामलों की सतत निगरानी।

(ii) मामलों के निपटान/शीघ्र सुनवाई हेतु विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में आवेदन दाखिल करना।

(iii) विभागीय न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा सुनवाई की अधिकतम तीन स्थगनों की सीमा निर्धारित करके मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु विधायी उपबंध किए गए हैं।

(iv) अपील मामलों के निपटान तथा संबंधित राजस्व की वसूली की देखरेख, निगरानी तथा समन्वयन हेतु कर बकाया वसूली प्रकोष्ठ जैसी एक समर्पित इकाई का सृजन किया गया है।

(v) विभागीय न्यायनिर्णयन अधिकारियों को न्यायनिर्णयन मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में यह उपबंध किए गए हैं कि जहां संभव हो वहां आयुक्त (अपील) तथा अधिकरण प्रत्येक अपील कर उसके दायर करने की तिथि से क्रमश: छह माह तथा तीन वर्ष की अवधि के अंदर सुनवाई तथा निर्णय करेंगे। इस चरण पर कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लघु ऋण सुविधाएं

3559. श्री एल. गणेशन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उपभोक्तावाद की बढ़ती उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए छोटे किसानों को लघु ऋण सुविधाएं और लघु तथा मझोले उद्यमियों को उदार ऋण सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में प्रभावी ढंग से कार्यरत वित्तीय संस्थाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) संवितरित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार ने व्यष्टि ऋण की प्रभावी सुपुर्दगी हेतु कुछ उपाय किए हैं, जिनमें छोटे किसानों और लघु एवं मझौले उद्यमों को ऋण दिया जाना शामिल है। नाबार्ड के व्यष्टि वित्त विकास निधि का व्यष्टि वित्त विकास

एवं इक्विटी निधि के रूप में पुनर्गठन कर दिया गया है और इसकी मूल निधि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। निधि के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों को प्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली ज्ञान वाले पेशेवर विशेषज्ञों वाला सलाहकार बोर्ड बनाया गया है। गैर-सरकारी संगठन - व्यष्टि वित्त संस्थाओं को बाहरी वाणिज्यिक ऋण हेतु पहुंच प्रदान करने की अनुमति देते हुए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए ऋण में वृद्धि हेतु 10 अगस्त, 2005 में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्ष की अवधि में इन उद्यमों को दुगुना ऋण देना शामिल है।

(ख) नाबार्ड एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्रमश: कृषि और लघु एवं मझौले उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं।

(ग) आंकड़ा प्रबंधन सूचना प्रणाली में विशेषत: व्यष्टि ऋण के जरिए लघु एवं मझौले उद्यमों को दिए गए ऋणों के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अग्रिम

(राशि हजार में)

राज्य/क्षेत्र	मार्च 2003	मार्च 2004		
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5
हरियाणा	45870	20768307	46313	2073619
हिमाचल प्रदेश	17784	2267445	17963	2909928
जम्मू-कश्मीर	6778	1535320	7882	1886422
पंजाब	99095	40052565	99640	49506933
राजस्थान	63410	18404037	57663	26864293
चण्डीगढ़	3162	3579328	3331	3890335
दिल्ली	32708	44432489	28764	43924710
उत्तरी क्षेत्र	268807	131039491	261556	142056240
असम	22412	2569034	25419	3257093
मणिपुर	3335	220815	2741	231665
मेघालय	2863	280534	3211	342660
नागालैंड	2093	209671	2294	229582
त्रिपुरा	7546	301810	7351	299431
अरुणाचल प्रदेश	609	62200	669	65777
मिजोरम	949	84709	1054	97877
सिक्किम	2556	27025	378	51387
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	42363	3755798	43117	4575472
बिहार	99377	6009261	89544	5928170
झारखंड	34511	5045429	37049	6358953
उड़ीसा	50088	7107841	42247	8584646
पश्चिम बंगाल	319255	3544260	384499	38470678
अंडमान एवं निकोबार	488	73926	805	227973
पूर्वी क्षेत्र	503719	53680717	554144	59570420
मध्य प्रदेश	75440	14217392	52712	17151905
छत्तीसगढ़	15621	4710351	14579	5369700
उत्तर प्रदेश	181003	42038845	177325	46517727
उत्तरांचल	9860	3206186	9274	2627080
मध्य क्षेत्र	218924	64172774	253890	71536412
गुजरात	53412	29821866	56335	34888593
महाराष्ट्र	96551	100714215	79802	107686758
दमन एवं दीव	70	89644	362	231008
गोवा	3122	1875644	3077	1455856
दादर एवं नगर हवेली	146	128324	316	136507
पश्चिमी क्षेत्र	153301	13262693	139892	144393722
आंध्र प्रदेश	110751	36590677	70564	37339573
कर्नाटक	67567	28771099	66396	3469058
केरल	94610	16066805	96413	17165157

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	197640	59332804	222201	71172364
पांडिचेरी	1123	419235	1326	607713
लक्षद्वीप	18	1096	23	2319
दक्षिणी क्षेत्र	471709	141181716	456923	160981184
समस्त भारत	172183	526460189	1709522	583113450

केरल को धनराशि का आबंटन

3560. श्री टी.के. हमजा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा केरल राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) केरल सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग को दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 11वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा धनराशि के आबंटन में बढ़ोत्तरी/कमी, यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अब तक योजनावार आबंटित और उपयोग की गयी धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-2005) और बारहवें वित्त आयोग (2005-2010) द्वारा केरल राज्य को क्रमशः कुल 12525.22 करोड़ रुपए और 19607.72 करोड़ रुपए की निधियां आबंटित की गईं।

(ख) केरल राज्य सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग को दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) प्रत्येक वित्त आयोग राज्यों के संसाधनों और देनदारियों का विस्तृत आकलन करने के बाद अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों को अन्तरित किए जाने वाले सम्पूर्ण संसाधनों की प्रमात्रा निर्धारित करने के लिए अपने निजी मानक एवं मानदण्डों को अपनाता है। इस प्रकार विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों में राज्यों के शेयर में परिवर्तन होता है।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों को निधियां जारी करते हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संगत मार्गनिर्देशों के अनुसार निधियों के उपयोग पर भी निगरानी रखी जाती है।

विवरण

बारहवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन का सार

जहां तक करों में शेयर का संबंध है तीन मानदण्डों को निम्नलिखित महत्व दिया जाए अर्थात् जनसंख्या 80 प्रतिशत, कर प्रयास 10 प्रतिशत और राजकोषीय सुधार 10 प्रतिशत।

- अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान के संबंध में नीचे दर्शाए गए अनुसार तीन चरणों में अनुप्रयोगों की सिफारिश की जा सकती है।

चरण I : राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे को कवर किया जाए और शेष को केन्द्रीय करों के शेयरों के वितरण के बाद।

चरण II : तत्पश्चात् योजना राजस्व घाटे को कवर किया जाए और शेष को योजना अनुदानों और गैर-योजना राजस्व अधिशेष, यदि कोई हो, को लेखे में लेने के बाद ही।

चरण III : राज्यों में प्रति व्यक्ति सकल राजस्व लेखा अधिशेषों में अत्यधिक व्यापक रेंज को सही करने के लिए उपयुक्त अनुदानों की व्यवस्था करना ताकि कमजोर राज्य भी पूंजी निवेश हेतु उचित राजस्व लेखा अधिशेष रख सकें।

- भविष्य में योजना सहायता केवल अनुदानों के रूप में ही दी जाए। जहां तक भारत सरकार से लिए गए ऋणों का संबंध है केरल जैसे राज्यों, जिन्होंने मानव विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में अधिकांश निधियों का उपयोग किया है; के संबंध में पिछली योजना योजना ऋण देनदारी को बट्टे खाते डाला जाए।
- भविष्य में राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के ऋण हिस्से और आपसी बातचीत के आधार पर तयशुदा ऋणों को बंद किया जा सकता है और इसके बदले प्रत्येक राज्य के लिए नियत सीमा के साथ खुले बाजार ऋण में पर्याप्त वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ-साथ खुले बाजार से केन्द्र द्वारा ऋण को कम किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय बचत को नीचे लिखे अनुसार पुनः तैयार किया जाए;
  - राज्य सरकारों को दिए गए बकाया राष्ट्रीय ऋणों के 50 प्रतिशत की माफ किया जाए;
  - भविष्य में निवल संग्रहों के प्रवाह 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होने चाहिए। यह लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि के भीतर हासिल किया जाए जिसमें प्रथम वर्ष ऋण 90 प्रतिशत से शुरू होगा और आगे के चार वर्षों में

प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से घटाया जाएगा और इसी प्रकार से अनुदान भाग को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

– पाँच वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तब तक, इस स्कीम के तहत प्राप्त की गयी निधियों की लागत को युक्तिसंगत बनाने की विधि तैयार की जा सकेगी, ताकि इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा ऋण तथा अनुदान के रूप में प्राप्त राशि में बढ़ोत्तरी के समान में उचित ठहराव लाया जा सके।

• स्थानीय निकायों हेतु निधियों के बारे में विशेष सुझाव निम्नवत हैं :-

– स्थानीय सरकारों हेतु निर्धारित की गई राशि के एक भाग को उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है जो स्थानीय सरकारों में मूलभूत राजकोषीय और प्रशासनिक सुधारों को शुरू करने के इच्छुक हों।

– उन राज्यों को विशेष सहायता दी जा सकती है जो क्षमता निर्माण के विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक प्रणालियों को पुनर्निर्मित करने के मामले में अभी काफी पीछे हैं।

– चूंकि यह महसूस किया गया है कि व्यावसायिक कर बहुत ही अच्छा स्थानीय कर हो सकता है। इसलिए व्यावसायिक कर पर लगी रोक को हटाने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे पुनः शुरू किया जाए।

– राज्य वित्त आयोग की स्थापना को सिंक्रोनाइज करने की दृष्टि से 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों को संशोधित रूप में इस प्रकार से पुनः जारी किया जाए ताकि उसके गठन में राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग बनाने के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग के अधिनिर्णय की समाप्ति के 30 माह पूर्व से ही राज्य वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित करें तथा सिफारिशों का पूरी करने के लिए राज्य सरकारें छह महीने का समय निर्धारित करें। इससे केन्द्रीय वित्त आयोग का कार्य और आसान हो जाएगा।

• आपदाओं से निपटने संबंधी तैयारियों और आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष की स्थापना की है।

• हमारा मानना है कि ज्यादा नियमपरक और वास्तविक पूर्वानुमान और अंदाजा लगाने के क्रम में और ज्यादा विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत है और इसलिए हमारा सुझाव है कि वित्त आयोग इस दिशा में एक स्वतंत्र प्राधिकरण की सिफारिश करे जो कम से कम अगले वित्त आयोग के लिए निर्धारित प्राचल और आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रबंध सुनिश्चित करे। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि और संस्थागत व्यवस्था का सुझाव दिया जा सकता है।

खनिजों की खोज

3561. श्री उदय सिंह : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय/निजी कंपनियों को देश में खनिजों की खोज का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इन कंपनियों द्वारा निवेश की गयी धनराशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की धारा 5(1) के अंतर्गत केवल किसी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) के अंतर्गत भारत में पंजीकृत किसी कम्पनी को खनिजों के गवेषण अथवा खनन के लिए टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान किया जा सकता है। खान मंत्रालय द्वारा खनिज गवेषण के लिए अनुमोदित टोही परमिटों का कम्पनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और खान मंत्रालय द्वारा एम.एम.डी.आर. एक्ट की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के संबंध में केवल पूर्व अनुमोदन दिया जाता है, अतएव इन कम्पनियों द्वारा खनिजों के गवेषण में निवेश की गई धनराशि के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	आवेदक का नाम	इनके पक्ष में अनुमोदित टोही परमिटों की संख्या
1	2	3
1.	मै. अडमास इंडिया प्रा. लि.	5
2.	मै. डी-बीयर्स इंडिया प्रोस्पैकटिंग प्रा. लि.	16
3.	मै. ए.सी.सी. रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि.	22

1	2	3
4.	मै. जियो मैसूर सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.	24
5.	मै. डेकॉन गोल्ड माइंस लि.	1
6.	मै. डी. बीयर्स इंडिया सर्वेज प्रा. लि.	4
7.	मै. इंडोफिल रिर्सोसेज एक्सप्लोरेशन सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.	3
8.	मै. एमिल माइनिंग इंडिया प्रा. लि.	13
9.	मै. मेटमीन फाइनेंश एण्ड होल्डिंग प्रा. लि.	8
10.	मै. डी-बीयर्स इंडिया मिनरल्स प्रा. लि.	3
11.	मै. हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लि.	4
12.	मै. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड	5
13.	मै. फेल्पस डॉज एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि.	10
14.	मै. फेल्पस डॉज-मेटडिस्ट माइनिंग इंडिया प्रा. लि.	7
15.	मै. पासमिनको एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.	5
16.	मै. रामगढ़ मिनरल्स एण्ड माइनिंग प्रा. लि.	2
17.	मै. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	4
18.	मै. लेक रिर्सोसेज होल्डिंग इंडिया प्रा. लि.	3
19.	मै. बी.एच.पी. मिनरल्स इंडिया प्रा. लि.	13
20.	मै. बी.एच.पी. खनिज अन्वेषण प्रा. लि.	15
21.	मै. एंग्लो अमेरिकन एक्सप्लोरेश्न (इंडिया) प्रा. लि.	13
22.	मै. मिनप्रो कॉर्पोरेशन	2
23.	मै. डी-बीयर्स इंडिया प्रा. लि.	2
24.	मै. बी. विजय कुमार टेक्नीकल सर्विसेस प्रा. लि.	1
25.	मै. मीरा एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.	1
26.	मै. इम्परर ग्रेनाइट प्रा. लि.	2
27.	मै. क्रिस्टल स्टोन इनकॉरपोरेशन	1
28.	मै. डब्ल्यू एस.आई.एल. मिनरल सैण्ड इंडिया प्रा. लि.	1
29.	मै. मेटल माइनिंग इंडिया लि.	2
30.	मै. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	2
31.	मै. आदि गोल्ड माइनिंग प्रा. लि.	1
32.	मै. क्राउन माइनिंग प्रा. लि.	2
33.	मै. हीरा कुण्ड डायमण्ड एक्सप्लोरेशन प्रा. लि.	1
34.	मै. सी.आर.ए. एक्सप्लोरेशन (इंडिया) प्रा. लि.	4
	कुल	202

[हिन्दी]

काष्ठ हस्तशिल्प हेतु पैकेज

3562. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषत: राजस्थान में काष्ठ निर्मित हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने हेतु किसी पैकेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) काष्ठ निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का कोई विशेष पैकेज नहीं है। तथापि, काष्ठ निर्मित हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर (राजस्थान) में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) के माध्यम से एक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में आधुनिक उत्पादन तकनीकों की सुविधाएं हैं और यह उत्कृष्ट उपस्करों और उपकरणों आदि से सज्जित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान राज्य सहित देश में, हस्तशिल्प के विकास और संवर्धन के लिए सरकार की वर्तमान स्कीमें काष्ठ निर्मित हस्तशिल्प सहित इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

3563. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत पारेषण में निजी निवेश हेतु एक प्रारूप नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि प्रारूप नीति विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के खिलाफ है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त आशंकाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विद्युत पारेषण में निजी निवेश हेतु प्रारूप नीति को कब तक अन्तिम रूप दिया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) पारेषण क्षेत्र में निजी भागीदारी को सुगम बनाने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय पारेषण में निजी निवेश के लिए "नीतिगत दिशानिर्देश तथा पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली" संबंधी दिशा-निर्देश को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) प्रारूप नीतिगत दिशा-निर्देशों पर सभी स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। कुछ राज्य सरकारों/केन्द्रीय एवं राज्य यूटिलिटियों/निजी इकाइयों तथा विनियामक आयोगों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने से पूर्व इन टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।

ऊर्जा नीति बोर्ड

3564. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पूरे देश में एक समेकित ऊर्जा नीति लागू कराने के लिए एक पूर्णकालिक ऊर्जा नीति बोर्ड (ई.पी.बी.) की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ई.पी.बी. की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं;

(ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के नए तरीके ईजाद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने, इसको क्रियान्वित तथा मॉनीटरिंग करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं राजस्वीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिनमें पूंजीगत/ब्याजगत सब्सिडी, त्वरित अवमूल्यन, करों एवं शुल्कों से छूट शामिल हैं। इसके अलावा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, जिसमें हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल, जैव ईंधन आदि शामिल हैं, में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

जल विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना

3565. श्री टेक लाल महतो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड के गिरिडीह जिला के भेल पहरी में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। झारखंड राज्य के गिरीडीह जिले में भेल पहरी में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अबतक किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच कार्य नहीं किया गया है।

(ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तथा तत्पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करने के बाद ही परियोजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

3566. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्राम पंचायतों के कार्यकरण में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में हस्तक्षेप के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायतें अभी भी वित्तीय सहायता हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) पर निर्भर हैं;

(ग) यदि हां, तो ग्राम पंचायतों को डी.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंचायतों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और स्वतंत्र बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं। ग्राम पंचायतों के कार्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के हस्तक्षेप के संबंध में इस मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से (घ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत, डी.आर.डी.ए. के माध्यम से ग्राम पंचायतों, मध्यस्तरीय

पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच संसाधनों का आबंटन 50:30:20 के अनुपात में किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान, कार्यक्रम का केन्द्रीय आबंटन 5396.50 करोड़ रु. है और राज्य आबंटन 1798.83 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, 35.33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न कार्यक्रम के लिए आवंटित किया गया है। कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कुल संसाधनों में से 50% ग्राम पंचायतों के लिए है। कार्यों के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं को तैयार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायतों सहित) स्वतंत्र हैं। ग्राम स्तर पर, कार्यक्रम, के समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग से संबंधी संपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक

3967. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की शाखा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए नई ऋण नीति

3568. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए किसी नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी बैंकों के परिसंघों ने इस नीति के विरोध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों पर अपना सांविधिक नकदी अनुपात बनाए रखने हेतु सहकारी बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष अप्रैल/मई के महीने में वार्षिक नीति संबंधी विवरण तथा अक्तूबर के महीने में वार्षिक नीति संबंधी विवरण की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा करता है। इन नीति संबंधी विवरणों में शहरी सरकारी बैंकों (यू.सी.बी.) से संबंधित मुद्दे भी निहित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नांकित घोषणाएं की हैं जो यू.सी.बी. पर भी लागू होती हैं :

(i) इकाई बैंकों तथा 100 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक की जमाराशि आधार के साथ एक ही जिले के अंतर्गत बहु-शाखा वाले यू.सी.बी. तथा एक से अधिक जिले में परिचालित अन्य सभी यू.सी.बी. के लिए "मानक आस्तियों" को विद्यमान 0.25% से बढ़ाकर 0.40% तक करने का प्रावधान है।

(ii) यू.सी.बी. सहित सभी बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना अतिरिक्त सुविधा वाले खातों की सुविधा का अधिक प्रचार करें ताकि अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) यू.सी.बी. को मुद्रा पेटिका/अधिकृत व्यक्ति लाइसेंस की सुविधा देना।

(iv) विलय किए जाने वाले वर्ष के साथ पांच वर्षों से अनधिक अवधि में अधिगृहीत यू.सी.बी. की हानियों को परिशोधित करने के लिए यू.सी.बी. को अधिगृहीत करने वाले को अनुमति प्रदान करना।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वर्ष 2001 के शेयर बाजार घोटाले से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) के निदेशकों/कर्मचारी निदेशक/चुने गए निदेशकों को ऋण/अग्रिम देने पर पाबंदी लगा दी थी। विभिन्न प्राप्त अभ्यावेदनों तथा आर.बी.आई. की सिफारिशों के आधार पर यू.सी.बी. द्वारा उनके निदेशकों के लिए ऋण तथा अग्रिमों की मंजूरी पर लागू पाबंदी के संदर्भ में निम्नांकित मामलों में छूट प्रदान की गई है :

(i) यू.सी.बी. के निदेशक मंडल में कर्मचारी निदेशकों के लिए नियमित कर्मचारी से संबंधित ऋण।

(ii) सहकारी बैंकों के वेतन प्राप्त करने वाले बोर्ड के मामले में सदस्य निदेशकों के लिए यथा प्रयोज्य सामान्य ऋण।

(iii) बहु-राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के लिए सामान्य कर्मचारी से संबद्ध ऋण।

(ङ) और (च) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, यू.सी.बी. को अपनी सांविधिक चलनिधि धारिता के भाग के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को बनाए रखना अपेक्षित है जो निम्नांकित हैं :

यू.सी.बी. की श्रेणी	निवल मांग एवं समय देयताओं के प्रतिशत के रूप में सरकार में धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
1	2
(i) अनुसूचित यू.सी.बी.	25%
(ii) 25 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि वाले गैर-अनुसूचित यू.सी.बी.	15%
(iii) 25 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले गैर-अनुसूचित यू.सी.बी.	10%

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास हेतु सहायता

3569. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004-05 के दौरान गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थानों के विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राज्य सरकार को उक्त केन्द्रीय सहायता कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 410.77 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 311.00 लाख रु. की रिलीज अनुमोदित की है। वर्ष 2004-05 में धन की कमी की वजह से केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की जा सकी थी। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उत्तर परदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त के रूप में 238.27 लाख रु. की धन राशि रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं हेतु दिशानिर्देश

3570. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्यमियों द्वारा अपने उद्योग शुरू करने के लिए उन्हें ऋण देने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं हेतु कोई दिशानिर्देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न प्रकार के उद्यमियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश अपनाए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 20 मई, 2005 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंकों से कहा है कि वे "लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों (एस.ई.एफ.सी.)" के लिए योजना के शीघ्र कार्यान्वयन को शुरू करें। इस योजना के तहत, बैंकों को अपनी शाखाओं तथा सिडबी की उन शाखाओं के बीच बेहतर सहयोग के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, जिन शाखाओं का लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए समूहों में सिडबी तथा अनुकूल साझेदार बैंक द्वारा किए जाने वाले परस्पर सहमति वाले परिचालनात्मक तौर-तरीके के आधार पर एम.एम.ई. क्षेत्र (अत्यंत लघु एवं सेवा क्षेत्र सहित) को सह-वित्त पोषित करने के लिए पता लगाया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने शुरुआत में 149 समूहों में इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया था तथा इन्होंने अब तक 9 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र क्षेत्र को सहायता

3571. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पवन ऊर्जा से चलने वाली वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए तमिलनाडु अथवा अन्य राज्यों को कोई अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पवन ऊर्जा के प्रयोग द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विंड टर्बाइन वस्त्र उद्योग का भाग नहीं है, अत: सरकार द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं।

ऊर्जा पार्क

3572. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुन: प्रयोज्य ऊर्जा की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए तमिलनाडु में ऊर्जा पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी के फार्मूले का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकारी/निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु प्रस्तावों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपनी ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 1.28 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ 44 जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों को मंजूर किया गया है।

(ग) ऊर्जा पार्क योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित राज्य में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क तथा प्रत्येक जिले के लिए दो जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों को सहायता दी जाती है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों के लिए भूमि तथा सिविल कार्य की लागत को छोड़कर अधिकतम 1.0 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिले में पहले ऊर्जा पार्क हेतु 75% तथा दूसरे पार्क के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों को 10 लाख रु. के परिव्यय के साथ मंजूर किया जाता है। तथापि, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में लागत का 90% उपलब्ध कराया जाता है। शेष लागत की भागीदारी लाभार्थी एजेंसी/संस्था द्वारा की जाती है।

औषधीय प्रयोग हेतु पुष्पकृषि

3573. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सुगंधित तथा औषधीय प्रयोग में आने वाले पुष्पों की कृषि के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में देश में किसी तकनीकी केन्द्र की स्थापना की गई है;

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों के विपणन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान देश में सुगंध और औषधीय प्रयोग के लिए उपयुक्त पुष्पों में सुधार करने, उनकी खेती करने और कटाई के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (सी.एस.आई.आर.) के कुछ संघटक प्रयोशालाएं जैसे केन्द्रीय औषधीय और सुगंधीय पादप संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.) लखनऊ, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर.आर.एल.), जम्मू, आर.आर.एल., भुवनेश्वर, आर.आर.एल. जोरहाट और हिमालयी जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.बी.टी.), पालमपुर किसानों को खेती पर प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सुगंध और औषधीय प्रयोग के लिए उपयुक्त पुष्पों में सुधार और अनुप्रयोग पर अनुसंधान कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने औषधीय और सुगंधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए आनन्द, गुजरात में औषधीय और सुगंधीय पादपों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की है। लघु उद्योग मंत्रालय ने क्षेत्र की विशिष्ट फसलों के लिए अपने 5 समूह केन्द्रों जो राजस्थान में झालावाड़ और धौलपुर, उड़ीसा में गंजम, बिहार में पटना और उत्तरांचल राज्य में नैनीताल में स्थित हैं के साथ उत्तरप्रदेश, कन्नौज में फ्रेगरेंस और फ्लेवर डिवलपमेंट सेंटर (एफ.एफ.डी.सी.) की भी स्थापना की है। केन्द्र के मुख्य उद्देश्य सुगंधीय पादपों की खेती और इसके प्रसंस्करण में लगे किसानों और उद्योगों की सेवा करना, उन्हें जीवित देखना और उनका स्तरोन्नयन करना है ताकि उच्च उपज वाले सुगंधीय पादपों की शुरूआत करने के लिए कृषि तरीकों को अपनाकर, पोस्ट-हारवेस्ट प्रौद्योगिकी भंडारण, पैकेजिंग, सैम्पलिंग, विपणन, जांचों पर मार्गनिदेश प्रदान करके और कच्ची सामग्री और उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान करके उन्हें स्थानीय और वैश्विक बाजारों दोनों में प्रतियोगी बनाया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी.बी.टी.) ने सी.आई.एम.ए.पी., लखनऊ में दामस्क रोज और फारेथरम के प्रसंस्करण सहित उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की खेत प्रदर्शन पर और आर.आर.एल., भुवनेश्वर में केवड़ा के उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म की पहचान करके और उनकी प्रवर्धन तकनीकों का विकास करके अभी हाल ही में दो परियोजनाएं पूरी की है।

(ङ) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) औषधीय पादपों की मांग/उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने के एक प्रस्ताव है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसिड फूड प्रोड्क्टस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट आथोरिटी (ए.पी.ई.डी.ए.) के सहयोग से विदेश बाजार में निर्यात की मात्रा/स्वरूप का अध्ययन करने के लिए एक प्रस्ताव को हाथ में लिया गया है।

[हिन्दी]

स्वरोजगार तथा ग्रामीण विकास

3574. श्री गणेश सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कौन-कौन से सामाजिक संगठन हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उनमें से प्रत्येक विशेषकर दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट द्वारा किए गए कार्यों के अध्ययन हेतु एक केन्द्रीय दल भेजने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेशम नगर

3575. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम (सिल्क टाउन्स) नगरों की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. 10वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादक कृषकों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 181.00 करोड रु. का प्रावधान किया गया है;

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से सहायता लेकर नई द्विफसलीय प्रजातियां विकसित की है। इन प्रजातियां के वाणिज्यिक उपयोग से देश में द्विफसलीय शहतूती अपरिष्कृत रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मानक के आयात प्रतिस्थापन ग्रेड का उत्पादन हुआ है;

3. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अपने आर.एंडडी. प्रयासों से द्विफसलीय रेशम कीटों के उष्णकटीबंध में जानकारी प्राप्त की है और उच्च पैदावार वाले शहतूती पौधों की नई किस्में विकसित की हैं जिनके परिणामस्वरूप रेशम उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

4. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के गुणवत्ता वाले द्विफसलीय रेशम का व्यापक स्तरीय उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बहुउद्देश्यी रीलिंग एकक विकसित किए हैं। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन उन्नत मशीनों को पूरे देश में महत्वपूर्ण रीलिंग समूहों में रीलरों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है और ये मशीनें केंद्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रीलिंग पैकेज का प्रयोग कर अच्छे ग्रेड की गुणवत्ता वाली अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन कर रही है;

5. मोटरीकृत रेशम रीलिंग/कताई मशीनों को शामिल किए जाने और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना से गैर-शहतूती क्षेत्र में यार्न और फैब्रिक्स की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। सी.एस.बी. ने गैर-शहतूती क्षेत्र में नए डिजायन विकसित किए हैं और उन्हें "वन्य रेशम" ब्रांड के अधीन लोकप्रिय बनाया जा रहा है;

6. सी.एस.बी. ने भारतीय रेशम मार्क संगठन (एस.एम.ओ.आई.) के माध्यम से "सिल्क मार्क" योजना शुरू की है, जो शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादों के लिए हालमार्क और रेशम उत्पादों की शुद्धता की गारंटी है। सिल्क मार्क योजना घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम के ब्रांड संवर्द्धन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

7. सी.एस.बी. ने नेशनल कमोडीटीज एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एन.सी.डी.ई.एक्स.) के माध्यम से हाल ही में कोकून और कच्ची रेशम की फ्यूर्यस टेड्रिंग शुरू की है जिसका देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने में मूल्य के उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रभावीरूप से एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

8. अपरिष्कृत रेशम के आयात को ओजीएल के तहत लाकर उदारीकृत किया गया है इससे अच्छी गुणवत्ता की रेशम की उपलब्धता बढ़ी है और उससे विनिर्माता निर्यात योग्य गुणवत्ता के सामानों को तैयार कर पा रहे हैं।

9. निर्यातकों के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.बी.), शुल्क वापसी, शुल्क मुक्त पुन: पूर्ति प्रमाण-पत्र (डी.एफ.आर.सी.) जैसी कई योजनाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिससे उन्हें निर्यातित मदों पर कर की प्रतिपूर्ति की जाती है।

10. सरकार ने निर्यातकों को प्रदान की गई एक्जिम नीति के तहत विर्निदिष्ट मूल्य वर्धन/इनपुट-आउटपुट मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है।

11. सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, टेक्सटाइल्स इंडिया जैसे घरेलू मैलों में जेनेरिक संवर्धन में प्रचार, "सिल्क इंडिया" पत्रिका का प्रकाशन एवं घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग भविष्यवाणी कार्ड, निर्यातकों के मध्य विदेश व्यापार संबंधी सूचना का प्रसार-प्रचार आदि जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

12. उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए, रेशम क्षेत्र के लिए अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत लागू दर से 5% कम दर पर ऋण उपलब्ध है; और

13. बजट 2004-05 में रेशम प्रसंस्करण मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क 5% तक घटा दिया गया है। इस प्रकार इस मशीनरी की कम कीमत पर उपलब्धता आसान बनाई गई है।

भविष्य में ईंधन के रूप में बायो डीजल

3576. श्री बालासाहेब विखे पाटील : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में ईंधन के रूप में कुछ संगठनों द्वारा बायो डीजल पर किए गए नए प्रयोगों पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर धन खर्च करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित किया है जिनके अंतर्गत बायो-डीजल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय द्वारा बायो-डीजल पर प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आई.आई.टी., दिल्ली, आई.आई.पी., देहरादून और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली को प्रायोजित की गई हैं। आई.आई.टी., दिल्ली की अनुसंधान एवं विकास परियोजना में पोंगामिया पिन्नाटा (करंज) तेल से बायो-डीजल के उत्पादन हेतु प्रक्रिया स्थितियों की तैयारी तथा विकास और प्रयोगशाला में विकसित बायो-डीजल के डीजल इंजन एवं डीजल कार में उपयोग के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं। आई.आई.पी., देहरादून को प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना में जटरोफा करकास (रतनजोत) तेल से बायो-डीजल के उत्पादन की प्रक्रिया और डीजल-कार में इसके अनुप्रयोग के मूल्यांकन का अध्ययन किया जा रहा है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अनुसंधान एवं विकास परियोजना में ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु एक बायो-डीजल रिएक्टर का विकास किया जा रहा है।

भूकम्प जोन

3577. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकम्प संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए देश को दो अलग-अलग भूकम्प जोनों में विभाजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन जोनों को सबसे अधिक सक्रिय पाया गया है तथा ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जो इन जोनों के अंतर्गत आते हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) पूर्व में आए भूकंपों, उनकी तीव्रता तथा किसी क्षेत्र की भूकम्पी विवर्तनिका (सिज्मोटेक्टोनिक्स) सहित विभिन्न वैज्ञानिक सूचनाओं के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों, अर्थात क्षेत्र-II से क्षेत्र-V में विभाजित किया गया है। क्षेत्र-V को भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है जबकि क्षेत्र-II को सबसे कम। व्यापक तौर पर क्षेत्र-V में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार के कुछ भाग और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र शामिल हैं। क्षेत्र-IV में जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात एवं राजस्थान के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र का छोटा सा क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र-III में

केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। देश के शेष हिस्से भूकंपीय क्षेत्र-II में आते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट

3578. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त उद्योगों की सूची क्या है;

(ख) ऐसी छूट देने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सूची में मदों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केवल केरल में स्थित होने के आधार पर केरल स्थित उद्योगों के लिए विशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीव विज्ञान संस्थान

3579. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से एक विश्व-स्तरीय जीव विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राजमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार से विश्वस्तरीय जीव विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पेट्रो उत्पादों से राजस्व

3580. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों पर वर्षवार कितने प्रतिशत शुल्क लगाया गया; और

(ख) अन्य उपभोक्ता उत्पादों की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण पर सरकार की क्या नीति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से होने वाली कुल राजस्व प्राप्ति में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए शुल्क की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05 (अनन्तिम)
कुल राजस्व में कच्चे तेल से प्राप्त राजस्व की प्रतिशतता	8.9	9.1	9.6
कुल राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त राजस्व की प्रतिशतता	26.6	27.3	26.5
कुल राजस्व में पेटोलियम क्षेत्र में प्राप्त कुल राजस्व की प्रतिशतता	35.5	36.4	36.1

(ख) पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य निर्धारण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का विषय है।

[अनुवाद]

बंजर भूमि और अतिरिक्त भूमि

3581. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उपलब्ध बंजर भूमि और अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी अतिरिक्त/बंजर भूमि को विकास और खेती हेतु भूमिहीन कामगारों, किसानों और व्यापारिक घरानों को देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जून, 2005 तक अधिकतम सीमा से फालतू 337 एकड़ भूमि उपलब्ध थी। तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध बंजरभूमि के बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकर के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि सुधारों के क्षेत्र में एक सलाहकार एवं समन्वयक की भूमिका अदा करता है। अधिकतम सीमा के फालतू भूमि तथा सरकारी बंजरभूमि राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन ग्रामीण कामगारों तथा किसानों सहित पात्र भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को वितरित की जाती है। ऐसी अधिकतम सीमा से फालतू भूमि/बंजर भूमि को विकास तथा खेती करने के लिए व्यापारिक घरानों को आबंटित करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव, यदि कोई हो, के बारे में इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

दामोदर वैली कारपोरेशन के विस्थापितों का पुनर्वास

3582. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :
श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) के 10 कि.मी. क्षेत्र की परिधि में आने वाले गांवों में रह रहे ग्रामीणों को सुदूर बसाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने गांवों को बसाया गया है;

(ग) क्या बसाए गए ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) डी.वी.सी. परियोजना द्वारा राज्यों के किन-किन जिलों में ग्रामीणों को बसाया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) 215 गांवों को पुन: बसाया गया है।

(ग) जी, हां। गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) ग्रामीणों को दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने झारखंड राज्य के हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिले में तथा प. बंगाल के बांकुड़ा जिले में बसाया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भू-भौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम

3583. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुत्व चुंबकीय विधियों का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भू-भौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने राज्य शामिल किए गए हैं; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने देश के गुरुत्व और चुम्बकीय विसंगति मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से, पिछले दो फील्ड सीजनों में प्रति 2.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को एक केन्द्र मानकर गुरुत्व और चुम्बकीय (वर्टिकल फील्ड) प्रणाली से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए हैं। इसमें भारतीय सर्वेक्षण के 350 टोपोशीट्स के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ग) उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंच से बाहर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, लगभग सभी राज्यों के क्षेत्रों को लिया गया है।

(घ) इस तरह तैयार किए गए मानचित्र खनिज गवेषण और उप-सतही ढांचागत अध्ययनों के लिए उपयोगी होंगे।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन

3584. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने स्टॉक-इनवेस्टमेंट स्कीम के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे अधिकारियों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टॉक निवेश योजना को 5 नवम्बर, 2003 से बंद करके वापस ले लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल बैंकिंग सेवा

3585. श्री पंकज चौधरी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री मुन्नी राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऐसे बैंकों में मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू करने के अनुदेश जारी किए हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां वे पूर्ण सुसज्जित शाखाएं खोलने में असमर्थ हैं, मोबाइल कार्यालय तथा सेटेलाइट कार्यालय खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे अनुरोधों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। तथापि इस संबंध में न तो कोई निर्देश जारी किए गए हैं और न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मॉडल कन्सेशन पैक्ट

3586. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोर सेक्टरों के लिए एक मॉडल कन्सेशन पैक्ट तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) अवसंरचना समिति ने निर्णय लिया है कि सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग विभाग, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय और सचिव, नौवहन विभाग की अध्यक्षता में गठित अन्तर-मंत्रालयीय दल (आई.एम.जी.) राष्ट्रीय राजमार्गों, विमानपत्तनों और पत्तनों के संबंध में अपने-अपने मंत्रालय/विभाग से संबंधित मॉडल रियायती करार (एम.सी.ए.) तैयार करेंगे।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एम.सी.ए. को अंतिम रूप दे दिया गया है और अवसंरचना समिति ने उसे अनुमोदित कर दिया है। विमानपत्तनों और पत्तनों के संबंध में एम.सी.ए. संबंधित आई.एम.जी. द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अतिरिक्त राशि को विदेशी बैंकों में जमा करना

3587. श्री सीता राम यादव :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपेक्षा करते हुए विदेशी बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) की अतिरिक्त राशि को रखने अथवा जमा करने की अनुमति देने का है जबकि प्रतिभूति घोटाले के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया और 1 अप्रैल, 2000 से लेकर आज की तारीख तक उनके लाइसेंसों को निरस्त करने सहित उनके विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) विदेशी बैंकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) की जमाराशियों को प्राप्त करने में समर्थ बनाने संबंधी शर्तों में छूट देने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण प्राथमिकता क्षेत्र

3588. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार को ग्रामीण ऋण दरों के संबंध में जमा राशि पर ब्याज सीमा लगाने और समान दर निर्धारित करने

की अपनी नीति को संशोधित करने का सुझाव दिया है क्योंकि उच्च समव्यवहार लागत और अतिरिक्त आवश्यकता बैंकिंग को गरीब ग्रामीणों के लिए अनाकर्षक बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार ऋण प्राथमिकता क्षेत्र पर पुनर्विचार करे क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट कोटे का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक की इन सिफारिशों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने "भारत के गरीब ग्रामीणों के लिए ऋण तक पहुंच में वृद्धि करना" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर, 2004) में कुछ टिप्पणियां की हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में उल्लेख है कि "सरकार के लिए एक प्रत्यक्ष क्षेत्र हो सकता है जहां वह ग्रामीण उधार दरों से संबंधित उच्चतम तथा जमाराशि दर पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए अपनी नीति को संशोधित कर सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्चतम एवं न्यूनतम ब्याज दर, जो भी तय की गई हो, पर विपरीत प्रभाव पड़ता है - "गरीब उधारकर्ता ऋण की पहुंच से दूर हो जाते हैं तथा उन्हें अनौपचारिक उधारदाताओं को अधिक ब्याज दर का भुगतान करना होता है। इसी बीच, बैंक अंतर्निहित कर (लागत) देते हैं जो महत्वपूर्ण है।"

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1994 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है। बैंक निधि लागत तथा इसमें शामिल जोखिम तत्व को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 2.00 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज की दर न्यूनतम मानदंड प्राथमिक उधार दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक न हो तथा 50,000/- रुपए तक का ऋण संपार्श्विक रहित हो। इसके अतिरिक्त भारतीय बैंक संघ ने वर्ष 2003 में सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को 50,000/- रुपए तक के फसल ऋणों पर 9% प्रतिवर्ष से अधिक ब्याज दर प्रभारित नहीं करने की सलाह दी है।

अक्तूबर, 1997 से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को अपने निदेशक मंडल/परिसंपत्ति-देयता प्रबंध समिति (ए.एल.सी.ओ.) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं वाली घरेलू सावधि जमाराशियों पर अपनी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्रता दी है। तथापि, बचत जमाराशियों (बचत बैंक खातों) पर ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण आवश्यकताओं पर निरंतर निगरानी रखते हैं तथा जब कभी भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो, कि कृषि, लघु एवं मझोले उद्यमों तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता हो, तो उपचारी उपाय करते हैं। आधारभूत सुविधा जैसे नए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे में शामिल करने की निरंतर मांग तथा ऐसे सुझाव, कि अर्थव्यवस्था के जरूरी क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किए जाने के कारण, फोकस कम हो रहा है, को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी विद्यमान नीति की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक कार्यदल स्थापित किया है।

[हिन्दी]

एन.जी.ओ. का राष्ट्रीय सम्मेलन

3589. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) ने 25 से 27 अप्रैल, 2005 तक नई दिल्ली में आयोजित गैर-सरकारी संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा अंगीकार की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त घोषणा के कार्यान्वयन के लिए अभी तक कितनी राशि मंजूरी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली घोषणा का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में आए बदलावों और प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भारत में गैर-सरकारी संगठन आन्दोलन को मजबूती प्रदान करना और कपार्ट के दायरे को विस्तृत करना रहा है ताकि इसे और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके तथा अन्य विकास एजेंसियों और संस्थाओं के साथ इसका और अधिक सहयोग सुनिश्चित किया जा सके और सूखा संभावित, बाढ़ प्रभावित, दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचा जा सके। दिल्ली घोषणा के अधिकांश उद्देश्य कपार्ट के विभिन्न कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं।

स्वरोजगार योजनाएं

3590. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वरोजगार योजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की संलिप्तता और जिम्मेदारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके से संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं की समीक्षा और तत्संबंधी कार्यान्वयन के कार्य की कारगर निगरानी और खातों के रख-रखाव हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) को एक अप्रैल, 1999 से ग्रामीण भारत में एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है।

(ख) और (ग) एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य सामाजिक जागरण, स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के तालमेल से आयसर्जक परिसंपत्तियों का प्रावधान कर सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को स्व-सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह ऋण आधारित योजना है जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी केवल सहायक घटक है।

एस.जी.एस.वाई. को पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, संबंधित विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से डी.आर.डी.ए. द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उम्मीद है कि जि.ग्रा.वि. एजेंसियां कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन में सहयोग करेंगी। पंचायती राज संस्थाएं योजना के कार्यान्वयन अर्थात् लाभार्थियों का निर्धारण एवं उनकी सूची का अनुमोदन, स्वरोजगारियों द्वारा किए गए बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान सहित उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी और प्रमुख क्रियाकलापों के चयन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(घ) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निगरानी की वृहत प्रणाली अपनाई गई है। कार्यक्रम की केन्द्र स्तर से लेकर निचले स्तर तक निगरानी की जाती है। केन्द्र स्तर पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करती है तथा एस.जी.एस.वाई. के लिए ऋण संपर्क से संबंधित सभी पहलुओं के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश बनाती है। ग्रामीण विकास विभाग की निष्पादन समीक्षा समिति भी एस.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर एक राजस्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। परियोजना निदेशकों की कार्यशाला तथा राज्य सचिवों के साथ आवधिक बैठकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। ब्लॉक/जि.ग्रा.वि. एजेंसी स्तर पर क्षेत्र दौरों और परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच के जरिए निगरानी का कार्य किया जाता है।

खातों के रखरखाव के संबंध में, जि.ग्रा.वि. एजेंसियों को वर्ष में खर्च के खाते रखने की जरूरत होती है और इनकी चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा परीक्षा करानी होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जि.ग्रा.वि. एजेंसियों को निधियों की दूसरी किस्त उनके द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र और खातों का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही रिलीज की जाती है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मानदंडों का उल्लंघन

3591. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री निखिल कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई विशेष आर्थिक क्षेत्र उन मूलभूत मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं जिनके अंतर्गत उनकी स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा मानदंडों के उल्लंघन की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों हेतु नियम बनाते समय इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय से चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो देश में राज्यवार कौन-कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ङ) इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा उल्लंघनकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के मानदंड प्रक्रिया पुस्तिका की परिशिष्ट 1411-ओ के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विहित किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

(ग) से (च) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वित्त मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित किए जाने हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2005 के प्रारूप में अपनी टिप्पणी भेजी हैं।

हथियार और गोलाबारूद का जब्त किया जाना

3592. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा में जीवित और प्रयुक्त हथियार और गोलाबारूद जब्त किया गया है;

(ख) संबंधित आयातकों के विरुद्ध प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रतिबंध के बावजूद अनश्रेडेड मैटेलिक अपशिष्ट के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये जीवित एवं प्रयुक्त हथियार एवं गोला बारूद का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	जब्त किए गए जीवित एवं प्रयुक्त हथियार एवं गोलाबारूद की संख्या	
	राइफल/पिस्टल	गोला-बारूद (संख्या + मीट्रिक टन)
2003-04	15	1068 सं. + 0.690 मीट्रिक टन
2004-05	04	15379 सं. + 55.577 मीट्रिक टन
2005-06	11	357 सं. + 193.449 मीट्रिक टन

(ख) सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदित मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जब्त किए गए माल की कुर्की करने तथा दंड लगाने का प्रस्ताव है। जहां जरूरत पड़ी वहां इनमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार अमंजित, संपीड़ित तथा श्लथ स्वरूप के धातु कबाड़ के आयात हेतु लादान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपेक्षित होता है तथा ये धातु कबाड़ विनिर्दिष्ट 26 पत्तनों पर आयातित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सिर्फ भंजित कबाड़ का आयात बंदर अब्बास, इरान के पत्तन से अनुमत्य है। इस प्रकार बंदर अब्बास, इरान से अमंजित, संपीड़ित या श्लथ स्वरूप के धातु कबाड़ का आयात अनुसत्य नहीं है।

आवासीय ऋण

3593. श्री अनिरुद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु यादव :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवासीय ऋण के संवितरण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने चालू वर्ष के दौरान आवासीय ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान बैंकों में आवासीय ऋण की धोखाधड़ी के कितने मामले सामने आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बैंक अपने स्व-मूल्यांकन एवं अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों के आधार पर आवास हेतु वित्त का आबंटन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जे.जे.आर.एच.एफ.एस.) के तहत चालू वर्ष अर्थात 2005-06 के लिए 2.75 लाख आवासीय इकाइयों का निर्देशक लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2004 एवं 2005 के दौरान बैंकों ने आवास ऋणों में धोखाधड़ी की जो सूचना दी है, उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

बैंकों की श्रेणी	2004		2005 (1.1.2005-30.6.2005)	
	धोखाधड़ियों संख्या	राशि	धोखाधड़ियों संख्या	राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	801	13965.64	409	10019.83
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	118	705.30	43	434.48
विदेशी बैंक	31	433.13	07	61.53
योग	950	15104.07	459	10515.84

(ङ) आवास ऋणों में धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) सभी राज्य सरकारों से यह अनरोध करना कि नाममात्र के शुल्क का भुगतान करके आश्वासन रजिस्ट्रार के पास बंधक संपत्तियों पर बैंकों के भार नियत करने जैसे कुछ प्रगामी उपाय करना, क्योंकि इस उपाय से दीर्घकाल में धोखाधड़ी करने वालों द्वारा सम्पत्ति को कई बार बंधक रखने पर रोक लगेगी।

(ii) धोखाधड़ी करने वालों और उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में बैंकों को समय-समय पर सचेत करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास क्षेत्र के ऋणों में धोखाधड़ियां रोकने के लिए कई उपायों का सुझाव देते हुए मई 2002, अक्तूबर 2003 और सितम्बर 2004 में परिपत्र जारी किए थे।

(iii) 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की तिमाही आधार पर निगरानी करना।

(iv) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों, जिनमें बिल्डर/निष्ठाहीन ऋणकर्ता शामिल हों, के संबंध में बैंकों को सचेत करने संबंधी सलाह देना।

(v) आवास ऋणों में बड़े निवेश वाली शाखाओं का क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण किए जाने के संबंध में बैंकों को सलाह देना;

(vi) बैंक पदाधिकारियों को आवास ऋण धोखाधड़ियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाना तथा उन्हें निवारक उपायों के संबंध में जानकारी देना;

(vii) जहां कहीं आवश्यक हो, स्थानीय थाने या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या न्यायालयों में धोखाधड़ी के मामले दायर करना ताकि लोगों और कर्मचारियों को ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त होने से रोका जा सके।

सीमापार विद्युत व्यापार

3594. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ सीमापार विद्युत व्यापार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सदस्य देशों के बीच विद्युत व्यापार हेतु दक्षिण एशिया क्षेत्र में संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। भात के पास नेपाल और भूटान के साथ विद्युत विनियम के लिए सहयोग की शर्तें हैं।

भारत नेपाल

भारत और नेपाल के बीच विद्युत विनियम 132 के.वी., 33 के.वी. और 11 के.वी. स्तरों पर विभिन्न बिन्दुओं पर भारत के सीमावर्ती राज्यों अर्थात् उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार से हो रहा है। इन संपर्कों का उपयोग आपसी लाभ हेतु भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय विद्युत विनिमय के लिए किया जा रहा है।

भारत भूटान

भूटान के साथ विद्युत विनिमय में सहयोग हेतु भूटान में चुखा (4 x 84 मेगावाट) और कुरीचू (4 x 15 मेगावाट) में जल विद्युत परियोजनाओं में भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन परियोजनाओं को भारत की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यान्वित किया गया है, इनसे उत्पादित विद्युत 220 के.वी. चुखा-बीरपारा पारेषण लाइनों (3 सीकेटी) और 132 के.वी. कुरीचु गेलाफू (भूरन) बोंगाईगांव/सालाकांटी (भारत), एस/सी लाइन के माध्यम से भारत को प्राप्त होती है। ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है और इसके पूरा होने पर इस परियोजना से बल्क विद्युत भारत भी आएगी, जिसके लिए ताला जल विद्युत परियोजना-सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से 400 के.वी., 2 x डी/सी लाइनें उत्पादन परियोजना के साथ पूरी की जा रही हैं।

(ग) और (घ) दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में निम्नानुसार प्रगति हुई है।

(i) ऊर्जा व्यवसाय पर अध्ययन संबंधी विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) को अंतिम रूप देने के लिए दक्षिण एशियाई संगठन के विशेषज्ञों की बैठक 26 जुलाई, 2005 को हुई।

(ii) ऊर्जा सहयोग पर प्रथम वे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एवं इकोनेमिक कोओपरेशन (बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी.) मंत्री सम्मेलन नई दिल्ली में 4 अक्टूबर, 2005 को हुआ, जहां बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. में ऊर्जा सहयोग के लिए कार्रवाई योजना का प्रतिपादन किया गया।

[हिन्दी]

कॉरपोरेट एक्सीलेंस सेन्टर

3595. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में 'कॉरपोरेट एक्सीलेंस सेन्टर' स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) अब तक राज्यवार ऐसे कितने सेन्टर स्थापित किए गए है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

[अनुवाद]

नाल्को के ऐशपॉड की दुर्घटनाएं

3596. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नाल्को के ऐशपोंड की दुर्घटनाओं के कारण कितने किसान प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या अब तक इन सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुआवजे के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जिला प्रशासन, अंगुल, उड़ीसा द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2000 को नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) के ऐश पोंड के फटने से हुई दुर्घटना की वजह से प्रभावित सम्पत्तियों (होल्डिंग्स) की कुल संख्या 1028 थी।

(ख) और (ग) 12 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 1028 सम्पत्तियों में से 990 सम्पत्तियों के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्धारित मुआवजा पैकेज वितरित किया जा चुका है। शेष 38 सम्पत्तियों के संबंध में स्वामित्व संबंधी विवाद होने के कारण मुआवजा वितरित नहीं किया जा सका।

(घ) नालको ने तहसीलदार, अंगुल से यथाशीघ्र विवाद का निपटारा करने का अनुरोध किया है ताकि प्रभावित शेष सम्पत्तियों के लिए मुआवजा का भुगतान किया जा सके।

[हिन्दी]

भूकम्प हेतु नीति

3597. श्री रशीद मसूद : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर का विचार भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) उन राज्यों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने भूकंप अध्ययन केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं;

(घ) क्या भूकंप प्रवण क्षेत्रों में नवीनतम प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित वैज्ञानिकों का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया, राहत और पुनर्वास शामिल हैं। इस नीति के अनुसरण में कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने तथा इस प्रयोजन के लिये सांस्थानिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार आपदा प्रबंधन पर एक केन्दीय कानून बना रही है। दिनांक 11.05.2005 को संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है इस प्रयास के समन्वय के लिए, आपदा प्रबंधन हेतु योजनाएं और नीतियां निर्धारित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है।

(ग) भारत मौसम - विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) एक देशव्यापी राष्ट्रीय भूकंप - विज्ञान नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण करता है जिसमें चुनिंदा राज्यों में चुनिंदा स्थानों पर स्थित भूकंप - विज्ञान वेधशाला शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रयासों को सहायता प्रदान करता है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में परियोजना पद्धति में भूकंप स्टेशनों की स्थापना करने हेतु मदद करता है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां भूकंप स्टेशन नहीं हो।

(घ) और (ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), जिसे विज्ञान और अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है, विशेषकर पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत के साथ-साथ अन्य चुनिंदा स्थानों में आवश्यक अवसंरचना और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसके अतिरिक्त 10 वीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भूकंप - विज्ञान पर कार्यान्वित की जा रही मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और तेजपुर विश्वविद्यालय में जनशक्ति विकास के लिए संगणक - भूकंप - विज्ञान में एक एम. टेक. स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भूकंपों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा भूकंप विज्ञान/अभियांत्रिकी के चुनिंदा पहलुओं पर वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने हेतु विशिष्ट कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

घरेलू बचतें

3598. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 3,14,261 करोड़ रुपए की घरेलू बचत जो मात्र 46.8% है, ही वित्तीय क्षेत्र में आया है;

(ख) क्या घरेलू बचतों की बड़ी धनराशि अभी भी सोने, रियल एस्टेट और कला और पेंटिंग जैसे अन्य अनार्थिक और अनुत्पादक क्षेत्र में निवेश की जाती है;

(ग) क्या घरेलू बचतों का 25.24% वाणिज्यिक बैंकों में जमा है और 0.84% इक्विटी और डेट बाजार में आता है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में घरेलू बचतों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2003-04 में वित्तीय आस्तियों में 3,14,261 करोड़ रुपए की घरेलू बचत कुल घरेलू बचत के 46.8 प्रतिशत का संघटन करती है।

(ख) इस संबंध में कोई पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2005 के अनुसार वाणिज्यिक बैंक जमाराशियों का हिस्सा वर्ष 2003-04 में घरेलू बचत का 25.24 प्रतिशत था। "शेयरों एवं ऋण-पत्रों में निवेश" का हिस्सा वर्ष 2003-04 में घरेलू बचत का 0.84 प्रतिशत था।

(घ) राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां समग्र वृहद् आर्थिक स्थायित्व का अनुरक्षण करने का प्रयास करती हैं जो अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत उच्च अभिवृद्धि एवं बचत के लिए अनुकूल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक समुचित वित्तीय विनियमन एवं पर्यवेक्षण नीतियों के जरिए वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने में संवेदी भूमिका अदा करता है जो वित्तीय प्रणाली में बचत करने वाले समुदाय के विश्वास निर्माण को सुसाध्य बनाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय बचतों का संवर्धन होता है।

वस्तु व्यापार में बैंक

3599. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्तु व्यापार में कारोबार हेतु बैंकों को अनुमति देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक कार्य समूह ने इस आशय की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का रवैया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने गोदाम रसीदों और पण्य के क्रय-विक्रय हेतु भावी सौदों के संबंध में एक कार्य दल गठित किया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को व्युत्पन्न वस्तुओं सहित कृषि वस्तुओं का कारबार करने की अनुमति देने, बैंकों को उनके ऋण पोर्टफोलियों के साथ स्थूल रूप से संबद्ध पण्य के क्रय-विक्रय हेतु भावी सौदों में स्वतंत्र मालिकाना स्थान ग्रहण करने की अनुमति देने, बैंकों द्वारा जोखिम नियंत्रण के उपयुक्त उपाय किए जाने, बैंकों को मंडियों का व्यावसायिक निकासी सदस्य बनने की आम अनुमति प्रदान करने आदि की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य दल की सिफारिशों की जांच की है। सरकार को इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिसूचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शिकायतें

3600. श्री ब्रजेश पाठक :
मो. मुकीम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न लोक प्रतिनिधियों से राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा और प्रकृति क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. संबंधी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु क्या निर्देश जारी किए गए हैं और कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय होने के कारण पी.एम.जी.एस.वाई. का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रमुखतः राज्य सरकारों की है। यदि विभिन्न जन-प्रतिनिधियों से कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त होता है तो उस पर उपयुक्त उपचारी कार्यवाही करने के लिए उसे राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात बैंक

3601. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात-निर्यात बैंक की राज्य-वार कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर गुजरात में और शाखाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) फिलहाल, एक्जिम बैंक की देश में 9 शाखाएं हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

1.	गुजरात	-	अहमदाबाद
2.	कर्नाटक	-	बंगलौर
3.	तमिलनाडु	-	चेन्नई
4.	असम	-	गुवाहाटी
5.	आन्ध्र प्रदेश	-	हैदराबाद
6.	पश्चिम बंगाल	-	कोलकाता
7.	महाराष्ट्र	-	मुम्बई और पुणे
8.	दिल्ली	-	नई दिल्ली।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"बैंकिंग कोड"

3602. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग कोड और स्टेन्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के गठन करने का है, जैसाकि दिनांक 30 नवम्बर, 2005 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) देशभर में ग्राहक हितैषी वातावरण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त बोर्ड के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 2003 में गठित लोक सेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए व्यापक आचार संहिता बनाई जाए, भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) गठित करने की सिफारिश की थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा दी गई लोकसेवा के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा करवाने के लिए तदर्थ समितियां बनाने के लिए कहा गया है। आर.बी.आई. द्वारा बैंकों को बैंकिंग प्रणाली के कार्पोरेट अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित करने तथा बैंकों द्वारा दी गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी विभिन्न उपाय किए हैं जैसे शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण, ए.टी.एम. का संस्थापन, एकल खिड़की अवधारणा, समय मानदण्ड, सर्वशाखा बैंकिंग, वितरण चैनल आदि।

(घ) इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

चन्द्रपुर विद्युत परियोजना

3603. श्री टेक लाल महतो : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चन्द्रपुर विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी अनुमानित लागत राशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी हां, बोकारो, झारखण्ड में स्थित चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की एक यूनिट है, की विद्युत उत्पादन क्षमता, 250 मेगावाट प्रत्येक की 2 अतिरिक्त यूनिटें जोड़ पर 500 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मै. भेल के साथ 30 जून, 2004 को एक टर्न-की अनुबंध किया गया था तथा अप्रैल, 2005 में साइट पर कार्य आरम्भ हो गया है।

(ग) दोनों यूनिटों की अनुमानित परियोजना लागत 2066.45 करोड़ रुपये हैं।

(घ) यूनिटें क्रमश: मार्च 2007 और मई 2007 में चालू होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

बिजली की कमी

3604. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों से बिजली आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों के नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों को अपना रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 2005 अवधि के दौरान देश में औसत विद्युत ऊर्जा कमी 7.4% तथा उच्चतम कमी 9.1% थी।

(ख) और (ग) भारत के पास नेपाल और भूटान के साथ विद्युत विनिमय के लिए सहयोग की शर्तें हैं।

भारत-नेपाल

भारत और नेपाल के बीच विद्युत विनिमय 132 के.वी., 33 के.वी. और 11 के.वी. स्तरों पर विभिन्न बिन्दुओं पर भारत के सीमावर्ती राज्यों अर्थात् उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार से हो रहा है। इन संपर्कों का उपयोग आपसी लाभ हेतु भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय विद्युत विनियम के लिए किया जा रहा है।

भारत-भूटान

भूटान के साथ विद्युत विनिमय में सहयोग हेतु भूटान में चुखा (4 x 84 मेगावाट) और कुरीचू (4 x 15 मेगावाट) में जल विद्युत परियोजनाओं में भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन परियोजनाओं को भारत की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यान्वित किया गया है, इनसे उत्पादित विद्युत 220 के.वी. चुखा-बीरपारा पारेषण लाइनों (3 सीकेटी) और 132 के.वी. कुरीचु गेलाफू (भूरना) बोंगाईगांव/सालाकांटी (भारत), एस/सी लाइन के माध्यम से भारत को प्राप्त होती है। ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है और इसके पूरा होने पर इस परियोजना से बल्क विद्युत भारत भी आएगी, जिसके लिए ताला जल विद्युत परियोजना-सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से 400 के.वी., 2 x डी/सी लाइनें उत्पादन परियोजना के साथ पूरी की जा रही हैं।

ऊर्जा व्यवसाय पर अध्ययन संबंधी विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) को अंतिम रूप देने के लिए दक्षिण एशियाई संगठन के विशेषज्ञों की बैठक 26 जुलाई, 2005 को हुई ताकि सदस्य देशों के बची ऊर्जा सहयोग में सुविधा हो।

ऊर्जा सहयोग पर प्रथम वे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एवं इकोनेमिक कोओपरेशन (बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी.) मंत्री सम्मेलन नई दिल्ली में 4 अक्टूबर, 2005 को हुआ, जहां बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. में ऊर्जा सहयोग के लिए कार्रवाई योजना का प्रतिपादन किया गया।

(घ) और (ङ) बिजली अधिनियम 2003 की धारा 9 के अंतर्गत सहकारिता समिति अपने निजी प्रयोग के लिए प्राथमिकता तौर पर बिजली के उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति अथवा इस प्रकार की सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के अपने निजी प्रयोग के लिए प्राथमिक तौर पर व्यक्ति के संघ द्वारा बिजली के उत्पादन हेतु कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना की जा सकती है।

वस्त्र क्षेत्र को सहायता

3605. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र को वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य-वार कितना ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा प्रदान की गई इस प्रकार की सहायता से अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश के वस्त्र क्षेत्र की मौजूदा स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) वस्त्र एवं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए, ताकि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी अर्थक्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है जो 01.01.1999 से लागू है। इस योजना में मुख्य रूप से योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के लिए उनके द्वारा लगाए गए 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में 31 अक्तूबर, 2005 तक 9136.03 करोड़ रुपए की राशि संलग्न विवरण-I के अनुसार संवितरित कर दी गई है।

(ख) मंबई विश्वविद्यलाय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.यू.आई.सी.टी.) द्वारा टी.यू.एफ.एस. के संबंध में किए गए मूल्यांकन अध्ययन से यह बात सामने आई है कि वस्त्र उद्योग पर इस योजना का निम्नलिखितानुसार सकारात्मक प्रभाव पड़ा है :-

वृद्धि		कमी	
घरेलू स्तर पर वार्षिक कारोबार	33%	लागत प्रति यूनिट	12%
निर्यात स्तर पर वार्षिक कारोबार	27%	अपव्यय	10%
प्रचालन लाभ	15%		
निवल लाभ	8%		
टी.यू.एफ.एस. में शामिल मशीनों का उत्पादन	39%		
घरेलू बिक्री के लिए यूनिट मूल्य	15%		
निर्यात बिक्री के लिए यूनिट मूल्य	6%		

(ग) विश्व के विकासशील देशों की तुलना में देश के वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	(31.10.20050) की स्थिति के अनुसार टीयूएफएस के तहत संवितरित ऋण
1	2
तमिलनाडु	2727.72
गुजरात	1224.21
महाराष्ट्र	1117.53
पंजाब	1190.37
राजस्थान	733.98
उत्तर प्रदेश	245.52
कर्नाटक	337.36
आंध्र प्रदेश	317.64
दादर नगर हवेली	343.16
हिमाचल प्रदेश	157.25
हरियाणा	167.42
मध्य प्रदेश	184.23
पश्चिम बंगाल	130.56
दिल्ली	126.17
केरल	103.20
दमन व दीव	15.10
चंडीगढ़	12.91
उड़ीसा	1.27
नागालैंड़	0.43
कुल	9136.03

विवरण-II

विश्व वस्त्र अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति

	यूनिट	विश्व	भारत	विश्व में भारतीय %	विश्व में भारत का स्थान	प्रथम स्थान वाले देश
	1	2	3	4	5	6
			संस्थापित क्षमता			
क. कताई -- 2003						
1. तकुए (कपास सिस्टम)	मिलियन सं.	173.85	36.84	21.19	2	चीन
2. तकुए (ऊन)	मिलियन सं.	15.41	1.04	6.75	3	चीन
3. तकुए (कपास एवं ऊन)	मिलियन सं.	189.26	37.88	20.01	2	चीन
4. रोटर्स	मिलियन सं.	8.43	0.48	5.69	5	रूस

	1	2	3	4	5	6
ख. बुनाई -- 2003						
1. शटल करघे	मिलियन सं.	4.11	1.92	46.72	1	भारत
2. शटलरहित करघे	मिलियन सं.	0.78	0.03	3.85	6	चीन
3. हथकरघे	मिलियन सं.	4.60	3.90	84.78	1	भारत
कुल (बुनाई)		9.49	5.85	61.64	1	भारत
		उत्पादन				
फाइबर/यार्न						
1. कच्चा कपास (2003-04) (अगस्त-जुलाई)	मिलियन कि.ग्रा.	20610	3009	14.60	3	चीन
2. सेल्लूलोसिक फाइबर/यार्न (2003)	मिलियन कि.ग्रा.	2260	284	12.57	2	चीन
3. सिंथेटिक फाइबर/यार्न (2003)	मिलियन कि.ग्रा.	29498	1792	6.07	5	चीन
4. ऊन (ग्रेसी) (2003-04)	मिलियन कि.ग्रा.	2195	49	2.23	9	आस्ट्रेलिया
5. रेशम (2000)	मिलियन कि.ग्रा.	81	15	18.52	2	चीन
6. पटसन (2003-04)	मिलियन कि.ग्रा.	3036	1978	65.15	1	भारत
कुल			7127	12.36		
यार्न - (2004)						
कपास यार्न (अनु.)	मिलियन कि.ग्रा.	22266	2248	10.10	2	चीन
फैब्रिक - (2004)						
कपास फैब्रिक (अनु.)	मिलियन कि.ग्रा.	11691	1704	14.58	3	चीन
		प्रति व्यक्ति फाइबर खपत				
कुल फाइबर - 2002 (अं)	कि.ग्रा.	8.4	6.1	-	-	-
		विश्व व्यापार -- 2003				
कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात	बिलियन अमरीकी डालर	394.90	12.51	3.17	7	चीन
		1994-2003 के दौरान जहाज से भेजी गई मशीनरी				
क. कताई						
1. तकुए	मिलियन सं.	39.17	11.04	28.18	1	भारत
2. रोटर्स	मिलियन सं.	2.62	0.15	5.73	5	चीन
ख. ड्रा टेक्सचरिंग (1994-2003)	'000 सं.	1518.77	221.32	14.57	2	चीन

	1	2	3	4	5	6
ग. बुनाई						
1. शटलरहित करघे	'000 सं.	492.50	7.19	1.46	11	चीन
2. शटल करघे	'000 सं.	127.59	7.39	5.79	3	चीन
घ. निटिंग (1995-2003)	'000 सं.	92.74	5.52	5.95	4	चीन

टिप्पणी : अं = अनंतिम अनु. = अनुमानित

स्रोत: डब्ल्यू.टी.ओ., आई.टी.एम.एफ., आई.सी.ए.सी., आई.एस.ए., जे.एम.डी.सी., ए.एम.एफ.आई., ए.एस.एफ.आई.

निफ्ट द्वारा बुनकरों को प्रशिक्षण

3606. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) का विचार देश के स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) स्थानीय कारीगरों की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) जी, हां। समूह विकास कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) समूह विकास पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्या माईक्रो उद्यम स्थापित करना और ग्रामीण गरीब जनता की क्षमता का निर्माण करना है। यह गरीबों को स्वसहायता समूहों, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और विपणन में संगठन करने जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम पेश करने के प्रति एक प्रयास है। यह कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है ताकि ग्रामीण गरीब जनता की अंतर्निहित प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग करने के लिए समुचित सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

निफ्ट ने 5 शिल्प समूहों की पहचान की है और इस परियोजना को निफ्ट के पांच केन्द्रों में लागू किया है।

राज्य	समूह	निफ्ट केंद्र
1	2	3
पश्चिम बंगाल	बीरभूम	कोलकाता
गुजरात	सुरेन्द्रनगर	गांधीनगर
केरल	कोझीकोर	चेन्नई
कर्नाटक	हम्पी	बैंगलूर
मध्य प्रदेश	धार	नई दिल्ली

(ग) स्थानीय कारीगरों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम :

यह कार्य निफ्ट केन्द्र में डिजायन स्टुडियों, समूहों में ग्रामीण विकास उद्यम केंद्र (आर.डी.ई.सी.) और उप समूह स्तर पर साझा संसाधन एवं प्रौद्योगिकी सहायता केन्द्र (एस.आर.टी.एस.सी.) जैसी सुविधाएं प्रदान कर एक त्रिस्तरीय मध्यस्थता से किया जा रहा है।

सेंटर फॉर प्लाजमा फिजिक्स

3607. डा अरुण कुमार शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी स्थित सेंटर फॉर प्लाजमा फिजिक्स के अधिग्रहण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने गुवाहाटी, असम स्थित "सेंटर फॉर प्लाजमा फिजिक्स" को राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा परिचालित कर दिया गया है और विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण के साथ अंतिम मंत्रिमंडल टिप्पणी को मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखा जाएगा।

(ग) चालू वित्त वर्ष के अंत तक मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

3608. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री के.एस. राव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री गणेश सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री मुन्शी राम :
श्री हितेन बर्मन :
श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) क्या सभी क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली वितरण के अनुपात का कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बिजली की मांग आपूर्ति से कितने प्रतिशत अधिक रही है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) किसी राज्य के आधारभूत उपभोक्ताओं/सेक्टरों जिसमें घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, को बिजली की आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटीलिटी, जो विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की प्राथमिकता तय करती है, का है। अप्रैल-नवम्बर, 2005 के दौरान देश में विद्युत ऊर्जा की औसत और व्यस्ततमकालीन अवधि में कमी क्रमश 7.4% और 9.1% थी।

(ग) 2004-2005 में घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का प्रतिशत हिस्सा क्रमश: 24.77%, 22.93%, 35.63% था।

(घ) वर्तमान वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवम्बर, 2005) के दौरान देश में विद्युत ऊर्जा की औसतन कमी 7.4% थी, जबकि 2002-03 से 2004-05 के दौरान उसी अवधि में कमी 6.3% से 9.1% थी। अप्रैल-नवंबर, 2005 के दौरान व्यस्ततमकालीन कमी 9.1% थी जबकि 2002-03 से 2004-05 की समान अवधि के दौरान यह 10 से 12.2% तक थी।

(ङ) और (च) वर्ष 2005-06 के लिए 6,21500 मिलियन यूनिट (एम.यू.) का एक उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विवरण

विद्युत की प्रतिव्यक्ति सकल वार्षिक खपत

(के.डब्ल्यू.एच.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05*
1	2
हरियाणा	950.51
हिमाचल प्रदेश	760.01
जम्मू-कश्मीर	648.71
पंजाब	1246.50
राजस्थान	578.38
उत्तर प्रदेश	310.20
उत्तरांचल	652.92
चंडीगढ़	873.16
दिल्ली	1549.28
गुजरात	1280.80
मध्य प्रदेश	516.62
छत्तीसगढ़	680.80
महाराष्ट्र	898.65
गोवा	2178.88
दादर व नगर हवेली	8289.87
दमन व दीव	7360.28
आंध्र प्रदेश	791.12

1	2
कर्नाटक	679.84
केरल	397.98
तमिलनाडु	1059.34
लक्षद्वीप	347.85
पांडिचेरी	2044.75
बिहार	74.96
झारखंड	548.12
उड़ीसा	724.28
पश्चिम बंगाल	430.33
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	341.02
सिक्किम	983.55
असम	162.66
मणिपुर	283.04
मेघायल	521.21
नागालैंड	180.87
त्रिपुरा	351.98
अरूणाचल प्रदेश	324.64
मिजोरम	432.81
कुल अखिल भारत	625.49

*अनंतिम

नोट-यू.एन. पद्धति का उपयोग करके प्रतिव्यक्ति सकल बिजली खपत की गणना की गई है।

[अनुवाद]

विशेष पटसन विकास कोष

3609. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पटसन विकास कोष से उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरा राज्य-वार कितने उद्यमी लाभान्वित हुए; और

(ग) पटसन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) उद्यमियों को ब्याजमुक्त ऋण देने के लिए विशेष जूट विकास निधि के तहत अप्रैल, 2002 से कोई योजना लागू नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार पटसन उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे.एम.डी.सी.) और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण, केन्द्र (एन.सी.जे.डी.) के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :-

जे.एम.डी.सी. द्वारा प्रचालित योजनाएं निम्नलिखित है :-

1. पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना
2. बाह्य बाजार सहायता योजना
3. बाजार विकास योजना

एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रचालित योजनाएं निम्नलिखित है :-

1. पटसन सेवा केंद्र योजना
2. पटसन कच्ची सामग्री बैंक योजना
3. बाजार सहायता योजना
4. डिजायन विकास योजना
5. पटसन उद्यमी (पूंजीगत सब्सिडी) सहायता योजना
6. सूक्ष्म वित्त/एन.जी.ओ. सहायता योजना

सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति भी घोषित की है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण तेज करना है।

[हिन्दी]

पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन

3610. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस समीक्षा के दौरान कौन-कौन सी कमियां ध्यान में आई; और

(घ) पी.एफ.सी. को पुनर्जीवन देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। विद्युत मंत्रालय नियमित आधार पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन की त्रैमासिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक करता है। पिछली त्रैमासिक समीक्षा बैठक 15 नवंबर, 2005 को नई दिल्ली में हुई थी।

इस बैठक में पी.एफ.सी. को सलाह दी गई थी कि वे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बड़े ऋणदाता बैंकों और आर.ई.सी. को सम्मिलित करके विद्युत क्षेत्र ऋणदाता क्लब बनाने, राज्य पारेषण क्षेत्र में अंतर विश्लेषण आरंभ करने तथा ऊर्जा दक्षता और वितरण में दक्षता अभिमुख परियोजनाओं का वित्तपोषण करने जैसे उपाय करके अपनी बाजार हिस्सेदारी का निर्माण करने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएं।

[अनुवाद]

उद्यम पूंजी कोष

3611. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र संबंधी व्यापार हेतु 48 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह उद्यम पूंजी कोष कृषकों की सहायता किस प्रकार करेगा;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के हाल ही के अध्ययन के अनुसार केवल 15 प्रतिशत कृषक इस कोष से कोई भी ऋण ले पाते हैं;

(घ) यदि हां तो, तो क्या कृषक बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे और इसके फलस्वरूप यह प्रक्रिया अधिक सरल हो जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कृषकों को इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी और इस कोष से इन कृषकों को अब तक कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि कारोबार में लगे छोटे किसानों/सीमांत किसानों के लिए उद्यम हेतु पूंजी सहायता देने के विचारार्थ 10वीं योजना की शेष अवधि के लिए लघु कृषक कारोबार सहायता संघ (एस.एफ.ए.सी.) के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एस.एफ.ए.सी. वित्तपोषित करने वाले बैंक की सिफारिशों के आधार पर अर्हक परियोजनाओं को इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने "किसानों का स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण -- गृहस्थ किसानों की ऋणग्रस्तता" नामक एक सर्वेक्षण किया था जिसका निष्कर्ष मई 2005 में जारी किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही स्रोतों से ऋणग्रस्त गृहस्थ किसान कुल ग्रामीण जनसंख्या के 48.6% होने की सूचना है।

(घ) उद्यम हेतु पूंजी सहायता के अंतर्गत परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा वित्तपोषित करने वाले बैंकों द्वारा बढ़ाई गई ऋण राशि के लिए पहुंच बनाने को सुकर बनाते हुए व्यापक रूप से किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

(ङ) इक्विटी पूंजी के रूप में एस.एफ.ए.सी. द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता वित्तपोषित करने वाले बैंक के मीयादी ऋण के पुनर्भुगतान के बाद एस.एफ.ए.सी. को देय होती है। उद्यम हेतु पूंजी सहायता की प्रमात्रा निम्नांकित में से सबसे कम होगी :-

- बैंक द्वारा आकलन की गई परियोजना लागत का 10%
- परियोजना इक्विटी का 26%
- 75.00 लाख रुपए।

गुणवत्ता के आधार पर पात्र परियोजनाओं तथा/अथवा वे परियोजनाएं जो दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हैं तथा राज्य की ऐजेंसियों द्वारा जिन परियोजनाओं की संस्तुति की गई है, को एस.एफ.ए.सी. द्वारा उच्च उद्यम हेतु पूंजी सहायता देने पर विचार किया जा सकता है। एस.एफ.ए.सी. ने अब तक 8.24 करोड़ रुपए के उद्यम हेतु पूंजी सहायता के लिए मंजूरी दी है।

विदेशी बैंक की शाखाएं

3612. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी बैंकों को बाजार में पहुंच सुगम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में डब्ल्यू.टी.ओ. की प्रस्तुत की गई सेवाओं में बाजार पहुंच को सुगम बनाने संबंधी संशोधित पेशकश में

डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ सीमा की बाध्यता आज की स्थिति के अनुसार प्रति वर्ष 12 विदेश बैंक की शाखाएं खोलना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्णय लिया है प्रतिवर्ष खोले जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या 20 तक सीमित रखी जा सकती है;

(ङ) सरकार ने इस निर्णय से भारत की अर्थव्यवस्था के किसी सीमा तक सुधरने की संभावना है;

(च) इस मुद्दे पर डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 28.02.2005 को जारी "भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की रूपरेखा" में नए और विद्यमान विदेशी बैंकों के लिए वर्ष में 12 शाखाओं की विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की विद्यमान प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने तथा बैंक सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उदार नीति अपनाने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अनुमत्त शाखाओं की संख्या डब्ल्यू.टी.ओ. की प्रतिबद्धताओं से अधिक रही है।

(घ) जी, हां। तथापि, यह विश्व व्यापार संगठन में विचार-विमर्श के लिए एक प्रारम्भिक प्रस्ताव मात्र है।

(ङ) विदेशी बैंक नए बैंकिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी एवं प्रथाएं लाते हैं और घरेलू बाजार को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाते हैं जिससे उनकी दक्षता ओर स्थिरता बढ़कर विश्वस्तरीय हो जाती है।

(च) और (छ) संबंधित सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें।

[हिन्दी]

ज्वारीय तरंगों से उर्जा

3613. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री काशीराम राणा :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में ज्वारीय तरंगों से अनुमानत: कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान अपनी क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) देश में, गुजरात में कच्छ की खाड़ी और काम्बे की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में दुर्गादुआनी क्रीक, सुन्दरबन में 15000 मेगावाट से अधिक की ज्वारीय विद्युत संभाव्यता का अनुमव लगाया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, सरकार ने दुर्गादुआनी, सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में 3.6 मेगावाट की एक प्रदर्शन ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

[अनुवाद]

शहरों का वर्गीकरण

3614. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए./सी.सी.ए. के प्रयोजनार्थ ए-I शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया;

(ख) यदि हां, कौन सी जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया;

(ग) क्या इसमें कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है;

(च) क्या हैदराबाद को 2001 जनसंख्या रिपोर्ट के बाद ए-I क्लास शहर के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित तथा सरकार द्वारा यथा स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका सीमाओं के भीतर

50 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों/नगरों को ए-I शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता (सी.सी.ए.) देने के लिए वर्गीकरण हेतु शहर की नगरीय हदबंदी (यू.ए.) के भीतर आने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) भारत के महापंजीयक की जनगणना रिपोर्ट, 2001।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) जनगणना रिपोर्ट, 2001 के आधार पर 57.42 लाख जनसंख्या वाले हैदराबाद यू.ए. को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने के लिए "ए-I" शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि नगरपालिका सीमाओं के भीतर 36.37 लाख जनसंख्या वाले हैदराबाद (एम.सी.) को मकान किराया भत्ता देने के लिए "ए" वर्ग के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शहरी वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता सम्पूर्ण हैदराबाद (यू.ए.) के लिए स्वीकार्य है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्ग हेतु ब्याज दर

3615. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए ऋणों पर ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है जैसा कि दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) समाज के कमजोर वर्गों के उत्पादन एवं लाभकारी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को 4% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त उपलब्ध कराने के लिए, विभेदक ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना वर्ष 1972 से लागू है। डी.आर.आई. योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

परिचालन का क्षेत्र : योजना का कार्यान्वयन देशभर में किया जा रहा है।

आय मानदण्ड : पात्रता के लिए आय की उच्चतम सीमा शहरी अथवा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 7200/- रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 6400/- रुपए सालाना है। जोत का आकार एक एकड़ सिंचित भूमि तथा 2.5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऋण राशि : उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए प्रति हिताधिकारी अधिकतम सहायता 6500/- रुपए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति साधन, उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए प्रति हिताधिकारी 5000/- रुपए (अधिकतम) की सीमा तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार योजना के आय मानदण्ड पूरा करने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य 6500/- रुपए के ऋण के बाद प्रति हिताधिकारी 5000/- रुपए तक का आवास ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिभूति : काई सम्पार्श्विक प्रतिभूति/तृतीय पक्ष गारंटी जरूरी नहीं है। ऋण राशि से बनाई गई आस्तियां केवल बैंक के पास दृष्टिबंधक रखी जाएंगी।

चुकौती : दो वर्ष की छूट अवधि सहित अधिकतम पांच वर्ष।

आरक्षण : बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके डी.आर.आई. अग्रिमों का कम से कम 40% अ.जा./अ.ज.जा. को दिया जाए।

टी.डी.एस.

3616. श्री बापू हरी चौरे :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों वकीलों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और अन्य व्यवसायिकों हेतु स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों की निजी संस्था इस संबंध में कानून का अनुपालन करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं द्वारा आयकर कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जहां डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, प्रोफेसरों तथा इस तरह के अन्य व्यावसायिकों को किया गया भुगतान 'वेतन' स्वरूप का हो, वहां इस तरह के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) की जानी अपेक्षित होती है। किंतु जहां इस प्रकार के व्यक्तियों को

किया गया भुगतान 'व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क' के स्वरूप का हो, वहां कानून के अधीन स्रोत पर कर की कटौती केवल उन्हीं मामलों में की जानी होती है जहां ऐसा व्यक्ति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित कानून, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, वास्तुशिल्प, लेखाशास्त्र, तकनीकी परामर्श, आंतरिक साजसज्जा, विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहा होता है। 'शिक्षण' का पेशा स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनार्थ न तो 'व्यावसायिक सेवाओं' की परिभाषा के अंतर्गत आता है न ही यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 'व्यवसाय' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग विभिन्न कर कटौतीकर्ताओं की विवरणियों तथा लेखा बहियों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्रोत पर कर कटौती तथा सरकारी खाते में इसे जमा किए जाने का कार्य समुचित रूप से हुआ है। स्रोत पर कर की सम्यक कटौती तथा स्रोत पर कर कटौती की समय पर निक्षेप का सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण और स्थल सत्यापन का कार्य भी किया जाता है। किसी चूक के मामले में कर की राशि जिसकी कटौती नहीं की गई होती है अथवा जमा नहीं कराई गई होती है उसे ब्याज सहित कर कटौतीकर्ता से वसूला जाता है। कर और ब्याज का भुगतान न किए जाने के लिए अर्थदंड भी लगाया जाता है। उस मामले में जहां कटौतीकर्ता केंद्र सरकार के खाते में स्रोत पर कर कटौती जमा करने में विफल होता है, चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अलावा, सरकार कर कटौतीकर्ताओं को स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें प्रबुद्ध बनाने के लिए अनेक सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रही है।

ऋण उपयोग की निगरानी

3617. श्री रशीद मसूद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कंपनियों द्वारा लिये गए ऋणों के उपयोग की कड़ी निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां सामान्य प्रयोजनों के नाम पर ऋण ले रही हैं और अपनी कार्यशील पूंजी को स्टॉक बाजार में निवेश कर रही है;

(घ) यदि हां, ऐसी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं और इस संबंध में दोषी पाई कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या कुछ कंपनियों के ऋण आंकड़ों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के उद्दिष्ट उपयोग की निगरानी करने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। आर.बी.आई. बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों (ए.एफ.आई.) के दौरान अग्रिम पोर्टफोलियों की गुणवत्ता की जांच करता है।

(ग) और (घ) आर.बी.आई. ने जानकारी दी है कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसमें सामान्य प्रयोजन के लिए ऋण लिया गया हो और निधियां शेयर बाजार में अन्यत्र प्रयोग के लिए लगाई गई हों। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित बैंक के समक्ष जब भी ऐसी कोई घटना आती है, वे निर्धारित कार्यविधि/विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बैंकों द्वारा अलग-अलग व्यक्ति एवं समूह उधारकर्ताओं को ऋण एवं निवेश प्रकटन के संबंध में आर.बी.आई. द्वारा अपने दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित उच्चतम सीमा के अनुसार बैंक एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता सीमाएं निर्धारित करते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3618. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सहयोग से कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु और परियोजनाओं को स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद क्षेत्र (गुजरात राज्य) द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 और अप्रैल 2005-सितम्बर 2005 के लिए प्राप्त क्षेत्रक-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह हेतु राज्य/क्षेत्रवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। निवेशकों के निर्णय उनके वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित होते हैं।

विवरण

अप्रैल 2003 से सितम्बर 2005 तक क्षेत्रक-वार/वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह
राज्य गुजरात (भारतीय रिजर्व बैंक का अहमदाबाद क्षेत्र)

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	क्षेत्रक	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-सितम्बर	संचयी योग
1.	धातु कर्म उद्योग	0.15	46.06	82.85	129.05
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	337.18	100.00	0.00	437.18
3.	वैद्युत उपकरण (एस/डब्ल्यू और वैद्युत सहित)	45.98	120.97	8.98	175.93
4.	दूरसंचार	0.45	3.23	0.01	3.68
5.	परिवहन उद्योग	488.85	155.20	112.50	756.55
6.	औद्योगिक मशीनरी	0.00	7.49	0.42	7.90
7.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	0.00	0.34	6.55	6.89
8.	चिकित्सीय तथा शल्य उपकरण	0.00	1.60	0.00	1.60
9.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	0.14	1.51	25.86	27.51
10.	औषध तथा भेषज	26.17	15.38	7.63	49.18
11.	वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्रों सहित)	0.10	0.00	0.00	0.10
12.	कागज और कागज उत्पाद सहित लुगदी	0.00	0.00	0.76	0.76
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0.10	0.61	0.00	0.71
14.	वनस्पति तेल और वनस्पति	0.00	16.97	0.03	16.99
15.	रबड़ का सामान	0.00	0.00	84.03	84.03
16.	शीशा	5.65	0.00	0.04	5.69
17.	सिरेमिक्स	0.00	120.46	0.24	120.70
18.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	0.00	0.00	0.05	0.05
19.	परामर्शी सेवाएं	0.01	0.04	0.72	0.78
20.	सेवा क्षेत्रक	10.79	7.09	0.00	17.89
21.	होटल तथा पर्यटन	0.00	0.00	29.70	29.70
22.	विविध उद्योग	1.53	13.58	2.47	17.59
	कुल जोड़	917.12	610.53	362.83	1890.48

टिप्पणी :- 1. इस राशि में केवल एस.आई.ए./एफ.आई.पी.बी. मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल हैं।

2. केवल इक्विटी पूंजी संघटक सहित।

3. उपर्युक्त क्षेत्र-वार अंतर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रदेशवार अंतर्वाहों के अनुसार स्पष्ट किया गया है।

राज्य वित्त निगम

3619. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर राज्य वित्त निगम धन की कमी की गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं और वे बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन राज्य वित्त निगमों के कार्यकरण का कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991 के पश्चात वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू होने से राज्य वित्त निगम (एस.एफ.सी.) प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने असमर्थ हो गए। राज्य वित्त निगमों को खराब वसूली, बढ़ती अनुपोज्य आस्तियों और प्रावधान संबंधी बढ़ती अपेक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्य वित्त निगमों की निवल क्षमता का ह्रास हुआ है।

(ग) और (घ) राज्य वित्त निगमों की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए भारत सरकार ने आई.डी.बी.आई. के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने यह सिफारिश की कि 3600 करोड़ रुपए के निवेश की लागत में भारत सरकार (900 करोड़ रुपए), भारतीय रिजर्व बैंक (900 करोड़ रुपए), राज्य सरकारें (900 करोड़ रुपए), आई.डी.बी.आई. (450 करोड़ रुपए) तथा सिडबी 450 करोड़ रुपए) की भागीदारी होनी चाहिए।

(ङ) चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार राज्य वित्त निगमों में शेयर धारक नहीं है, इसलिए भारत सरकार के लिए राज्य वित्त निगम में निधियों का निवेश संभव नहीं था। तथापि, भारत सरकार में सिडबी, राज्य सरकार तथा राज्य वित्त निगमों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अध्यधीन सिडबी के सहयोग से राज्य वित्त निगम की देयताओं के पुनर्गठन के लिए एक पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) बकाया पुनर्वित्त/एल.ओ.सी. पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत तक की कमी।

(ख) नए उधार पर 2 प्रतिशत की छूट।

(ग) पुनर्वित्त के भुगतान पर एक वर्ष का अधिस्थगन।

(घ) 10 वर्ष में पुनर्गठन/पुनर्वित्त की वापसी अदायगी।

निर्वाचन आयोग का विस्तार

3620. श्री गणेश सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ङ) भारत निर्वाचन आयोग का विस्तार करने या इस संबंध में कोई सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना

3621. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) केवल जीवन बीमा उत्पादन ही नहीं बल्कि यह म्यूचल फंड प्रोडेक्ट भी है और क्या जीवन बीमा कंपनियों द्वारा भारत में इसके विपणन की अनुमति दी जा रही है;

(ख) 'यूलिप' को जवीन परंपरागत जीवन बीमा उत्पादों की तरह दिखाकर आयकर लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या जीवन बीमा कंपनियों द्वारा 'यूलिप' की बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 'यूलिप' के माध्यम से तथा परंपरागत बीमा पालिसियों के माध्यम से सामाजिक तथा अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि बीमा कंपनियों को यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) को बाजार में उतारने की अनुमति प्रदान की है और परम्परागत जीवन बीमा उत्पादों पर लागू कर लाभ उस पर उपलब्ध है।

(ग) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि बीमा कंपनियां आई.आर.डी.ए. द्वारा तैयार विनियमों के अनुरूप अपने उत्पादों का

वितरण करने के लिए एजेन्टों की नियुक्ति करती हैं। अतः, एजेन्टों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षण देकर शिक्षित किया जाता है ताकि वे यूलिप और जीवनबीमा के अन्य उत्पादों के बारे में संभावी पालिसीधारकों को बता सकें।

(घ) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि यूलिप के मामले में, निवेश का जोखिम पालिसीधारकों द्वारा वहन किया जाता है और यूलिप निधियों का निवेश बीमाकर्ता और पालिसीधारक द्वारा सहमत पद्धति के अनुसार किया जाता है। अतः, यूलिप में निवेश दायित्वों की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए परम्परागत, बीमा पालिसियों से अलग होता है। आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रों में निवेश उनके कुल निवेश का 12.5% बनता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/डाकघरों के माध्यम से विदेशी मुद्रा

3622. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/डाकघरों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता से संबंधित नियमों में छूट दी है जैसाकि दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/डाकघरों की पहचान की गई है; और

(घ) उपयुक्त बैंकों और डाकघरों के माध्यम से विदेशी मुद्रा कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पालनीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक विदेशी मुद्रा लेन-देन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तथापि, अगस्त 2001 में डाक विभाग को एक एकीकृत सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ.एफ.एम.सी.) लाइसेंस जारी किया गया था और इस लाइसेंस का 15 अगस्त, 2006 तक एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत डाक विभाग को भारत का दौरा करने वाले निवासियों और अनिवासियों से विदेशी मुद्रा खरीदने और कतिपय अनुमोदित उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। डाक विभाग को वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ धन अंतरण सेवा योजना (एम.टी.एस.एस.) संचालित करने के लिए 31 अक्तूबर, 2000 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ग) डाक विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कार्य/उद्देश्य के लिए 235 डाकघरों की पहचान की गई है।

(घ) डाक विभाग को अभी यह सेवा प्रारम्भ करनी है क्योंकि इसकी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

3623. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन एजेंसियों में प्रत्येक एजेन्सी से सहायता प्राप्त करने के लिए किन राज्यों और परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अभी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ किस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) ऐसे प्रत्येक राज्य ने कितनी सहायता प्राप्त की है; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार ऐसी परियोजनाओं में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की वर्ल्ड बैंक ट्रॉश-I परियोजना के वित्तपोषण के लिए 399.50 मिलियन अमरीकी डॉलर का उधार/ऋण अनुमोदित किया है (आई.डी.ए. उधार के रूप में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर और आई.बी.आर.डी. ऋण के रूप में 99.50 मिलियन अमरीकी डॉलर)। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक ने आर.आर.एस.पी.-I के अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया है। 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की विश्व बैंक सहायता के दूसरे भाग में तीन नये राज्यों-बिहार, उत्तरांचल और जम्मू व कश्मीर तथा पहले भाग के अंतर्गत शामिल किए गए चार राज्यों में यह रह गयी आवश्यकताओं को कवर करने का प्रस्ताव है। एशियाई विकास बैंक असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए और साथ ही आर.आर.एस.पी.-I के अंतर्गत शामिल किए गए दो राज्यों में रह गयी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 750 मिलियन अमरीकी डॉलर का आर.आर.एस.पी.-II उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत नवम्बर, 2005 तक मंजूर किए गए परियोजना प्रस्तावों का मूल्य और रिलीज की गई राशि नीचे दिए अनुसार है :-

(करोड़ रु. में)

राज्य	वित्तपोषक एजेंसी	मंजूर किए गए परियोजना प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि
हिमाचल प्रदेश	विश्व बैंक	234.72	41.14
झारखण्ड	विश्व बैंक	29.15	0
राजस्थान	विश्व बैंक	721.80	200.11
उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	343.94	129.96
छत्तीसगढ़	एशियाई विकास बैंक	685.35	50.00
मध्य प्रदेश	एशियाई विकास बैंक	675.46	43.45
असम	एशियाई विकास बैंक	501.42	0
उड़ीसा	एशियाई विकास बैंक	349.46	0
पश्चिम बंगाल	एशियाई विकास बैंक	313.71	0

वस्त्र निर्यात

3624. श्री बालासावेरी वल्लभनेनी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा तैयार अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र और सिले-सिलाए वस्त्र उत्पादों से देश चीन का स्पष्ट स्रोत विकल्प बन जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोटा मुक्त व्यवस्था के प्रथम पांच महीनों में भारत का अमेरिका और यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यातकों की अपने उत्पादों को चीन के उत्पादों से बेहतर बनाने में मदद करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार चीन कोटा पश्चात प्रणाली में वस्त्र एवं क्लोदिंग में विश्व व्यापार पर हावी रहेगा। चीन पर भारी मात्रा में निर्भर रहने वाले विदेशी क्रेता भी इस क्षेत्र (भारत के बाद पाकिस्तान) में आपूर्ति का वैकल्पिक विश्वसनीय स्रोत पाने के लिए लालायित है। कोटा पश्चात व्यवस्था में भारत का वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात मूल्यवर्द्धित मेडअप्स और अपैरलों द्वारा संचालित होगा क्योंकि भारत के (i) अपेक्षाकृत रूप से किफायती और कुशल कार्यबल की उपलब्धता (ii) डिजाइन विशेषज्ञता (iii) आधारभूत कच्ची सामग्री के व्यापक उत्पादन आधार के संबंध में अपने प्रतिस्पर्धियों से तुलनात्मक लाभ हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एंडएस.), कोलकाता के अनुसार जनवरी-मई 2005 के दौरान अमरीका तथा यूरोपीय संघ को भारत का वस्त्र मदों का महा-वार निर्यात नीचे दिए गए अनुसार है :-

(अमरीकी मिलियन डालर में)

	यू.एस.			ई.यू.		
माह	2004	2005	%अंतर	2004	2005	%अंतर
जनवरी	234.15	293.77	25.46	404.12	385.94	-4.50
फरवरी	282.74	267.54	-5.38	491.79	380.74	-22.58
मार्च	324.49	310.72	-4.24	562.17	424.27	-24.53
अप्रैल	209.16	281.08	34.39	320.92	392.88	22.42
मई	265.99	290.74	9.30	369.13	439.00	18.93

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंडएस., कोलकाता

अमरीकी और यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-जून, 2005 की अवधि के दौरान इन देशों को भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 29.08% और 18.38% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(जनवरी-जून) (अमरीकी मिलियन डालर में)

यू.एस.	1939	2503	29.08
ई.यू.	2895	3427	18.38

स्रोत : विश्व व्यापार एटलस

(ङ) वैश्विक बाजार में वस्त्र निर्यात में भारत को 'ट्रेंड सेंटर' बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) उद्योग को वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात वस्त्र केंद्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) और अपैरल पार्क निर्यात योजना (ए.पी.इ.एस.) को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क" नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ तक होगी।

(6) विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के उद्देश्य से "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (ए.पी.ई.एस.) शुरू की गई है। ए.पी.इ.एस. के अधीन भारत सरकार की 191.70 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 191.70 करोड़ रुपए की सहायता में सरकार ने अब तक 59.46 करोड़ रुपए जारी कर दिए है।

(7) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की गई थी। टी.सी.आई.डी.एस. के तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें से सरकार ने 52.57 करोड़ रुपए जारी कर दिए है।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों के लागत भी कम कर दी गई है।

(10) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टी.यू.एफ.एस. के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अप्रैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए.टी.डी.सी.) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(12) पारि-परीक्षण प्रयोगशलाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

क्रेडिट कार्ड

3625. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक बैंक जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, क्रेडिट-कार्ड धारकों से अधिक पैसा वसूल करके अपने उपभोक्ताओं के प्रति कदाचार कर रहे हैं और यदि उपभोक्ता देय तिथि में भुगतान नहीं कर पाते तो वे अत्यधिक और एक समान ब्याज दरें, संग्रहण शुल्क, सेवा शुल्क इत्यादि जैसे शुल्क वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के प्रति उचित व्यापार आचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में ऐसे प्रभावित ग्राहकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचार में लिप्त बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) देश के वास्तविक बैंक ग्राहकों को बैंकों के ऐसे कदाचार से बचाने के लिए उनके पास उपलब्ध विभिन्न सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने जानकारी दी है कि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित बैंकों के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड के संबंध

में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें विभिन्न मामलों यथा अघोषित एवं अप्रकट प्रभार, अप्रार्थित कार्ड, ब्याज दरों की अतिब्याजी प्रकृति, अपारदर्शी बिलिंग कार्यविधि एवं प्रभार, गलत बिलिंग, देयराशियों की वसूली के लिए उत्पीड़न एवं अभित्रास का प्रयोग, विलम्ब शुल्क लगाना, देरी से भुगतान के लिए अधिक शुल्क लगाना आदि के संबंध में अनुचित पद्धतियां अपनाने का आरोप लगाया गया है।

(ख) आर.बी.आई. ने "उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहित" तैयार की है, जिसके संबंध में बैंकों को मई 2003 में कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश दिए गए थे। आर.बी.आई. ने दिनांक 21 नवम्बर, 2005 के परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में अनुदेश जारी किए है। इसमें क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(घ) आर.बी.आई. ने यह भी जानकारी दी है कि जब शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित बैंकों के साथ स्पष्टीकरण एवं निवारण हेतु उठाया जाता है।

(ङ) आर.बी.आई. ने उपर्युक्त उल्लिखित 21 नवम्बर, 2005 के परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बैंक की ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों सहित क्रेडिट कार्ड परिचालनों की मासिक आधार पर समीक्षा कर सकती है। इसके अतिरिक्त कार्ड जारी करने वाले बैंकों को बैंक में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसके बारे में व्यापक प्रचार करना जरूरी है। बैंक के पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क के लिए टेलीफोन नम्बर क्रेडिट कार्ड बिलों पर लिखना जरूरी है। महत्वपूर्ण कार्यपालकों के साथ-साथ शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम, पता तथा सम्पर्क के लिए टेलीफोन नम्बर भी बैंक की वेबसाइट पर दिया जाना जरूरी है।

विद्युत प्रशुल्क नीति

3626. श्री रायापति सांबासिवा राव :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा प्रारूप विद्युत प्रशुल्क नीति पर चर्चा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सचिवों की समिति में कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या विनियामकों ने सुझाव दिया है कि अधिभार निर्धारण का तरीका केवल विनियामकों के पास ही छोड़ देना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो प्रारूप विद्युत प्रशुल्क नीति संबंधी सचिवों की समिति द्वारा क्या निर्णय लिए गए/लिए जा रहे हैं; और

(ङ) अंतिम प्रारूप विद्युत प्रशुल्क नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-3 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकारों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श से प्रशुल्क नीति तैयार करे। अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से प्रशुल्क नीति निरूपण के लिए केन्द्र सरकार को सलाह देने की अपेक्षा की जाती है। उक्त परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् प्रारूप प्रशुल्क नीति को तैयार कर लिया गया है तथा इस समय यह सरकार के पास विचाराधीन है।

विकास दर

3627. डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा क्षेत्र-वार कितनी विकास दर दर्ज की गयी;

(ख) वर्ष 2005-2006 की पहली छमाही के दौरान उद्योग, सेवा और कृषि तीनों क्षेत्रो में दर्ज विकास दर की तुलना में उसी अवधि के दौरान तीनों क्षेत्रों में कितनी विकास-दर दर्ज की गयी;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विकास दर हासिल करने हेतु क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार क्षेत्र-वार कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान तथा अप्रैल-सितम्बर, 2005-06 के दौरान घटक लागत (सतत्-मूल्य) पर सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रक-वार अभिवृद्धि दर निम्नानुसार है :-

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2002-03 (त्व.अ.)	2003-04 (सं.अ.)	2004-05 (अप्रैल-सितम्बर)	2005-06
I. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	**-7.0**	**9.6**	**1.1**	**2.0**
II. उद्योग	**6.6**	**6.6**	**7.7**	**8.6**
1. खनन एवं उत्खनन	9.0	6.4	4.5	1.1
2. विनिर्माण	6.5	6.9	9.2	10.2
3. बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	3.1	3.7	5.5	5.6
4. संरचना	7.3	7.0	5.2	7.6
III. सेवाएं	**7.9**	**9.1**	**8.9**	**10.0**
5. व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	9.8	11.8	11.4	12.2
6. वित्तीय सेवाएं	8.7	7.1	7.1	9.1
7. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	3.9	5.8	5.9	6.4
IV. घटक लागत पर कुल स.घ.उ. (I+II+III)	4.0	8.5	6.9	8.1

त्व.अ. त्वरित अनुमान सं.अ. - संशोधित अनुमान

(ग) से (ङ) सरकार क्षेत्रकवार विशिष्ट अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। अर्थव्यवस्था की उच्चतर अभिवृद्धि हासिल करने के लिए उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें अन्य बातों के अलावा वर्धित सार्वजनिक निवेश पर बल, कृषि का विविधीकरण, अवसंरचना विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी का संवर्धन तथा एक समर्थकारी नीतिगत माहौल के जरिए उद्योग एवं सेवा क्षेत्रक में अभिवृद्धि को सुकर बनाना शामिल है। इन विभिन्न उपायों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

हथकरघा/हस्तशिल्प हेतु योजनाएं

3628. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प विकास हेतु निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं विपणन सहित हथकरघा/हस्तशिल्प और रेशमकीट पालन के विकास हेतु चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रस्तुत लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) पूर्वोत्तर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम के माध्यम से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखितनुसार है :-

(1) हस्तशिल्प में डिजाइन एवं तकनीकी विकास परियोजनाएं।

(2) बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना।

(3) विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(4) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा के संबंध में उत्पाद सूची, विवरणिका एवं सीडी-रोम का प्रकाशन।

(5) बाँस आधारित सामान्य सुविधा केन्द्र।

(6) निर्यातयोग्य उत्पादों एवं विपणन का विकास (डी.ई.पी.एम.)।

(7) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

(8) पूर्वोत्तर शिल्पों के संवर्धन के लिए विशेष पूर्वोत्तर शिल्प मेला एवं दक्ष शिल्पकारों द्वारा शिल्पों के सीधे प्रदर्शन से युक्त प्रदर्शनियां।

(ख) और (ग) निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं विपणन सहित हथकरघा/हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन क्षेत्रों में इन योजनाओं के संबंध में प्रमुख चालू योजनाओं/परियोजनाओं एवं लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखितनुसार है :-

क्र. सं.	क्षेत्र	योजना का नाम	लंबित प्रस्ताव
1.	हथकरघा	हथकरघा निर्यात योजना (एच.ई.एस.)	शून्य
		दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.)	107
		एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना	1
		विपणन संवर्धन कार्यक्रम	51
		कार्यशाला-सह-आवास योजना	4
		बुनकर कल्याण योजना	4
		10% की दर से एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना	5
2.	हस्तशिल्प	बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	20
		निर्यात संवर्धन योजना	शून्य
		अनुसंधान एवं विकास योजना	शून्य
		डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	7
		विपणन सहायता एवं सेवा योजना	13
		विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएचटीपी)	5
		हस्तशिल्प कारीगारों के लिए बीमा योजना	शून्य
		हस्तशिल्प कारीगारों के लिए ऋण गारंटी योजना	शून्य
3.	रेशम उत्पादन	(क) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	शून्य
		(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड साहायित राज्य विशिष्ट परियोजनाएं	
		(i) असम के बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिलों में मूगा एवं एरी कृषि का विकास	शून्य
		(ii) मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	शून्य
		(iii) मिजोरम के लाई, मारा एवं चकमा जिलों में मूगा एवं एरी कृषि का विकास	शून्य
		(iv) असम (सोनाली सुथा प्रकल्प) में मूगा एवं एरी रेशम का विकास	शून्य
		(v) अरुणाचल प्रदेश में मूगा एवं एरी रेशम का विकास	शून्य
		(vi) नागालैंड में एरी रेशम का विकास	शून्य
		(vii) मणिपुर में ओक तसर के विकास के लिए परियोजना	शून्य
		(viii) अरुणाचल प्रदेश में वन्य रेशम के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना	शून्य

(घ) ये प्रस्ताव प्रक्रिया संबंधी कमियों, निधियों की कमी, उपयोगिता, प्रमाण-पत्र न दिए जाने आदि के कारण रुके हुए हैं अतः इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास संस्थान

3629. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि में से इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) ग्रामीण विकास हेतु राज्य संस्थानों (एस.आई.आर.डी.) को अभी तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या उक्त संस्थानों ने वर्ष 2004-05 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की लक्षित संख्या में से कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ज) कौन-कौन से राज्य उक्त कार्यक्रम में पीछे रह गए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन का राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिवों और राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों के प्रमुखों के साथ प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 27.33 करोड़ रु. के आबंटित बजट में से 26.13 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

(ग) इस योजना को आरंभ करने से लेकर अब तक राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों को 130.70 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(घ) से (ज) राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जो राज्य लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ गए हैं, उन्हें सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक बार लिखा है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रशिक्षण कार्यक्रम		भागीदार	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	220	200	18019	16618
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	34	1595	1192
3.	असम	350	232	15000	15618
4.	बिहार*	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	74	118	2590	4248
6.	गोवा	39	73	1560	2767
7.	गुजरात	350	372	8500	8639
8.	हरियाणा	40	35	1600	929
9.	हिमाचल प्रदेश	80	83	1400	1410
10.	जम्मू-कश्मीर	55	57	1800	1880
11.	झारखंड	17	20	408	476
12.	कर्नाटक	54	82	1354	50889
13.	केरल	84	70	3115	3150
14.	महाराष्ट्र	512	512	20817	19094
15.	मध्य प्रदेश	194	158	-	7241
16.	मणिपुर	96	96	3840	3685
17.	मेघालय	77	77	2925	2814
18.	मिजोरम	28	18	900	590
19.	नागालैंड	51	44	3200	3105
20.	उड़ीसा	106	83	6105	4930
21.	पंजाब	22	162	691	11505
22.	राजस्थान	148	88	6795	2987
23.	सिक्किम	53	29	2060	1808

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	94	85	2820	3151
25.	त्रिपुरा	75	69	1800	1760
26.	उत्तरांचल	41	41	1007	1007
27.	उत्तर प्रदेश	81	42	4540	1556
28.	पश्चिम बंगाल	188	149	7095	4555
	कुल	3181	3029	121536	177604

*बिहार के विभाजन के बाद बिहार में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को नए सिरे से स्थापित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विशेष बोनस

3630. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एस.आई.सी.) ने कुछ पालिसियों के लिए विशेष बोनस की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल.आई.सी. ने वर्ष 2005 के लिए विन्यास पालिसियों पर बोनस में 20% से अधिक की कमी भी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के लिए एल.आई.सी. नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एल.आई.सी. द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पालिसी के आरम्भ होने की तारीख पर निर्भर करते हुए 5/- रुपये प्रति हजार निश्चित राशि पर 50/- रुपए प्रति हजार निश्चित राशि के बीच एक वन-टाइम विशेष बोनस देने की घोषणा की गई है।

(ग) और (घ) एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि इसके निवेशों पर ब्याज दरों में लगातार गिरावट होने के कारण वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 10% की बोनस दर में कमी की गई है।

(ङ) एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि देश में उसकी 2,048 शाखाएं हैं। इनके नेटवर्क को बढ़ाने के काम में, एल.आई.सी. की चालू वित्तीय वर्ष में 30 सेटलाइट सम्पार्क कार्यालय खोलने की योजना है जिसमें 20 कार्यालयों ने पहले से ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है और अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे ही 100 और कार्यालय खुलने जा रहे हैं। इन कार्यालयों को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जायेगा जिससे कि ग्राहक इनसे सम्पर्क कर सकें और प्रीमियम आसानी से जमा कर सकें।

एल.आई.सी. ने यह भी सूचित किया है कि 30.11.2005 की स्थिति के अनुसार, इसके 10.32 लाख एजेन्ट हैं जिनमें इस वर्ष के अप्रैल से 88,382 नए भर्ती किए गए हैं।

आवासीय योजनाएं

3631. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में शुरू की गयी विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ उठाने वाले अपात्र लाभार्थियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में अपात्र लाभार्थियों का चयन किया गया था और प्रत्येक मामले में कितनी राशि लगी हुई है;

(ङ) ऐसे अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) उन मामलों/योजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनमें गृह निर्माण पूरा नहीं किया जा सका?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर देशभर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए आवासों के निर्माण हेतु इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत 14.41 लाख आवासों के लक्ष्य की तुलना में अब तक चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 5.88 लाख आवास बनाए गए हैं।

(ग) से (ङ) आई.ए.वाई. के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र परिवारों की सूची से किया जाता है और ऐसा करते समय चुने गए व्यक्तियों की संख्या को आबंटन के लक्ष्य तक सीमित रखा जाता है। जब कभी मंत्रालय में अपात्र लाभार्थियों के चयन संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं तब इस

मामले को तत्काल उचित उपचारी कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

(च) आई.ए.वाई. मकान का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाना होता है। 2003-04 तथा 2004-05 में योजना के अंतर्गत बताए जाने वाले आवासों की लक्ष्य संख्या 14.84 लाख तथा 15.62 लाख थी। इसकी तुलना में उपलब्धि क्रमशः 13.61 लाख और 15.16 लाख थी। आगामी वित्तीय वर्ष की प्रारम्भिक अवस्था में प्रायः ऐसे आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जाता है जिनका निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा होता है।

लैन्टना कैमरा परियोजना

3632. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैन्टना कैमरा के सदुपयोग संबंधी किसी परियोजना को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब प्रायोजित किया गया और इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय क्या है;

(ग) इस परियोजना के व्यापक उद्देश्य क्या हैं और अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) से (घ) हस्तशिल्प क्षेत्र में लैन्टना कैमरा के उपयोग संबंधी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2003-04 में खवासपुरवा बलरामपुर जिला (उ.प्र.) में मैसर्ज राघवेन्द्र ग्रामीण विकास अनुसंधान संगठन, लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा लैन्टना शिल्प में एक डिजाइन विकास कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद प्रणाली के विविधीकरण हेतु नए डिजाइन प्रोटोटाइप विकसित करना था। इस प्रयोजनार्थ 1.80 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी। कुल मिलाकर 18 प्रोटोटाइप विकसित किए गए तथा इस कार्यशाला से 33 शिल्पियों ने लाभ उठाया।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

3633. डा. के.एस. मनोज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कायमकुलम स्थित एन.टी.पी.सी. कम्बाइंड साइकिल प्रोजेक्ट के चरण-II (1950 मेगावाट) जो एक एल.एन.जी. आधारित विद्युत परियोजना है; के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मौजूदा चरण-1 (350 मेगावाट) के लिए एल.एन.जी. प्राप्त करने की प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा फरवरी 2003 में केरल में कायमकुलम में राजीव गांधी संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना स्टेज-II (1950 मे.वा.) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली रुट के माध्यम से ईंधन के रूप में रीगेसीफाइड लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (आर.एल.एन.जी.)/प्राकृतिक गैस प्राप्त करने पर विचार किया गया था। हालांकि ईंधन आपूर्ति के लिए पूरी बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं। बाद में मई 2005 में, भारत सरकार ने निर्णय किया कि गैस आथारिटी ऑफ इंडिया लि. (जी.ए.आई.एल.), परियोजना के स्टेज-I (350 मे.वा.) और इसके प्रस्तावित विस्तार स्टेज-II (1950 मे.वा.), दोनों के लिए आर.एल.एन.जी. के प्रापण/प्राप्ति को सुनिश्चित करेगी। जी.ए.आई.एल. और एन.टी.पी.सी. के बीच करार की मदों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। परियोजना के लिए भूमि पहले से ही उपलब्ध है। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए जल की उपलब्धता को पहले से ही सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है। एअरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया, से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त की गई है। राजीव गांधी कंबाइंड साइकल विद्युत परियोजना स्टेज-II विस्तार को 11वीं योजना अवधि के दौरान आरंभ किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

खनिजों का उत्खनन

3634. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम सहित खनिजों का कंपनीवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पिछले वर्षों में कुछ कंपनियों के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने देश में एल्यूमिनियम सहित खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों में खनिज उत्पादन (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिग गैस और कोयला तथा लिग्नाइट को छोड़कर) का मूल्य नीचे दिया गया है :-

खनिज उत्पादन

(मूल्य करोड़ रुपए में)

कंपनी	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां	3610	4087	4446
निजी क्षेत्र की कम्पनियां	10376	10678	13345
कुल	13986	14765	17791

एल्युमिनियम एक धातु है, एक खनिज नहीं, जिसे बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन मूल्य खनिज उत्पादन मूल्य में शामिल होता है। एल्युमिनियम का उत्पादन मूल्य नीचे दिया गया है :

एल्युमिनियम उत्पादन

(मूल्य करोड़ रुपए में)

कंपनी	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां	1993	2496	3197
निजी क्षेत्र की कम्पनियां	3480	3976	4548
कुल	5473	6472	7745

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नवत है :-

(i) 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई है।

(ii) गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिज क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) सहित निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है।

(iii) हीरे और मूल्यवान रत्नों को छोड़कर सभी खनिजों में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती हैं; हीरे और मूल्यवान रत्नों के लिए ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 74% तक और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से 100% तक की एफ.डी.आई. की इजाजत दी जाती है।

(iv) टोही परमिट (आर.पी.) की अवधारणा को पूर्व और वास्तविक पूर्वेक्षण प्रचालनों से एक भिन्न चरण के रूप में लागू किया गया है।

(v) राज्य सरकार को आगे और प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा करने और खनन क्षेत्र के निवेश वातावरण में और सुधार करने के उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए श्री अनवर-उल-होदा सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया गया है।

यद्यपि एल्युमिनियम के उत्पादन मूल्य में कोई कमी नहीं आई है, तथापि सरकार ने एल्युमिनियम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वितीय चरण विस्तार को अनुमोदित कर दिया है।

[अनुवाद]

विधि महाविद्यालय/संस्थाएं

3635. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभी तक विधि पाठ्यक्रम वाले कितने महाविद्यालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गयी है;

(ख) इन महाविद्यालयों/संस्थाओं का स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसे नये महाविद्यालय/विद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) विधि पाठ्यक्रमों को चलाने वाले महाविद्यालयों/संस्थाओं की कुल संख्या 689 है।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए महाविद्यालयों/संस्थाओं के राज्यवार और अवस्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में हैं।

(ग) और (घ) व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री की परिषद् द्वारा तारीख 19.9.1998 को गठित प्रशासन और विधिक सरलीकरण संबंधी एक **विशेष विषय समूह** की सिफारिशों के आधार पर, एक ऐसी उत्कृष्ट संस्था के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की, जिसकी मान्यता और प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो और जिसके देश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय विधि विद्यालय होंगे, स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण-I

तारीख 14/10/2005 को देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयो की संख्या

I.	तारीख.....को देश में विविध महाविद्यालयों की संख्या	687
II.	राज्यवार विधि महाविद्यालयों की संख्या	
1.	आंध्र प्रदेश	45
2.	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	30
3.	बिहार और झारखंड	26
4.	छत्तीसगढ़	17
5.	दिल्ली	7
6.	गुजरात	33
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू-कश्मीर	9
9.	कर्नाटक	73
10.	केरल	9
11.	मध्य प्रदेश	91
12.	महाराष्ट्र और गोवा	86
13.	उड़ीसा	28
14.	पंजाब और हरियाणा	26
15.	राजस्थान	57
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	9
17.	उत्तरांचल	12
18.	उत्तर प्रदेश	107
19.	पश्चिम बंगाल	18
	योग	687

विवरण-II

देश में राज्यवार/अवस्थानवार विधि महाविद्यालयों की सूची

महाविद्यालय का नाम	दिए जाने वाला पाठ्यक्रम
1	2
आंध्र प्रदेश	
I. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	
1. यूनीवर्सिटी लॉ कॉलेज, आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. वीरावल्ली कॉलेज आफ लॉ, राजामुंद्री	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. डी.एन. राजू लॉ कॉलेज भीमावरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ लॉ, काकीनाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. पी.एस. राजू लॉ कॉलेज, काकीनाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एम.पी.आर., लॉ कॉलेज, श्रीकाकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. श्री शिरिडी साई विद्या परिषद लॉ कॉलेज, अनाकापल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. एम.आर.वी.आर.जी.आर. लॉ कॉलेज विजयानगरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. एन.बी.एम. लॉ कॉलेज विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. एन.वी.पी. लॉ कॉलेज विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. श्री शिरिडी साई विद्या परिषद् लॉ कॉलेज, अमालापुरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. आल सेंटस क्रिश्चियन लॉ कॉलेज, विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
13. जी.एस.के.एम. लॉ कॉलेज, राजामुंद्री	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. सी.आर.आर. लॉ कॉलेज, एलूरू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डा.बी.आर. अंबेडकर पी.जी. सेंटर, एचेरला श्रीकाकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर	
1. ए.सी. कालेज, गुंटूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. वी.डी. सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, विजयवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. डी.एस.आर. हिन्दू लॉ कॉलेज, मछलीपटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. इंदिरा प्रियदर्शनी, लॉ कॉलेज, आंगोले	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. जे.सी. कालेज गुंटूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	
1. यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ लॉ, काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. आदर्श लॉ कॉलेज, वारंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. मानेर कॉलेज ऑफ लॉ, खम्माम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. जस्टिस कुमार्य कॉलेज ऑफ लॉ, करीम नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. नेशनल अकेडेमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद	**5 वर्षीय पाठ्यक्रम**
V. उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सुल्तान-उल-उलूम लॉ कॉलेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. पाडला राम रेड्डी लॉ कॉलेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डा. अंबेडकर लॉ कॉलेज, चिकादापल्ली, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. पानूगोटी माधव राव लॉ कॉलेज, सिकंदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. के.वी. रंगारेड्डी लॉ कॉलेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. कालेज फार वूमेन, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. महात्मा गांधी लॉ कॉलेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. पेंटाकांती लॉ कॉलेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. विजया लॉ कॉलेज, नालगोंडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. श्री कृष्णदेवरिया विश्वविद्यालय, अनंतपुर	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ लॉ, एस.के. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री विजया नगर लॉ कॉलेज, अनंतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. श्री प्रसून कॉलेज ऑफ लॉ, कूर्नूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
VII. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VIII. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	
1. आर.के.एम. लॉ कॉलेज, चित्तूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2 डा. बी.आर. अंबेडकर, लॉ कॉलेज, तिरुपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. वी.आर. लॉ कॉलेज, नेल्लोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. श्री बासी रेड्डी कॉलेज आफ लॉ, कुडप्पा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. श्रीमती बासवा रामा ताराकम मेमोरियल लॉ कॉलेज, कुडप्पा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. श्री वेंटेश्वर कॉलेज आफ लॉ, तिरुपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
असम	
I. असम विश्वविद्यालय, सिलचर	
1. करीमगंज लॉ कॉलेज, करीमगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. दीपू लॉ कॉलेज, दीपू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. ए.के. चंदा लॉ कॉलेज, सिल्चर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	
1. जोरहट, लॉ कॉलेज, जोरहट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. नार्थ लखीमपुर लॉ कॉलेज, नार्थ लखीमपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. तिनसुखिया लॉ कॉलेज, तिनसुखिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	
1. यूनीवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. बी.आर.एम. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. बारपेटा लॉ कॉलेज, बारपेटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. धुबरी लॉ कॉलेज, धुबरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. तेजपुर लॉ कॉलेज, तेजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. गोलपारा लॉ कॉलेज, गोलपारा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. बोंगाइगांव लॉ कॉलेज, बोंगाइगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. नौगांव लॉ कॉलेज, नौगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. दिसपुर लॉ कॉलेज, दिसपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. कोकराझार लॉ कॉलेज, मंगलदेई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. मंगलदेई लॉ कॉलेज, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. जे.बी. लॉ कॉलेज, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. नलबाड़ी लॉ कॉलेज, नलबाड़ी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
बिहार और झारखंड	
I. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	
1. एस.के.जे. लॉ कॉलेज, मुजफ्फरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. मुंशी सिंह लॉ कॉलेज, मोतिहारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी, लालू नगर, मधुपेरा	
1. सूर्यदेव लॉ कॉलेज, कटिहार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सी.के.एम. लॉ कॉलेज, अरारिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. बृज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज, पूर्णिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. आर.एम.एम. लॉ कॉलेज, सहरसा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एस.पी. मंडल लॉ कॉलेज, मधेपुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. एल.एन. मिथिला युनिवर्सिटी, दरभंगा	
1. सी.एम. लॉ कॉलेज, दरभंगा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. समस्तीपुर लॉ कॉलेज, समस्तीपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया	
1. नवादा लॉ कॉलेज, नवादा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. आर.पी.एस. लॉ कॉलेज, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. कालेज आफ कॉमर्स, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. अनुग्रह मैमोरियल लॉ कॉलेज, गया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. पटना यूनिवर्सिटी, पटना	
1. पटना लॉ कॉलेज, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. रांची यूनिवर्सिटी, रांची	
1. छोटानागपुर लॉ कॉलेज, रांची	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. को-आपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. तिल्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	
1. टी.एन.बी. लॉ कॉलेज, भागलपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. महादेव सिंह लॉ कॉलेज, भागलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. विश्वनाथ सिंह इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, मुंगेर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VIII. वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	
1. महाराजा कॉलेज, आरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय, बक्सर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. रोहतास महाविद्यालय, सासाराम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
X. विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	
1. लॉ कॉलेज, धनबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. इमामुल हई खान लॉ कॉलेज, बोकारो स्टील सिटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. झारखंड विधि महाविद्यालय, कोडरमा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा)	
I. पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	
1. विधि विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. विधि विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्षेत्रीय केन्द्र मुक्तसर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. रैयत कॉलेज ऑफ लॉ, रेलमाजरा, जिला नवाशहर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
छत्तीसगढ़	
I. गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	
1. कौशलेन्द्र राव लॉ कॉलेज, बिलासपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. स्वामी बालकृष्ण पुरी लॉ कॉलेज, रायगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अंबिकापुर, जिला सरगुजा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट ठाकुर छेदीलाल लॉ कॉलेज, जांजगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. डी.पी. विप्रा लॉ कॉलेज, बिलासपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	मान्यता के लिए निरीक्षण लंबित
III. पं. रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर	
1. दि स्कूल ऑफ पी.जी. स्टडीज इन लॉ, पं. रवि शंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एस.के.टी.डी. लॉ कालेज, रायपुर (सौ. कुसुम ताई दाबके लॉ कालेज)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट कॉलेज, धमतरी, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट डी.के. कॉलेज, बलोदाबाजार, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. गवर्नमेंट कॉलेज, बस्तर, कांकेर (बी.पी. देव गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, कांकेर)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. कल्याण लॉ कॉलेज, भिलाईनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जगदलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. आर.सी.एस. लॉ कालेज, दुर्ग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. पं. किशोरी लाल शुक्ला लॉ कालेज, राजनंदगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. गवर्नमेंट साइंस, आर्ट और कॉमर्स लॉ कालेज, बलोद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
दिल्ली	
I. दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	
1. कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
2. लॉ सेंटर नं. 1, यूनिवर्सिटी कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. लॉ सेंटर नं. 2, ए.आर.एस.डी. कालेज, धौलाकुआं	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली	
1. विवेकानंद इन्स्टिट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. स्कूल आफ लॉ एंड स्टडीज, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एमिटी लॉ स्कूल, नई दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. जामिया मीलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	
1. फैकल्टी ऑफ लॉ, जामिया मीलिया इस्लामिया, जामिया नगर, दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
गोवा	
I. गोवा यूनिवर्सिटी, बम्बोलिम	
1. वी.एम. सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. जी.आर. कारे कॉलेज ऑफ लॉ, गोवा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
गुजरात	
I. भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	
1. सेठ एच.जे. लॉ कॉलेज, विद्यानगर, भावनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	
1. विवेकानंद कॉलेज आफ कामर्स एंड लॉ, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सर एल.ए. शाह लॉ कॉलेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. आई.एम. नानावती लॉ कॉलेज, लाल दरवाजा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. मानेकलाल नानावती लॉ कॉलेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. दौलतभाई त्रिवेदी लॉ कॉलेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. लॉ कालेज, गोधरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. सेठ दोसाभाई लालचंद लॉ कालेज, भुज (कच्छ)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. एम.एस. भगत एंड सी.एस. सोनावाला लॉ कालेज, नांदेड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, गांधीनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	मान्यता के लिए निरीक्षण लंबित
IV. महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा	
1. फैकल्टी ऑफ लॉ, एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. हेमचन्द्राचार्य उत्तरी गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	
1. श्री एस.एम. शाह लॉ कॉलेज, महेसाणा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री एन.एस. पटेल लॉ कॉलेज, मोदासा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
3. सेठ एम.एन. लॉ कॉलेज, पाटन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. सेठ वी.एस. लॉ कॉलेज, ऊन्धा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. हिम्मत नगर केलवानी मंडल लॉ कालेज, मोतीपुरा, हिम्मत नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. बानासकंठा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड लॉ कालेज, पालनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्या नगर	
1. आनंद लॉ कालेज, आनंद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	
1. लॉ कॉलेज, जूनागढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डी.डी. कोटीवाला म्यूनिसिपल लॉ कॉलेज, पोरबंदर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. ए.एम.पी. लॉ कॉलेज, राजकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. श्रीमती एस.एस. अजमेरा म्यूनिसिपल लॉ कॉलेज, गोंडल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. के.पी. शाह लॉ कालेज, जामनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एम.एस.डी. कोटक लॉ कॉलेज, अमरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. के.ए. पांधी इंगलिश मीडियम लॉ कॉलेज, राजकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. श्री एच.एम. पटेल महिला लॉ कॉलेज, जूनागढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VIII. दक्षिणी गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	
1. वी.टी. चोक्सी सार्वजनिक लॉ कॉलेज, सूरत	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. दिनशॉ दाबू लॉ कालेज, नवसारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. महा मंडलेश्वर श्री कृष्णानंदजी लॉ कॉलेज, भरुआ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, कामरेज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एस.के.एम. लॉ कॉलेज, तीथल रोड, वलसाड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
हरियाणा	
I. चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ लॉ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. छज्जू राम लॉ कॉलेज, हिसार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. भारत इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ, फरीदाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. पी.एस.डी. गर्ल्स कॉलेज, खानपुरकलां	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
हिमाचल प्रदेश	
I. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	
1. फैकल्टी ऑफ लॉ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, रिजनल सेंटर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, धर्मसाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ लॉ, सिरमौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एल.आर. इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, सोलन	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
जम्मू-कश्मीर	
I. कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सोपोर लॉ कालेज, सोपोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. कश्मीर 3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, श्रीनगर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डोगरा लॉ कॉलेज, जम्मू	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. के.सी. लॉ कालेज, जम्मू	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. सी.एम.एच. कॉलेज आफ लीगल स्टडीज, जम्मू	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. अशोका लॉ कॉलेज, कठुआ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. कैलिओप स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, जम्मू	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
कर्नाटक	
I. बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. बी.एम.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. के.एल.ई. सोसाइटीज लॉ कॉलेज, राजाजी नगर, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डा. राम मनोहर लोहिया कॉलेज ऑफ लॉ, जयानगर, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. बंगलौर इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, जयानगर, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एम.एस. रामैय्या लॉ कॉलेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. विवेकानंद कॉलेज आफ लॉ, राजाजी नगर, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. बी.ई.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, जयानगर, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. बाबू जगजीवन राम लॉ कॉलेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोलार	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. के.जी.एफ., लॉ कॉलेज, कोलार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. राजीव गांधी लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
13. एल-अमीन लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. बिशप कॉटन वुमेन्स क्रिस्वियन लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. विश्वेश्वरपुरा कॉलेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. शेशाद्रीपुरम् लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. विद्योदया लॉ कॉलेज, टुमकुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. पंचमी कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
19. श्री कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ, टुमकुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
20. आक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
21. सी.एम.आर. लॉ स्कूल, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
22. श्री जगदगुरु रेणुकाचार्या कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
23. सर्वोदय लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
24. इन्दिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
25. श्री बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
26. टीचर्स लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
27. श्री आर.ई.टी.एस.आर.के. लॉ कॉलेज, बंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
28. बसावाश्री कॉलेज ऑफ लॉ, कोलार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
29. केमपेगोडा लॉ कॉलेज, चिकबल्लापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
30. अरुणोदय इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. गुलबर्ग यूनिवर्सिटी, गुलबर्ग	
1. एच.के.ई. सोसाइटीज सेठ शंकरलाल लाहौती लॉ कॉलेज, गुलबर्ग	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. के.पी.ई. सोसाइटीज सिद्धार्त लॉ कॉलेज, गुलबर्ग	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एस.एस. सेठ चुन्नीलाल अमरचंद बोहरा लॉ कॉलेज, रायचूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. के.आर.ई. सोसाइटीज आर.वी. बिडैप लॉ कॉलेज, बिदर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. श्री महादेवप्पा गद्दागी लॉ कॉलेज, बिदर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. वी.वी.वी. संघाज वुंकी सान्नरुद्रप्पा लॉ कॉलेज, बेल्लारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. जवाहर लॉ कॉलेज, यादगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. के.पी.ई.एस. लॉ कॉलेज, धारवाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. हुराकादली लॉ कॉलेज, धारवाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. जी.एस.के. लॉ कॉलेज, विद्यानगर, हुबली	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एस.ए. मानवी लॉ कॉलेज, गादाग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
6. के.एल.ई. सोसाइटीज बी.वी.बलाद लॉ कॉलेज, बेलगाम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. राजा लक्ष्मी गोवदा लॉ कॉलेज, बेलगाम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. बी.वी.वी. संघस एस.सी. नंदीमठ लॉ कॉलेज, बंगालकोट	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. जे.एस.एस. साकरी लॉ कॉलेज, हुबली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. एम.ई.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, सिरसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. अंजुमन लॉ कॉलेज, बीजापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. आर.टी.ई.एस. लॉ कालेज, रेनीबेनुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. के.आर.सी.ई. सोसाइटीज लॉ कॉलेज, बेलहोंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. श्री लक्ष्मणराव जारकोहोली लॉ कॉलेज, गोकाक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. के.एल.ई. सोसाइटीज लॉ कॉलेज, छिकोडी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. श्री सिद्धेश्वर लॉ कॉलेज, बीजापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. बी.एल.डी.ई. एसोसिएशनश 5 ईयर लॉ कॉलेज, जामखंडी	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. ए.एस.एन.एस. महात्मा गांधी जी लॉ कॉलेज, सांकेशवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, शिमोगा	
1. एम.के. श्रीनिवासा शेट्टी लॉ कॉलेज, चिकमंगलूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सागर गंगोत्री कॉलेज ऑफ लॉ, सागर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. सी. भीमा सेना राव नेशनल कॉलेज लॉ, शिमोगा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एस.जे.एम. लॉ कॉलेज, छित्रा दुर्गा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. आर.एल. लॉ कॉलेज, देवनगेरे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. सरस्वती लॉ कॉलेज, छित्रादुर्गा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	
1. वैकुन्टा बेलीगा कालेज ऑफ लॉ, उडुपी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर लॉ कॉलेज, मंगलौर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. के.वी.जी. लॉ कॉलेज, सुलिया	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. विवेकानन्द लॉ कॉलेज, पुटुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	
1. शारदा विलास लॉ कालेज, मैसूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. जे.एस.एस. लॉ कालेज, मैसूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. विद्या वर्धाका लॉ कॉलेज, मैसूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. महाजन लॉ कालेज, जयलक्ष्मीपुरा, मैसूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एम. कृष्णा लॉ कॉलेज, हसन	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
6. पी.ई.एम. लॉ कॉलेज, मनङ्था	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. के.एन. नागोगवडा लॉ कॉलेज, मनङ्था	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
केरल	
I. कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	
1. राजकीय लॉ कॉलेज, कोझीकोड	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. राजकीय लॉ कॉलेज, थ्रिसुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नालोजी, कोचीन	
1. स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, कोचीन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. नेशनल इस्टीट्यूट फॉर एडवान्स लीगल स्टडीज, कोचीन	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. कन्नुर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	
1. सेंटर फार लीगल स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, थालासेरी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. केरल यूनिवर्सिटी, थिरुवनंथमपुरम	
1. राजकीय लॉ कॉलेज, थिरुवनंथमपुरम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. केरल लॉ अकेडमी लॉ कॉलेज, थिरुवनंथमपुरम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोटायम	
1. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इराकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. दि स्कूल आफ इंडियन लीगल थोट, कोटायम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
मध्य प्रदेश	
I. अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	
1. टी.आर.एस. कॉलेज, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट एस.के.एन. (पी.जी.) कॉलेज, मऊगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एन.एस. कॉलेज, छेकाघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एस.वी. कॉलेज, टियोनथर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. लॉ कॉलेज, सतना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल एंड, शहडोल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. गवर्नमेंट कॉलेज, सीधी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज, सिंगरौली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. रानी दुर्गावती महाविद्यालय, सतना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. ईश्वर चंद विद्यासागर विधि महाविद्यालय, जावा, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. विध्यांचल महाविद्यालय, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. मंगलम लॉ कॉलेज, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. श्री युत विधि महाविद्यालय, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
14. स्वामी नीलकंठ महाविद्यालय, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. जनता विधि महाविद्यालय, गोहपारू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	
1. सैफिया आर्ट, कामर्स एंड ला कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. रवीन्द्र कॉलेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. राजीवगांधी कॉलेज, भोपाल	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, सहोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एस.एस.एल. जैन कॉलेज, विदिशा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एल.बी.एस. कॉलेज, गंज बसोदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, नरसिंहगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. गवर्नमेंट कॉलेज, राजगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. गवर्नमेंट नर्मदा कॉलेज, होशंगाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, पिपरीया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. लॉ कालेज, बेतूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. कैरियल कॉलेज ऑफ लॉ, भोपाल	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, बरकतुलाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. मदन महाराज लॉ कॉलेज, भोपाल	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. बोनोह फोई कॉलेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. राजीव गांधी कॉलेज, इटारसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. गवर्नमेंट राज्य लॉ कॉलेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. भोज विधि महाविद्यालय, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
19. जय हिंद डिफेंस कॉलेज ऑफ लॉ, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	
1. गवर्नमेंट आर्ट एंड कामर्स कॉलेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एम.एन.एल. लॉ कॉलेज, खंडवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, धार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट कॉलेज, झाबुआ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. गवर्नमेंट कॉलेज, खारगोन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. सेवा सदन कॉलेज, बुरहानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, बरवानी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
9. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अलीराजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. इंदौर इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. आर.सी. जॉल लॉ कालेज, मऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. श्री वैष्णव इस्टीट्यूट ऑफ लॉ कालेज, इंदौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. श्री गुरू गोबिंद सिंह लॉ कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. एम.बी. खालसा लॉ कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. स्कूल ऑफ लॉ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. क्रिश्चियन एमिनेंट एकेडमी आफ मैनजेमेंट, प्रोफेशनल एडुकेशन एंड रिसर्च, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. डॉ. हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सागर	
1. जे.एल.बी. लॉ कॉलेज, दमोह	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, बीना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. सतपुरा लॉ कॉलेज, छिंदवाडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डिपार्टमेंट आफ लॉ, डॉ. हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. डी.बी.सी. महाविद्यालय, पन्ना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, छिंदवाडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	
1. माधव महाविद्यालय, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. महारानी लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ एक्सीलैंस, ग्वालियर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. महात्मा गांधी लॉ कॉलेज, ग्वालियर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट एम.जे.एस. महाविद्यालय, भिंड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, शिवपुरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. गवर्नमेंट पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. ईंस्टीटयूट ऑफ लॉ, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. गवर्नमेंट पी.जी. महाविद्यालय, गुना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. गुरुकुल कालेज ऑफ लॉ, दतिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. जे.पी. गुप्ता इस्टीट्यू आफ लॉ, ग्वालियर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. गवर्नमेंट नेहरू महाविद्यालय, अशोक नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. नेशनल लॉ इस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	5 वर्षीय पाठ्यक्रम मान्यता के लिए निरीक्षण लंबित
VII. रानी दुर्गावती युनिवर्सिटी, जबलपुर	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. हितकारिणी लॉ कॉलेज, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
3. एन.ई.एस. लॉ कॉलेज, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, नरसिंहपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, बालघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, सोयनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. गवर्नमेंट एस.एस.पी. पोस्ट ग्रेजेएट महाविद्यालय, वरासोइनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. गवर्नमेंट आर.डी.सी. पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, मंडला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. संजय गांधी लॉ कॉलेज, कटनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. सैन्ट्रल इंडिया लॉ इस्टीट्यूट, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. नीलकंठ विधि महाविद्यालय, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VIII. विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	
1. गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज, आगर, मालवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट के.पी. कॉलेज, देवास	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. के.एन. काटजु लॉ कॉलेज, रतलाम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. बी.एस.एन. गवर्नमेंट कॉलेज, शाजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट जे.एन.एस. कॉलेज, शुजालपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. माधव गवर्नमेंट, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. संदीपानी लॉ कॉलेज, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. श्री जे.एन. विधि महाविद्यालय, मंदसौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. ज्ञान मंदिर कॉलेज, नीमच	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. नव संवत लॉ कॉलेज, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
महाराष्ट्र	
I. संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	
1. डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज आफ लॉ, अमरावती	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्रीमती सीता बाई आर्ट कालेज, अकोला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. अमोलकचंद महाविद्यालय, यावतमल	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एडवोकेट रामाकृष्णाजी राठी लॉ कालेज, वाशिम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. विनायक विद्यामंदिर कालेज आफ लॉ, अमरावती	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. श्री रामभाहु शेलके लॉ कालेज, खामगांव	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. मुकुल वासनिक कालेज आफ लॉ, बुलदाना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. अकोला लॉ कालेज, अकोला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, पुणे	
1. भारती विद्यापीठ का न्यू लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
III. डॉ, बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	
1. डॉ, अम्बेडकर लॉ कॉलेज, औरंगाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. एन.पी.वी.एन. पाटिल लॉ कॉलेज, सी.आई.डी.सी.ओ. औरंगाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एम.पी. लॉ कॉलेज, औरंगाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. स्वामी विवेकानंद शिक्षण लॉ कॉलेज, ओसमानाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एम.एस.पी. मंडलस लॉ कॉलेज, बीड	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. मत्स्योदरी शिक्षण संस्था लॉ कॉलेज, जालना	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	
1. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चर्च गेट, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. न्यू लॉ कॉलेज, मटुंगा, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, फोर्ट, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. के.सी. लॉ कॉलेज, चर्च गेट, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गोपालदास झामेतमल आडवाणी लॉ कॉलेज, बांद्रा, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. डॉ. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, वडाले, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. जितेन्द्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ, विले पारले, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. वी.पी. मंडलस थाने म्यूनीसीपल कांऊसिलस लॉ कॉलेज, थाने	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. नालंदा लॉ कॉलेज, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. पदमश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. रिजवी लॉ कॉलेज, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. महात्मा गांधी मिशनस् कॉलेज ऑफ लॉ, नवी मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. एम.जी.ई. सोसाइटी पिल्लै स् लॉ कॉलेज, नवी मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. एडवोकेट दत्ता पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, अलीबाग	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. हैदराबाद (सिंध) नेशनल कालेजिएट बोईस् नवी गुरशाहनी लॉ कालेज, उल्हासनगर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. आर.ई. सोसाटीस श्रीमान भागोजीसेठ कीर लॉ कालेज, रतनागिरी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	
1. डॉ. अम्बेडकर लॉ कॉलेज, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डॉ. अम्बेडकर लॉ कॉलेज, दीक्षा भूमि	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एन.एम.डी. आर्ट्स और कामर्स कॉलेज, गोंडिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. यशवंत कॉलेज, वर्धा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. जी.एच. रायसोनी लॉ स्कूल, नागपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. जय महाकाली शिक्षण संस्थान लॉ कॉलेज, वर्धा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
7. संतराम पोटदुखे नेशनल अकादमी फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, चंद्रपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी. (आनर्स)
8. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, भंडारा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. सेंट्रल इंडिया कालेज ऑफ लॉ, नागपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. एम.बी. पटेल डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ, भंडारा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव	
1. के.सी.एस. सोसाइटी एस.एस. मणियर लॉ कॉलेज, जलगांव	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर मेमोरियल लॉ कॉलेज, धुले	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. नन्दुरबार तालुक विद्यालय समितिज कॉलेज ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडूकेशन एंड रिसर्च, नन्दुरबार	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डॉ. उल्हास पाटिल लॉ कॉलेज, जलगांव	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. के.ई. सोसाइटीज लॉ कॉलेज, अमलनेर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	
1. दि न्यू लॉ कॉलेज, अहमदनगर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. एम.जी. विद्या मंदिर के.बी. लॉ कॉलेज, मालेगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. आई.एल.एस. लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. ए.बी.एम.एस.पी.वाई. राव चव्हाण लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एम.सी.ई. सोसाइटीज ए.के. खान लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एन.बी. ठाकुर लॉ कॉलेज, नासिक	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. विद्या प्रतिस्थान लॉ कॉलेज, बारामती	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. खसदुर गोविंदराव आदिक लॉ कॉलेज, श्रीरामपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. पदमश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. नवजीवन लॉ कॉलेज, नासिक	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. लॉ कॉलेज, खारदी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. एस,पी. संस्था लॉ कॉलेज, संगमनेर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. बालाजी लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. सिंघड लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. राजश्री शिवराज प्रतिष्ठान्स महाराष्ट्र लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. श्री शिवाजी मराठा सोसाइटी लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. पी.ई.एस. माडर्न लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. डी.ई.एस. लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
19. एन.डी.एम.वी.पी. समाज लॉ कॉलेज, नासिक	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
20. अभिनव एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
VIII. शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	
1. शाहाजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. न्यू लॉ कॉलेज, कोल्हापुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एन.एस. लॉ कॉलेज. सांगली	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. इसमाइल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेज, सतारा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. डी.जी.बी. दयानन्द लॉ कॉलेज, सोलापुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. राजर्षि साहू लॉ कॉलेज, बारसी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. प्रियदर्शनी ध्यान प्रबोधिनी लॉ कॉलेज, फाल्टन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेज, खारद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. न्यू लॉ कॉलेज, सांगली	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. कर्मवीर अडुमबर पाटिल लॉ कॉलेज, पंडारपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
IX. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड	
1. दयानंद लॉ कॉलेज, लातूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री शिवाजी लॉ कॉलेज, कांधार	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कॉलेज, नान्देड	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. श्री शिवाजी लॉ कॉलेज, प्रभानी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. बी.बी.एस.पी. मंडल संत तुकराम लॉ कॉलेज, उदगीर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. श्री सेवादास शिक्षण परसरक मंडल महात्मा गांधी लॉ कॉलेज, नांदेड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
X. सिंबियोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी, पुणे	
1. सिंबियोसिस सोसाइटीज लॉ कॉलेज, पुणे	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
मणिपुर	
I. मणिपुर यूनिवर्सिटी, इंफाल	
1. एल.एम.एस. लॉ कॉलेज, इम्फाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ, ओनियम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एल.एम.जी. मेमोरियल लॉ कॉलेज, चुराचांदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
मेघालय	
I. नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	
1. शिलांग लॉ कॉलेज, शिलांग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. तुरा लॉ कॉलेज, तुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. खत-अर-दोलोई लॉ कॉलेज, जोवाई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
मिजोरम	
I. मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजौल	
1. मिजोरम लॉ कॉलेज, आइजौल (पुराना नाम आइजौल, लॉ कॉलेज है)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
नागालैंड	
I. नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	
1. कोहिमा लॉ कॉलेज, कोहिमा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. मोकोक्चुंग लॉ कॉलेज, मोकोक्चुंग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. सिटी लॉ कॉलेज, दीमापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
उड़ीसा	
I. बहरामपुर यूनिवर्सिटी, बहरामपुर	
1. लिंगराज लॉ कॉलेज, बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गंजम लॉ कॉलेज, बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. जेपोर लॉ कॉलेज, जेपोर, बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. बहरामपुर लॉ कॉलेज, ब्रह्मपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	
1. बालासोर लॉ कॉलेज, बालासोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. भद्रक लॉ कॉलेज, भद्रक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. संभलपुर यूनिवर्सिटी, संभलपुर	
1. लाजपत राय लॉ कॉलेज, संभलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. राउरकेला लॉ कॉलेज, राउरकेला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. बालगंगाधर तिलक लॉ कॉलेज, सोनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. बालनगीर लॉ कॉलेज, बालनगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. बारगढ़ लॉ कॉलेज, बारगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. कालाहांडी लॉ कॉलेज, कालाहांडी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर लॉ कॉलेज, कालाहांडी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, मयूरभंज	
1. क्योंझर लॉ कॉलेज, क्योंझर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. मयूरभंज लॉ कॉलेज, डाकघर बरीपाडा, जिला मयूरभंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	
1. गंगाधर मोहापात्रा लॉ कॉलेज, पुरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. कैपिटल लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. कलिंग लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. जगजीवन राम लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. श्री विश्वगुरु लॉ कॉलेज, कलिबदा, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. बिराज लॉ कॉलेज, जाजपुर, जिला कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
7. मधुसूदन लॉ कालेज, कटक	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. डी.एस.लॉ कॉलेज, केन्द्रपारा, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. दि लॉ कॉलेज, मनु साहू छाक, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. अथगढ़ लॉ कालेज, अथगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. गोकुलनंद महारथी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. धेनकानेल लॉ कॉलेज, धेनकानेल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, वानी विहार, भुवनेश्वर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
पांडिचेरी	
I. पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी	
डॉ. अम्बेडकर लॉ कॉलेज, पांडिचेरी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
पंजाब	
I. गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी, रीजनल सेंटर गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, जालंधर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. रीजनल सेंटर, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, गुरुदासपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, जालंधर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. लवली इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, फगवाड़ा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. वी.एम.एस. लॉ कॉलेज, जालंधर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज, जालंधर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. के.सी.एल. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज फार वूमन, जालंधर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पटियाला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गुरु काशी रीजनल सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी, भटिंडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. भाई गुरदास कॉलेज ऑफ लॉ, संगरूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. लिंकन कॉलेज ऑफ लॉ, पटियाला	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. बाबा फरीद लॉ कॉलेज, फरीदकोट	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. सरदार अमरजीत सिह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, धनथल	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. रायट एंड बहाराज कॉलेज ऑफ लॉ, सहारौन	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
राजस्थान	
I. जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	
1. फैकल्टी ऑफ लॉ, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
2. महिला विधि महाविद्यालय, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. जोधपुर लॉ कालेज एंड रिसर्च सेंटर, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	
1. श्री एम.एल.वी. गवर्नमेंट कॉलेज, भीलवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट, कॉलेज, अजमेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गवर्नमेंट बेंगुर कॉलेज, पाली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय कॉलेज, नागौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. डॉ. अम्बेडकर विधि महाविद्यालय, टोंक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. रणथम्भौर लॉ कॉलेज, सवाई माधोपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. राजीव गांधी महाविद्यालय, टोंक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. मोहनलाल सुखाडिया युनिवर्सिटी, उदयपुर	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, एम.एस. यूनिवर्सिटी, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. डॉ. नागेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ लॉ, भारतीय विद्या मंदिर, बंसवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, सिरोही	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. भोपाल नोबेल लॉ कॉलेज, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. वर्धमान कॉलेज उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. द्वारकेश लॉ कॉलेज, राजसमंद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	बी.बी.ए. एल.एल.बी. बी.एस.एस. एल.एल.बी. रिकगनाइज्ड
V. राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	
1. बी.एस.आर. गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. एस.के. गवर्नमेंट कॉलेज, सिकार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. गवर्नमेंट कॉलेज, धौलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. खंडेलवाल लॉ कॉलेज, भतरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. जयपुर लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. विद्यास्थली लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. महात्मा ज्योती राव फूले वीमन्स लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. संजय गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. राजपुताना लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
13. सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज, झुंझनू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, सेंटर 2, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. भगवान महावीर लॉ कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. आकाशदीप गर्ल्स लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. दौसा लॉ कॉलेज, दौसा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
19. सेंट विलफ्रेड कॉलेज, आफ लॉ, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
20. महावीर लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
21. श्री भवानी निकेतन लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
22. राजस्थान लॉ कॉलेज, सीकर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
23. आर्य कन्या विधि महाविद्यालय, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
24. राजस्थान लॉ कॉलेज, चिड़वा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
25. श्री कृष्णा अकादमी ऑफ लीगल स्टडीस, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
26. राजधानी लॉ कॉलेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	
1. बी.जे.एस.आर. जैन कॉलेज, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गर्वनमेंट डूंगर कालेज, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गर्वनमेंट लोहिया पी.जी. कालेज, चुरु	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. एन.एम. लॉ कॉलेज, हनुमानगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. सेठ जी एल. बिहानी एस.डी. कॉलेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. एस.जी.एन. खालसा कॉलेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. गर्वनमेंट पी.जी. कॉलेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. ज्ञान विधि महाविद्यालय, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	
1. भारत लॉ कॉलेज, कोटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गर्वनमेंट कॉलेज, कोटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गर्वनमेंट कॉलेज, झालावाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गर्वनमेंट कॉलेज, बूंदी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. वीना मेमोरियल लॉ कॉलेज, कारोली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
सिक्किम	
I. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर	
1. सिक्किम गर्वनमेंट लॉ कॉलेज, सिक्किम	5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
तमिलनाडु	
I. तमिलनाडु डा. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई	
1. सेंट्रल लॉ कॉलेज, सालेम	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तिरुनेलवेल्ली	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, त्रिची	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कॉयम्बंटूर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. डा. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चेन्नई	5 वर्षीय (विधि स्नातक) आनर्स
6. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मदुरई	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. स्कूल ऑफ एक्सीलैंस, तमिलनाडू डा. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई	5 वर्षीय (विधि स्नातक) आनर्स
8. यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, द तमिलनाडु डा. अंबेडकर विश्वविद्यालय, चेंगलपट्टू	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
त्रिपुरा	
I. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	
1. त्रिपुरा गर्वमेंट लॉ कॉलेज, अगरतला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
I. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल	
1. डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. एस.आर.टी. कांस्टी. कॉलेज, टेहरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. डा.बी.जी. रेड्डी कान्स्टी कॉलेज, पौड़ी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गोपेश्वर, गढ़वाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. सुशील देवी सेंटर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ कॉलेज, देहरादून	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. यूनीसन लॉ कॉलेज, देहरादून	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. बीशंबपुर सहाय लॉ इंस्टीट्यूट, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. बी.एस.एम. लॉ कॉलेज, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. रुड़की लॉ कॉलेज, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, देहरादून	
1. स्कूल ऑफ लॉ, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, देहरादून	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	
1. विधि संकाय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. चाणक्य लॉ कॉलेज, रुद्रपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
उत्तर प्रदेश	
I. अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	
1. विधि संकाय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
1. विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
2. इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
III. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	
1. यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	
1. बुन्देलखंड कॉलेज, झांसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. बी.जी.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बुन्देलखंड	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (पूर्व में मेरठ विश्वविद्यालय)	
1. मेरठ कॉलेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. एन.ए.एस. कॉलेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डी.ए.वी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. ट्रान्सलेम कॉलेज ऑफ लॉ, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. आई.आई.एम.टी. लॉ कॉलेज, मेरठ	3 वर्षीय और 5वर्षीय पाठ्यक्रम
9. मेवाड़ इन्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. आई.एम.ई. लॉ कॉलेज, साहिबाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. आई.पी.एस. लॉ कॉलेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. आई.एम.आर.ला. कॉलेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. जनहित कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोयडा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. इन्टिग्रेटेड स्कूल ऑफ् लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. लॉयड लॉ कॉलेज, ग्रेटर नोयडा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. एस.डी. कॉलेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. दून लॉ कॉलेज, सुन्दरपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. बी.डी.एस. स्कूल ऑफ लॉ, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
19. आई.टी.एस. लॉ कॉलेज, मोहन नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय
20. मोडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
21. हरि कॉलेज ऑफ लॉ, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
22. हरलाल स्कूल ऑफ लॉ, ग्रेटर नोयडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
23. आई.एम.एस. लॉ कॉलेज, नोयडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
24. दीन दयाल कॉलेज, ऑफ लॉ, मुझापर नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
25. दीवान लॉ कॉलेज, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
26. एमेटी लॉ स्कूल, ग्रेटर नोयडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
27. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
28. फूलवती देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, तातिरी	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
29. संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
30. आई.पी.ई.एम. लॉ एकादमी, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
31. स्वामी वीवेकानन्द लॉ कॉलेज, हापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
32. भागवती कॉलेज ऑफ लॉ, मरेठ	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
33. श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ, मुझापर नगर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
34. यूनीक लॉ कॉलेज, मुरादाबाद, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
35. एस.वी.एम. लॉ कॉलेज, बुलन्दशहर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
36. दीपांशू लॉ कॉलेज, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय)	
1. बाबू शीवनाथ अग्रवाल कॉलेज, मथुरा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री वार्ष्णेय कॉलेज, अलीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. आदित्य कॉलेज ऑफ लॉ, आगरा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. हरी दास इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. श्री गिर्राज महाराज कॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोफेशनल स्टडीज, मथुरा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. वृंदावन लॉ कॉलेज, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. श्री जी बाबा कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डा. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. श्रीमती लांगश्री देवी कॉलेज ऑफ लॉ, जिला : महामायानगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ, अलीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. एच.एस. लॉ कॉलेज, एटा, आगरा	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VII. डा. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद (पूर्व में अवध विश्वविद्यालय)	
1. के.एस. साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, फैजाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. नंदिनी नगर लॉ कॉलेज, नवाबगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. राजेश पांडे कॉलेज ऑफ लॉ, अंबेडकरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
VIII. डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	
1. फेकल्टी ऑफ लॉ, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सेंट एंड्रयूज कॉलेज, गोरखपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. संत विनोबा कॉलेज, देवरिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. ए.पी.एन. कॉलेज, बस्ती	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. ओरिएंटल लॉ इंस्टीट्यूट, देवरिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IX. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	
1. द फेकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. श्री जय नारायन डिग्री कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. शिया पी.जी. डिग्री कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. युनिटी लॉ कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. नर्वदेश्वर लॉ कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. सिटी अकेडमी लॉ कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. हीरालाल यादव लॉ कॉलेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
X. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (पूर्व में काशी विद्यापीठ)	
1. फेकल्टी ऑफ लॉ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
XI. श्री छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	
1. वी.एस.एस.डी. महाविद्यालय, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. ब्रह्मानंद महाविद्यालय, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. महमूदाबाद विधि महाविद्यालय, महमूदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. दयानंद महाविद्यालय, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय, बिठूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. मेजर शिवर दयाल सिंह विधि महाविद्यालय, फर्रूखाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. खैतानजी विधि महाविद्यालय, सीतापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
XII. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	
1. शिबाली राष्ट्रीय महाविद्यालय, आजमगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. महाराजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. हरिचन्द्र महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. संत कीनाराम पी.जी. महाविद्यालय, सोनभद्र	3 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
6. श्री नाराहेजी महाविद्यालय, बलिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. मां शारदा विधि महाविद्यालय, आजमगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. डा. रिज़वी विधि महाविद्यालय, कौशाम्बी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
9. बलदेव श्री धर विधि महाविद्यालय, गाज़ीपुर	3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
10. किसान विधि महाविद्यालय, मऊरानी, जखियान	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
11. शिवानी गौरव मेमोरियल विधि महाविद्यालय, जौनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
12. श्री जगरूप यादव स्मारक विधि महाविद्यालय, मऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
13. सुधाकर महिला विधि डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
14. हरि शंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, बलिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
15. लोक बंधु राज नारायण विधि महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
16. मां खांडवारी विधि महाविद्यालय, चन्दौली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
17. आर.एस. बनारस विधि महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
18. उमा नाथ सिंह विधि महाविद्यालय, फरीदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
XIII. एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	
1. बरेली महाविद्यालय, बरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. के.जी.के. महाविद्यालय, मुरादाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. कृष्णा विधि महाविद्यालय, बिजनौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. श्री जी. इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एण्ड वोकेशनल शिक्षा और अनुसंधान सिल्वर विधि महाविद्यालय, बरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. मॉडल पब्लिक विधि महाविद्यालय, चन्दौसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
6. स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय, शाहजहांपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
7. विवेक विधि महाविद्यालय, बिजनौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
8. हफीज रहमत खान विधि महाविद्यालय, पीलीभीत	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
पश्चिमी बंगाल	
I. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	
1. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. हुगली मोहसिन कॉलेज, हुगली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
II. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकात्ता	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. सुरेन्द्रनाथ लॉ कॉलेज, कोलकाता	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, कोलकाता	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, कोलकाता	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
5. किंगस्टन लॉ कॉलेज, बारासत	5 वर्षीय पाठ्यक्रम

1	2
III. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर	
1. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. जलपाईगुडी लॉ कॉलेज, जलपाईगुडी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. बालूरघाट लॉ कॉलेज, बालूरघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
IV. विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	
1. मिदनापुर लॉ कॉलेज, मिदनापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. हल्दिया लॉ कॉलेज, हल्दिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम
3. लॉ कॉलेज, दुर्गापुर, बर्दवान	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
4. सरसुना लॉ कालेज, सरसुना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम
V. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	
1. बिमल चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ, मुर्शिदाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
2. स्नेहांगशु कांता आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कल्याणी	5 वर्षीय पाठ्यक्रम
VI. पश्चिमी बंगाल न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	5 वर्षीय पाठ्यक्रम

म्यूचुअल फंड

[हिन्दी]

3636. श्री प्रहलाद जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यू.टी.आई. और ए.एम.सी. सहित अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनियों को 'फोर्च्युन-500' कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन म्यूचुअल फंड कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) म्यूचुअल फंड कंपनियों को विनियमों में निर्धारित प्रतिबंधों के अध्यधीन भारतीय कंपनियों, जिनमें भारत में निगमित "बहुराष्ट्रीय" कंपनियां और 'फोर्च्युन-500' कंपनियां शामिल हैं, में निवेश करने की अनुमति है। तथापि, म्यूचुअल फंड कंपनियों को विदेशी कंपनियों, जिनमें भारत में निगमित की गई 'बहुराष्ट्रीय' कंपनियां तथा 'फोर्च्युन-500' कंपनियां शामिल हैं, की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति केवल तभी प्राप्त है यदि ऐसी कंपनी विदेश में सूचीबद्ध हो और उसके पास किसी भारतीय कंपनी की कम से कम 10% की शेयरधारिता हो। उन्हें पूर्णत: परिवर्तनीय मुद्राओं वाले देशों की विदेशी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति भी प्राप्त है।

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करने में विलम्ब

3637. श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री मुन्नी राम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक केअंतर्गत खाद्यान्नों को जारी करने में हुए विलंब के कारणों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्नों को जारी करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरा करने में किए विलम्ब की जांच करा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत वर्ष के दौरान ऐसे खाद्यान्नों को राज्य सरकारों को वितरित नहीं किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्यों के पास उपलब्ध ऐसे खाद्यान्नों के भन्डार का आकलन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रो को खाद्यान्नों का आबंटन प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए नियुक्त केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर कृषि/गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों की विधिवत सूचना देने के बाद तथा संबंधित राज्य से खाद्यान्न का जिला-वार आबंटन प्राप्त होने पर ही खाद्यान्न रिलीज किए जाते हैं। केन्द्र सरकार सभी औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राहत कार्य शुरू करने के लिए यथाशीघ्र खाद्यान्न रिलीज करती है ताकि मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

(घ) पिछले वर्ष 2004-05 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 13 राज्य सरकारों के लिए 2595236 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राधिकृत किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के लिए दिए गए खाद्यान्न का पूरी तरह उपयोग करने के बाद ही अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए आवेदन कर सकती है।

[अनुवाद]

ऋण का भुगतान

3638. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री काशीराम राणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख और दस वर्ष पूर्व के अनुसार ऋण का कितने प्रतिशत पुनर्भुगतान के रूप में दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनावश्यक ऋण लेने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) राजकोषीय घाटे का वित्त प्रबंध करने के लिए पूर्व में संविदा की गई प्रतिभूतियों के मोचन के लिए अपेक्षित, दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए जुटाए गए सकल बाजार उधारों का हिस्सा वर्ष 1995-96 में 14.4 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2005-06 (ब.अ.) में 25.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। तथापि, विदेशी ऋणों के वापस भुगतान के लिए अपेक्षित सकल विदेशी ऋणों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 95.3 प्रतिशत से घटकर 43.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान, घरेलू मोचन भार में सामान्य वृद्धि घरेलू ऋण की मात्रा में वृद्धि और ऐसे ऋण पर सापेक्षिक निर्भरता में वृद्धि की वजह से है। अन्य बातों के साथ-साथ अन्त:वर्षीय अंतर एक साथ वापसी अदायगियों, ऋण अदला-बदली योजना और विदेशी ऋणों की पूर्व अदायगी के कारण होता है।

(घ) केन्द्र सरकार राजकोषीय औचित्य की नीति का पालन कर रही है ताकि सकल राजकोषीय घाटा कम करके उधारों को नियंत्रित किया जा सके।

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन

3639. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस.जी.आर.वाई. में विशेष संघटक की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूखा, भूकंप चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यकता के आधार पर राज्यों को खाद्यान्न और धनराशि का आवंटन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो हाल ही के वर्षों में भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक रूप से जारी किए गए खाद्यान्नों और धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राहत कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित राज्यों को केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के लिए राज्यों को नकद घटक या तो राज्य क्षेत्र योजना से अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना से उपलब्ध कराया जाता है जिसमें खाद्यान्नों का उपयोग किया जाता है।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की जरूरत के आधार पर राज्यों को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्न तथा निधियों का कोई आबंटन अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अधिसूचना के पश्चात कृषि मंत्री/गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान आपदा प्रभावित राज्यों को रिलीज किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(खाद्यान्न मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	402000	210000
2.	असम	100000	
3.	बिहार	384000	
4.	छत्तीसगढ़	90000	3000
5.	कर्नाटक	353620	
6.	केरल	42000	20000
7.	मध्य प्रदेश	50000	50000
8.	महाराष्ट्र	300000	
9.	मेघालय	3116	
10.	मिजोरम	500	
11.	उड़ीसा	0	100000
12.	राजस्थान	718000	650000
13.	सिक्किम	2000	
14.	तमिलनाडु	150000	43968
15.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह		7500
16.	जम्मू-कश्मीर		7000
17.	पांडिचेरी		1500
	कुल	2595236	1092968

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास के संबंध में विचार विमर्श

3640. श्री मधु गौड यास्खी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 300 मिलियन से अधिक लोगों पर ध्यान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा विकास के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में जीविका को सशक्त बनाने के संबंध में एक तीन-दिवसीय राष्ट्रीय विचार विमर्श आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुअरेस्ट एरियाज़ सिविल सोसाइटी प्रोग्राम छः राज्यों में इस कार्यक्रम को ब्रिटिश सरकार की सहायता से कार्यान्वित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा राज्यों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जीविका को सशक्त बनाने के संबंध में हाल ही में कोई राष्ट्रीय विचार-विमर्श आयोजित नहीं किया है।

(ग) और (घ) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंग्डम सरकार के वित्त-पोषण के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में पुअरेस्ट एरियाज सिविल सोसाइटी (पी.ए.सी.एस.) कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस समय भारत के छः राज्यों-बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। पी.ए.सी.एस. एक गैर-सरकारी संगठन कार्यक्रम है जिसका डी.एफ.आई.डी. द्वारा सीधे वित्त-पोषण किया जाता है और राज्यों अथवा परियोजना अथवा गैर-सरकारी संगठन के चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड डी.एफ.आई.डी. के पास हैं।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

3641. श्री भर्तृहरि महताब : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) वास्तव में उन लोगों को लाभान्वित नहीं कर रही है जिन्हें किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय राज्यों ने अलग दिशानिर्देश जारी किये हैं जिससे सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) संपूर्ण ग्रामीण

रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है, जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा जो शारीरिक और अकुशल श्रम वाले कार्य करने के इच्छुक हैं। समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार योजना में कुल मिलाकर वांछित उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में एस.जी.आर.वाई. के कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3642. श्री हितेन बर्मन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में अनेक गांवों में आज तक बिजली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 तथा अगले वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गैर-विद्युतीकृत गांवों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) देश में क्रियान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी राजसहायता/अनुदान राशि संवितरित की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी 1,19,570 आबाद गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है जिसमें से पश्चिम बंगाल में अविद्युतीकृत आबाद गांवों की संख्या 6240 है। अविद्युतीकरण गांवों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विद्युत मंत्रालय की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 50,000 गांवों के विद्युतीकरण का अनन्तिम लक्ष्य प्रस्तावित है। राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। मंत्रालय उन अविद्युतीकरण गांवों, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या किफायती नहीं है, के विद्युतीकरण हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इन गांवों का विद्युतीकरण सौर विद्युत सहित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से किया जा रहा है। सौर विद्युत के माध्यम से पहले से ही विद्युतीकृत तथा विद्युतीकरण के अंतर्गत गांवों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) वर्ष 2001-02 से दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में अविद्युतीकृत गांवों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	अविद्युतीकृत गांव
1.	आंध्र प्रदेश	48
2.	अरुणाचल प्रदेश	1528
3.	असम	6043
4.	बिहार	19764
5.	छत्तीसगढ़	1212
6.	गुजरात	126
7.	हरियाणा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	604
9.	जम्मू-कश्मीर	116
10.	झारखंड	21713
11.	कर्नाटक	710
12.	मध्य प्रदेश	1643
13.	महाराष्ट्र	744
14.	मणिपुर	272
15.	मेघालय	2766
16.	मिजोरम	16
17.	नागालैंड	62
18.	उड़ीसा	9866
19.	राजस्थान	2477
20.	सिक्किम	45
21.	त्रिपुरा	40
22.	उत्तरांचल	2630
23.	उत्तर प्रदेश	40900
24.	पश्चिम बंगाल	6240

विवरण-II

सौर विद्युत प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत तथा विद्युतीकरण के अंतर्गत गांवों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कार्यान्वयनाधीन
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	-	47	9	13
2.	असम	36	-	3	-	-
3.	छत्तीसगढ़	30	152	53	-	-
4.	गुजरात	-	-	2	-	-
5.	जम्मू-कश्मीर	90	-	-	-	50
6.	झारखंड	-	-	24	-	84
7.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	48
8.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	16
9.	मणिपुर	-	-	106	-	28
10.	मिजोरम	-	-	-	7	13
11.	मेघालय	-	-	24	1	-
12.	उड़ीसा	8	10	-	-	-
13.	राजस्थान	-	-	-	-	24
14.	त्रिपुरा	-	-	16	-	30
15.	उत्तरांचल	139	52	-	132	-
16.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	250
17.	पश्चिम बंगाल	245	312	90	39	145

विवरण-III

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश		108.50		
2.	अरुणाचल प्रदेश		108.63	484.00	66.08
3.	असम		88.50		23.00
4.	छत्तीसगढ़	241	595.00	332.13	8.00
5.	गुजरात			8.61	
6.	हरियाणा				83.88
7.	हिमाचल प्रदेश				12.00
8.	जम्मू-कश्मीर	744.30	607.00	511.50	
9.	झारखंड		105.80	837.41	
10.	मध्य प्रदेश		109.25		
11.	महाराष्ट्र			313.63	
12.	मणिपुर		730.00	33.00	79.01
13.	मेघालय		322.55		175.85
14.	मिजोरम			144.75	
15.	नागालैंड				
16.	उड़ीसा				
17.	पंजाब				
18.	राजस्थान				
19.	सिक्किम				
20.	तमिलनाडु				
21.	त्रिपुरा				
22.	उत्तरांचल				
23.	उत्तर प्रदेश				
24.	पश्चिम बंगाल				

1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा				42.89
16.	राजस्थान			184.50	176.22
17.	सिक्किम			8.60	
18.	तमिलनाडु			367.00	
19.	त्रिपुरा	93.00		741.50	1062.40
20.	उत्तरांचल	165.00	344.61	720.05	50.52
21.	उत्तर प्रदेश	199.40		1342.70	0.57
22.	पश्चिम बंगाल	150.00	357.00	2388.95	72.05

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

3643. श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है तथा इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकण करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना की प्रगति की समीक्षा 22.11.2004 को हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान की गई थी और योजना के विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। राज्य सरकारों से इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए अनुरोध किया गया था। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए राज्य-वार लक्ष्यों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के कार्यान्वयन में सामने आने वाली कठिनाइयां :-

- अधिकांश राज्यों में सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण बंदोबस्त संकार्य नियमित रूप से नहीं किए गए हैं। इस प्रकार भू-खण्डों के उप विभाजन, अद्यतन हिस्सा संख्याएं तथा गांव के मानचित्र जैसी आधारमूलक वास्तविकता उपलब्ध नहीं है। अतः राज्य कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ करने से पूर्व अपने अभिलेखों को अद्यतन करना चाहते हैं।
- प्रौद्योगिकी संबंधी विकास के कारण प्रौद्योगिकियों में डॉज (एकल प्रयोक्ता प्रणाली) के स्थान पर यूनिक्स-फॉक्स बेस/ओरेकल (बहुल प्रयोक्ता)/विंडोज/लैन्गविज इन्टफेस को अपनाए जाने के रूप में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मूल आंकड़ा प्रविष्टि के कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ है।
- आंकड़ा प्रविष्टि के विशाल कार्य को स्थानीय भाषा में पूरा करने के लिए कुछेक राज्यों में प्राइवेट डाटा एंट्री एजेंसियों का उपलब्ध नहीं होना।
- राज्य मुख्यालय से जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारी को निधियां जारी करने में विलम्ब होना।
- कुछेक राज्यों में आंकड़ों के सत्यापन तथा विधिमान्यकरण के कार्य को आरंभ करने में राजस्व कर्मचारियों का विरोध किए जाने के कारण इस कार्य की प्रगति बाधित हुई है।
- डाटा एंट्री के कार्य को पूर करने तथा कम्प्यूटर केन्द्रों के प्रबंधन के कार्य को हाथ में लेने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होना।
- राज्य तथा जिला स्तर पर कारगर निगरानी तंत्र का न होना।

(ङ) इन समस्याओं से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम-

- राज्यों को डाटा एंट्री के कार्य को अभियान के रूप में पूरा करने की सलाह दी गई है। उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए प्राइवेट डाटा एंट्री एजेंसियों/वेन्डरों को कार्य पर लगाने की अनुमति दी गई थी जिससे योजना के कार्यान्वयन में तेजी आई है।
- पैतृक भूमि अभिलेखों संबंधी आंकड़ों को यूजर फ्रेंडली विंडो प्लेटफार्म में लाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।
- राज्यों से भूमि अभिलेखों को निरंतर अद्यतन करने तथा अद्यतन उपस्कर/तकनीकों का प्रयोग करके पुनर्सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था।
- परियोजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए राजस्व

कर्मचारियों को कम्प्यूटर के संबंध में जानकारी देने तथा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का प्रशिक्षण देने हेतु राज्यों को निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं।

मंत्रालय ने राज्यों के राजस्व मंत्रियों/राजस्व सचिवों के सम्मेलनों तथा विडियो कान्फ्रेंसिंग एवं कार्यक्रम प्रभाग के अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के जरिए कारगर निगरानी तथा समीक्षा की है।

राज्यों से योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को समयबद्ध रूप में पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु कहा गया था।

विवरण

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	श्रेणी और राज्य का नाम	कार्यकलाप					
		डाटा एंट्री एवं इसके विधि-मान्यकरण के कार्य को पूरा करना और पुराने आंकड़ों को अद्यतन करना	नामांतरण सॉफ्टवेयर विकसित करना	स्वीकृत तहसील/ तालुकों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करना	कम्प्यूटरीकृत अधिकारों के अभिलेख (आर.ओ.आर.) को विधिक मान्यता प्रदान करना और आर.ओ.आर. में ऑन लाइन नामांतरण करना और इन्हें अद्यतन करना तथा इनका वितरण करना	आर.ओ.आर. जारी करने की समानांतरण प्रणाली को समाप्त करना तथा प्रयोक्ता प्रभार लगाना	राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विशेष श्रेणी-कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा	कार्य पूरा हो चुका है।	पहले ही विकसित किया जा चुका है।	पहले ही पूरा किया जा चुका है।	पहले ही पूरा किया जा चुका है।	पूरा हो चुका है।	पूरा हो चुका है।
2.	श्रेणी-'क' गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, पांडिचेरी	6 महीने	पहले ही विकसित किया जा चुका है।	3 महीने	6 महीने	9 महीने	पूरा हो चुका है।
3.	श्रेणी-'ख' आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़	9 महीने	पहले ही विकसित किया जा चुका है।	6 महीने	1 वर्ष	1 वर्ष	6 महीने
4.	श्रेणी-'ग' अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागलैंड, त्रिपुरा, उत्तरांचल, झारखंड	1 वर्ष	6 महीने	1 वर्ष	18 महीने	18 महीने	1 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्रेणी-'घ' पंजाब, बिहार, जम्मू और कश्मीर	1 वर्ष	6 महीने	1 वर्ष	1 वर्ष	18 महीने	1 वर्ष
6.	श्रेणी-'ङ' मेघालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप	18 महीने	1 वर्ष	-	-	-	-

*श्रेणियां दी गई सूचना के अनुसार राज्यों के वास्तविक कार्य निष्पादन पर आधारित हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक का ऋण

3644. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण/सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक की कितनी सहायता दी गई है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से विद्युतीकरण के लिए कितने गांवों की पहचान की गई है और देश के विशेषकर पश्चिम बंगाल के ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है जहां पर बिजली नहीं है; और

(घ) पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के सभी गांवों में बिजली प्रदान करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) विश्व बैंक सहायता के माध्यम से किसी भी गांव को विद्युतीकरण हेतु चिन्हित/विद्युतीकृत नहीं किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण देश में 1,18,750 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं, जिन्हें विद्युतीकृत किया जाना है।

2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के लगभग 6240 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 2009 तक संपूर्ण देश में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" (आर.जी.जी.वी.वाई.) शुरू की है। इस योजना में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अपने रिमोट ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण शामिल है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नांकित परियोजनाओं के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी-

1. **ग्राम विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.)**

समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

2. **ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना का निर्माण (वी.ई.आई.)**

प्रत्येक गांव/वास स्थान में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

3. **विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति (डी.डी.जी.)**

उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ सभी ग्रामीण वास स्थानों को 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

पश्चिम बंगाल ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर.जी.जी.वी.वाई. को कार्यान्वित करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ करार किया है। पश्चिम बंगाल के कुल 18 जिलों में से, 13 जिलों के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं जिन्हें आर.ई.सी. द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। 12 जिलों की परियोजनाओं के लिए नोट इन्वाइटिंग टेंडर (एन.आई.टी.) जारी किए गए हैं और 11 जिलों के लिए ठेके दिए गए हैं। 13 जिलों के लिए ये परियोजनाएं 4283 गैर-विद्युतीकृत गांवों और 145918 गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण करेंगी, जिनमें से 97847 गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के हैं।

आर.जी.जी.वाई. के अंतर्गत संपूर्ण देश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 10वीं योजनावधि के दौरान कार्यवाही योजना नीचे दी गई है-

2005-06 के दौरान विद्युतीकरण हेतु लंबित गांवों की संख्या - 10,000

2006-07 के दौरान विद्युतीकरण हेतु लंबित गांवों की संख्या - 10,000

नकदी जमा अनुपात (सी.आर.आर.)

3645. प्रो. एम. रामदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक का तीन प्रतिशत से नीचे की नकदी जमा अनुपात में कटौती करने के संबंध में स्थिति अथवा दशा के अनुकूल परिवर्तन संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से देश में मूल्य स्थिति प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त नीति के आने के पश्चात् ब्याज दर जोखिम को शामिल करने के लिए कौन सा नया इन्स्ट्रूमेंट शुरू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) नकदी जमा अनुपात (सी.आर.आर.) मौद्रिक नियंत्रण के इन्स्ट्रूमेंटों में एक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली सी.आर.आर. की न्यूनतम सीमा (3.0 प्रतिशत) और उच्चतम सीमा (20.0 प्रतिशत) है। भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005 का प्रस्ताव इन सीमाओं को हटाकर मौद्रिक नीति के संचालन को अधिक लचीला बनाकर सुकर बनाना है। वर्ष 1991 में विहित सी.आर.आर. निवल मांग और समय देयताओं (एन.डी.टी.एल.) के 15.0 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर मौजूदा 5.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर तक आ गया है। यह इसको मध्यावधि उद्देश्य के 3.0 प्रतिशत तक कम करने के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति विवरण (अप्रैल 2005) और वार्षिक नीति विवरण (अक्तूबर 2005) की मध्यावधि समीक्षा में दोहराया है कि यह प्रणाली में पर्याप्त नकदीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगा ताकि मूल्य स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप ऋण की सभी वैध आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक सभी नीतिगत इन्स्ट्रूमेंटों को सुविधानुसार अपने अधिकार में, जब भी आवश्यकता हो, नियोजित करने के लिए स्वतन्त्र है।

बढ़े हुए कर की मांग

3646. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आय कर प्राधिकरणों ने बढ़े हुए कर की मांग की है जिसे बाद में करदाताओं को ब्याज सहित वापस किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ी हुई कर की मांग करने के क्या कारण हैं क्योंकि इससे राज्य को वित्तीय घाटा हुआ है;

(घ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कर निर्धारण पूरे किए जाते हैं तथा उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के उपबंधों के आधार पर विवरणीगत आय में वृद्धि करके मांगें, यदि कोई हों, जारी की जाती हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) देखते हुए लागू नहीं होता।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कम मकानों का निर्माण

3647. श्री सुभाष महरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता को समाप्त करने का लक्ष्य था परन्तु 109.53 लाख आवास इकाइयों के लक्ष्य पर मार्च 2002 तक केवल 50.34 लाख आवास ही निर्मित/उन्नत किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में विशेषरूप से राजस्थान में कम मकान निर्मित/उन्नत करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ग्रामीण आवास के लिए जारी की गई धनराशि का कई राज्यों में इस कार्यक्रम पर खर्च नहीं किया गया बल्कि इसका गबन कर दिया गया अथवा अनुमोदित मानकों से अधिक व्यय किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा इस प्रयोजन के लिए दी गई धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत

इसके आरंभ से नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् मार्च, 2002 तक 95.26 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85.95 लाख मकान बनाए गए/उन्नत किए गए थे। वर्ष-वार लक्ष्य इन्दिरा आवास योजना मकानों की प्रति इकाई लागत तथा उपलब्ध वार्षिक बजट के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सीमान्त कमी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास खर्च न किए गए अशेष के कारण है। नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, राजस्थान सरकार इन्दिरा आवास योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही थी तथा उसने 315831 मकानों के लक्ष्य के मुकाबले 361633 इन्दिरा आवास योजना मकान (114.50%) बनवा दिए थे।

(ग) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे मामले जिनमें दुरुपयोग/दुर्विनियोजन अथवा अनुमोदित मानदंडों से अधिक खर्च किए जाने की बातों का उल्लेख था, उपचारात्मक उपायों के लिएं संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिए गए थे, क्योंकि ग्रामीण आवास योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(च) इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) एक ऐसी योजना है जो आबंटन के आधार पर चल रही है। इस योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लक्ष्य वार्षिक तौर पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्यों को यथाआवश्यक सलाह दी जाती है। भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई व्यवसायिक योजना है, में भी ग्रामीण आवासों की कमी के मुद्दे का समाधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे 2005-06 से शुरू करके चार वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाना है, ग्रामीण आवासहीन परिवारों के लिए कुल 60 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है।

गुजरात में एम.आर.पी. से जुड़ा उत्पाद शुल्क

3648. डा. तुषार अमर सिंह चौधरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.आर.पी. से जुड़े उत्पाद शुल्क ने गुजरात में लघु उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और गुजरात सरकार ने दरों और शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस शुल्क ढांचे की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले गुजरात के लघु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाले एम.आर.पी. से जुड़े उत्पाद शुल्क के मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने सरकार से (i) दवाओं का निर्धारणीय मूल्य निश्चित करते समय खुदरा मूल्य से कटौती को 40% से बढ़ाकर 50% करने तथा (ii) उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करने पर विचार करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। मामले की जांच की गई और फिलहाल दवाओं पर कटौती के स्तर तथा उत्पाद शुल्क दरों में कोई भी परिवर्तन न करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

महालेखाकारों का सम्मेलन

3649. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकारों का 23वां सम्मेलन 20-22 सितंबर, 2005 के बीच दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां, सम्मेलन में (i) लेखा-परीक्षा को कारगर बनाने (ii) लेखा-परीक्षा गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली पर एसोसिएशन आफ सुप्रीम ऑडिट ऑफ इंडिया गाइडेन्स से श्रेष्ठतम पद्धति को अपनाएं जाने (iii) लेखा-परीक्षा चुनौतियां एवं पूर्वेक्षण तथा (iv) भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग पूर्वेक्षण योजना 2003-08 की मध्यावधि समीक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सम्मेलन की सिफारिशों पर भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभागों के भीतर ही आन्तरिक अनुवर्ती कार्रवाई की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्र

3650. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने ताप विद्युत संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इन विद्युत संयंत्रों से वर्षवार और राज्यवार कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) 31.3.2005 को देश में थर्मल विद्युत संयंत्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में थर्मल विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन की मात्रा निम्नवत है :-

वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एम.यू.)
2002-03	4,48,538
2003-04	4,66,824
2004-05	4,86,075

2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान थर्मल विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का वर्षवार एवं राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान 7,446 मे.वा. की थर्मल क्षमता अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, कुल 23,869 मेगावाट की 45 थर्मल परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इनमें से लगभग 13,780 मेगावाट का उत्पादन 10वीं योजना के दौरान शुरू होने की संभावना है।

विवरण-I

31.3.2005 को देश में राज्यवार/मोडवार रूप से विद्युत स्टेशनों की संख्या

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	भाप	डीजल	गैस
1	2	3	4
हरियाणा	3	2	0
हिमाचल प्रदेश	0	1	0
जम्मू-कश्मीर	0	4	1
पंजाब	3	0	0
राजस्थान	2	0	1
उत्तर प्रदेश	5	0	0
उत्तरांचल	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0
दिल्ली	2	0	1
केन्द्रीय क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र	6	0	4
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	21	8	7
गुजरात	11	10	8
मध्य प्रदेश	4	0	0
छत्तीसगढ़	1	0	0
महाराष्ट्र	9	0	3
गोवा	0	0	1
दादर और नगर हवेली	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0
केन्द्रीय क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र	2	0	2
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	27	10	14
आंध्र प्रदेश	5	1	5
कर्नाटक	2	3	1
केरल	0	3	1
तमिलनाडु	5	3	7
लक्षद्वीप	0	11	0
पांडिचेरी	0	0	1
केन्द्रीय क्षेत्र द.क्षे.	3	0	1
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	15	21	16
बिहार	3	0	0
झारखंड	3	0	0
उड़ीसा	1	0	0
पश्चिम बंगाल	13	13	3
डी.वी.सी.	4	0	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	34	0
सिक्किम	0	2	0
केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	4	0	0
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	28	49	4
असम	3	1	6
मणिपुर	0	22	0
मेघालय	0	5	0

1	2	3	4
नागालैंड	0	5	0
त्रिपुरा	0	7	3
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
मिजोरम	0	23	0
केन्द्रीय क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	2
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	3	64	11
केन्द्रीय क्षेत्र अखिल भारत	2	0	9
कुल अखिल भारत	94	152	52

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों, अर्थात (2002-05) के दौरान एम.यू. में कुल थर्मल उत्पादन की राज्यवार सूची

क्षेत्र	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
उत्तर क्षेत्र	दिल्ली	8780	10593	11172
	हरियाणा	8664	9536	10039
	जम्मू-कश्मीर	58	29	24
	पंजाब	13650	14235	14384
	राजस्थान	16761	18079	20258
	उत्तर प्रदेश	68788	69149	70004
कुल उत्तरी क्षेत्र		116701	121621	125881
पश्चिम क्षेत्र	छत्तीसगढ़	24058	23954	24975
	गोवा	0	0	336
	गुजरात	44035	43250	47965
	मध्य प्रदेश	31481	30392	32181
	महाराष्ट्र	57231	59538	60995
पश्चिम क्षेत्र कुल		156805	157134	166451
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	53048	54522	56822
	कर्नाटक	13576	14458	12414
	केरल	3232	3766	1045
	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	23
	पांडिचेरी	265	277	276
	तमिलनाडु	42185	43049	42050
कुल दक्षिणी क्षेत्र		112306	116072	112630
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	131
	बिहार	5526	6324	6236
	झारखंड	6813	6431	7242
	उड़ीसा	12482	17893	23704
	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
	पश्चिम बंगाल	35151	37910	40237
कुल पूर्वी क्षेत्र		59972	68558	77550
पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	1909	2423	2507
	त्रिपुरा	845	1016	1057
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		2754	3439	3563
अखिल भारत		448538	466824	486075

नोट :- थर्मल उत्पादन आंकड़ों में 20 मेगावाट से अधिक की क्षमता के स्टीम यूनिटों से उत्पादन और ग्रिड को प्रतिबंद्ध विद्युत आपूर्ति करने वाले सभी गैस/डीजल यूनिटों से उत्पादन शामिल है।

विदेशी मुद्रा विनिमयकर्त्ताओं को लाइसेंस

3651. प्रो. एम. रामदास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनिमय की रोजमर्रा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा विनिमयकर्त्ताओं को और अधिक लाइसेंस जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा लेन-देन करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा

वर्तमान में किये जाने वाले क्रियाकलापों के क्षेत्र को उदार तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने संबंधित मुद्दे का अध्ययन करने तथा सिफारिश करने के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंस संबंधी नीति : उदारीकरण", जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है, से संबंधित आंतरिक समूह की रिपोर्ट पर फीडबैक पाने के लिए 01 दिसम्बर, 2005 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।

नए नोटों की छपाई

3652. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दस हजार रुपए के नोट को जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी से रेखा से नीचे व्यक्ति

3653. श्री रघुनाथ झा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2002 की जनगणना के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों (बी.पी.एल.) की अनुमानित संख्या 1999-2000 के सर्वेक्षण में पहचान किए गए व्यक्तियों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसके अनुसार अनुमान लगाए गए बी.पी.एल. व्यक्तियों की संख्या 1999-2000 के सर्वेक्षण में पहचान किये गए व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी ग्रामीण परिवारों के घर-घर जाकर बी.पी.एल. जनगणना, 2002 करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार के मामले में 2001 की रिट याचिका सं. 196 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के कारण बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को या तो योजना आयोग के वर्ष 1999-2000 के गरीबी अनुमानों अथवा योजना आयोग द्वारा तय समायोजित अंश के बराबर, जो भी अधिक हो, बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए पर्याप्त लोचशीलता दी गई है। क्षेत्रीय विविधताओं का ध्यान रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अलग से 10 प्रतिशत को लोचशीलता भी दी गई है।

विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं हेतु दिशा-निर्देश

3654. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं हेतु नये दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सेन्ट्रल बैंक द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नये प्रावधानों से धनशोधन पर किस सीमा तक अंकुश लग पायेगा; और

(घ) नये परिवर्तन कब तक प्रभावी हो जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा लेन-देन करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा फिलहाल किए जा रहे कार्य की संभावना को उदार तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए तथा सिफारिशें करने के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग नीति: उदारीकरण" संबंधी आंतरिक समूह की रिपोर्ट पर फीड बैंक आमंत्रित करने के लिए 01 दिसम्बर, 2005 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(ग) धन परिवर्तन लेने-देन करते समय धन शोधन निवारण संबंधी नीतिगत ढांचे और प्रणालियों को लागू करने में प्राधिकृत धन परिवर्तकों को समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 02 दिसम्बर, 2005 को प्राधिकृत धन शोधन निवारण मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3655. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में दूर-दराज के कितने गांवों तथा बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत और अधिक गांवों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के वर्ष 2001-02 में शुरू किए गए दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.वी.ई.) कार्यक्रम के अंतर्गत 2195 दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों तथा 594 दूरस्थ अविद्युतीकृत बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 735 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय के साथ 5000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं और राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद निधियों की उपलब्धता के आधार पर विद्युतीकरण के लिए गांवों को लिया जाता है।

(ख) से (घ) उन दूरस्थ गांवों, जिनको ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए उन्हें अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत करना है, की पहचान करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) को सौंपी गई है। आर.ई.सी. ने 5 राज्यों में 964 गांवों की पार्ट सूचियों की पहचान की है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आर.वी.ई.) कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य	संचयी उपलब्धियां (विद्युतीकृत दूरस्थ गांवों और बस्तियों की संख्या)	
		गांव	बस्तियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	76	-
3.	असम	39	-
4.	बिहार	-	-
5.	छत्तीसगढ़	325	-
6.	दिल्ली	-	-
7.	गोवा	-	-
8.	गुजरात	2	-
9.	हरियाणा	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश	1	-
11.	जम्मू-कश्मीर	90	-
12.	झारखंड	53	-
13.	कर्नाटक	-	-
14.	केरल	-	558
15.	मध्य प्रदेश	-	-
16.	महाराष्ट्र	-	-
17.	मणिपुर	108	-
18.	मेघालय	24	-
19.	मिजोरम	7	-
20.	नागालैंड	-	-
21.	उड़ीसा	18	-
22.	पंजाब	-	-
23.	राजस्थान	-	-
24.	सिक्किम	-	-
25.	तमिलनाडु	-	-
26.	त्रिपुरा	31	-
27.	उत्तरांचल	395	34
28.	उत्तर प्रदेश	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	1026	2
30.	अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह	-	-
31.	चंडीगढ़	-	-
32.	दादर एवं नागर हवेली	-	-
33.	दमन एवं दीव	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-
35.	पांडिचेरी	-	-
	कुल	2195	594

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु आर.ई.सी. द्वारा पहचान किए गए गांवों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	पहचान किए गए गांवों की संख्या
1.	कर्नाटक	16
2.	मध्य प्रदेश	60
3.	असम	473
4.	महाराष्ट्र	257
5.	मेघालय	158

विवरण-III

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	108.50	0.00	0.00
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	108.63	484.00	66.08
4.	असम	88.50	0.00	23.00
5.	बिहार	-	-	-
6.	छत्तीसगढ़	595.00	332.13	8.00
7.	दिल्ली	-	-	-
8.	गोवा	-	-	-
9.	गुजरात	0.00	8.61	0.00
10.	हरियाणा	0.00	83.88	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0.00	12.00	15.00
12.	जम्मू-कश्मीर	607.00	511.50	0.00
13.	झारखंड	105.80	837.41	0.00
14.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
15.	केरल	0.00	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	109.25	0.00	0.00
17.	महाराष्ट्र	0.00	313.63	0.00
18.	मणिपुर	730.00	33.00	79.01
19.	मेघालय	322.55	0.00	175.85
20.	मिजोरम	0.00	144.75	0.00
21.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
22.	उड़ीसा	0.00	0.00	42.98
23.	पंजाब	-	-	-
24.	राजस्थान	0.00	184.50	176.22
25.	सिक्किम	0.00	8.60	0.00
26.	तमिलनाडु	0.00	367.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.00	741.50	1062.40
28.	उत्तरांचल	344.61	720.05	50.52
29.	उत्तर प्रदेश	0.00	1342.70	0.57
30.	पश्चिम बंगाल	357.00	2388.95	72.05
31.	अन्य (टेरी)	0.00	64.46	13.90
32.	आई एंड पीए/प्रशासन-V डब्ल्यूईएसपी मीटिंग	0.00	0.00	1026.58
	कुल	3476.84	8578.67	2812.07

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धीमी प्रगति

3656. श्री ब्रजेश पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों के केन्द्रीय निगरानी प्राधिकरण ने अक्तूबर 2005 के महीने में राजधानी दिल्ली में बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैठक में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसी केन्द्रीय योजनाओं में अनियमितताओं और धीमी प्रगति के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं में अनियमितताओं को रोकने और इनकी प्रगति में तेजी लाने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में अक्टूबर, 2005 को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए./जिला परिषदों) के सभी परियोजना निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर की समस्याओं का जायजा लेना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सुचारु और ठोस कार्यान्वयन के तरीकों की तलाश करना था ताकि इन योजनाओं के लाभ लक्ष्य में रखे गए समूहों, तक पहुंच सकें।

(घ) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों और राज्य सचिवों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा और जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों एवं राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा, कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने की दृष्टि से अधिक कारगर उपाय तलाशने के लिए समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव मूलयांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक चार-सूत्री कार्यनीति भी अपनाई है जिसमें (i) योजना के बारे में जानकारी देना (ii) पारदर्शिता (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही शामिल हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को घाटा

3657. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को गत पांच वर्षों से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लाभ और कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) को 1996-97 से 2003-04 के दौरान घाटा हुआ। पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.सी.एल. को हुआ घाटा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निबल घाटा
2001-02	184.04
2002-03	147.70
2003-04	56.16

(ग) एच.सी.एल. के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

(i) अव्यवहार्य खानों को बंद करना।

(ii) सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तौर पर प्रदान की गई निधि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से सरप्लस जनशक्ति को कम करना।

(iii) कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए सरकारी गारंटी का प्रावधान करना।

(iv) प्रतिस्थापन और नवीकरण कार्यकलापों के लिए इक्विटी के रूप में योजना निधि का प्रावधान करना।

(v) सरकारी ऋण पर बकाया ब्याज को माफ करना।

(vi) सरकारी ऋण का, अधिमान पूंजी में अंतरण करना।

एच.सी.एल. ने 2004-05 के दौरान 52.06 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है और यह रूख 2005-06 में भी बरकरार रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3658. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री टेक लाल महतो :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से असम में दूर-दराज के गांवों के विद्युतीकरण हेतु अनेक प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिले-वार कितने गांवों की पहचान की जा रही है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) मंत्रालय ने उन अविद्युतीकृत गांवों, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं होगी या किफायती नहीं होगी, के विद्युतीकरण हेतु अपने दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियों के माध्यम से असम के कछार जिले में 39 गांवों के विद्युतीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य में आगे अन्य 473 दूरस्थ गांवों की एक पार्ट-सूची की पहचान की है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य नहीं होगी और इसलिए इनका विद्युतीकरण अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से करना होगा। इन गांवों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनके विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु राज्य से अनुरोध किया गया है। अपनाए गए अपारंपरिक ऊर्जा विकल्प के प्रकार पर निर्भर करते हुए परियोजनाएं सामान्यतया एक से दो वर्षों में पूरी की जाती हैं।

विवरण

असम में पहचान किए गए दूरस्थ गांवों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	पहचान किए गए दूरस्थ गांवों की संख्या
1.	बरपेटा	15
2.	बोंगईगांव	11
3.	कछार	16
4.	दारंग	21
5.	धुबरी	4
6.	डिबरूगढ़	5
7.	गोलाघाट	10
8.	हालीकांडी	2
9.	करबी आंगलौंग	302
10.	लखीमपुर	10
11.	मोरीगांव	8
12.	उत्तरी कछार हिल्स	55
13.	शिवसागर	7
14.	सौनितपुर	6
15.	तिनसुकिया	1

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

3659. श्री मुनव्वर हसन :
डा. आर. सेनथिल :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
मो. मुकीम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-सरकारों द्वारा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों से राज्य-वार तथा संस्थावार कितनी विदेशी सहायता/ऋण प्राप्त किए गए;

(ख) इनमें से प्रत्येक ऋण पर केन्द्र सरकार से कितना ब्याज लिया जाता है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से उस पर कितना ब्याज लिया जाता है;

(घ) क्या सरकार राज्यों को लाभ पहुंचाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास भागीदारों से प्राप्त की गई विदेशी ऋण सहायता राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में जारी की जाती है। गत तीन वर्षों में जारी की गई विदेशी ऋण सहायता के राज्यवार और संस्था-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में देखे जा सकते हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में देखे जा सकते हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दिए गए केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर बयाज की दर इस प्रकार थी :

2002-03	-	11.5%
2003-04	-	10.5%
2004-05	-	9%

(घ) से (च) भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की यह सिफारिश की विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर अन्तरित की जाए जिन पर वह प्राप्त की गई थी, स्वीकृत कर ली है बशर्ते कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सेवा-लागत और विनिमय दर संबंधी उत्तर-चढ़ाव भी राज्यों को अन्तरित किए जाएं। तदनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद हस्ताक्षरित परियोजनाओं के मामले में, विदेशी सहायता दुतरफा

(बैक-टु-बैक) आधार पर अन्तरिम की जाएगी। तथापि, चल रही परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता जारी करने से संबंधित मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया गया है अर्थात् यह विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10:90 और विशेष श्रेणी-भिन्न राज्यों के लिए 70:30 के ऋण/अनुदान अनुपात के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मुहैया कराई जाती रहेगी।

विवरण-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3659 दिनांक 16.12.2005 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

(करोड़ रुपए)

		जर्मनी	फ्रांस	जापान	आईबीआरडी	एडीबी	आईडीए	आईएफएडी
		1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	2002-03	0	0.00	368.34	995.78	0.00	447.26	23.60
	2003-04	0	0.00	256.34	1151.78	0.00	950.51	13.85
	2004-05	0	0.00	173.00	216.41	0.00	436.00	0.00
असम	2002-03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	0.00	409.50	58.22	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	0.00	198.45	95.55	0.00
छत्तीसगढ़	2002-03	0	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	7.92	0.00	0.00	22.64	0.00
	2004-05	0	0.00	6.55	1.43	0.00	0.23	0.00
दिल्ली	2002-03	0	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	144.53	172.39	0.00	0.00
गुजरात	2002-03	0	0.00	20.58	229.49	830.99	421.96	0.00
	2003-04	0	0.76	13.79	238.13	394.32	346.53	5.60
	2004-05	0	0.97	0.00	0.00	0.00	277.61	1.98
हरियाणा	2002-03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	9.14
	2003-04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
	2004-05	0	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	5.77
हिमाचल प्रदेश	2002-03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	2002-03	0	21.79	212.80	79.64	44.73	38.70	0.00
	2003-04	0	11.86	279.37	182.51	105.73	39.08	0.00
	2004-05	0	17.17	153.31	346.09	166.55	197.73	0.00
केरल	2002-03	0	0.00	10.35	83.24	481.00	48.13	0.00
	2003-04	0	0.00	21.19	82.22	0.00	51.97	0.00
	2004-05	0	0.00	24.90	165.97	435.20	64.24	0.00

		1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	2002-03	0	0.00	96.69	0.00	432.87	22.34	0.00
	2003-04	0	0.00	100.63	0.00	293.47	73.41	0.00
	2004-05	0	0.00	113.79	96.08	182.88	87.56	0.00
महाराष्ट्र	2002-03	1.99	0.00	163.83	205.16	0.00	85.56	0.67
	2003-04	1.99	0.00	0.00	78.51	0.00	93.58	10.78
	2004-05	1.99	0.00	0.00	18.11	0.00	124.48	0.00
मणिपुर	2002-03	0.00	8.83	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0.00	10.95	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0.00	23.22	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	2002-03	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	0.00
	2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00
	2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	0.00
उड़ीसा	2002-03	0.00	0.00	47.87	146.71	0.00	156.01	0.00
	2003-04	0.17	0.00	48.17	222.78	0.00	156.48	4.55
	2004-05	0.10	0.00	41.63	332.68	0.00	414.94	0.00
पंजाब	2002-03	0.08	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0	0.00	44.28	1.75	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	2002-03	0	3.69	0.93	144.43	78.46	60.71	0.00
	2003-04	0	0.00	20.46	182.41	214.89	208.69	0.00
	2004-05	0	5.39	62.49	82.10	223.27	240.76	0.00
सिक्किम	2002-03	0	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	2002-03	0	0.80	71.31	40.90	0.00	162.37	0.00
	2003-04	0	0.57	73.05	142.75	0.00	64.55	0.00
	2004-05	0	0.00	19.66	56.71	0.00	71.74	0.00
उत्तर प्रदेश	2002-03	0	1.41	46.86	227.01	0.00	244.01	0.00
	2003-04	0	0.45	0.00	299.50	0.00	302.62	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	204.41	0.00	303.62	0.00

		1	2	3	4	5	6	7
उत्तरांचल	2002-03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2004-05	0	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	0.00
पश्चिम बंगाल	2002-03	0	11.94	0.00	0.00	29.68	0.00	0.00
	2003-04	0	6.97	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00
	2004-05	0	1.72	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00
बहु राज्य	2002-03	0	0.00	0.00	243.91	0.00	520.35	0.00
	2003-04	0	0.00	0.00	307.54	0.00	317.25	2.04
	2004-05	0	0.00	0.00	168.52	0.00	174.89	15.54

विवरण-II

भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों की सामान्य शर्तें (अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्रोत	मुद्रा	ऋण का स्वरूप रियायती/मिश्रित	रियायती अवधि (वर्ष)	रियायती अवधि के बाद वापसी आदयगी की अवधि (वर्ष)	वर्तमान ब्याज-दर (% में)	असंवितरित ऋण राशि पर वचनबद्धता प्रभार (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहुपक्षीय							
1.	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	अर्ध-रियायती	5	15	परिवर्तनीय*	0.75

*(i) ब्याज-प्रत्येक छह माह में परिवर्तनीय है।

अमरीकी डालर अस्थिर पर एकल मुद्रा ऋण

ब्याज दर 6 माह के लिबोर दर जमा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। 15.07.2005 से शुरू करके 14.01.2005 तक ब्याज आदयगी की तारीख के लिए प्रयोज्य दर निम्नानुसार है :

जहां 31.7.1998 को पूर्व वार्ता की गई- 3.99% प्रतिवर्ष (21 आधार बिन्दु के विस्तार सहित)

जहां 31.7.1999 को या उसके बाद वार्ता की गई - 4.24% प्रतिवर्ष (44 आधार पर बिन्दु के विस्तार सहित)

(i) **तत्काल भुगतान के लिए ब्याज छूट** - बैंक द्वारा यथा अधिसूचित वर्ष 2005 के लिए लागू छूट निम्नानुसार है :-

वे ऋण जिनके लिए वार्ता हेतु निमंत्रण 31.07.98 से पूर्व जारी किया गया - 0.05%

वे ऋण जिनके लिए वार्ता हेतु निमंत्रण 31.07.98 के बाद जारी किया गया - 0.25%

(ii) **वचन बद्धता प्रभार** - 0.75% की दर पर असंवितरित ऋण राशि पर देय। बैंक जुलाई, 91 से 0.50% की छूट अधिसूचित कर रहे हैं।

(iii) **ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क** - 1.7.1994 के बाद के अनुमोदनों पर ऋण राशि का 1% शुल्क (एक समय में भुगतान) घटाकर 0.50% किया गया, 1.7.1998 के बाद वार्ता किए गए ऋणों के संबंध में देय है।

2.	आईडीए	एसडीआर	रियायती	10	25	0.75	0.35

(i) जुलाई, 1988 तक तय किए गए ऋणों के संबंध में, वापसी-आदयगी की अवधि 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 50 वर्ष थी। आई.डी.ए. के ऋणों पर इस समय 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष की वापसी अदायगी की अवधि होती है।

(ii) वचनबद्धता प्रभार 1.1.05 से 0.35% की दर पर देय हैं।

(iii) ब्याज कॉलम के तहत दिखाया गया 0.75% सेवा 'प्रभार कहा जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आईएफएडी	एसडीआर	रियायती	10	40	0.75	-

ब्याज कॉलम के तहत दिखाया गया 0.75% सेवा प्रभार कहा जाता है।

4.	एडीबी	अमरीकी डालर	अर्ध-रियायती	3 से 5	12 से 20	परिवर्तनीय*	0.75

*ब्याज - प्रत्येक छह माह में परिवर्तनीय है। ब्याज दर लिबोर + संबंधित मुद्राओं में उधार की औसत लागत के 0.40% के आधार पर निर्धारित की जाती है।

वचनबद्धता प्रभार - असंवितरित ऋण राशि पर 0.75%। तथापि, परियोजना ऋणों के संबंध में असंवितरित राशि क्रमिक आधार पर निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम ऋणों के संबंध में यह संपूर्ण ऋण राशि पर लागू होते हैं।

5.	ओपेक	अमरीकी डालर	रियायती	5	12	3.00	

द्विपक्षीय

1.	जर्मनी	यूरो	(क) सरकार का हिस्सा	10	30	0.75%	0.25
			(ख) बैंक का हिस्सा	2	10	5.07 से 6.79	0.25
2.	फ्रांस	यूरो	मिश्रित	5	17	2.8%	
3.	जापान	येन	रियायती	10	30	1.3%	

ब्याज प्रत्येक ऋण करार में यथानिर्दिष्ट नियत दर पर प्रभारित किया जाता है।

4.	यूएसए	अमरीकी डालर	रियायती	10	30	2.50	
5.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रांक	निर्यात ऋण	3	8.5	परिवर्तनीय	

देय ब्याज स्विस निर्यात आधार पर जमा वार्षिक निर्यात जोखिम गारंटी से 0.5% अधिक होता है। देय ब्याज उपयोग की अवधि से संबद्ध 4% से 8.38% के बीच होता है।

6.	रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	रियायती	6	14	4.00	
7.	ईईसी (सैक)	यू.के. पौण्ड	रियायती	10	40	0.75	

टिप्पणी : *ब्याज दर प्रत्येक छह माह में परिवर्तनीय है।

अपराह्न 3.00 बजे

*लोकसभा अपराह्न 3.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संसद भवन के भीतर खतरे की आंशका के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सभा परिसर के भीतर सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना पाकर आज पूर्वाह्न 11.52 बजे सभा स्थगित कर दी थी। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल संपूर्ण परिसर की तलाशी ली। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और कोई संदेहजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। फिर भी, हम ऐसे मौके पर ऐसे किसी खतरे से निपटने के लिए सचेत और तैयार रहने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। से कोई भी चीज हतोत्साहित नही कर सकती।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, समी तरह के आतंकवाद और इस तरह की गतिविधियों के विरुद्ध लड़ाई के संकल्प में मैं भी आप के साथ हूँ। हमें इस बात का खेद है कि सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा हुआ और सभा को स्थगित करना पड़ा। पर, इसके साथ ही, इस की स्थिति में हम कोई खतरा नही ले सकते थे। इसलिए मै आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि ऐसे समी संभव उपाय किये जायेंगे जिससे सभा का कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहे।

*लोक सभा को पूर्वाह्न 11.52 बजे, अपराहन 1.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित किया गया। लेकिन, बाद में, अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा निर्दिश के बाद, सदस्यों को सूचित किया गया कि लोक सभा अपराहन 3.00 बजे समवेत होगी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, आपने जो भावना व्यक्त की और सदन के नेता ने जिसकी पुष्टि की, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जिसने ये सूचना दी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, जहां तक हो उसको खोजने का यत्न होना चाहिए और आखिर उसने संसद की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान किया है। हो सकता है कि किसी ने बिल्कुल मजाक में ही कहा हो या जानबूझकर ऐसा किया हो, लेकिन उसकी खोज का प्रयत्न जरूर होना चाहिए।

दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से सुरक्षाकर्मियों के लिए ऐसी परिस्थितियों मे पूरी ड्रिल बनी रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसी प्रकार से, चूंकि संसद एक ऐसा स्थान है जहां पहले भी ऐसा हमला हो चुका है और फिर से कभी इस पर ऐसा की करने की कोशिश हो सकती है, संसद के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, सरकारी पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए भी एक ड्रिल बनी रहनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है। आज जो कुछ हुआ उससे ऐसा एहसास मिलता था कि जैसे हम यह समझने में असमर्थ रहें हैं कि क्या हो रहा है। मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन मैंने जिन-जिन लोगों से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, उसमें हमें इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ। उसके बाद भी मैं बैठा रहा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गृहमंत्री जी का, जो स्वयं मेरे पास आए और मुझसे कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, आप यहां से चलिए। मैं समझता हूँ कि हमें इसके बारे में बिचार करना चहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नही पायी गयी और हमारे सुरक्षा कर्मियों ने इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही की।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक सुझाव भी आया है और हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय सरकार इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि के बारे में सभा को बतायें। राष्ट्र को इस बारे में जानने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस तरह का व्यवहार नही करना चाहिए। हम पूरी तरह से शांत है।

[हिन्दी]

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, आज जो घटना हुई, वह हम सब लोगों के सामने है। इसके बारे में मालूमात् चेन्नई से आई थी। चेन्नई में जो अमेरिकन काउंसलेट है, उसको किसी ने यह ई-मेल करके बताया कि हिंदुस्तान में जो अमेरिकन काउंसलेट हैं वहां पर और पार्लियामेंट पर 11 बजकर 45 मिनट पर बम के धमाके होने वाले है। यह बात उन्होंने तमिलानाडु की पुलिस को बताई और तमिलानाडु की पुलिस ने यहां पर इन्फार्मेशन दी। यहां पर फिर जांच करके यहां की जो अमेरिकन एम्बैसी है, वहां पर भी जांच करके, उन्होंने भी बताया कि हमारे पास ऐसी इंफार्मेशन है। यह इंफार्मेशन दिल्ली पुलिस को भी गई और यहां भी बताया गया। उसके बाद जब यहां पर यह इंफार्मेशन आई, सदन में यह इंफार्मेशन आई, तो मैं समझता हूं कि सही ढंग से आपने और सदन ने इसे खाली किया। ऐसा पहले भी हुआ था और ऐसा करने की जरूरत पहले भी की गई थी, लेकिन माहौलबदला हुआ है। उसमें जो कुछ भी किया गया, वह सही ढंग से किया गया। वह करना जरूरी था। नहीं करते तो कुछ और हो जाता, तो वह गलत बात हो जाती। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि इसके बारे में क्या ड्रिल हो सकता है, इसके बारे में सोचा गया है कि आपके साथ और राज्य सभा के चेयरमैन साहब के साथ चर्चा होगी। दोनों सदनों के एस.जीज. से भी चर्चा होगी। हमारे जो अधिकारी हैं, वे भी आपसे चर्चा करेंगे। सदन को सुरक्षा देने के लिए, बाहर से तो सुरक्षा दिल्ली पुलिस देती है और प्रिमीसाइज में सुरक्षा का पूरा इंतजाम आपका है। बाहर से भी, अंदर से भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो भी करना जरूरी है, सरकार की ओर से किया जाएगा। बाकी जो आपका आदेश रहेगा, वह पूरी तरह से माना जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

अपराह्न 3.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह बाघेला) : महोदय मैं निम्नलिखि पत्र समापटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री शंकर सिंह बाघेला]

(क) (एक) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3244/2005]

(ख) (एक) बर्डस जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्डस जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3245/2005]

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडिक्राफ्टस, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडिक्राफ्टस, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3246/2005]

(3) (एक) नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3247/2005]

(4) (एक) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3248/2005]

(5) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3249/2005]

(6) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिशन, अहमदाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिशन, अहमदाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3250/2005]

(7) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3251/2005]

(8) (एक) सिन्थेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3252/2005]

(9) (एक) मेन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3253/2005]

(10) (एक) सरदार बल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट आफ टेक्साटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार बल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट आफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बतूर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3254/2005]

(11) (एक) आल इंडिया हैण्डलू फेब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई टिल्ली के वर्ष 20044-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3255/2005]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, में श्री पी, एम सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) दामोदर वैली कारपोरेशन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3256/2005]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3257/2005]

विधि और न्यायमंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय में निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनलजूडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिक लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 3258/2005]

(2) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) तंग करने वाले मुकद्मों का निवारण संबंधी 192वां प्रतिवेदन, जून 2005।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 3259/2005]

[श्री प्रियरेजन दासमुंशी]

(दो) राष्ट्रपार मुकद्मे विधि संघर्ष-परिसीमा विधि संबंधी 193वां प्रतिवेदन, जून 2005।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3260/2005]

(तीन) स्टाम्प-शुल्कों का सत्यापन तथा माध्यस्थम् पंचाटों का रजिस्ट्रीकरण संबंधी 194वां प्रतिवेदन, जून 2005।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3261/2005]

(3) (एक) इंडियन लॉ इंस्टीटयूट, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन लॉ इंस्टीटयूट, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3262/2005]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय में निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) आघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3263/2005]

(2) (एक) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3264/2005]

(3) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3265/2005]

(4) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी 3266/2005]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जियो-मैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जियो-मैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3267/2005]

(6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन ऐसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3268/2005]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3269/2005]

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3270/2005]

(9) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फार रिसर्च इन पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फार रिसर्च इन पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3271/2005]

(10) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3272/2005]

(11) (एक) नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3273/2005]

(12) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट,बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3274/2005]

(13) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3272/2005]

(14) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियालाजी, देहरादून के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी. देहरादून के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3276/2005]

(15) (एक) नेशनलइंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी,नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री कपिल सिब्बल]

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3277/2005]

(16) (एक) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3278/2005]

(17) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3279/2005]

(18) (एक) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3280/2005]

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3281/2005]

(ख) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3282/2005]

(ग) (एक) भारत इम्यूनोलाजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलाजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3283/2005]

(घ) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3284/2005]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सेंटर फार विंड इनर्जी टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेंटर फार विंड इनर्जी टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3285/2005]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 1263 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्ती ग्रामीण बैंक का पूर्वांचल ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1264 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो काशी ग्रामीण बैंक, गोमती ग्रामीण बैंक और संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में सम्मेलन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1265 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पंजाब ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1266 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वलसाड-डैंग्स ग्रामीण बैंक,सूरत भरूच ग्रामीण बैंक और पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक का बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1267 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अकोला ग्रामीण बैंक, यवतमाल ग्रामीण बैंक और बुलढ़ाना ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1268 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कच्छ ग्रामीण बैंक, बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक और साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक का देना गुजरात ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे है।

(सात) का.आ.1269 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्गा ग्रामीण बैंक, कोलार ग्रामीण बैंक और सहयाद्री ग्रामीण बैंक का प्रगथी ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1270 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, बीजापुर ग्रामीण बैंक, नेत्रावति ग्रामीण बैंक और वरदा ग्रामीण बैंक का कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1271 (अ) जो 12 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामक एक एकल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में समामेलन के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3286/2005]

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23घ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1414 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्ती ग्रामीण बैक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1415 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो काशी ग्रामीण बैंक, गोमती ग्रामीण बैंक और संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(तीन) का.आ. 1416 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1417 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वलसाड-डैंग्स ग्रामीण बैंक, सूरत भरूच ग्रामीण बैंक और पंचमहल वदोदरा ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1418 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अकोला ग्रामीण बैंक, यवतमाल ग्रामीण बैंक और बुलढाना ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में हैं।

(छह) का.आ. 1419 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कच्छ ग्रामीण बैंक, बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक और साबर कांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जोने के बारे में हैं।

(सात) का.आ. 1420 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, कोलार ग्रामीण बैंक और सहयाद्री ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे हैं।

(आठ) का.आ. 1421 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मालप्रभा ग्रामीण बैंक, बीजापुर ग्रामीण बैंक, नेत्रावति ग्रामीण बैंक और वरदा ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1422 (अ) जो 28 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन के कारण विघटन हो जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3287/2005]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बॉमर लारी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बॉमर लारी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3288/2005]

(4) 31 मार्च, 2005 का समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3289/2005]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (पहला संशोधन) विनियम, 2005 जो 7 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653 (अ) में प्रकाशित हुए थे, और उसका एक शुद्धिपत्र, जो 22 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679 (अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1610 (अ) जो 16 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कच्चा पॉम तेल, आर.बी.डी. पॉम तेल, अन्य-पॉम तेल, कच्चा पामोलीन, आर.बी.डी. पामोलीन, कच्चा सोयाबीन तेल और पीतल स्क्रैप पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1658 (अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1659 (अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 710 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में श्री पेरम्बुदूर स्थित नोकिया टेलीकॉम, एसईजेड के क्षेत्र को "विशेष आर्थिक जोन" के रूप में विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3290/2005]

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2005 को 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3291/2005]

(7) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 2469 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमैंट एजेंसी, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2470 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "प्रजापिता ब्रह्माज कुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय, राजस्थान" को कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2471 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ संत बी. गेपितानियो एण्ड संत वी. गेरोसा, कोलकाता" को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2472 जो 16 जूलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कातिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2473 जो 16 जूलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2474 जो 16 जूलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता" को कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2475 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा (राजस्थान)" को कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2810 जो 13 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट,

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

अजमेर, राजस्थान" को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3094 जो 3 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टिट्यूट, चेन्नई" को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3095 जो 3 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3454 और का. आ. 3455 जो 1अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तारामणि, चेन्नई" को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3456 जो 1 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 कीधारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3457 और का.आ. 3458 जो 1 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री जैन श्वेताम्बर नकोदा पार्श्वनाथ तीर्थ, राजस्थान" को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3891 जो 29 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आनन्दाश्रम ट्रस्ट, कान्हागढ़, केरल" को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

[गंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3292/2005]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धार 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के, दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, पैंतीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

[गंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3293/2005]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[गंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3294/2005]

अपराह्न 3.07 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम iii के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम iii के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित लागत और संकर्म (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम iii के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्याक 5 विधेयक, 2005, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2005 को पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005, लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 3.07½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

170वां और 171वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) महिला और बाल विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति का 170वां प्रतिवेदन; और

(2) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 158वें प्रतिवेदन, में अंतर्विष्ट सिफारिशो/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 171वां, प्रतिवेदन।

अपराह्न 3.08 बजे

(एक) "हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के आधुनिकीकरण के बारे में दिनांक 2.12.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1622 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : अध्यक्ष महोदय, श्री जसुभाई धानाभाई बारड़, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा पूछे गए और 2-12-2005 को उत्तारित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.-1622 के संबंध में उत्तर (और अंग्रेजी पाठ) की प्रतियों में प्रिंटर संबंधी त्रुटि और अनदेखी के कारण पूरी तरह से प्रिंट प्रश्न के भाग 'क' और 'ख' के उत्तर नहीं थे।

*मैं प्रश्न के पूरी तरह प्रिंट उत्तर की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 3.08½ बजे

(दो) धनराशि का आबंटन के बारे में दिनांक 5.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : श्री पी.एम. सईद की ओर से 'धनराशि का आबंटन' के बारे में श्री जसवंत सिंह विश्नोई और श्री रघुराज सिंह शाक्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के 5-8-2005 को (एक) दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

*लोक सभा के दिनांक 05-08-2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 1926 के भाग (घ) के हिंदी में दिए गए उत्तर को

"सलाहकार - सह परामर्शी समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर नियमित अंतराल पर आयोजित बैठक में गुणा व गुणों के आधार पर संचालन समिति के विचाराधीन है। के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाए

---

*सभा पटल पर रखी गई और ग्रंथालय में भी रखी गई देखिए सं. एल.टी. 3295/2005

**ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी. सं. 3296/2005

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

1. सलाहकार सह परामर्शी समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर नियमित अंतराल पर आयोजित बैठक में गुणावगुणों के आधार पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाता है।

2. अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में त्रुटि के कारण गलती हुई।

3. असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 3.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज)** : मैं विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अतंर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दे रहा हूं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जो सभा पटल पर रखा गया है और मैं अनुरोध करता हूं कि उसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 3.10 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की मदों की घोषणा करूंगा, जिनमें सम्मिलित है :-

1. आज के आदेश पत्र में सम्मिलित सरकार के काम की कोई भी मद।

2. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 राज्य सभा द्वारा यथापारित। (विचार तथा पारित करना)

3. केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005। (विचार तथा पारित करना)

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयक

   - चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005
   - लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005
   - कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005

5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

   - संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005; और
   - भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए :-

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं द्वारा एशिया ही नहीं विश्व स्तर के महान क्रिकेट खिलाड़ी सौरभ गांगुली के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत की टीम से बाहर करने की कार्यवाही पर विचार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :-

(1) 4 से 18 वर्ष की आयु तक के श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, बाल श्रम प्रथा समाप्त कर गरीब श्रमिक की झोंपड़ी तक शिक्षा पहुंचाई जाए।

(2) ग्रामीण बेरोजगार श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार (रोजगार गारंटी) कानून बनें। 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था की जाए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाए :-

(1) उत्तरांचल की रानीखेत छावनी परिषद् को अतिशीघ्र नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता।

(2) मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए संसद सदस्यों की वेतन-भत्ते संबंधी, संशोदन विधेयक प्रस्तुत कर युक्तियुक्त वेतन भत्ता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाए :-

---

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3297/2005]

(1) अल्लापुज्जा राष्ट्रीय राजमार्ग - 47 उपमार्ग के साथ दो सड़क ऊपरिपुल्लों के निर्माण कार्य को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

(l) मरारीकुलम - अलेप्पी रेल लाइन, 51/100-300 मीटर के साथ रेल समपार संख्या 54 पर चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी-उपस्थित नहीं।
श्री वी.के. ठुम्मर-उपस्थित नहीं।
श्री हंसराज जी अहीर-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

(1) एक लाख से अधिक आबादी वाले सुप्रसिद्ध औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर ब्यावर में सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस (9105/9106) को जनहित में 2 मिनट का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

(2) राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक, प्राकृतिक एवं सीमावर्ती स्थिति तथा लगातार कई वर्षों से अकाल एवं सूखें से उत्पन्न संकट को देखते हुए उसके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान को अन्य राज्यों की भांति आर्थिक सहायता के रूप में विशेष पैकेज प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : कृपया निम्नलिखित प्रस्तावों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

(1) केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय सांसदों की अनुशंसा अवश्य लिये जाने का निर्देश राज्य सरकार को दिये जाने का कार्य।

(2) गैर सरकारी संगठनों को आवंटित राशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्थानीय सांसदों द्वारा निगरानी रपट लिये जाने एवं उनके सुझाव लिये जाने का नियम बनाने का कार्य।

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) : अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाये जो लोकहित में है।

(1) जमशेदपुर के हिंदुस्तान कापर लि. के आवासीय क्वाटर को हिंदुस्तान कापर लि. के पूर्व कर्मचारियों को लीज पर दिये जाने का कार्य।

(2) जमशेदपुर के टिस्को अधीन एयरपोर्ट को अधिग्रहित करके उस पर हवाई सेवा शुरू करने का कार्य।

अपराह्न 3.16 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.17 बजे

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : मैं, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पु:स्थापित** करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.18 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

उड़ीसा से राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के प्रस्तावित स्थानातंरण के बारे में

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय मैं, शून्य काल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्त्व का एक विषय उठाना चाहता था। लेकिन इस बुरी घटना के बाद 'शून्य काल' नहीं हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 16-12-2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

महोदय, सभा के नेता यहां हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के संबंध में उड़ीसा के साथ कैसा अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे वक्तव्य देंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अब उड़ीसा के छात्र और बुद्धिजीवी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। माननीय मंत्री जी और सभा के नेता ने 30-11-2005 को इस सभा को आश्वस्त किया था कि यह सरकार उत्तर देगी। पिछले सत्र में भी संसदीय कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने भी 29 अगस्त 2005 को इस सभा को आश्वासन दिया था, अत: दोनों मंत्रियों ने इस संबंध में इस सभा को आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार की ओर से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इसके प्रति उदासीन क्यों है। सभा के नेता श्री प्रणब मुखर्जी यहां हैं। वे चुप क्यों हैं? वे सभा को सूचित करें कि सरकार इसका उत्तर कब देगी। आज बुद्धिजीवी और छात्र जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इतनी ठंड में सैकड़ों छात्र वहां बैठे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप इस मामले को उठाने के हकदार हैं। मुझे यह सूचना मिली है कि सोमवार को एक वक्तव्य दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अध्यक्ष पर विश्वास नहीं करते?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम आप पर विश्वास करते हैं *(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय संसदीय कार्य को माननीय सदस्यों को बताया होगा परन्तु मैं सोमवार को वक्तव्य दूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सोमवार को वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, हम केवल वक्तव्य नहीं चाहते।

[हिन्दी]

महोदय अर्जुन सिंह जी पहले कह चुके हैं। *(व्यवधान)* वहां पर नहीं रहेगा *(व्यवधान)* पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। इसलिए, वह क्या वक्तव्य देंगे। श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि उसे स्थानांतरित किया जाएगा और यह रिकार्ड में है *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैंने पहले भी यह कहा था और मैं दोहरा रहा हूं कि सभा के नेता द्वारा सोमवार को वकतव्य दिया जाएगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्होने कहा है कि वह सोमवार को वक्तव्य देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : किन्तु तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में ला रहा हूं। इस संसद में राजनीति के खेल पर हमेशा चर्चा हुई है, लेकिन खेल की राजनीति पर कभी चर्चा नहीं हुयी।

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी।

श्री मोहन सिंह : इस देश के अन्दर, भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो राजनीति हो रही है, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह हम खेलों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इस देश का सम्मान, इस देश की प्रतिष्ठा सौरव गांगुली जैस महान खिलाड़ी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं ने भारत की टीम से बाहर कर दिया है। इससे पूरे देश में, खेल प्रेमियों में और आम जनता में गुस्सा और नाराजगी है। *(व्यवधान)* यह एक ऐसा विषय है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम अगले सप्ताह खेलों पर चर्चा करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : महोदय, यह जो खेल की राजनीति है और राजनीति का खेल है *(व्यवधान)* इससे अच्छे खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा। *(व्यवधान)* इससे देश के खेल प्रेमियों के मन में निराशा पैदा होगी। *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.20 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।" *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अटवाल के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पराजये आप इतने जिम्मेदार सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, आप अपने स्थान से भी नहीं बोल रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं समझता हूं कि चूंकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के समय को आगे बढ़ा दिया गया है और अब उन पर चर्चा की जा रही है। इसलिए आज की कार्य सूची में कोई सरकारी कार्य नहीं है।

अपराह्न 3.21 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 25.8.2005 को उड़ीसा के सुन्दरगढ़ एवं क्योझर जहां आयरन और, मैंगनीज एवं ग्रो मोर जिस की इंटरनेशनल मार्किट में बहुत ज्यादा मांग है, उसका परिवहन करने के लिए एक चर्चा शुरू की थी। उस क्षेत्र में दो नेशनल हाई-वेज नम्बर 23 और 215 तथा तालचेर में बिमलागढ़ तक की नई लाइन बनानी है। उसके लिए पांच-पांच करोड़ रुपए का दो साल से बजट में प्रावधान किया जा रहा है। दायतारी से बांसपानी तक का रेलवे लिंक भी होना है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मंत्री बैठे हैं लेकिन रेलवे के बारे में कौन रिप्लाई देगा क्योंकि मेरे रैजोल्यूशन में दो रेलवे लाइनों का भी जिक्र है। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं जानता चाहता हूं कि रेलवे से संबंधित मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा?

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं रेल मंत्री की तरफ से उत्तर दूंगा। मैं दोनों की तरफ से उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : वैसे हाउस में किसी विशेष रोड या रेलवे प्रोजैक्ट के बारे में चर्चा नहीं की जाती है लेकिन इस रोड को लेकर बहुत से लोगों की मौत हुई है जिससे लॉ ऐंड ऑर्डर की पोजिशन भी खराब हुई है।

मैं दो-तीन चीजों का ब्यौरा देना चाहता हूं। चीफ सैक्रेटरी, उड़ीसा ने यहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जो पत्र लिखा, मैं उसके दो-चार अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पॉलिटिकल लोग कहें तो अलग बात है। श्री सुभाष पाणिग्रही, चीफ सैक्रेटरी उड़ीसा ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को 31 अक्तूबर को एक पत्र लिखा।

चालीस किलोमीटर जाने के लिए चार घंटे का समय लगता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाना होता है तो कई बार चार से आठ घंटे लग जाते हैं। मैंने पिछले भाषण में कहा था कि जिले के दो एस.पी. सुबह उठकर पहली रिपोर्ट लेते हैं कि नेशनल हाईवे चालू है या नहीं। इन दोनों एस.पी. का सुबह इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है, वे वायरलैस से पहला मैसेज यही लेते हैं कि यह नेशनल हाईवे खाली है या नहीं। यहां से चौदह हजार ट्रक रोज जाते हैं। मुझे यहां से घर जाने के लिए, जो मेरे होमटाऊन लोहिनीपड़ा, ब्लॉक हैडक्वार्टर से पांच किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक जाने के लिए एस.पी. और संबंधित थाना अधिकारियों को बताना पड़ता है कि मैं वहां जा रहा हूं और आप वहां की स्थिति देखिए। अगर वे वहां की स्थति को नहीं देखेंगे तो मैं घर नहीं पहुंच सकता हूं।, वहां यह स्थिति है। मैंने आपको और स्पीकर महोदय को लिखकर दिया था और मैंने इसकी सी.डी. भी बनाई है। मैंने आज्ञा मांगी थी कि अगर मुझे सी.डी. को टेबल पर ले करने की आज्ञा दी गई तो मैं नेशनल हाईवे की स्थिति के बारे में अवगत करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने मुझे एक चिट्ठी दी है जिसके अनुसार नेशनल हाईवे सं. 23 और 215 के डेवलपमेंट प्रोजक्ट्स को थर्ड

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जुएल ओराम]

फेस में रखेंगे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्यों इसे थर्ड फेस में रखेंगे? थर्ड फेस की कम्पलीशन डेट 2009 है। वर्ष 2009 तक वहां क्या होगा? यहां के विधायक और सांसदों को जो स्थिति झेलनी पड़ती है, मैं उसे बता नहीं सकता। चालीस किलोमीटर को तय करने के लिए अगर चार घंटे लगेंगे तो वहां की स्थिति क्या होगी? माननीय मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें।

इस चर्चा में मेरे बहुत से साथी भाग लेंगे लेकिन मैं केवल दो बार ठोस बातें कहना चाहता हूं। ये बातें बहुत आवश्यक हैं और माननीय मंत्री जी चाहें तो तुरंत इस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात तो यह है कि नेशनल हाईवे पर मिसिंग लिंक है, यह मिसिंग लिंग ठम्मार से लेकर ढिनकानाढ़ को कनैक्ट करेगा। यह मिसिंग लिंक वर्ष 1981 में डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन मिसिंग लिंक डिक्लेयर होने के बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा है और एक्जिस्टिंग मिसिंग लिंक पर भी काम नहीं हो रहा है। यहां काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह डिनेशनलाइज हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप नेशनल हाईवे की मिसिंग लिंक को क्लीयर करके काम कर रहे हैं और जल्दी कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी नेशनल हाईवे के नाम पर जो पोर्शन है उस पोर्शन को ठीक करके, कम से कम उसे डबल करके मरम्मत कराइए। इस संबंध में देवगढ़ क्षेत्र के सांसद श्री धर्मेन्द्र प्रधान हैं, यह उनका एरिया है, वह भी बताएंगे। वर्ष 1981 से यह मिसिंग लिंक डिक्लेयर हो गया है लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ है और दूसरे पार्ट में भी काम नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

आप अनुपलब्ध लिंक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्से पर कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे अराष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

यह कहा का न्याय है? इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 215 लगभग बंद हो गया है।

[हिन्दी]

उस पर बहुत कम ट्रैफिक जा रहा है। उसके पास ही अभी एक स्टेट हाईवे है जिसका आधा हिस्सा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) का है और आधा हिस्सा पी.डब्ल्यू.डी का है। अगर मान्यवर मंत्री महोदय चाहते हैं तो इसे नेशनल हाईवे 215ए बना सकते हैं क्योंकि यह नेशनल हाईवे 215 के पैरलल शार्टकट है।

जब मैंने 25 अगस्त को चर्चा शुरू की तो आग्रह किया था और वह मेरी सबसे बड़ी डिमांड थी कि अगर माननीय मंत्री जी पैसा देंगे तो काम शुरू होगा। यह मेरी लिए बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मंत्री जी वहां जा कर देख कर आएं। मैं आज भी दोहराना चाहता हूं कि वहां काम होगा, हम जानते हैं चाहे देर से ही हो लेकिन काम होगा। हम इतने में ही संतुष्ट नहीं होंगे। वे एक बार चलकर देखें कि नेशनल हाईवे कैसा होता है। भारत की आजादी के पचास-पचपन वर्ष के बाद भी नेशनल हाईवे की स्थिति ऐसी है तो उसे माननीय मंत्री जी एक बार जरूर देखकर आएं। शायद भारत में ऐसा नेशलन हाईवे कहीं नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से एक बार वहां जाने का अनुरोध करता हूं। इसके लिए आप भुवनेश्वर पर उतरें और एक राउंड लगाकर दोनों नेशनल हाईवे को देखकर आएं। अगर आप बाए रोड नहीं जाना चाहते हैं तो हम हैलीकॉप्टर का इतंजाम कर देंगे। मंत्री जी खुद वहां होकर आयें तो मालूम होगा कि रोड की क्या स्थिति है? वहां लगभग 14 हजार ट्रक लाइन में खड़े रहते हैं। उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मुश्किल हो जाती है। यह कलेक्टर या एस.पी. का काम नहीं है। स्टेट के चीफ सैक्रेटरी ने दुखी होकर पत्र लिखा था।

उपाध्यक्ष जी, तालचेर-बिमलगढ़ नई रेल लाइन है। राउरकेला स्टील प्लांट मेरे क्षेत्र में हैं, शायद आप उसकी ज्यौग्राफी जानते होंगे। पिछले 30 साल से यहां डिमांड हो रही है। इसके लिये न जाने कितने आंदोलन किये गये, कितनी बार जेल भरो आंदोलन हुआ और न जाने लोगों ने क्या क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं? इस 125 किलोमीटर रेल लाइन बनाने के लिये न जाने कितनी बार उस समय के रेल मंत्री श्री नीति कुमार से आग्रह किया गया और यह रेल लाइन सैंक्शन हुई। चाहे एन.डी.ए. की सरकार नहीं रही, फिर भी मैंने कहा कि यदि सरकार नहीं कर सकती तो बी.ओ.एल.टी. के आधार पर इसे बनाने के लिये प्राइवेट पार्टी को दिया जाये।

जब तक नेशनल हाईवे की बात है, अगर मंत्री जी इसे बनवा देंगे और असके निर्माण पर 500-600 करोड़ रूपया खर्च आयेगा, तो वह एक-दो साल में ही टोल टैक्स के रूप में वापस सरकार को मिल जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इसे प्रायरिटी के आधार पर चालू करायें। हालंकि सरकार ने पिछले दो बजट में पांच-पांच करोड़ रुपया दिया लेकिन आज सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने कई बार मंत्री जी से आग्रह किया कि आप यह काम करेंगे या नहीं लेकिन पहले जाकर इसका शिलान्यास तो करिये। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसे हटा दीजिये, हम कोई दूसरी व्यवस्था कर देंगे। एक बार मंत्री जी ने सहमति दी लेकिन न जाने किस कारण से नहीं जा सके।

जहां तक दैतारी-बांसपानी रेल लाइन की बात है, बीजू जनता दल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के समय से इस बात के लिये वह झगड़ा करते रहे। कोल माइनिंग एसोसिएशन और उड़ीसा

चैम्बर्स ऑफ कामर्स के अलावा छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के डेलीगेट भी मंत्री महोदय से मिल चुके हैं। उनका कहना था कि यदि करेल लान को क्लीयरेंस मिल जायेगा तो पाराद्वीप पोर्ट जाने और माल की ढुलाई करने में सुविधा हो सकेगी। पिछले दो साल का लोग ऑर्डर हाथ में लिये हुये बैठे हैं। वे लोग ऑयरन ओर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिये दैतारी-बांसपानी रेल लाइन की महत्ता है। मैं क्योंझर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। अगर हम बिजली, पानी के लिये लड़ रहे हैं तो अलग बात है लेकिन उसके लिये भी पैसा मिलेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक-दो हजार करोड़ रुपया मिल जाये, खर्चा कीजिये तो उसका रिटर्न भी मिलने लगेगा। उड़ीसा बहुत ही गरीब स्टेट है क्योंकि न वहां रेल नैटवर्क है और न ही रोड नैटवर्क है। हम ऑयरन और देना चाहते हैं लेकिन इन रेलमार्ग और रोड के बगैर कैसे जायेगा? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। इसलिये मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो जाने से पहले सोचना पड़ता है कि कितने लोग मुझे मिलेंगे और मुझ से क्या क्या कहेंगे? अमेरिका से हमें ई-मेल आता है कि

[अनुवाद]

आप एक संसद सदस्य हैं और आपको इस पर शर्म आनी चाहिए।

[हिन्दी]

आपके यहां 40 किलोमीटर जाने के लिए चार घंटे लग गए जिसकी वजह से एक मरीज़ की मौत हो गई। इसके लिए आप जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं? हम उनको कुछ नहीं कह पाते। एक आदमी अस्पताल समय से नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही मर जाए तो हम लोक प्रतिनिधि होने के नाते जनता को क्या उत्तर देंगे? इसलिए मैं नेशनल हाईवेज़ मिनिस्टर से दो नेशनल हाईवेज़ बनाने के बारे में अवश्य गुजारिश करूंगा।

महोदय, मैंने अपनी बात कहने के लिए आधे घंटे से ऊपर का समय ले लिया जबकि बहस का कुल निर्धारित समय ही ढाई घंटे है। अभी अनेक माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैं केवल गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइन और नेशनल हाईवेज़ ले जाने की बात कर रहा हूं। मैं पुनः माननीय मंत्री जा से गुज़ारिश करता हूं कि दो रेलवे लाइन और दो नेशनल हाईवेज नं. 23-ए और 215-ए बनाने की घोषणा अवश्य कीजिए। वहां टेस्ट हाईवे है लेकिन नेशनल हाईवे न होने के कारण हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि हम चाहें तो हम भी लाठी लेकर नेशनल हाईवे पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम विकास के काम में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहें तो आंदोलन भी कर सकते हैं। हमने कितने आंदोलन किये हैं, उसका हिसाब नहीं होगा। सड़कों के लिए कितने आंदोलन किये और कितनी चिट्ठियां राष्ट्रपति महोदय को दी हैं, उसका हिसाब नहीं है। कितनी चिट्ठियां और कितनी ई-मेल हमें आती हैं, उसका हिसाब नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में विचार करने का भी आग्रह करता हूं। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री चंद्रशेखर साहू (बरहामपुर-उड़ीसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री जुएल ओराम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तथा तालचेर से बिमलागढ़ और दैतारी से बांसपानी तक रेलवे लाइनों के संबंध में लाए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हाल ही में वह भारतीय सड़क कांग्रेस में भाग लेने के लिए उड़ीसा में गए थे जहां उन्होने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में सभी तरह से सहायता करेगी। मैं केवल उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

3594.844 कि.मी. लम्बाई के 16 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो उड़ीसा राज्य से होकर गुजर रहे हैं। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 3594.844 कि.मी. लम्बाई में से एनएचडीपी और पत्तन कनेक्टिविटी योजना के अतंर्गत सुधार करने हेतु 2996.044 कि.मी. का खंड उड़ीसा राज्य सरकार को सौंपा गया है और 514.8 कि.मी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। बहुत से राज्य राजमार्ग हैं। यदि मैं सही हूं तो उड़ीसा सरकार द्वारा 13 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें से बरहामपुर से कोरापुट - 313.6 कि.मी. और जयपुर से मोतू - 323.0 कि.मी. पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महोदय यदि इन दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है तो उड़ीसा दो जिले-गजपति और रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इन दोनों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के बारे में माननीय सदस्य श्री जुएल ओराम से पूरी तरह सहमत हूं। इसके साथ ही मैंने पहले ही माननीय मंत्री को धन्यवाद दे दिया है क्योंकि इन्होने इस संबंध में विशेष ध्यान दिया है। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब उड़ीसा सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को शामिल करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम आया तो दक्षिण उड़ीसा की तरफ से एक भी प्रस्ताव नहीं आया। केवल पश्चिम उड़ीसा के प्रस्ताव भारत सरकार के पास आए। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री से मिला था। *(व्यवधान)*

[श्री चंद्रशेखर साहू]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। व्यवधान न डालें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री चंद्रशेखर साहू : मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि मंत्री और सचिव पश्चिम उड़ीसा के हैं इसीलिए उन्होने यह दिया है। मैंने उन्हे सूची भी दिखाई है। मैं माननीय मंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग-217, जो कि बहुत खराब हालत में है, और वह बरहामपुर शहर से होकर गुजरता है। के लिए विशेष निधि दी है। मैं विवाद नहीं करता और मुझें इन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए पैसा देने पर आपत्ति भी नहीं है किंतु इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि राज्य सरकार को सम्पूर्ण राज्य को बराबर महत्व देना चाहिए और तद्नुसार प्रस्ताव भेजना चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री चंद्रशेखर साहू : राष्ट्रीय राजमार्ग 217 के लिए बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। मुझे पता चला है कि इस परियोजना के लिए एक परामर्श एजेंसी को लगाया गया है। इसमें अधिक समय लगेगा इसलिए माननीय मंत्री ने बरहामपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-217 के विकास के लिए धन दिया है। किंतु आज तक वह कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं और उन्होने तद्नुसार आदेश दिए हैं।

इसलिए, मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इसकी जांच करें ताकि शहर में इस सड़क की मरम्मत करवाई जाए जिससे यातायात की स्थिति में सुधार हो सके।

महोदय, संचार से प्रगति होती है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अन्य राज्यों के अनुसार उड़ीसा निश्चय ही राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में पीछे चल रहा है। चूंकि हमारी सरकार पहुंच से दूर के क्षेत्रों में बेहतर और उन्नत संचार प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जैसी कि मांग की गई है और जैसा हमारे माननीय सहयोगी श्री जुएल ओराम द्वारा मांग की गई है, उन सभी सड़कों पर विशेष ध्यान दें और यह देखें कि उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का भारत के मानकों के अनुसार विशेष ध्यान रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जुएल ओराम, माननीय सदस्य द्वारा उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के शीघ्र निर्माण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

महोदय, प्रधान जी, खुश हो गए होंगे। इस पर तो मैं बल दे ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ जानकारी भी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा में नैशनल हाईवे मंजुर हुआ है। वहां सामान भी पहुंच गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां शीघ्र काम शुरू किया जाए।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नैशनल हाईवे की क्वालिटी में भी फर्क आ रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया घुमा-फिराकर बात मत कीजिए।

[हिन्दी]

शैलेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात संक्षेप में शीघ्र कहें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। वाराणसी में जो नैशनल हाईवे बन रहा है, उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्वालिटी में क्यों फर्क आ रहा है, इसकी जांच कराने की जरूरत है।

महोदय, उड़ीसा में नैशनल हाईवे बनें या देश के किसी और हिस्से में बनें, यह अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों की खेती योग्य जमीन ली जा रही है, जिनके मकान गिराए जा रहे है, जिनके बागों को नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें मुआवजा देने में भी मतभेद बरता जा रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम मुआवजे में तो मतभेद नहीं बरता जाना चाहिए। जो गरीब हैं, जिनके छोटे-छोटे खेत हैं, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हैं, जिनके पास एक-एक, डेढ़-डेढ़ बीघे के खेत है, उनको जो मुआवजा दिया रहा है, उसमें कोई मतभेद नहीं बरता जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जिन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब लोगों की जमीन ली जा रही है, मकान गिराया जा रहा है या बाग वगैरह को क्षति पहुंच रही है, उन्हें उनका मुआवजा प्राथमिकता के आधार पर अच्छी तरह से मिलना चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ मेरा यह निवेदन भी है कि जहां नैशनल हाईवे का डायवर्शन है, वहां से शहर तक आने-जाने के रास्ते को भी ठीक प्रकार से बनाया जाए। जैसे कहीं नैशनल हाईवे बन रहा है उसके बीच में यदि नदी आ गई और नदी पर पुल बनाने के बाद आप उस नैशनल हाईवे को डायवर्ट करना चाहते हैं और मान लीजिए कि उस पुल से शहर की दूरी 40, 50 या 60 किलोमीटर है, तो पुल से शहर तक के रास्ते को भी ठीक प्रकार से बनाने का काम आपको ही करना चाहिए। अभी श्री जुएल ओराम जी कह रहे थे कि 40 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।

उन्हें बनाने का काम भी आपका होना चाहिए। तभी इस संकल्प और सरकार को जो यह मत है कि हम पूरे देश में नैशनल हाईवे को चमकाने का काम कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी करेंगे, इस भावना की पूर्ति होगी। इस संकल्प के द्वारा उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के शीघ्र निर्माण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने संबंधी इस संकल्प का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, आपका धन्यवाद। श्री जुएल ओराम द्वारा प्रस्तावित संकल्प (पर चर्चा) में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केवल गति ही विकास ला सकती है।

जब अमेरिका एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में नहीं था बल्कि अमेरीका था तब वहां विकास की गति धीमी थी और जब विभिन्न कालोनियों में बसे लोगों ने विकास चाहा तो यह विकास रेलवे के माध्यम से ही हुआ था। कॉलोनियों ने रेलवे के निर्माण के लिए रेल कम्पनियों को आमंत्रित किया ताकि व्यापार का विकास हो और धन कमाया जा एके। यह विचार 300 वर्ष पुराना था।

लगभग 115 वर्ष पहले भारत में जब इंगलैंड की कुछ कम्पनियों द्वारा रेलवे का निर्माण शुरू किया गया तो ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया और कहा गया कि इस विशाल देश में वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियॉं तभी बढ़ेगी जब देश के विभिन्न भागों को रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा। सड़कें हमारे लिए कोई नई नहीं थी। शेरशाह के समय में तथा अहिल्याबाई होल्कर के समय में भी सड़कें भी जो पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को जोड़ती थी। लेकिन आजादी के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आए और बहुत से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। मैं अपनी बात केवल उस प्रस्ताव तक ही सीमित रखता हूँ जिसे श्री जुएल ओराम ने प्रस्तुत किया है। इसमें इन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज उपास्थित कराने का अनुरोध किया गया है और विशेष जोर दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कम विकसित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है तथा यह विशेष पैकेज विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष अवसरों पर दिया जा सकता है। यही मुख्य कारण है कि माननीय सदस्य श्री ओराम ने कहा है कि इन दो विशिष्ट सड़को तथा पत्तन के बीच संपर्क के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। बहरामपुर से माननीय सदस्य, श्री चंद्रशेखर साहू ने भी यही कहा है। हाल ही में पोत परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्री ने भारतीय सड़क सम्मेलन में भाग लेने के लिए उड़ीसा का दौरा किया था। उन्होंने न केवल भारतीय सड़क सम्मेलन में भाग लिया बल्कि उन्होने पारादीप पत्तन का भी दौरा किया जो आज पूर्वी भारत का प्रवेश द्वारा है। वे वहॉं ठहरे, उन्होने एक समीक्षा की-हमने इसके बारे में समाचार पत्रों मे पढ़ा- और विभिन्न व्यापारिक संगठनों से इस संबंध में वार्ता की। मुझे विश्वास है कि आज उड़ीसा के सामने जो समस्या है उससे वे पूरी तरह से अवगत हैं। इसका कारण है कि सड़के जाम हो गई है और रेलवे लौह अयस्क तथा निर्मित उत्पादों को विभिन्न सयंत्रो से उनके गन्तव्य तक ले जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लगता है कि आज उड़ीसा में हर काम ठहरा हुआ सा है।

मैं कुछ विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 के मामले में अनुरोध किया गया है कि इसे चौड़ा किया जाए और इसे एन.एच.डी.पी. फेज-तीन. के अंतर्गत चार-लेनो वाला राजमार्ग बनाया जाए जिसके लिए 66 करोड़ रुपये आवंटित किए गयें हैं और जिसे दिसम्बर, 2009 में पूरा किए जाने की संभावना है। इसके पूरा होने में अभी भी चार साल बाकी है। श्री ओराम ने पूर्व में चर्चा के दौरान उल्लेख किया था और आज भी उन्होने इसका उल्लेख किया है कि ऐसी सड़के हें जहॉं पूरे प्रशासन - स्थानीय तथा जिला प्रशासन - का ध्यान सड़कों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा सड़कों को साफ करने पर ही लगा हुआ है जिससे वाहन चल सके, छात्र अपने घरों से अपने विद्यालय और कालेज जा सकें तथा विद्यालय और कालेज से सुरक्षित घर वापस आ सकें। इसका कारण है कि सड़क पर रोज दुर्घनाएं हो रही हैं।

उड़ीसा के या उड़ीसा से होकर गुजरने वाले 16 राजमार्ग हैं। इसमें 403 किलोमीटर वे राजमार्ग में भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का राज्य-वार आवटन किया जाता है। अभी उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3704 कि.मी. है बिहार में- मैं केवल तुलना कर रहा हूँ- राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3537 किलोमीटर है और औसत वार्षिक आवंटन 79 करोड़ रुपये हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3843 किलोमीटर है जो बिहार से थोड़ी ही ज्यादा है और वहॉं का औसत वार्षिक आवंटन 74.61 करोड़ रुपये हैं जो लगभग 75 करोड़ रुपये हैं। उड़ीसा का स्थान इन दोनों के बीच में है। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3704 किलोमीटर है लेकिन हमें 79 करोड़ रूपये नहीं मिलते, हमे 74 करोड़ रुपये भी नहीं मिलते। हमारा हिस्सा, यद्यपि हमारा स्थान बीच का है 67 करोड़ रुपये है। ऐसा क्यों है? बिहार, जहॉं राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3500 कि.मी. है, को 79 करोड़, रुपये क्यों मिलते हैं। जब कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3843 कि.मी. है तो उसे 75 करोड़ रुपये मिलते हैं और हमें 67 करोड़ रुपये क्यों मिल रहे है जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3700 कि.मी. है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तथा सरकार का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऐसा भेद-भाव क्यों है। हम वास्तव में इस कारण क्षुब्ध हैं। राज्य में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की किलोमीटर लम्बाई के अनुसार पर्याप्त निधि आवंटित की जानी चाहिए। तदनुसार धन आवंटित किया जाना चाहिए। यहीं सामान्य समस्या है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ।

[श्री भर्तृहरि महताब]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 की कुल लम्बाई 269 किलोमीटर है। यह पानी कोईली से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 से शुरू होता है और यह राजमुंडा तक जाता है। इस सड़क को राजग के शासन काल में 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। यह अभी भी एक-लेन वाली सड़क है और इसकी लम्बाई 143 किलोमीटर है। मध्यवर्ती सड़क की लम्बाई 111 किलोमीटर है। केवल 14 किलोमीटर तक सड़क दो-लेन की है। हमारा अनुरोध है कि इसे दो लेनों वाली सड़क बनाया जाए ताकि खानों का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 से जोड़ा जा सके और इस प्रकार यह पारादीप पत्तन से भी जुड़ जाएगा। यही कारण है कि हम लोग केवल इसी सड़क पर जोर दे रहे है। अन्य संपर्क रहित सड़को के बारे में श्री जुएल ओराम पहले ही बता चुके हैं।

पिछले पाँच वर्षों में ही यह समस्या क्यों पैदा हुई है। उस सड़क पर 17000 ट्रक क्यों चल रहे है। उन्हे इस 150 से 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में चार से पाँच दिन लग जाते हैं। एक ट्रक जिस पर लगभग नौ टन भार लदा हो, को अपने गन्तब्य तक पहुचने में चार से पांच दिन से कम नही लगेंगे। वहाँ की यही स्थिति हैं। अधिकतम लम्बाई 250 किलोमीटर है। ऐसी समस्या क्यों पैदा हुई? इसका कारण है कि वहाँ कई फैक्टरियां स्थापित हुई है। स्पंज आयरन प्लांट और कई अन्य फैकटरियां स्थापित हो गई हैं।

किसी ने यह नहीं सोचा था कि परिवहन भार इतना बढ़ जाएगा। उनका एक विशिष्ट उपयोग होता है। इसे पी. सी. यू. प्रतिदिन कहा जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस पर इतनी संख्या में ट्रक चलेंगे। मैं बहुत समय नहीं लूँगा लेकिन मैं अपनी बात यही तक सीमित रखूँगा कि इन सड़कों को तत्काल बनाना आवश्यक है।

रेलवे की स्थिति के बारे में भी कुछ कहना आवश्यक है। माननीय मंत्री ने उस स्थान, पारादीस का दौरा किया है। तालचेर-पारादीप रेल लाईन को दोहरा करने का काम पिछले छह-सात सालों से ज्यादा समय से चल रहा है। बड़ी समस्या महानदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण की है। मैं इस सभा में इस मुद्दे पर पिछले तीन वर्षों से विरोध करता रहा हूँ कि महानदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण आवश्यक है। निधि उपलब्ध है लेकिन कार्य में उतनी प्रगति नहीं है जितनी होनी चाहिए। केवल महानदी पर दूसरा पुल बनाने का कार्य ही नहीं बल्कि तालचेर से पारादीप तक लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी पूरी तेजी से नहीं चल रहा है। मैं आप से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि किस तिथि को-क्योंकि निर्धारित तिथि बीत चुकी है- तालचेर-पारादीप लाईन के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा और रेलवे द्वारा माल ढुलाई के लिए इसे खोल दिया जाएगा।

इसके साथ ही, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब आप नई लाईन का निर्माण करें तो उसकी भार वहन क्षमता को भी बढ़ायें। कुछ रेल मार्गों का निर्माण हुए 100 साल हो गए हैं। कुछ रेलमार्ग 40 वर्ष या 25 वर्ष पहले बनाए गये थे। लेकिन अब जिन नई लाईनों का निर्माण हो रहा है, और जब नए संयंत्र लग रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि उड़ीसा में स्थापित होने वाले उद्योगों में अगले पाँच से दस वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपये का निवेश होने वाला है तो वहन क्षमता भी बढ़ायी जानी चाहिए पारादीप में एक मात्र प्रमुख विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पॉस्को द्वारा किया जा रहा है। इससे सड़क मार्ग तथा रेलमार्ग दोनों पर यातायात का भार बढ़ेगा। यही प्रमुख कारण है कि बड़े पैमाने पर किया जाना आवश्यक है ताकि यें संयंत्र स्थापित किए जा सकें। उड़ीसा सरकार का भी यह विचार भी है कि आप भी कुछ संयुक्त उद्यम कम्पनियां स्थापित करें।

अपराह्न 4.00 बजे

उड़ीसा सरकार इसमें भाग लेगी और वे कम्पनियाँ भी इसमें भाग लेंगी और केन्द्र सरकार भी इसमें भाग लेगी। मुझे यह ज्ञात नही है कि मंत्री जी उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या किसी ठोस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है- क्योंकि हरिदासपुर-पारादीप रेलमार्ग का निर्माण पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और रेलवे द्वारा कुछ धन दिया गया है। अब हम सुन रहे है कि यह एक जे.वी.सी. परियोजना होगी।

तद्नुसार हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण किया जा सकता है और यह जरूरी है। जब निरंतर नये-नये उद्योग लग रहे है और निवेश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में निवेश कर्त्ताओं को अवसंरचना के विकास के लिए निवेश करने हेतु कहा जा सकता है अथवा उन्हें निर्देश दिया जा सकता है। उन्हें यहां केवल पैसा बटोरने के लिए नहीं आना चाहिए। उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तथा राज्य विशेष के विकास के लिए निवेश करना चाहिए जिससे उन्हें अवश्य आय होगी। मेरा मात्र यही अनुरोध है कि जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की बात करते हैं तब आप रेलवे के विकास और पारादीप पत्तन के विकास के बारे में भी सोंचे साथ ही मुझे एक और बात याद आती है- मुझे पता नहीं कि श्री साहू ने उसका उल्लेख किया है अथवा नहीं-और वह है गोपालपुर पत्तन को जयपुर कोरापुर-थेरूवलि मार्ग से जोड़ने की, ताकि इस मार्ग विशेष को सुव्यवस्थित किया जा सके। इस क्षेत्र में अल्युमिनियम के तीन संयंत्र लगाए जा रहे हैं इसलिए गोपालपुर पत्तन को भी विकसित किये जाने की आवश्कयता है।

इसी तरह धामरा पत्तन को भी अंगुल से जोड़ा जा सकता है *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू : गोपालपुर पत्तन के विकास का कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब : वर्तमान में, गोपालपुर पत्तन एक बहुत ही छोटा पत्तन है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना जो कोई भी बोले उसकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब : वर्तमान में गोपालपुर पत्तन एक छोटा पत्तन है लेकिन हमारा विचार है कि इसे एक बड़े पत्तन में वरिवर्तित किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा कहना यह है कि अंगुल को सुर्किदा सड़क मार्ग से जोड़ा जाये तथा सुर्किदा सड़क मार्ग को भद्रक से जोड़ा जाये और एक रेलवे लाइन धामरा पत्तन तक बिछायी जाये ताकि धामरा पत्तन का भी विकास हो सके क्योंकि टिस्को तथा एल एंड टी कंपनियां इस क्षेत्र में एक ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं। जब हम ढांचागत विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने यही मोटी-मोटी बातें आती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से इस बात का विशेष अनुरोध करता हूँ कि वह पारादीप पत्तन से अधिक से अधिक संपृक्तता के लिए एक विशेष पैकेज दें और इन दो विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भी विशेष निधियां जारी करें। माननीय मंत्री जी इन सभी बातों से अवगत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बारे में कोई खुशखबरी अवश्य सुनेंगे। हमारी यही मांग है।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य ने उड़ीसा आर्थिक पैकेज पर वाद-विवाद के लिए काफी गुंजाइश छोड़ी है। यद्यपि प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है तथापि प्रस्तावक ने इसमें संविधान के पांचवे अनुसूचित क्षेत्र के अतंर्गत आने वाले क्षेत्र के केवल दो जिलों अर्थात् क्योंझार तथा सुंदरगढ़ का चुनाव किया है। इन्हीं जिलों की भांति मयूरगंज, अविभाजित कोरापुर, गजपति तथा कंडमाल आदि सभी क्षेत्र भी संविधान की पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब मैं पांचवे अनुसूचित क्षेत्र का उल्लेख कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारी मांग यह होगी कि विशेष पैकेज के आधार पर इन क्षेत्रों का न केवल सड़क क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विकास किया जाए।

महोदय, उत्तर पूर्वी राज्य संविधान के छठे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य दूरवर्ती क्षेत्रों में होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों को आर्थिक पैकेजो के साथ विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है और वे ऐसी सहायता के हकदार हैं और उन्हें यह सहायता दी जा रही है। महोदय, अभी तक मैने अपने राजनीतिक जीवन के तीस बरस पूरे किये हैं। मुझे पता है कि पांचवे अनुसूचित क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों से विकास के लिए समुचित अंशदान मिलना अभी शेष है। यद्यपि हमें भारत सरकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम धनराशि प्राप्त हुई है फिर भी जब हम क्षेत्र-बार चर्चा कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं दी है।

जब 1975 में एक जनजातिय उपयोजना तैयार की गयी थी तब ऐसे संकेत दिये गये थे कि इसके विकास कार्यो के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में न केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय कार्य करेगा अपितु भारत सरकार के सभी विभाग-चाहें वह सड़क क्षेत्र हो, रेल क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र बाकी मंत्रालयों में भी इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नोडल डिवीजन का गठन किया जायेगा। अब तक, केवल कुछ मंत्रालयों ने ही इस क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि निर्धारित की है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों जो इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, को आपस में जोड़े जाने की आवश्कता है। इसके अंतर्गत अविभाजित कोरापुर कालाहांडी तथा दूसरे पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं।

उड़ीसा राज्य के राजमार्ग दो भागों में विभाजित हैं वे राजमार्ग जो राज्य सरकार के अतंर्गत आते हैं और वे राजमार्ग जो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण के अंतर्गत आते हैं। पनकोइली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा न हो पाने के कारण गत वर्ष वहां मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और केवल ईश्वर की कृपा से ही बच सका। वहां की सड़क अधूरी पड़ी हुई थी और उस पर चल पाना बहुत ही मुश्किल काम था । इसलिए वहां मेरे साथ दुर्घटना घट गयी पर भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम शुरू किया था तो बेहतर होता कि वह उसके लिए समुचित धनराशि अपलब्ध कराती ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सकता।

उड़ीसा सरकार द्वारा जिन नये राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रस्ताव किया गया है उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। हमने ज्यादातर राजमार्ग उन अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्रस्तावित किये है जहां खनिज संसाधन सबसे अधिक है। ये प्रस्ताव उड़ीसा सरकार के पास लंबित हैं। जब मैं उड़ीसा का मुख्यमंत्री था तब मैंने इन क्षेत्रों तथा कुछ दूसरे क्षेत्रों के कई राष्ट्रीय राजमार्गों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरिधर गमांग]

का प्रस्ताव किया था। इन नये राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए था लेकिन अब जिन परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कई दूसरी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंतर-राष्ट्रीय परियोजनाएं सीमावर्ती राज्यों का जोड़ने की दृष्टि से अत्यधिक आर्थिक महत्व की है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के आवागमन के कारण स्वाभाविक तौर पर वहाँ आर्थिक विकास होगा। दूसरी बात यह कि जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्यों के राजमार्गों से जोड़ा जाना हैं, वहाँ उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए।

जहाँ तक रेलवे लाइनों का संबंध है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में केवल कुछ ही रेलवे लाइने हैं जहां अधिकतम खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। आमान-परिवर्तन की एक परियोजना जो अब लंबित है वह है नॉपाड़ा से गुनपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। इस गेज परिवर्तन परियोजना के कार्य को पूरा किया जाना चाहिए और बड़ी लाइन को रायगाड़ा तथा तिरुवल्ली से जोड़ा जाना चाहिए।

गोपालपुर पत्तन एक छोटा पत्तन है जिसे एक बड़े पत्तन के रूप में विकसित किया जा सकता है। उड़ीसा सरकार द्वारा संस्तुत किये जाने पर भारत सरकार को इसे विकसित करने की दिशा में विचार करना चाहिए अथवा केन्द्र सरकार सीधे ही इस दिशा में कार्रवाई कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो इसे निजी क्षेत्र कों सौंप देना चाहिए।

कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए परियोजनाएं चलायी जा रही है और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां पर एक मंत्रालय द्वारा आर्थिक पैकेज दिये जाने पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ दूसरे मंत्रालय भी यही रुख अपनायेंगे और भविष्य में प्रत्येक मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज देंगे और उन मंत्रालयों की परियोजनाओं के प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह उड़ीसा में चलायी जाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा आवंटन को प्राथमिकता देंगे तथा इस बात की भी निगरानी करेंगे कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर हो।

***श्री अनन्त नायक** (क्योंझर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता है कि आपने मुझे माननीय सदस्य श्री जुएल ओराम द्वारा क्योझर और सुन्दरगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेल लाइनों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत किए गए संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 215 के बारे में चिंतित हूं। महोदय, मैंने संसद में लगभग 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। प्रतिवर्ष और प्रत्येक सत्र में, वह चाहे प्रश्न काल हो या विशेष उललेख, मैंने हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग 215 का मुद्दा उठाया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई 279 किलोमीटर है जिसमें से 198 किलोमीटर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। उसके दो समापन स्थल पनीकोइली और राजामुंडा हैं। यह कोई नई सड़क नही हैं। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में स्वतन्त्रता पूर्व युग में लोगों केा रांची से जयपुर आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। बाद में जब 1912 में खनन कार्य शुरू हुए तो इससे खनन गतिविधियों और तद्नुसार वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाया मिला। अत: इस सड़क के महत्व में वृद्धि हुई। वर्ष 1999 में इसे पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया, लेकिन वर्ष 2002 में वास्तव में निर्माण कार्य आरम्भ हुआ। घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग होने के नाते कार्य की गति में वृद्धि होनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस सड़क पर प्रतिदिन चलने वाले ट्रको ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया। मेरे से पहले श्री ओराम सहित सभी वक्ताओं ने इस सड़क पर भारी यातायात के बारे में बताया है। प्रतिदिन औसतन 15000 ट्रक इस सड़क पर चलते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है मुम्बई-पुणे सड़क के बाद संभवत: पुरे एशिया में यह सर्वाधिक व्याप्त सड़क है। महोदय, इस सड़क के आरंभ से लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पैतृक गॉव है। सरकार के निदेशों के अनुसार इससे लगे क्षेत्र में 28000 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाए जाने थे। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के पश्चात एक सड़क की यह स्थिति होनी चाहिए? 80 किलोमीटर से 91 किलोमीटर तक के भाग को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाना था जिसके जिए 2003-04 में धनराशि स्वीकृत की गई थी।

11 किलोमीटर के इस टुकड़े पर 487.08 लाख रुपये व्यय किए जाने थे। केवल 3.6 किलोमीटर भाग का ही कार्य पूरा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह निर्माण कार्य अचानक रोक दिया गया हैं, महोदय, यह मेरे गांव के नजदीक है और मैंने स्वयं इसकी पड़ताल की है। विविदाएं 5-6 ठेकेदारों को दी गई थी परन्तु आजकल इनमें से वहां कोई भी दिखाई नहीं देता हैं। महोदय वहां घटगांव तारीणी नामक एक प्रसिद्ध पावन मन्दिर स्थित है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से यह केवल पुरी के जगन्नाथ मन्दिर से दूसरे स्थान पर है, प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर आते हैं। लेकिन अब खराब सड़कों के कारण यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस सड़क से यात्रा करते समय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, यह केवल एक उदाहरण है। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों से 2006 तक

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निर्मित की जाने वाली सड़को की सूची मांगी है। महोदय, अनुमानित आंकड़ो और वास्तविकता में स्वर्ग और नर्क का अन्तर है। सड़कों की अनुमानित संख्या से आधी को भी दो लेन वाला नहीं बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यक्ष से सभा को हाल ही में मेरे क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में सूचित करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 1000 छात्रों ने भारत के महामहीम राष्ट्रपति जी को उनके सामने विद्यालय जाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में एक पत्र लिखा था। वह विद्यालय ग्रीनफील्ड स्कूल है और सी. बी. एस. ई. में सम्बद्ध है। यह क्योंझर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हैं। महोदय, ये छात्र परीक्षा में भाग लेने के लिए समय पर अपने विद्यालय नहीं पहुंच पाते क्योंकि सड़क की स्थिति इतनी खराब है और उन्हे अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर लंबे एक वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ता है। महोदय, आप उस सड़क की स्थिति का अंदाजा लगा सकते है जिससे छात्रों के अति महत्वपूर्ण शैक्षिक वर्षों की हानि होती है, इसीलिए उन्होने भारत के महामहीम राष्ट्रपति से कुछ पहल करने का अुनरोध किया है।

महोदय, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग 215 पर यात्रा करते समय इन कठिनाइयों को स्वयं महसूस किया है। मैंने यातायात पुलिसकर्मी की भांति भी कार्य किया है। इस सड़क पर भारी यातायात दबाब के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। विशेषकर, सांय 8 बजे के बाद कोई भी यह देख सकता है कि ये ट्रक किस प्रकार बम्पर से बम्पर भिड़ा कर 1 किलोमीटर तक की लंबी कतार लगाए रहते हैं। प्रत्येक महीने में कम से कम 5-6 अवसरों पर मैंने यातायात विनियामक का कार्य किया है। जिला मुख्यालयों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर मुश्किल से ही कोई गतिविधि होती है। महोदय, सड़क की स्थिति कल्पनातीत रूप से कठिन होती है। क्योंझार की जनसंख्या लगभग 16 लाख है। जिलाधिकारी के गत वर्ष के प्रतिवेदन के अनुसार इस जिले से 80.05 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ और इस वर्ष आज की तिथि तक यहां से 49.37 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का खनन किया जा चुका है, उड़ीसा में क्योंझर से भारत सरकार को लौह अयस्क के निर्यात से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह एक गर्व की बात है और हमें अपने देश के लिए प्रसन्नता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 16 लाख लोग, बिना उनकी किसी गलती के, अपना जीवन त्याग दे, आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, गत चार वर्षों में केवल क्योंझर में ही 536 लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। इस वर्ष प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 1000 से अधिक है। महोदय, यह बहुत दुखद स्थिति है। में भारी मानसिक वेदना सह रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मलेरिया प्रवण है। मैं इस बात को बारंबार सभा के ध्यान में लाया हूं। पूरे भारत में मेरे क्षेत्र में ही इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है। अधिकांश मामलों में रोगी की मृत्यु एंबुलेंस में ही हो जाती है क्योंकि इन सड़कों पर भारी जाम लगा रहता है और रोगी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता।

इस वर्ष 17 लोगों ने एमबुलेंस में अपने प्राण गंवाए हैं, महोदय, मेरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जहां लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट के भंडार हैं और इनसे राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। क्या यह उचित होगा कि इस क्षेत्र के लोग, परिवहन की मूलभूत सुविधा न मिल पाने के कारण सड़को पर ही मारे जाऐं? क्या यह उचित है कि इस क्षेत्र के लोग परीक्षा में न बैठ सके कि इस क्षेत्र के लोग दुर्घटनाओं और मलेरिया के कारण मारे जाऐं? क्या राष्ट्र के विकास में उनके योगदान का उन्हें यही परितोषिक मिलना चाहिए? इन्ही कारणों से वहां बार-बार हड़ताले और आंदोलन होते हैं। क्योंझर सिटीजन फोरम ने इस मुद्दे को उठाया है। क्योंझर सुरक्षा मंच ने भी 17 दिन की हड़ताल का आयोजन किया है। हाल ही में एक यज्ञ आयोजित किया गया था कि संभवत: दैवीय हस्तक्षेप से ही कोई परिवर्तन हो जाए।

महोदय, मेरे पड़ोसी जिले नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहे है। मैं नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद की कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन केन्द्र की उदासीनता और वंचित होने से लोग भावनात्मक रूप से उद्वेलित हो जाते हैं। अब वे अलगाववाद की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वांसपानी जाखपुरा रेलवे लाइने मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं। महोदय कृपया मुझे बोलने दीजिए मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, वांसपानी रेल लाइन की लम्बाई केवल दस किलोमीटर है, जिसे वर्ष 1996 तक पूरा हो जाना था। लेकिन यह 2000 में पूरी हुई। लेकिन 10 किलोमीटर की इस लाइन से रेल विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है उनके अपने सर्वेक्षण के अनुसार यह एक सर्वाधिक दृष्टव्य और महत्त्वाकांक्षी परियोजना है और 3 वर्ष में ही रेलवे को अपनी निवेश की गई पूरी राशि वापस मिल जाएगी।

क्योंझर तक का कार्य पूरा हो चुका है और केवल सुरक्षा सिग्नल में बाधा के कारण इस मार्ग पर रेल नहीं चल पाई है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस लाइन को क्योंझर से तामका तक ले जाने का अनुरोध करता हूं। यह 98 किलोमीटर लंबा मार्ग है और यह लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। चूंकि यह एक बहुत महत्वकांक्षी परियोजना है और इससे बहुत अधिक राजस्व मिलने की संभावना है, अत: इस कार्य को गति प्रदान की जानी चाहिए। मैंने महाप्रबन्धक से बात की है और उनका यह कहना है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु पर्यावरण अनुकूल नहीं है। महोदय, मैं आपसे और माननीय मंत्री जी से इस परियोजना को शीघ्रतापूर्वक आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा इससे स्थानीय असंतोष को बढ़ावा मिलेगा और नक्सलवाद अपना कुरूप सिर उठा सकता है।

*श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सासंद श्री जुएल ओराम को गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के संबंध में पर संकल्प लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने उड़ीसा के साथ-साथ भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति तथा पोत और पत्तन सम्पर्क के बारे में बोला है। लेकिन में स्वयं को केवल उन्ही राजमार्गों तक सीमित रखूंगा जो उड़ीसा में स्थित हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखूंगा। मैं विशेष रूप से दो राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को उनके बारे में मालूम है। पहला रा.रा.मा. 224 है जो खुर्दा से बोलनगिर के बीच है और लगभग 300 कि.मी. लम्बा है। महोदय, यह मार्ग बहुत खराब हालत में है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वर्ष 2004-2005 में सौंपा गया था, तथापि इस मार्ग की दशा सुधारने और इसको उन्नयन करने के लिए कोई विशेष धनराशि नही दी गई हैं। अभी तक छोटी मोटी मरम्मत करने के लिए ही 47 लाख मंजूर किए गए है जो कि पूरे कार्य के लिए काफी कम है। महोदय, यह सड़क खुर्दा, न्यायगढ़, बौध, सोनपुर, बोलनगीर, और कुछ अन्य जिले है।

महोदय, इस सड़क पर यात्रा करना काफी दुखदायी, धीमी और थकानेवाली है। यदि कोई चार पहिए वाला वाहन साधारण सड़क पर 60 कि. प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है तो इस सड़क पर वह मात्र 20 कि.मीटर ही चल पाता है। माननीय मंत्री जी यहा उपस्थित है। महोदय, इस सड़क की दशा को खराव हालत में है जो कि शून्य में 148 किमी. तक फैली है। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने विगत में अनेक बार केन्द्र सरकार को इस बारे में प्राक्कलंन भेजे है। आप इस आधार पर कुछ अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करें। अन्यथा इस सड़क की दशा और भी बदतर हो जाएगी। यह सड़क 138 कि.मी. से 184 कि.मी. तक खराब हालत में है। पिछले नौ दिनों में राज्य सरकार के अनुरोध पर पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद ने कथित सड़क पर तारकोल की परत विछाने का कार्य शुरू किया है।

अपराहन 4.24 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

जब तक इस पर दूसरी परत शीघ्र नही विछाई जाती स्थिति और विगड़ जाएगी। इस कारण से उड़ीसा सरकार ने 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। कृपया इस अनुरोध का अनुपालन सुनिश्चित कीजिए। विशेषकर खुर्दा में दातपल्ला के शून्य में 138 कि. मीटर तक और 138 में 299 कि. मी. तक की सड़क बहुत संकरी है और खराब हालत में है। महोदय, इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

माननीय मन्त्री ने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया है और उन्हे वहां विद्यमान स्थिति के बारे में अनुभव हुआ है महोदय श्री टी आर बालू ने उड़ीस मे इंडियन रोड कांग्रेस (भारतीय सड़क सम्मेलन) की बैठक में भाग लिया था। उन्होने संवाददाता सम्मेलन में यह वादा किया था कि वह यातायात की भारी आवाहजाही के लिए इस सड़क पर विशेष ध्यान देंगे। आज मैं यहां उनसे उड़ीसा के लिए विशेष पैकेज की घोषणा और उनकी कार्रवाई योजना के बारे में सुनना चाहता हूं मै आशा करता हूं कि वह अपना वादा निभाएगें।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 217 है जो गोपालपुर और रायपुर को जोड़ता है। इस सड़क को 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला है। इसी दौरान इस पर कुछ कार्य शुरू किया गया है और कुछ कार्य चल रहा है। कुछ धनराशि भी आवंटित की गई है जिनके लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद करती हूं तथापि कुछ सड़के अभी भी उपेक्षित है। ऐसी ही एक सड़क 176 कि. मी. में 222 कि. मी. तक फैली नौगांव से चुम्दीवला है। यह सड़क गड्ढो से भरी हुई है। राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को 7.42 करोड़ रुपये का प्राक्कलन भेजा है महोदय यदि आप सड़क गुणवत्ता सुधार कार्य क्रम के अंतर्गत धनराशि जारी कर सके तो इसमें यात्रियों को काफी फायदा होगा मुझे विश्वास है कि उनमें राजनीति इच्छा शक्ति है कि वह यह कार्य करेगें। अत: मै आशा करता हूं कि मंत्री जी राष्ट्रीयराज मार्ग 217 और 224 की दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने वाले कदम उठाएगें।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष जी, आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय जुएल ओराम जी के माध्यम से जो संकल्प आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह संकल्प पिछले वर्षा सत्र में भी आया था। उस समय माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय रोड कांग्रेस की सभा में उड़ीसा जाकर आये। यह रैजोल्यूशन एक विशेष विषय पर आया है। माननीय मंत्री जी जब उड़ीसा पहुंचे तो हमें उम्मीद थी कि वे वहीं कोई घोषणा करके आयेंगे, लेकिन हमें उनसे निराशा हुई। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और कुछ अच्छी चीजें उन्होंने घोषित की हैं। एनएच 215 के अंदर कुछ पोर्शन चार लाइन करने की उन्होंने घोषणा की। इसके के लिए हम उनको बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन दो-तीन विशेष सुझाव मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। उड़ीसा में एनडीए के शासन में दो हजार से ज्यादा नये रास्तों को एनएच स्टेटस मिला। उसमें जितनी इंवैस्टमेंट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है। उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है, राज्य सरकार को उम्सें और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, यह हम मानते हैं। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में जिसके रैवेन्यू का कांट्रीब्यूशन कोयला,

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोहा, क्रोमाइट, बाक्साइट की शक्ल में काफी मात्रा में है। ये उड़ीसा की लाइफलाइन है। आज सुदरगढ़ जिला, क्योंझर जिला, अंगुल जिला, पाराद्वीप पोर्ट, झमरापुर पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट, तीनों उससे लिंकअप हैं। दो-तीन रास्ते हैं जैसे 20215 और 23 और जो दो रेललाइनों के बारे में कहा गया है तालचेर और बिमलागढ़ - ये उड़ीसा की लाइफलाइन हैं।

महोदय, यहां जिस रेलवे लाइन के बारे में कहा, तलचर, विमलागढ़ और जेसइबांदपन, ये सारी लाइफलाइन हैं। इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उड़ीसा आज किसी की दया का पात्र नहीं है। अपनी संपदा के कारण हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। कल माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में देश की आर्थिक प्रगति 8 प्रतिशत की दर से होगी। उन्होने कहा कि अगर कोई प्रदेश सहायता मांगता है, तो हम खुले हाथ से उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। साहू जी इसमें राजनीति की बात कर रहे थे। उनको मालूम नहीं है कि पिछले शासन में सबसे ज्यादा और आज प्रदेश के शासन में सबसे ज्यादा लाभ कहीं पहुचा है, तो वह दक्षिण उड़ीसा को पहुंचा है। माननीय सदस्य, मेहताब जी कह रहे थे कि कोल्हापुर को जो बाक्साइट एरिया है, उसे गोपालपुर पोर्ट के साथ एक लूपलाइन के द्वारा जोड़ा जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आयरन सैक्टर, क्रोमाइट सैक्टर और कोल सैक्टर, ये तीनों सैक्टर लाइफ लाइन हैं। इनके महत्व को ध्यान में रखकर इस काम को पूरा करना चाहिए। कोयला, क्रोमाइट और आयरन, इन तीनों सैक्टरों में भारत सरकार को, पब्लिक सैक्टर को जितना लाभ और रॉयल्टी मिलती है, अगर उसका 5 प्रतिशत भी खर्च कर दें, तो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और स्वरोजगार बढ़ेगा। हम नाराज होते हैं क्योंकि "सेव आयल, सेव नेशन", मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। उसमें बहुत तेल खर्च होता है, डीजल का अपव्यय होता है। उसमें काफी बचत हो सकती है। मैं रेल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इससे यात्रियों की फैसिलिटी बढ़ जाएगी। उड़ीसा के पिछड़े हुए इलाके, जैसे तरूंजर, सुंदरगढ़, अंगुल, देवगढ़ आदि रेल से जुड़ जाएंगे। देश में प्रगति तभी होगी, जब देश को इन्फ्रस्ट्रक्चर ठीक होगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक विनती करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। मेरा एक सुझाव है। क्या यह संभव हो सकता है कि आप एक ज्वाइंट वेंचर में इसे बनाएं और टोल टेक्स अदा करके अपना पैसा ले लें? कई पार्टी शायद इस बात पर राजी हो सकती हैं। माइनिंग सैक्टर का जो रास्ता है और इसमें जो संभावनाएं हैं, उसे सरकार तलाश करे। यही मेरे दो-तीन सुझाव हैं। उड़ीसा के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, वह किसी की दया का पात्र नहीं है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, यही मेरी आपके माध्यम से सरकार के सामने मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ब्रह्मानन्द पंडा, आप स्वयं को इसमें सम्बद्ध कर सकते है अपना केवल दो मिनट के लिए बोल सकते है

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंह पुर) : महोदय हम नए सदस्य है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको इसमें कठिनाई बताता हूं। अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारे पास चर्चा के लिए एक अन्य संकल्प भी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अत: कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : माननीय सभापति, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री जुएल ओराम द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया जो अपने जीवन पर्यन्त रेल और सड़क सम्पर्क के विकास के लिए संघर्ष करते रहे है जो कि हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है तो पर पाराद्वीप पतन से आरम्भ होता है और कोणार्क मन्दिर तक फैला हुआ है जो विश्व के अजूबों में से एक है।

माननीय सभापति महोदय, पाराद्वीप केवल भारत की आर्थिक समृद्धि का ही द्वार नही है बल्कि पारादीप भारत के पत्तन नक्शें में भी अद्वितीय महत्त्व रखता है। मैं माननीय पोत मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिन्होने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और स्वयं महसूस किया है कि पारादीप किस प्रकार प्रगति कर रहा है और इस देश की आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार के भरपूर सहयोग कर रहा है।

विस्तार में चर्चा करने से पूर्व मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इस सम्मानीय सभा में हम जो भी बोलते है और मांग करते है उसे अविलम्ब पूरा किया जाता है लेकिन मैं हैरान हूं कि आज तक हम उड़ीसा के लोग पारादीप पत्तन को रेल और सड़क सम्पर्क से जोड़ने के लिए शोर मचा रहे हैं।

अमृतसर की पिछली बैठक में जब पोत मंत्री उस समय वहां उपस्थित थे तो मन्त्रणा समिति की बैठक चल रही थी, मैने माननीय मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 215 उड़ीसा की आर्थिक समृद्धि की जीवनरेखा है। जैसाकि आपको विदित है कि हम भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए वर्षों में लोह अयस्क, कोयला आदि

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

की आपूर्ति कर रहे है। हमें यह समझना चाहिए कि केन्द्र किस प्रकार इस शान्तिप्रिय और पिछड़े हुए राज्य के साथ भेदभाव कर रहा है। हमने हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय और दलितों के विकास के लिए आवाज उठाई है और यदि केन्द्र का वास्तविक रवैया यह है और यदि केन्द्र चाहता है कि प्रत्येक राज्य को देश की मुख्यधारा में सम्मिलित होना चाहिए तो उड़ीसा के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नही किया जाना चाहिए। जैसाकि आपको मालूम है भगवान जगन्नाथ शान्ति, प्रेम, भाईचारा के प्रतीक है और वर्षों से शान्ति और धैर्य का पाठ पढ़ा रहे है। हम उस भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि से है।

चूंकि माननीय सभापति ने मुझे कुछ मुद्दो तक ही सीमित रहने के लिए कहा है तो वैसा ही कर रहा हूं। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री बी महताब ने पहले ही पारादीप को सम्पर्क सुविधा के जोड़ने के बारे में बता दिया है। राष्ट्रीय राज मार्ग जो राजामुण्डा पानीकोली व रास्ता क्योझार में राजामुण्डा को जोड़ता है और उसके बाद उसे राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तक ले जाता है। धूबरी में चांदीपुर होकर पारादीप तक एक एक्सप्रेस वे है माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसे चार लेन सड़क में बनाया जाएगा हम इस निर्णय का स्वागत करते है हम चाहते है कि इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए और आवश्यक वरीयता के आधार पर पूरा किया जाए।

हम काफी लम्बे समय से उड़ीसा के लिए एक विशेष पैकज की मांग कर रहे है। उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में घोषित किया जाना चाहिए लेकिन इस माननीय सभा में हमारी बात कोई भी नही सुन रहा है अथवा विचार कर रहा है। उड़ीसा विधानसभा ने सर्वसम्पति से प्रस्ताव पारित किया है कि उड़ीसा को सभी पहलुओं में विशेष पैकेज दिया जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को किसी अन्य राज्य के स्थानन्तरित किया जा रहा है इस प्रकार का भेदभाव वास्तव में दुखद है। यह राज्य के विकास में बाधा डालता है। मैंने देखा है कि हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधनों मे भरा हुआ है।

*उड़ीसा मन्दिर की भूमि है, वनों और खनिज पदार्थो से भरपूर है और प्रकृति की सभी विपुलताओं से भरपूर है। इन सभी संसाधनों के बावजूद केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण हमे गरीब राज्य के रूप मे देखा जाता है। *माननीय सभापति महोदय इस संदर्भ मे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सड़क सम्पर्क में पारादीप को जोड़ना पारादीप की समृद्धि की जीवनरेखा है। दूसरा महानदी पर बने दूसरे रेल पुल को दोहरा करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इन मुद्दों पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। अत: मैं माननीय पोत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ साथ रेल मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य को विशेष पैकेज दिया जाए। उड़ीसा राज्य को अन्य राज्यों के विकास के साथ चलने दिया जाए और तभी भगवान जगन्नाथ केन्द्र पर कृपादृष्टि डालेंगें।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समयाभाव को समझता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी संभवत: अभी जाने वाले हैं।

पोत परिवहन, सड़क पवरिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं सदैव आपके साथ रहूँगा।

श्री तथागत सत्पथी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमनें मंत्री जी के बारे में उनके गृह राज्य, तमिलनाडु में बहुत कुछ सुना है। यह स्वागत योग्य बात है। यदि प्रत्येक मंत्री वास्तव में ध्यान दे और निम्नतम स्तर पर विकास गति-विधियों को कार्यरूप दे तो लोग उन्हें महसूस कर सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि इस देश का विकास केवल तभी होगा। यदि पूर्व के वर्षों में सरकार की ऐसी ही प्रवृति रही होती तो मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्र का रूप तथा परिदृश्य अब कुछ दूसरा ही होता। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे उड़ीसा को अपनी धरती और अपना क्षेत्र समझें। उड़ीसा एक सम्पन्न राज्य है- जैसे की हमारे साथी पूर्व वक्ताओं ने कहा - और यह अपने को सम्पन्न बनानें में सक्षम है, जो प्रति कि.मी. क्षेत्र की तुलना में अन्य राज्यों की तुलना से कम आबादी वाला राज्य है अर्थात इसकी आबादी की सघनता बहुत से राज्यों की तुलना में कम है। उत्तर के राज्यों की तुलना में हमारी आबादी बहुत कम है और यही राष्ट्र का उद्देश्य और लक्ष्य भी है अर्थात आबादी को नियंत्रित करना। उड़ीसा एक सजग राज्य है और हमने शेष राष्ट्र से कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने ऐसा ही किया और मैं किसी एक राजनीतिक दल को दोष नहीं देता क्योंकि हम सबको पता है कि इस राष्ट्र पर किसने शासन किया। लेकिन लम्बे समय से केन्द्रीय राज कोष में बड़ा योगदान देने के बावजूद भी उड़ीसा पिछड़ता गया।

मैं आपका ध्यान एक या दो तथ्यों की ओर दिलाना चाहूँगा। पिछले वर्षों में उड़ीसा लगभग 8 मिलियन टन लौह अयस्क का सड़क मार्ग से निर्यात करता रहा है और अधिकांश पारादीप बंदरगाह से होकर तथा कुछ निर्यात विजाग या हल्दिया से होकर किया है। ये यह सारा खनिज सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों से आता है क्योंकि वही इस राज्य के खनिज क्षेत्र है। ये क्षेत्र खनिज सम्पदा की दृष्टि से इस पूरे देश के सबसे सम्पन्न क्षेत्र हैं। लेकिन यदि आप उड़ीसा में सड़क

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संपर्क पर ध्यान दें तो यह देखकर दु:ख होगा कि उड़ीसा में विकास बहुत खंडित है और उसमें समन्वय नहीं हैं जिससे सड़के बहुत खराब हालत में हैं।

उड़ीसा उन राज्यों मे से एक है जहाँ देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, यदि हम इसे वर्तमान किलोमीटर दूरी की नजर से देखें और यह देश तथा उस राज्य के लिए एक और बड़ी क्षति है। पिछले वर्ष राजमार्गों पर 1000 सड़क दुर्घटनाएँ हुई थी। मैं केवल राजमार्गों की बात कर रहा हूँ जिन की लम्बाई निश्चित तौर पर बहुत से राज्यों की तुलना में अधिक हैं। हमारे यहाँ मंगुलीचक और संबलपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग है जो आगे मुम्बई को जाता है, यह राजमार्ग सं0 42 है। यह राजमार्ग बहुत ही प्रमुख मार्ग है जिसके दोनों ओर हम खनिज आधारित कई उद्योग पायेंगे जैसे बाल्को, ओसवाल भूषण, जिंदल और कई अन्य इस्पात और खनिज आधारित संयंत्र। उस राजमार्ग को तत्काल चार-लेनों वाला करना आवश्यक है। यदि इसे चार-लेनों वाला नही बनाया जा सकता तो सरकार को इस बात पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि यदि वह संघीय सरकार की सहायता से उद्योगों को यह प्रस्ताव देना चाहती है तो बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत चार-लेनो वाला एक अलग मार्ग बना सकते है जिससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

एक दूसरा राजमार्ग जिसपर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा वह राजमार्ग सं. 200 है, यह तालचेर को पारादीप से जोड़ता है। उस पर बहुत यातायात होता है और हर रोज उस पर कई दुर्घटनाएं होती है। उस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वह भी एक उच्च-आय अर्जित करने वाली सड़क है, और भारत सरकार को उन सड़को से काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। उन सड़को के विकास के लिए उन सड़कों पर पुन: निवेश करने के लिए उन्हे इच्छुक होना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। यदि इन राजमार्गों पर चेक-गेट या टॉल-गेट बनाए जाते है जैसाकि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़को पर है तो मै उसका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार सरकार को अपने निवेश पर आय भी प्राप्त होगी। हम इस ध्यान नही देते और इस पर विचार नहीं करते कि सरकार इसमें निवेश करेगी या वह इसमें निजी पक्षों को भी सम्मिलित करेगी। लेकिन यह एक अच्छी बात होगी यदि यह सरकार निजी पक्षों के साथ साझीदारी करने पर विचार करती है जो इन सड़कों को बनाएंगे तथा इसका प्रचालन स्वयं देखेंगे।

पुरी, जो भगवान जगन्नाथ का स्थान है और जिसका उल्लेख हमारे सहयोगी श्री पाण्डा ने भी किया है, में पर्यटन की विशाल संभावनायें हैं। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भुवनेश्वर से भी जुड़ा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, मैं समझता हूं कि यह राजमार्ग सं0-203 है और इसे चार-लेनों वाला बनाने की जरूरत है। उड़ीसा में समवत: 'यह एक मात्र जगह है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। महोदय जब तमिलनाडु, केरल, आपका राज्य भगवान के स्थान होने के कारण काफी आगे बढ़ रहे है तो कृपया भगवान को हमारी धरती पर भी आने दीजिए *(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वहाँ क्या है।

श्री तथागत सत्पथी : केरल भगवान के स्थान को लेना चाहता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे राजमार्ग सं0-42, 200 और भुवनेश्वर-पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग को आने वाले वर्षों में चार-लेन वाला बनाने पर विचार करें ताकि यदि उन्हें इस बजट में शामिल किया जाए तो कार्य शुरू हो जाएगा और भगवान की कृपा सभापति और माननीय मंत्री जी पर भी होगी।

श्री टी.आर. बालू : मै उन सभी माननीय सदस्यो का धन्यवाद करता हूं जिन्होने इस रोचक चर्चा में भाग लिया। उनके नाम हैं सर्व श्री जुएल ओराम-राजग सरकार में मेरे पूर्व सहयोगी, साहू, महताब, गिरिधर गमांग और सभी अन्य सदस्य जिन्होने इस चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय : आपके पूर्व सहयोगी कौन है?

श्री टी.आर. बालू : श्री जुएल ओराम, महोदय।

सभापति महोदय : वे तो आज भी आपके सहयोगी हैं। वे इस सभा के एक सदस्य हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मंत्री जी ने हमें छोड़ दिया है और यही कारण है कि वे श्री ओराम को पूर्व सहयोगी बता रहे है।

श्री टी.आर. बालू : मेरे सभी मित्रों ने गहरी चिंता जताई है और यह एक सच्चाई है। यहाँ उन्होने जिस चिंता पर चर्चा की वह केवल एक विशेष राज्य की नही बल्कि पूरे राष्ट्र की चिंता है। उड़ीसा के मेरे पिछले दौरे के दौरान में उड़ीसा में पूरे दो दिन रहा और वहाँ लगभग 900 कि.मी. की यात्रा की। मैंने स्वयं उस राज्य का दौरा किया है और सड़को की स्थिति को देखा है जिसकी चर्चा मेरे साथी ने की है। मैंने उड़ीसा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की थी। मैने माननीय मुख्यमंत्री, जो मेरे पुराने मित्र हैं से भी इस पर चर्चा की और मैने समस्या को समझा है। मेरे मित्रों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस समस्या को समझने के बाद मै चुपचाप बैठ जाऊँगा। मै निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करूँगा और उस कार्रवाई का क्रियान्वयन होगा। सदस्यों को मुझे यह देखने के लिए कुछ समय देना होगा कि इन सभी कार्रवाइयों का क्रियान्वयन हो।

मेरे मित्रो ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215, 23 और तालचेर से बिमलागढ़ और दैतारी से बांसपानी रेल लाइन, अनुपलब्ध संपर्को तथा पर्याप्त धन नहीं दिए जाने के बारे में कहा है। दूसरी बात कि महानदी पर पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। ये सभी वास्तविक समस्यायें हैं लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उड़ीसा का बहुमुखी विकास हो

[श्री टी.आर. बालू]

रहा है। इसकी आर्थिक विकास बहुमुखी है। यह 10 या 15 वर्ष पूर्व जैसा नहीं है। लौह अयस्क के निर्यात और आयात के कारण ये सड़क बहुत व्यस्त हो गई हैं। सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह अतिश्योक्ति नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हमें क्या करना चाहिए। हम रातों-रात सड़के नहीं बना सकते। यह नकदीखाओं और ले जाओं वाली दुकान नहीं है जहाँ आप जाते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। यह अवसंरचना का विषय है-जिसका मतलब है कि इसका समुचित रूप से विकास होना चाहिए।

महोदय, मैं बिहार गया था। मैंने वहाँ देखा कि बहुत-सी सड़कों पर वर्षों में उचित ढंग से कोई काम नहीं हुआ है। उन्होने सड़के बनाई है और अवसंरचना का निर्माण किया है। लेकिन बिहार का एक-तिहाई भाग साल के आठ महीनों तक पानी में डुबा रहता है। इसके कारण वहां सड़को का समुचित विकास नहीं हो पाया है वहाँ नदियों के बांध ठीक ढंग से नहीं बने हैं तथा उचित रूपरेखा नहीं है। मैने अधिकारियों से पूछा कि क्या किसी विशेष सड़क की कोई समरेखा है। उन्होने बताया कि उन्हे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जब हम कुछ अवसंरचना विकसित करते हैं तो हमारे पास उचित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) होनी चाहिए। जब तक हमारे पास डी पी आर नहीं होगी तब तक हम उचित ढंग से सड़कें नहीं बना सकते। उचित डी पी आर के लिए 8 से 12 महीने से कम समय नहीं लगेगा। इसलिए विलंब तर्कसंगत ही है। हम केवल कुछ आंकड़े लेकर उनमें गुणा-भाग नहीं कर सकते। हम केवल कुछ प्राक्कलन तैयार करके ही निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते। इसलिए, विलम्ब तर्कसंगत है। मैं इन परियोजनाओं का एक-एक करके उल्लेख करना चाहता हूँ।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-23 का प्रश्न है तो यह एक अंतर-राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह झारखंड और उड़ीसा को जोड़ता है। उड़ीसा के भाग में 209.2 कि.मी. सड़कें हैं। बनरपल से राँची; बनरपल से पल्लाहारा और पल्लाहारा से बीरमित्रपुर एक खंड है। अगला खंड बीरमित्रपुर से रांची है। यह 208.2 कि .मी. का खंड झारखंड में है। उड़ीसा के खंड में 139 कि.मी. दो-लेन; 15 कि.मी. मध्यवर्ती है और 54.2 कि.मी. एकल लेन है। इसका अर्थ है कि एकल लेन सड़के भी राष्ट्रीय राजमार्ग कर दी गई हैं।

जहाँ तक झारखंड का प्रश्न है तो 208.2 कि.मी. में से 138.2 कि.मी. दो लेन है; 2 कि.मी. मध्यवर्ती लेन है और 68 कि.मी. एकल लेन है। गत तीन वर्षों में उड़ीसा में 45.39 कि.मी. की लम्बाई के सुधार हेतु 25.08 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस वर्ष वार्षिक योजना में हमने 18.85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जहाँ तक झारखंड की सड़कों का संबंध है, हमने गत तीन वर्षों मे 78.45 कि.मी. सड़कों में सुधार हेतु 30.74 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस वार्षिक योजना में हमने 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है। यह 65569 कि0मी0 है। राज्य की सड़कों एम डी आर ओ डी आर सबको मिलाकर 33 लाख कि.मी. सड़क नेटवर्क में से यह केवल दो प्रतिशत है। यह दो प्रतिशत सड़क 65,569 कि.मी. के बराबर है जो सम्पूर्ण भारत के सड़क यातायात का 40 प्रतिशत वहन करती हैं। 65,569 कि.मी. में से 35 प्रतिशत एकल लेन है, 53 प्रतिशत दो-लेन है और 12 प्रतिशत चार लेन है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 का संबंध है, मेरे मित्रो ने बहुत जोरदार ढंग से मुझसे पूछा है कि पर्याप्त निधियों की व्यवस्था क्यों नही की गई। गत तीन वर्षों में आई आर क्यू पी शीर्ष के अंतर्गत हमने 3.31 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं और धन का उपयोग हो चुका है। जहां तक दो - लेन में परिवर्तन का संबंध है तो 22.3 कि.मी. के लिए 11.7 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। मेरे मित्रों ने अनुपलब्ध लिंक के बारे में कुछ कहा है। जहाँ तक 7.69 कि.मी. अनुपलब्ध लिंक का संबंध है, हमने 9.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर गत तीन वर्षों में 45.39 कि.मी. सड़को में सुधार किया गया है।

अब सरकार ने चालू वर्ष में अकेले आई आर क्यू पी के लिए 3.89 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इस परियोजना का ठेका अभी दिया जाना है। यह केन्द्र सरकार द्वारा समाधान का मामला नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य सरकार बोलियां आमंत्रित करेगी और निश्चय ही आई आर क्यू पी का कार्य शुरू होगा। यह एक कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 के कुछ खंड का कार्य पूरा नही हुआ किंतु इस पहलू पर राज्य सरकार द्वारा निश्चय ही विचार किया जाएगा।

अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 215 पर आता हूँ। जैसा कि सबने कहा है यह इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इस खंड को क्षेत्र की जीवन रेखा मानने में कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यह खंड राजामुंडा की पारादीप से जोड़ता है। यह एक फीदर रोड़ है। लौह आयस्क और विभिन्न अन्य सामग्री इस खंड के द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों से यहाँ लाई जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे दो-लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। सात कि.मी. के खंड को छोड़कर पूरे खंड को दो-लेन सड़क में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है। सात कि.मी. के उस खंड के लिए भी उसे दो-लेन सड़क में परिवर्तित करने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

पानीकोइली से राजामुंडा तक 249 कि.मी. खंड को एन.एच.डी.पी. - तीन ए में शामिल किया गया है। यह राजग सरकार के समय में नही किया गया जिसके मैं और मेरे विपक्षी मित्र अभिन्न

अंग थे। किंतु संप्रग शासन के दौरान ऐसा किया गया है। इस परियोजना को एन.एच.डी.पी. - तीन ए में शामिल करने का अर्थ है कि हमें प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसी परियोजना को एन एच डी पी - तीन बी में शामिल करने का भी प्रावधान है किंतु इस परियोजना के मामले में सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस खंड के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को एन.एच.डी.पी. - तीन ए में शामिल किया गया है और इसलिए इस विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की है। हमने प्राथमिकता दी है। क्योंकि इस विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता देकर हम पत्तन का विकास कर पायेंगे और राज्य को भी लाभ होगा तथा इस क्षेत्र से निर्यात में भी सुधार होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस खंड को एन.एच.डी.पी. - तीन ए में शामिल किया है।

इसके अलावा रोक्सी से राजामंडा के बीच के खंड पर अनुलब्ध लिंक है। पहले सरकार ने इस खंड पर विचार नहीं किया था। परन्तु अब सरकार का इस खंड पर 20 कि.मी. को चार-लेन बनाने का प्रस्ताव है। इसलिए, इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को, जो अंत में वहां जाता है जहाँ खनन गतिविधियां होती हैं विकसित करने के लिए सरकार समझती हैं कि इस क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। इसलिए 20 कि.मी. के इस खंड का निर्माण करने पर भी विचार किया जा रहा है। डी.पी.आर. तैयार की जाएगी और निश्चय ही इस खंड पर निर्माण करने के लिए विचार किया जाएगा। गत तीन वर्षों में 208 कि.मी. के खंड के निर्माण हेतु 76.72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।

श्री भर्तृहरि महताब : राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए की मांग की है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं अपने मित्र और राज्य सरकार को केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि जहाँ तक इस सरकार का प्रश्न है, निधियां की कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार परियोजना के लिए जारी निधियों को खर्च करने के बाद और निधियों की मांग कर सकती है। राज्य सरकार इसके लिए मुख्य सचिव अथवा संबंधित अधिकारी को केन्द्र सरकार के पास भेज सकती है और वे अपना उपयोगिता प्रमाणपत्र भी भेज सकते हैं। जैसे ही हमें उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होगा प्राथमिकता के आधार पर हम निधियां प्रदान करेंगे।

महोदय, यहां मेरे मित्र केवल राष्ट्रीय राजमार्ग-23 और 215 के बारे में ही नहीं बल्कि विभिन्न अन्य चीजों के बारे में भी बात कर रहे थे। एन.एच. 5 ए पत्तन के बारे में है। पारादीप पत्तन से चांदी खोल को जोड़ा जाना है। यह विशेष खंड चार लेन सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के संबंध में कुछ कठिनाईयां थी जो मैं यहां माननीय सदस्यों को नहीं बता सकता। यह भूमि-अधिग्रहण और अन्य चीजों के बारे में थीं। उन मामलें को माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठक करके सुलझा लिया गया है। मुख्य सचिव भी बैठक में थे और इसका तुरंत, 24 घंटे के भीतर ही, समाधान कर लिया गया था। माननीय सदस्यों ने यहां मुख्य सचिव के बारे में कुछ कहा है। मुझे यहां अपने मित्रों को सूचित करते हुए खेद है कि उन्होने इस बात को अनावश्क तूल दिया है। राज्य के मेरे दौरे से अगले दिन मुख्य सचिव को बुलाया गया था। वह यहां आये थे और मैंने उनसे दो घंटे तक लंबी चर्चा की थी और सब कुछ समाधान हो गया था। मैं यहां सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि यह सदस्यों के लिए रुचिकर नहीं होगी। एन एच 5 ए के अंतर्गत 77 कि.मी. का खंड चार-लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना पर 428 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का निर्णय लिया है। राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसे जून, 2007 तक पूरा किया जाएगा। यही मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता था।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 200 में चाँदीखोल से धुबरी के बीच हम नया चार-लेन मार्ग बनाने वाले हैं। 39 कि.मी. के लिए डी पी आर अनुमोदित कर दी गई है और अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 200 में धुबरी और तालचेर के बीच का अन्य खंड बहुत महत्वपूर्ण है। उसे शुरू कर दिया गया है। हमारा इसे चार लेन के खंड के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसकी लम्बाई 98 कि.मी. होगी और लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी।

अब मैं राज्य राजमार्गों की बात करता हूँ। माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि उड़ीसा की उपेक्षा की जाती है तो वे अलग होने के लिए आंदोलन करेंगे और वे उड़ीसा को अलग राष्ट्र के रूप में घोषित कर देंगे। मैं उन्हे आंदोलन नहीं करने दूंगा। मैं उन्हे उस अवसर से वंचित कर दूंगा। धुबरी - ब्राहमणीपाल - हरिचंदपुर और नारायणपुर राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आता है।

इसकी लम्बाई 98 कि.मी. है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। यह आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यही कारण है कि हम लोगों ने राज्य सरकार से निधियों का कम से कम पचास प्रतिशत देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार इस से सहमत हो गई है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस विशेष मार्ग के लिए केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत देने जा रही है *(व्यवधान)* मुझे पता है कि राज्य इससे सहमत हो जाएगा क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री मेरे मित्र हैं। मित्रों के बीच कोई समस्या नही पैदा होगी। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ रुपये होगी। राज्य 55 करोड़ रुपये देने के लिए निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि श्री महताब या श्री त्रिपाठी के माध्यम से मैं इसे कर पाऊँगा।

स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत पूरे उड़ीसा राज्य में सड़क की लम्बाई 443 कि.मी. है दूसरे राज्य राज्यमार्ग अर्थात राज्य राजमार्ग सं. 12,

[श्री टी.आर. बालू]

वास्तव में पारादीप के लिए दुलाई हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि उस पर काफी व्यस्तता है और लोग उस पर चल नही पाते। वास्तव में लोग उस पर चल नही पाते क्योंकि यह सड़क आज के यातायात के लिए नही बनी है। यह 20 या 30 वर्ष पूर्व के यातायात के दृष्टिकोण से बनी है। यह बीस या तीस वर्ष पहले बनी थी। यह उस समय के यातायात के लिए उपयुक्त थी। और उस समय इसकी सेवाएं ठीक थीं। लेकिन आज के वाहनों की संख्या को देखते हुए यह अच्छी नहीं है। इसलिए, हमें इसमें सुधार करना होगा। मुख्य मंत्री एक बार आए थे और उन्होने अधिक धन देने को कहा था। भारत सरकार ने 26 करोड़ रुपये दिए हैं। इतना ही नहीं है। पारादीप पत्तन के लिए धन देने के लिए मैने स्वयं अनुरोध किया है। वे 15 करोड़ रुपये और देने के लिए सहमत हो गए है। 26 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये अर्थात कुल 41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये के लिए आई. ओ. सी. से संपर्क किया है उसने 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने हेतु खान निगम से संपर्क किया है; शेषराशि उड़ीसा सरकार द्वारा दी जाएगी। इन वित्तीय प्रबंधनों में इन सभी लोगों से वार्ता होगी और इस विशेष सड़क का निर्माण होगा। पूर्व में वे चर्चा कर रहे थे कि यह सड़क सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाएगी। अब वे कंक्रीट वाली सड़क बनाना चाहते है। यही कारण है कि बिलम्ब हुआ है। मैं उसके लिए जिम्मेदार नही हूँ। उन्हे अपने लोगों से पूछने दीजिए कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार हैं या केन्द्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।

एन.एच.डी.पी. III ए के अंतर्गत हम 10,000 कि.मी. सड़क को चार लेनों वाला बनाना चाहते हैं। मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया था। उन्होंने मुझे 4000 कि.मी. लम्बी सड़क बनाने की अनुमति दे दी है। इस 4000 कि.मी. में से हमें चांदीखोल दुबरी लाइन के लिए 39 कि.मी. और पानी कोइली - रौक्सी लाइन के लिए 249 कि.मी. लम्बी सड़क बनानी है। एन. एच. डी. पी. III के लिए कुल 4000 कि.मी. में से राजमार्ग सं.-203 को भुवनेश्वर-से पुरी के बीच चार लेनों वाला बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। जो 59 कि.मी. है। पुरी में भगवान जगन्नाथ हैं। हमने भगवान जगन्नाथ की अनदेखी नहीं की है। भगवान जगन्नाथ की नगरी के लिए चार लेनों वाली सड़क दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 6 में संबलपुर से छत्तीसगढ़ के बीच की सड़क आती है। इसकी लम्बाई 89 कि.मी. है। दोनो सड़को को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 3 बी के तहत सम्मिलित किया जाएगा।

अपने रौक्सी और राजमुंदा के बीच की 20 कि.मी. लम्बी सड़क को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। दुबरी से तालचेर की 98 कि.मी. की दूरी है। इसलिए 118 कि.मी. की इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना फेज-III ए के तहत रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास को प्राथमिकता दी गई हैं। ये सारी बाते हैं जिन पर पहले ही ध्यान दिया गया है।

तीसरा बिंदु तालचेर - बिमलागढ़ रेल लाइन के बारे में है। यह 726.96 करोड़ रुपये की परियोजना है जिसकी लम्बाई 154 कि.मी. है। स्थान - सर्वेक्षण का कार्य अंतिम रूप से हो चुका है डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2005-2006 में रेलवे ने 5 करोड़ रुपये दिए हैं। विस्तृत आकलन तैयार हो जाने के बाद ही लक्ष्यो की जानकारी हो पायेगी।

जहां तक दैतरी-बांसपानी का सम्बंध हैं, यह 750 करोड़ रुपये की परियोजना है जिसकी लम्बाई 155 किलोमीटर है। इस लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर 529.14 करोड़ रुपये खर्च हो चुके है। सत्तावन किलोमीटर तक लाइन पहले ही चालू हो गई है। चालू वर्ष में उन्होने 128 करोड़ रुपये दिए है। मार्च, 2007 तक यह पूरी हो जाएगी। आज की तारीख के अनुसार रेल लाइन का 74 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जहाँ तक महानदी की बात है दूसरा रेल पुल मार्च, 2008 तक तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

जहां तक तालचेर और पारादीप के बीच में लाइन को दोहरा करने की बात है तो वहाँ पहले से ही दोहरी लाइने है केवल महानदी पर पुल नही है जिसका कार्य प्रगति पर है। मै अपने माननीय मित्र से संकल्प वापस लेने का अनुरोध करूंगा *(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 200 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री टी.आर. बालू : यह संकल्प के दायरे के अंतर्गत नहीं है।

श्री जुएल ओराम : महोदय, माननीय मंत्री ने लगभग उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जिन्हें हमने उठाया था। लेकिन उन्होंने दो या तीन बातों का उत्तर नहीं दिया। पहली, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 में आपने एक संपर्क-सड़क नही होने की बात कही है और आपने उसके लिए धन भी उपलब्ध कराया है। लेकिन, मै यह नही समझ पा रहा हूँ कि वर्तमान एकल-लेन के लिए आप धन क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यह धन आवश्य मुहैया करायें जब तक यह संपर्क-सड़क पूरी नही हो जाती है तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 अद्यतन नही बन जाता है। अधिकतर लम्बाई दो-लेन और चार-लेन का है। यह एकल-लेन वाला सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैं इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि किसने इसे राजमार्ग घोषित किया या कैसे तथा किन परिस्थितियों में यह घोषणा की गई। अब वह बात बीत चुकी है लेकिन, उस हिस्से के लिए धन दिया जाना चाहिए।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 की हालत खराब है। सभी वाहन एक राज्य राजमार्ग से गुजर रहे हैं जो कोइरा से तांसा, जो एक एस.ए.आई.एल. का शहर है, से होते हुए लहुनीपाड़ा को गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दिया गया है या इसका उपयोग नही हो रहा है। इसलिए जब यह समांतर सड़क वहां बन जाएगी जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग प्रावधान है तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 की घोषणा कर सकते हैं। मेरी यही मांग है।

मेरी दूसरी मांग राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 ए के बारे में है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 से नहीं जोड़ा जा सका। पुन: यातायात राज्य राजमार्ग सं. 10 ए से होकर चल रही है। मैं कहना चाहूँगा कि मूलत: वह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 था। उस समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सोचा कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग को इस राज्य उप-प्रभागीय मुख्यालय, में नहीं मोड़ा जाता है तो वहाँ पुल नहीं बन पायेगा। इसलिए, उन्होंने उस राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़ दिया और वर्तमान मे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी स्थिति खराब है। मूलत: यह राष्ट्रीय राजमार्ग बरकुटा से लहुनीपाड़ा को जाता था। यही असली रूप था। आप इसे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 ए के रूप में घोषित कर सकते है और धन उपलब्ध करा सकते हैं। यही मेरी मांग है।

तालचेर से बिमलगढ़ के लिए रेल लाइन के सम्बंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मेरा प्रश्न है कि जब आपने दो बजटो में से प्रत्येक मे 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तो वहां शिलान्यास क्यों नहीं किया जा सका।

रेलवे प्राधिकारी या माननीय रेल मंत्री या कोई भी व्यक्ति वहाँ क्यों नहीं जा सकता। ये साधारण मांगें हैं। बाकी बातों के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होने उनका उत्तर दिया।

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरो के आलोक में, अध्यक्षपीठ की अनुमति से, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

श्री टी.आर. बालू : जहाँ तक रेल लाइन की बात है, मैं अपने मित्रों की चिंताओं से सम्बंधित पक्षों को अवश्य अवगत कराऊँगा। लेकिन मैने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 के लिए को उपलब्ध कराये हैं। यहाँ भी मैने इसी वर्ष 3.89 करोड़ रुपये दिए हैं लेकिन राज्य सरकार ने कोई विशेष ठेका नही दिया है। यही कारण है कि ऐसी स्थिति है। उन्हें यह पैसा खर्च करने दीजिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह विलुप्त हो गई संपर्क-सड़क के लिए है। लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति खराब है *(व्यवधान)* मंत्री महोदय, आपने धन दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने टूटी हुई संपर्क-सड़कों तथा नई सड़को के लिए भी धन उपलब्ध कराया है। जब टूटी हुई सड़क ठीक हो जाएगी तो वर्तमान सड़कों के लिए कोई भी पैसा नही देगा। कृपया एक बार इन वर्तमान सड़कों के लिए भी पैसा दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : मै वार्षिक योजना में निश्चित रूप से पैसा दूँगा। यदि किसी चीज की जरूरत होती है तो राज्य सरकार आगे आए। हम उनको देने के लिए कहेंगे। इसलिए, कृपया इसे वापस लीजिए।

सभापति महोदय : अब हम इसे समाप्त करें। श्री जुएल ओराम क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री जुएल ओराम : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखकर मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

श्री टी.आर. बालू : धन्यवाद।

अपराह्न 5.13 बजे

(दो) देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यपूर्ण विकास करने हेतु कार्यवाही करने के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 19 पर विचार करेंगे। श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों में विकास के अभाव में सृजित क्षेत्रीय असंतुलन पर अपनी चिंता व्यक्त करती है तथा देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न भागों, विशेष कर दूर-दराज के क्षेत्रो, के संतुलित तथा समरूप विकास के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध करती है"

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सभा का ध्यान ऐसे विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर, जैसा कि हम सभी जानते है कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देशों में से एक है जिसकी आबादी एक अरब से ज्यादा है। हम अपनी स्वतंत्रता की 58 वीं वर्षगांठ मना चुके है। हमने देखा है कि लगभग छह दशकों में यह देश विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच कैसे आगे बढ़ा है। लेकिन अब यह सच्चाई है कि यद्यपि हमारा एक संविधान है, हमारी एक प्रणाली है, फिर भी इस देश के लोग, विशेषकर विभिन्न राष्ट्रीयताओं

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

के लोग, अपनी शिकायते करते रहे हैं। वे हमेशा स्पष्ट रूप से कहते रहे है कि वे राजनीतिक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है। उनकी आशाओं और आकांक्षों को इस प्रणाली में कभी भी जगह नहीं मिल पाई है। उनकी भागों से जुड़े किसी कार्यक्रम के माध्यम से उनके सपने कभी भी पूरे नहीं हुए हैं।

इस समय यह देश बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भी इस देश के समक्ष संकटपूर्ण स्थिति, विशेषकर हमारी अखंडता और संप्रभुता के सम्बंध में है। हमे सीमा पार से बहुत-सी धमकियां मिल रही है। इसलिए, यह समय की मांग है कि भारत स्वयं को विश्व के मानचित्र पर एक सबल राष्ट्र के रूप में रखें। यह तभी संभव है जब हम लोगों में, विशेषकर अपने कार्यों से, भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करे। महोदय, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जिस पर इस देश में अक्सर चर्चा होती रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह विषय देश में गंभीर चर्चा का विषय बनेगा। इस पर पिछले कई दशकों से चर्चा होती आई है। और अधिक परिचय देने से पूर्व मुझे सीधे मुख्य विषय पर आने दीजिए।

देश के लोगों की आशाओं और आकाक्षाओं को समायोजित करने और उन्हे पूरा करने के लिए हमारे देश के संविधान को वास्तव में संघीय स्वरूप के आधार पुनः तैयार किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1(I) में कहा गया है, कि इंडिया, अर्थात भारत राज्यो का एक संघ होगा।" प्रारूप समिति के सभापति, डा. अम्बेदकर के प्रारूप संविधान को रखते हुए कहा था कि यद्यपि संविधान का स्वरूप परिसंघीय होगा। लेकिन समिति ने 'संघ' शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि संविधान सभा ने प्रारंभ में परिसंघीय ढांचे पर चर्चा की थी लेकिन अंततः 'परिसंघीय' शब्द को 'संघ' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्तमान ढांचा एक बहुत ही मजबूत केन्द्र सुनिश्चित करता है। संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि 'संघ' का राज्यों के ऊपर अत्यधिक नियंत्रण बना हुआ है। हमारा वर्तमान संविधान केन्द्र को अत्यधिक मजबूत बनाते हुए केन्द्र को अधिक महत्व देता है। लेकिन एक परिसंघीय प्रणाली में, दोहरे शासन की तरह, विचारों की सहमति का एक आवश्यक गुण निहित होता है। परिसंघीय शासन में दो सरकारें होती है-एक राष्ट्रीय या परिसंघीय सरकार तथा दूसरी घटक राज्यों की सरकारें। घटक राज्य परिसंघीय सरकार के केवल प्रतिनिधि एजेंट नहीं होते हैं और दोनो, परिसंघीय तथा राज्य सरकारों, को एक ही स्त्रोत अर्थात देश के संविधान से अधिकार प्राप्त होने हैं। इसके अतिरिक्त घटक राज्य को स्वेच्छा से परिसंघ से अलग होने का अधिकर नहीं होता। इस प्रकार एक परिसंघ एक राज्य-संघ से अलग होता है।

महोदय, हम सभी जानते है कि वर्तमान संविधान देश के प्रत्येक भाग में समान विकास लाने में असफल रहा है। यह अटार्किक है। यदि आप तर्क के आधार पर आकलन करते हैं तो आप विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी बाते पायेंगे चाहे वे संचार के क्षेत्र में हो अन्य क्षेत्रों में हो। लेकिन जो इस देश में हो रहा है उसके बारे में यह एक कटु सत्य है कि इस देश के लोगों में वंचित रह जाने या अलग-अलग पड़ जाने की भावना पनप रही है। इस प्रणाली की असफलता ने बाहरी शक्तियों को भी इस देश में अलगाववाद को बढावा देने का अवसर प्रदान किया है। यदि हम अपनी सीमाओं पर उकसावे की घटना देख रहे हैं तो इसका कारण है कि यह प्रणाली हमारे देश के लोगों की भलाई न करके तथा उनको न्याय न दिलाकर यहाँ के लोगों में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करने मं असफल रही है। ऐसा विशेष रूप से लोगों के जीवन स्तर को उठाने तथा सम्मान, गर्व और प्रतिष्ठा के साथ अपने जीविकोपार्जन के मामले में है।

हमारे घटक राज्यों को एक विकसित भारत के निर्माण में समान भागीदार के रूप में नहीं समझा जाता है क्योंकि राज्यों को हमेशा ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने से मना किया जाता रहा है। केवल भारत संघ, बिना किसी राज्य से परामर्श लिए कोई भी एकपक्षीय फैसला करता है। देश के विभिन्न भागों में उपेक्षा और असुरक्षा की भावना ने हानिकर राजनैतिक आकांक्षाओं को जन्म दिया है।

संभवतः यह सही समय है जब हमें एक परिसंघीय ढांचे की भावना के तहत राज्यों के लिए स्वयं-शासन के अधिकार के प्रति विचार करना चाहिए। राज्यों को स्वयं-शासन की अनुमति होनी चाहिए। उन्हें अपने संसाधनों, अपनी ताकत और क्षमता के बल पर आगे बढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की अनुमति कभी नही दी गई है।

केन्द्र में शक्तियों के केन्द्रीकरण का समाधान ढूढना कोई कठिन काम नहीं है। देश में बहुत-सी बुराइयों के लिए यह जिम्मेदार है। केन्द्र के गलत निर्णयों, उपेक्षापूर्ण और भेद भावपूर्ण सोच के कारण कई दिक्कते पैदा हो रही हैं और देश के विभिन्न भागों से कई तरह के विरोध हो रहे हैं। यदि और स्पष्ट शब्दों में कहें तो अन्य परिसंघीय ढाँचो में केवल दो सूचियाँ हैं। पहली ऐसी सूची होनी है जिसके विषयों पर केवल परिसंघीय सरकार कानून बनाती है जब कि दूसरी सूची में आने वाले विषयों पर घटक राज्यों की विधायिकाओं को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।

लेकिन भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसमें सांतवी अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत यहाँ तीन सूचियाँ है। संघीय सूची में 97 विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार मारतीय संसद को है, राज्य सूची में 66 विषय है जिनपर घटक राज्यों को स्वयं कानून बनाने का अधिकार है और एक समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं जिन पर दोनों, संसद तथा घटक राज्यों की विधायिकाओं को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है कि एक परिसंघीय राज्य को शक्ति उसके संविधान से प्राप्त होती है और यह अधिकार चाहे वह कार्यकारी विधायी या न्यायिक हो चाहे यह परिसंघ का हो या घटक राज्यों का, संविधान के अधीन तथा संविधान द्वारा नियंत्रित होती हैं। परिसंघीय ढांचे में अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संविधान की विधिक सर्वोच्चता बहुत आवश्यक है। केवल सरकार की समन्वय शाखाओं के बीच शक्तियों के बंटवारे को बनाए रखना ही जरूरी नही है बल्कि परिसंघीय सरकार और घटक राज्यों की सरकारों के बीच भी ऐसा करना जरूरी है जो इस देश में नही हो रहा है। ऐसा संविधान की व्याख्या को अंतिम अधिकार न्यायालय को देकर किया जा सकता है।

हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट तीन सूचियाँ विशेषरूप से यह दर्शाती है कि राज्यों की विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करने के लिए संघ सरकार को कितने असीमित अधिकार दिए गए हैं। यह कुछ हद तक तानाशाही और अत्याचारी प्रवृत्ति है जिसे देश हित में त्याग दिया जाना चाहिए। ऐसे कई अवसर आए हैं जब राज्य सरकारें तथा कई आयोगों ने देश में परिसंघीय ढांचे की सिफारिश की है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत में शक्ति का केन्द्र के पास अत्यधिक केन्द्रीकरण तथा भारतीय परिसंघीय ढांचे के मूल सिद्धांत में तोड़-मरोड़ करने से राज्यों की शक्तियाँ कमजोर हुई हैं जिसे पुन: संशोधित किया जाना चाहिए। देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार को मजबूत करने के लिए केन्द्र-राज्यों के बीच के सम्बंध को तत्काल पुनर्निधारित किया जाना चाहिए जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार अवश्य दिया जाए।

इस प्रणाली को नया रूप देने के लिए कई तरह में सुझाव दिए गए ताकि राज्यों और केन्द्र के बीच अक्सर उठने वाले विवादों की संभावनों को समाप्त किया जा सकें ये सुझाव निम्नलिखित द्वारा दिए गए है :

1. डी.एम.के. सरकार द्वारा तमिलनाडु में नियुक्त राजामन्नार समिति (1971)
2. केरल की सी.पी.एम. सरकार;
3. आनंदपुर साहेब संकल्प के माध्यम से अकाली दल (1973);
4. पश्चिम बंगाल में सी.पी.एम. सरकार (1977);
5. कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार (1983);
6. श्रीनगर में विपक्षीदलों का सम्मेलन, (1983);
7. प्रशासनिक सुधार आयोग,
8. सरकारिया आयोग (1988); और
9. असम विधान सभा द्वारा गठित थानेश्वर बोडो आयोग (2000)।

इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण है। विभिन समय पर प्रत्येक ने, समाज के संवेदनशील लोगों की बढ़ती हुई शिकायतों और देश में बढ़ते विसेघ को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि इस प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसे नये रूप में गठित किया जाना चाहिए। एक नई प्रणाली के पुनर्गठन और विकास के बिना इस देख को एक नहीं रखा जा सकता। भारत एक संयुक्त राष्ट्र है। इसका स्वरूप अलग होना चाहिए, इसकी एक आधुनिक राजनीतिक स्परूप पहचान होना चाहिए जिसके माध्यमसे इस देश को मजबूत बनाया जा सके और आने वाले समय में इस एक बनाकर रखा जा सके।

असम के महान नेता, स्वर्गीय श्री गोपीनाथ बारेदोलोई ने भी अप्रैल, 1946 में कैबिनेट मिशन के समक्ष संघीय स्वरूप का समर्थन किया था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, स्व श्री बीजू पटनायक ने भी 'संघवाद' की वकालत की थी। ऐसे कई उदाहरण है। इस विशेष मुद्दे के लिए संसद की दोनो सभाओं के माननीय सदस्यों को कन्याकुमारी से कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इस देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। यदि हमे इस देश को एक रखना है, और यदि हमें अतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनावों और स्थितियों से निपटना है तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है, विशेष कर इसे वास्तविक 'संघीय' आधार पर पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा कि आप जानते है कि वर्तमान स्वरूप के तहत राज्यों को अपने कार्यों के लिए तथा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए केन्द्र के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है। राज्य सरकारें तथा उन राज्यों के मंत्रिपरिषद को यह पता है कि उनके राज्यों में लोग किस तरह पीड़ित हैं और उनकी इच्छाएँ और मांगे क्या हैं। राज्यों को इस बात की अनुमति होनी चाहिए कि वे उचित योजनाओं और कार्यक्रमों की मांगों की पूर्ति करें। लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दिया जाता। अपने वर्तमान स्वरूप मे योजना आयोग उन छोटे-छोटे क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की आशाओं और आकाक्षाओं का पूरा नहीं करता जो उस दिन से ही पिछड़े हुए हैं जब 15 अगस्त, 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उसी प्रकार बहुत से ऐसे भी छोटे-छोटे व्यक्ति समूह हैं जिन की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो विधान सभाओं और संसद में अपने विचार रख सकें। लेकिन उनकी शिकायतों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। यहाँ तक की योजना आयोंग भी आजादी के इन 58 वर्षो के बाद भी उनकी मांगों को पूरा करने में असफल रहा है। यह हास्यास्पद है कि योजना आयोग यह निर्धारित करता है कि किस राज्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जानी है। यह राज्यों की इच्छाओं

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

के आधार पर नही किया जाता। बल्कि इस बात पर बिना विचार किए कि उस राज्य की भौगोलिक संरचना क्या है या उस राज्य की स्थितियों में उस परियोजना की प्रासंगिकता क्या है योजना आयोग यह निर्धारित करता है कि किस राज्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जानी है, सरकारिया आयोग में भी इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई है। राजकोषीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, राज्यों की वित्तीय स्वायतत्ता के सम्बंध में सरकारिया आयोग ने 1988 में ही राज्यों के बीच राजकोषीय और वित्तीय असंतुलनों को खत्म करने के लिए सिफारिश की थी। इसलिए हमारे संविधान में दिए गए एकता और अखण्डता के मंत्र के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि कर लगाने और उनके संग्रह के तरीकों को युक्ति संगत बनाया जाए, कर सुधारों को लागू किया जाए, राज्यों की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखा जाए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन उपलब्धता बनाई रखी जाए और कम विकसित राज्यों को राजस्व हस्तांतरित किया जाए।

वित्त आयोग, जिसे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया गया है, गैर-सवैधानिक योजना आयोग और अन्य सम्बंधित तंत्र को भी पुनगर्ठित करने की आवश्यकता है। राज्यों के राजस्व और संसाधन स्त्रोतो को बढ़ाने के लिए तथा केन्द्र सरकार को न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति तक ही सीमित रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 264 से 294 के पूरे भाग को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। ये उन प्रसिद्ध आयोगों के सुझाव हैं।

सभापति महोदय : अन्य सदस्यों को भी आपके संकल्प में योगदान करने दीजिए। उन्हे भी पर्याप्त समय दीजिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : यह ऐसा विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बहुत से ऐसे माननीय सदस्य होगें जो इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे।

समरूप विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु राज्यों को अपनी प्राथमिकताएँ स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। राज्यों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा संविधान के प्रावधानों में बदलाव से ही संभव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह समय आ गया है कि केन्द्र के वित्तीय अधिकारों का राज्यों के लिए बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकरण करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाएं। राज्यों को अपने संसाधनों पर अधिकार अवश्य होना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन राज्यों का अपने उन संसाधनों के ऊपर किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप अपना भाषण समाप्त कर रहे तो कृपया इसे समाप्त कीजिए। अन्यथा हमें दूसरा विषय लेना होगा यदि आप अपना भाषण समाप्त करने के लिए तैयार है तो आय इसे अभी समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा, आप दूसरे दिन इसे जारी रख सकते हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : मै समझता हूँ कि मुझे इसे अगले सत्र में जारी रखना पड़ेगा।

सभापति महोदय : ठीक है; आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 5.34 बजे

आधे घंटे की चर्चा

फ्लुओरेसिस पर नियंत्रण

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि देश में फ्लुओरेसिस जैसी एक बीमारी, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लाखों-करोड़ो लोगों को प्रभावित कर रही है। पीने के पानी में फ्लोराइड का अधिक परिमाण में होना ही इस बीमरी की मुख्य वजह है। देश के अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में पीने के पानी में फ्लोरइड की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण लोगों को इस बीमारी से मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं इस फ्लुराइडयुक्त पानी के बारे में सरकार से कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की आजादी के करीब 58 वर्षों के बाद भी हम देश के गरीब, गांव में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं दे सके हैं जिस वजह से हमारे देश के हजारों-लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग इस फ्लुओरेसिस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। इस बीमारी के होने पर ये लोग जोड़ों के दर्द जैसे कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द ओर घुटनों में दर्द से पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी से पेट की आंतरिक बीमारियां जैसे भूख न लगना, डायरिया हो जाना, नाक बहना, थकान अनुभव करना आदि भी हो जाती हैं। इस बीमारी की वजह से एमीमिया हो जाता है, हिमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार फ्लुओरेसिस बीमारी से गांव में रहने वाली गर्भवती औरतों को गर्भपात की आशंका भी रहती है और पुरुषों में नपुंसकता आ सकती हैं। इस तरह से फ्लोराइडयुक्त पानी के पीने से अगर नागरिकों को ऐसी बीमारियां होती है, तो सरकार द्वारा लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आप भाषण न दें। आप फ्लुओरेसिस रोग के बारे में बोल सकते हैं। मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। यह इस पर आंधे घंटे की चर्चा हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : हमारे देश में 21 राज्यों में फ्लुओरेसिस बीमारी पाए जाने के प्रमाण मिले हैं और यह बीमारी अशुद्ध जल पीने

की वजह से होती है। करीब-करीब 2,16,000 गांवों में लोगों की संख्या बढ़ने के प्रमाण मिले हैं, जो कि अशुद्ध जल पी रहे हैं और फ्लुओरेसिस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। हमारे यहां एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि देश में 70 प्रतिशत जल अशुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वे के हिसाब से 122 देशों में लोगों को घटिया पीने का पानी सप्लाई होता है, जिसमें से हमारे देश का नम्बर 120 वां है। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता ऐसा जल पीकर इस बीमारी का मुकाबला कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे गांवों में जहां लोगों को अशुद्ध पानी पीना पड़ता है, स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए, जिससे हम गरीबों को, गांवों में रहने वालों को पीने का शुद्ध जल उपलब्ध करा सकें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, श्री हंसराज अहीर द्वारा फ्लुओरोसिस बीमारी के सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2005 को पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में हम यहां आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा और कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने अभी अपनी बात का जिक्र करते हुए कहा, तो यह बात सत्य है कि पानी और पेट का सीधा सम्बन्ध है। सभी रोगों की जड़ पानी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं दे पाए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप फ्लुओरेसिस रोग के बारे में बताइए। आप अपनी बात को इस रोग तक सीमित रखे। आपके सामने यही प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में तमाम योजनाएं बनाई हैं जैसे स्वजल धारा योजना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना के बारे में कहा गया है कि 2006-2007 तक देश के सभी गांवों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप कैल्शियम की कमी है, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, वहां पर सिवरेज का पानी, पीने के पानी की लाइन में सीधे जा रहा है और पानी उससे प्रदूषित हो रहा है। उसके लिए क्या माननीय मंत्री जी स्पेशल बजट का प्रावधान करेंगे। आपके माध्यम से मैं शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनो का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि ऐसे पानी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मेरी मांग है कि क्या आप इसके लिए बजट का कोई विशेष प्रावधान करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत। आप केवल प्रश्न पूछ सकते है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रश्न पूछूँगा, लेकिन मुझे इस विशेष समस्या के बारे में कुछ कहने दीजिए फ्लुओरेसिस नाम की बीमारी जिस पानी में फ्लोराइड मिला हुआ होता है, उससे होती है। अभी जैसे माननीय हंसराज जी और शैलेन्द्र सिंह जी कह रहे थे हमारे राजस्थान के लगभग 50 प्रतिशत जिलों में यह बीमारी उग्र है। इसके कारण वहां बच्चों के शादी-ब्याह भी रुकने लग गये हैं। लोग कहते हैं कि जहां पीने का पानी नहीं है वहां बच्चियों की शादी करके क्या करेंगे। किसी भी कल्याणकारी शासन का यह पहला कर्तव्य है कि वह शुद्ध पानी मुहैया कराए। ग्रामीण विकास मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, रहीम को दोहा उन्होंने पढ़ा होगा।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न उबरे, मोती, मानस चून"।

शुद्ध जल जनता को पीने के लिए मिले, जिससे कोई बीमारी किसी को न हो। वैसे तो यह प्रश्न आदिवासी क्षेत्रों के बारे में है और हमारे आदिवासी जिले चाहे वह डुंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, सिरोही हो, इन आदिवासी जिलों के अंदर फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के कारण फ्लुओरेसिस नामक बीमारी से काफी लोग रोगग्रसित हैं। मेरा क्षेत्र अजमेर है और अंडर-ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, साथ में ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम की और ग्राउंड वाटर मॉनिटिरिंग जहां पर होती है, इन तीनों की रिपोर्ट है कि अजमेर, भीलवाड़ा, बीकामेर, डुंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू., जौधपुर, नागौर, पाली, सिरोही और सीकर इलाकों के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है जिसके कारण फ्लुओरेसिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है, इसमें संदेह नहीं है। एआरडब्ल्यूएसपी नाम की जो स्कीम है जल-आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और साथ में राजीव गांधी पेय जल मिशन के माध्यम से इन फ्लोराइडयुक्त गांवों को शुद्ध पेय जल देने का प्रयास तो कर रही है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 75 और 25 के अनुपात में अनुदान दे रही है। आज राज्यों के पास संसाधनों की कमी है और यह समस्या भयावह है। क्या सरकार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. और राजीव गांधी पेय जल मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार के जो प्रोजैक्ट्स फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार को भेजे गये है, उन प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान देगी। इसका (बी) पार्ट यह है कि इन्होंने लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा समीक्षा कराई थी कि फ्लोराइड पानी की समस्या कितनी दूर हुई है, उसका बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रोजैक्ट्स कब पूरे होंगे और पिछले दो साल के अंदर,

[प्रो. रासा सिंह रावत]

राजस्थान के राज्यों को फ्लोराइडयुक्त जल से मुक्ति पाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गयी है? केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गयी है और कितनी राशि अभी बकाया है? क्या जो प्रोजेक्ट लंबित हैं, उनको पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान केंद्रीय सरकार प्रदान करेगी?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत आपके मामले में ऐसा कोई विराम लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं केवल एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। फ्लुओरेसिस बीमारी का कारण प्रदूषित पेयजल होता है। अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। जिन राज्यों में जल स्तर गिरा हुआ है, वहां जल प्रदूषित हो रहा है। फ्लुओरेसिस की बीमारी फैल रही है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में आज 400 गांव प्रभावित हैं। स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां पैसा देती है, यूनाइटेड नेशंस देता है, के.एफ.डब्लयू. जर्मनी देता है इस प्रकार से बहुत सारा पैसा आता है और आप के शासन में जमा होता है, लेकिन कई बार यह राशि अन्य कामों के उपयोग में ली जाती है। क्या आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे?

दूसरी बात, आईडब्ल्यूडीपी स्कीम का जो पैसा है, वह सीधे जिलों को भेजते हैं, जिन जिलों में योजनाएं चल रही हैं। क्या उसी तरह प्रदूषित जल के लिए जो राशि दी है, उसको सीधे जिलों में भेजेंगे? जो जिले प्रदूषित पेयजल फ्लुओरेसिस से प्रभावित हैं, क्या आप वहां राशि को सीधे जिलों को भेजेंगे, जिससे फ्लुओरेसिस की रोकथाम की जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप माननीय मंत्री से एक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे देश के पैमाने पर, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उनके राज्यों में बड़ी संख्या में पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। बिहार में भी लगभग 700 से अधिक गांवों में फ्लोराइड और अर्सेनिक युक्त पानी पाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग बीमारी से ग्रसित हैं। जिस जिले से मै आता हूँ, पटना जिला, रोहतास जिला, भोजपुर जिला, गृह जिला, इत्यादि कई ऐसे जिले हैं जहां कई गांवों में अशुद्धि पायी जा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन गांवों के लिए, उन जिलों के लिए जहां फ्लोराइड और अर्सेनिक युक्त पानी लोगों को मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। क्या इस बीमारी से उन्हें मुक्त करने के लिए कोई विशेष योजना आपके पास है, ताकि शुद्ध जल लोगों को मिल सके और वहां पर लोग बड़े पैमाने पर रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, उससे उन्हें बीमारी से छुटकारा मिल सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री यादव, आप माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : जी हां। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : श्री यादव, आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उन जगहों को फ्लोराइड और अर्सेनिक से मुक्त करने के लिए कोई विशेष राशि आवंटित करेंगे, ताकि लोगों को सहायता मिल सके और सरकार का जो कमिटमेंट है कि हम लोगों को स्वच्छ जल देंगे, उसे पूरा कर सकें तथा स्वचछ जल की व्यवस्था कर सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अशोक अर्गल, लेकिन आप माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के मुरैना के अंदर कई ब्लाक ऐसे हैं, जहां प्रति वर्ष कुपोषण से बच्चे बीमार हो जाते हैं। उस बीमारी का मुख्य कारण गंदा पानी होता है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं, उनको स्वच्छ पानी दिलाने के लिए क्या आप कोई जांच समिति भेज रहे हैं? जौरा शहर ऐसा है, जहां अधिकांश व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां कम से एक मेडिकल टीम जांच के लिए भेजी जाए जिससे पता लग सके कि क्या वहां लोग पानी के कारण ही बीमार तो नहीं है? करहाल ब्लाक में यही समस्या हैं पहाड़गढ़ ब्लाक में भी पानी की समस्या हैं। वहां प्रतिवर्ष बच्चे बीमार होते हैं और कम से कम दस या बीस बच्चे

मर भी जाते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और इसकी जांच कराएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुंवर भानवेन्द्र सिंह, आप मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मथुरा संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जो भगवान राधाकृष्ण की जन्मस्थली हैं वहां करोड़ों यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका नाम भी राधाकृष्णन है जो भगवान के नाम से मिलता-जुलता है। मथुरा में अधिकतर गांवों में खारा पानी हैं। आज भी वहां औरतें 2-3 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लेकर आती हैं। लोग ज्यादा पानी ले जाने के लिए बैलगाड़ियों या ट्रैक्टरों में पानी लाते हैं। जल निगम की जो योजना थी, वह ठप्प पड़ी है। प्रान्तीय सरकार कहती है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नही है। मैं आग्रह करूंगा और जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके अन्तर्गत क्या वह मथुरा में पेय जल की समस्या को सुधारने में मदद करेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, मैं आसन और माननीय सदस्य श्री हंसराज अहीर जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने जल-हित का सवाल उठाया। गांवों में जो करोड़ों गरीब आम आदमी हैं, उनकी बुनियादी समस्या जो पीने के पानी की है, उन्होंने उस पर आधें घंटे की चर्चा के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया। 5-6 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्य और क्षेत्र का सवाल उठाया। रासा सिंह रावत जी ने यहां श्लोक भी सुनाए। उन्होंने कहा कि "जल ही जीवन है" देश और दुनिया भर में इसका प्रचार होता है। "क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति धरा सरीरा"

पानी की तीन समस्याएं हैं- एक अवेलेबिल्टी ऑफ वाटर, दूसरी सस्टेनेबिल्टी ऑफ वाटर, तीसरी क्वालिटी ऑफ वाटर। इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए पहले की सरकारों ने भी ध्यान दिया लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह गांव की बुनियादी समस्या है। सरकार ने पहले नम्बर की समस्या को निर्धारित किया है। गांव के लोगों के लिए 40 लीटर पानी प्रति-व्यक्ति होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जो पानी का प्रबन्ध और खर्चा है वह अलग है। देहात का आदमी 40 लीटर में पानी भी पीएगा, भोजन भी बनाएगा, कपड़े धोएगा, उसी में नहाएगा और पशु-पक्षी के लिए भी उपयोग करेगा। उसका सभी कुछ काम 40 लीटर पानी में होता है लेकिन शहर वाले बाथरूम में एक बार प्रवेश करके मूत्र करेंगे तो 10 लीटर पानी लेंगे, फ्लश खींचेगें। मतलब यह है कि इसमें कोई संतुलन नहीं है। गांवों के लोगों के लिए कितना पानी उपलब्ध है, उस पर कितना खर्चा होता है और शहर के लोगों के लिए कितना खर्चा होता है? ठंडा पानी, गर्म पानी, बोतल का पानी, इनकी शहरों में अलग व्यवस्था है। गांवों मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने इन बस बातों पर ध्यान दिया।

भारत निर्माण का कार्यक्रम समयबद्ध करके बनाया गया। लोग जहरीला पानी पीते रहे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भारत निर्माण कार्यक्रम पर एक लाख 74 हजार करोड़ रुपए खर्चा होगा जिस में एक खंड पीने के पानी का है। 6 खंडों में एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, दूसरा घर बनाना, तीसरा पीने का पानी, चौथा बिजली, पांचवा इरिगेशन पोटैंशिएल्टी सृजित करना और आठवां टेलीफोन लगाना है। भारत निर्माण के जो 6 खंड हैं, उनमें से एक खंड सबसे महत्वपूर्ण पीने के पानी का है। रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले एक हजार करोड़ रुपए, फिर डेढ़ हजार करोड़ रुपए, उसके बाद 2 हजार करोड़ रुपए का बजट लेकर आए थे। शुरू में पीने के पानी का 2900 करोड़ रुपए का बजट उपबंध था। पीने के पानी के लिए एक वर्ष में यानि वर्ष 2005-2006 में 43 फीसदी बढ़ोत्तरी करके 4050 करोड़ रुपए बजट का प्रबंध किया गया *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आपके पास जल के विषय में उत्तर सुनने का धैर्य है? मैं एक-एक माननीय सदस्य का नाम पुकार कर सभी की बात का जबाव दूंगा कि किसने क्या-क्या प्रश्न उठाया है और उसका क्या जवाब है। पीने के पानी की बहुत गहन समस्या है और माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई है इसीलिए मैं सदन को इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। आप संक्षेप में सुन लीजिए और जानकारी हासिल कर लीजिए। पिछले चार वर्षों में अभी तक 4000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए थे और हम चार वर्षों में 26000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे यानि चार गुना ज्यादा खर्च करेंगे। इसका मतलब जहां चार हजार करोड़ तक पहुंचे थे अब उस पर सालाना 26,000 करोड़ रुपए, जो पहले से अधिक है, खर्च किया जाएगा। हमारी दृष्टि बुनियादी समस्या पर है। अगले चार वर्षों में देश मे कोई भी जहरीला पानी पीने को मजबूर नहीं होगा और न पानी की कमी रहेगी। इसके साथ न ही अवेलेबिल्टी की कमी रहेगी और इसमें सस्टेनेबिल्टी ऑफ वाटर भी किया जाएगा। भारत निर्माण की स्थिति से हमने माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कुछ माननीय सदस्यों ने फ्लोराइड का सवाल उठाया है। देश भर में दो लाख सोलह हजार हैबिटैशन्स दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे पास राज्यवार आंकड़े मौजूद हैं, हम माननीय सदस्यो को इससे भी अवगत कराएंगे। इसमें सबसे जहरीला पदार्थ आर्सेनिक है। आर्सेनिक को गांव में लोग विष नाम से जानते हैं। से पीने से चर्म रोग, कैन्सर आदि बीमारियां हो जाती हैं और आदमी मर जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में हैं, हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। इसके बाद फ्लोराइड की बात आती है। माननीय सदस्य श्री हंसराज अहीर फ्लोराइड के बारे में सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। फ्लोराइड से अफैक्टिड पानी जब लोग पीते हैं तो हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इन्होंने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है कि जोड़ो को दर्द हो जाता है। फ्लोराइड का प्रभाव 31306 हैबीटेशन्स में है। आर्सेनिक से 5029 गांव प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव ज्यादा है जो कि आठ जिलों में है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है, वहां फ्लोराइड से प्रभावित 35 गांव हैं। फ्लोराइड का प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा है जिससे 3072 हैबीटेशन्स प्रभावित हैं।

उत्तर प्रदेश के बोर में एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया हैं। उत्तर प्रदेश में इससे 1046 हैबीटेशन्स प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में सेलिनिटी से 295 गांव, आयर्न से 2198 गांव, मल्टीपल फैक्टर्स से 1522 गांव प्रभावित हैं, कुल 5062 गांव प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश का सवाल दो सदस्यों ने उठाया है। मध्य प्रदेश में फ्लोराइड से 3774, सेलिनिटी से 604, आयर्न से 85 और मल्टीपल फैक्टर्स से 157 हैबीटेशन्स प्रभावित हैं, कुल 5381 गांव प्रभावित हैं। ...(व्यवधान) कृपया करके आप सब सुन लें। अगर इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होगे तो फिर प्रश्न पूछें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या उत्तर समाप्त कर लिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। राजस्थान में फ्लोराइड से 8092 सैलिनिटी से 5428 और नाइट्रेट से 7882 हैबीटेशन्स अफैक्टिड हैं।

सायं 6.00 बजे

मल्टीपल 18639, कुल मिलाकर 41072 हैबिटेशन राजस्थान में दूषित पानी पीने के लिये मजबूर हैं। हरियाणा में फ्लोराइड 144 हैबिटैंट्स में सैलेनिटी 72 और मल्टीपल 145 है। इसी तरह कर्नाटक में 5000 हैबिटैंट्स में फ्लोराइड था। अब जो कुछ खर्चा हो रहा है, वह राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है लेकिन हम यहां से आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं। इसलिए 12वें वित्त आयोग का ध्यान इस ओर गया है। आंध्र प्रदेश को फ्लोराइड के लिये 325 करोड़ रुपया, पश्चिम बंगाल को आर्सेनिक के लिये 600 करोड़ रुपया, राजस्थान को 150 करोड़ रुपया और हरियाणा के 100 करोड़ रुपया दिया गया है। हमने ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में राज्य सरकार 15 परसेंट राशि खर्च कर सकती है। जहां तक क्वालिटी पानी की समस्या है, उसके लिये राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में सब कमीशन प्रोग्राम है। खासकर क्वालिटी पानी की समस्या है, उसके लिये ज्यादा खर्च करेंगे। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. में पानी की उपलब्धता के लिये केन्द्र और राज्य सरकार का 50 प्रतिशत की राशि का अंश रहता था लेकिन पीने के पानी के लिये 75 परसेंट केन्द्र सरकार और 25 परसेंट राज्य सरकार को खर्च करना होता हैं। इसलिये उसमें 15 परसेंट से ज्यादा खर्चा करना है। जब एन.डी.ए. सरकार आई तो इस स्कीम को बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : फिर भी हम उसे चालू करना चाहते हैं। मैं सदन को वचन देना चाहता हूं कि चार वर्षो के अंदर जो दूषित पीने के पानी के समस्या है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के कथन के अतिरिक्त और कूछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो राज्य सरकारें प्रोजैक्ट चलाती हैं, उन्हें हम सहायता करेंगे और हम बिहार के लिये भी राशि देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार को जो पैसा गया है, वह उसने खर्च नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं दी है। अगर खर्च करने के बाद भी पैसे की जरूरत है तो सहायता दी जायेगी। आम जनता को पीने के पानी की समस्या नहीं होने दी जायेगी। उत्तर प्रदेश के लिये हमने 5-6 दिन पहले ही राशि जारी की है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति जी, माननीय सदस्यों ने फ्लोराइड के बारे में पूछा, मैंने उसका समाधान कर दिया लेकिन ट्राइबल ऐरिया के लिये नहीं पूछा, इसलिये हम कुछ नहीं बता पाये हैं। हमने फ्लोराइड की समस्या से निपटने के लिये 1300 करोड़ रूपये दिये हैं। माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे राज्य सरकारों को मुस्तैद करें। टैस्टिंग लैबोरैटरीज में पीने के पानी की जांच के लिये प्रखड स्तर पर तथा पंचायत स्तर पर मदद देना चाहते हैं। गरीबों के लिये शुद्ध पीने के पानी की कमी नहीं रहे, इसके लिये बजट बढ़ाया है और टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंडर भारत निर्माण कराया है। हम चाहते हैं कि आम गरीब लोगों को पीने के पानी की असुविधा नहीं हो। यह बात सही है कि आधी से ज्यादा बीमारियां अशुद्ध जल पीने कारण होती हैं। अशुद्ध जल से डायरिया, फ्लूरोसिस तथा अनेक दूसरी बीमारियां होती हैं। यदि पानी शुद्ध है तो आधी बीमारियां हमारे देश से वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा गरीब आदमी इन बीमारियों के इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विषय में रुचि ली और इस सवाल को उठाया। सभी सवालों के जवाब केवल भाषण से नहीं, बल्कि करनी से, बजट उपबंध करके, राज्य सरकार, पंचायती राज और केन्द्र सरकार सभी के परस्पर सहयोग से इस पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए हम तत्पर हैं। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप सहयोग करें तो हम विशेष उल्लेख ला सकते हैं। अन्यथा, हम पूरा नहीं कर पायेंगे कृपया केवल दो मिनट का समय लीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ. हांग कांग की बैठक में सरकार को किसी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के वकीलों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का कोई फैसला भी सरकार की तरफ से नही होना चाहिए। डब्लू.टी.ओ. हांग कांग के दबाव के चलते लीगल प्रोफैशन को चैप्टर ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत लाने की चर्चा चल रही है। लीगल प्रोफैशन को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। सन् 2000 में देश के सभी वकीलों ने इसका जमकर विरोध किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि विदेशी वकीलों को यहां पर आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए ताकि हमारे देश के अधिवक्ताओं का सम्मान बना रहें।

महोदय, यदि विदेश से वकील यहां आएंगे तो सस्ता न्याय नहीं मिल पाएगा। तमाम गरीब लोगों को न्याय मिलने मे बहुत समय लग जाता है। विदेशी वकील आने के बाद तो सस्ता न्याय भी नही मिलेगा। इसका जमकर विरोध होना चाहिए। माननीय मंत्री जी की तरफ से इस संबंध में जवाब आना चाहिए और सरकार को कमलनाथ जी से इस बारे में टेलीफोन पर बात करनी चाहिए कि इस प्रकार की यदि कोई बात आए तो हिन्दुस्तान को इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, किसी के दबाव में नही आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह ध्यान रखें कि यहां जो अधिवक्ता हैं, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय यह व्यवस्था की थी कि समाज के दबे कुचले लोगों का सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक स्तर उठाने के लिए उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए।

महोदय, हिन्दुस्तान के 16 सूबों में मछुआ समुदाय की उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिली हुई। उत्तर प्रदेश में गोड, खरवार, मझवार अनुसूचित जाति में शामिल हैं लेकिन इनकी उपजातियां मल्लाह, केवट, बाथम, तियार, चाई, तुरहा, विन्द, धीवर, कंहार, कश्यप, गोड़िया, माझी आदि को यह सुविधा नहीं मिली है। यह आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से इतना विपन्न समाज है कि आजादी के 58 साल बाद भी इस मछुआ समुदाय के लोगों की संख्या लाखों में होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक भी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी इस समुदाय का नहीं है। यह इनके शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का नमूना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री माझी, आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते है आप दोनो विषय नहीं उठा सकते।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमे दो मिनट का समय दें। हम नये सदस्य हैं। नए सदस्यों को भी समय मिलना चाहिए। मैं जो विषय उठा रहा हूं वह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे समाज और समूह का विषय है जिनके साथ आजादी के 58 सालों बाद भी अन्याय हो रहा है और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समाज सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से विपन्न समाज है। इन जातियों को अनुसूचित जाति के तहत लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को संतुति भी की है। मेरा मांग है कि उत्तर प्रेदश की मछुआ और अन्य उप जातियां हैं, जिनकों पहले यह सुविधा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है, उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। भारत सरकार से मेरी

[श्री शंखलाल माझी]

मांग है कि उत्तर प्रदेश ने जो संस्तुत भारत सरकार से की है, उसे स्वीकार करके इन जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दें।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय द्वारा सारे देश में रेल का विकास किया जाता है। यह सारे देश की जरूरत है। रेल से केवल परिवहन को ही नही, बल्कि अन्य उद्योगों को भी फायदा होता है। मैंने, अपने संसदीय क्षेत्र जिला चन्द्रपुर, जिला गड़चिरोली में कुछ नए मार्ग स्थापित करने हेतु सर्वे कराने की मांग की थी। रेल मंत्रालय की यह नीति है कि आदिवासी और खनिज सम्पदा वाले जिलों को प्राथमिकता देता है। इसके बावजूद भी मुझे पत्र आया है कि रेल मंत्रालय के पास पहले से ही 46 हजार करोड़ रुपए के सर्वे किए हुए कार्य पैंडिंग पड़े हैं। हमने मांग की कि चन्द्रपुर से मुम्बई के लिए गाड़ी चलाई जाए। हमें उत्तर मिला कि यह गाड़ी हम नहीं चला सकते हैं, यह वाणिज्यिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। हमने मांग की कि गड़चिरोली से रेल चलानी है, तो उन्होने कहा कि हम अभी रेल नहीं चल सकते हैं, सकते हैं, जबकि रेल मंत्रालय की नीति है कि आदिवासी जिलों में रेल चलाने को प्राथमिकता देने का नियम हैं। ऐसा होते हुए भी गलत उत्तर देने का काम रेल विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। मैं रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि एमपी जो मांग करते है, उनके प्रश्नों का सही उत्तर रेल मंत्रालय दे।

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जौनपुर शहर के पास जगदीखपुर रेलवे के समीप स्थित रेलवे फाटक पर यात्रियों को होने वाली परेशानियों और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट चाहता हूं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत अधिक संख्या में वाहन चलते हैं। रेलों के गुजरने के पूर्व 10 से 15 मिनट पहले ही उक्त रेल फाटक को बंद कर दिया जाता हैं और जब भी फाटक बंद किया जाता है, वहा पूरी तरह से जाम लग जाता है। वाहनों की इतनी भीड़ लग जाती है कि उनकी आपस में टक्कर तो होती ही रहती है, उनके गुजरने में भी काफी समय लग जाता है। यही नहीं सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को भी बेहद परेशानी होती है। यदि वहां ओवर ब्रिज बना दिया जाता तो इस मुसीबत से लोगों को छुटकारा मिल जाता।

अत: आप के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि वह जगदीशपुर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि वाहनों का आवागमन सुरक्षित हो सके, साथ ही जान-माल की भी सुरक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं सभा को बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हाल ही में सरकारी अस्पताल, इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, में ओपन हार्ट सर्जरी की गयी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, डा. वेणु गोपाल के नेतृत्व में 16-सदस्यीय एक दल ने इस सर्जरी को सम्पन्न किया जिसमें इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज, कार्डियोलॉजी विभाग के डा. रजनीश पठानीया और डा. आर. एस. कंवर इस दल के सदस्य के रूप में थे।

यद्यपि, इंदिरा गॉधी मेंडिकल कॉलेज, के डाक्टरों, नर्सो तथा अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया था, फिर भी इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज के डाक्टरों तथा स्टाफ को स्वतंत्र रूप से ओपन हार्ट सर्जरी करने मे कुछ समय लगेगा।

इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ तथा स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के इंदिरा गॉधी मेडिकल कॉलेज के डाक्टरों को तब तक पूरी सहायता देने का अनुरोध करती हूँ जब तक वे ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नही प्राप्त कर लेते। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला को यह सुविधा होने से राज्य के गरीब रोगियों को लाभ मिलेगा। इंदिरा गॉधी मेडिकल कॉलेज में हार्ट सर्जरी की लागत देश में अन्य किसी भी जगह की तुलना में बहुत कम होगी।

यहां तक कि निजी अस्पतालों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क भी बहुत अधिक है। पुन: मैं डा. वेणुगोपाल को धन्यवाद दूँगी जिन्होने पूरा प्रयास किया और हमारे अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए यहां आए।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 60 प्रतिशत रेगिस्तानी/उप रेगिस्तानी क्षेत्र है। कम वार्षिक औसत वर्षा का अर्थ है कि राज्य में जल संसाधनों की अत्यन्त कमी है जिससे राज्य को अकाल की विभीषिका का निरन्तर सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप सस्ते जल विद्युत उत्पादन के संसाधन भी सीमित हैं तथा तापीय विद्युत उत्पादन की लागत भी तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि कोयला क्षेत्र हमसे बहुत दूर हैं। फिर भी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु विभिन्न उपायों की शुरूआत करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य था जिसकी भारत सरकार एवं अन्य संस्थानों द्वारा सराहना भी की गई है। अत: में आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान को पूर्वी राज्यों के समान विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान करे और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि, केन्द्र अनुदान के रूप

के दे तथा 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में राजस्थान को उपलब्ध कराई जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, इस विषय पर मैं अपने आपको प्रो. रासा सिंह रावत जी से सम्बद्ध करता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। मैं भी चाहता हूं कि ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार राजस्थान को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए और 10 प्रतिशत राशि राजस्थान सरकार दे।

महोदय, अब मैं अपने दूसरे विषय पर आता हूं जिसके लिए आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। राजस्थान में कई प्रसिद्ध मंदिरों की दशा जीर्ण अवस्था में हो गई है और यदि यही स्थिति रही, तो इनका नामोनिशान भी मिट जाने की स्थिति आ जाएगी और आने- जाने का मार्ग भी उबड़-खाबड़ है और सड़कों पर भयंकर गड्ढे है और सड़क कम चौड़ी है जिस पर एक गाड़ी ही आ-जा सकती है। राज्य सरकार ने इसकी हालत को ठीक करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए हैं, परन्तु धन के अभाव में इनको करना बड़ी भारी समस्या है। दो रोज पूर्व जयपुर बाईपास स्थित पहाड़ियों के मध्य स्थित खोले के श्री हनुमान जी मंदिर को भव्य व आकर्षित बनाने के लिए 10 करोड़ रूपए व्यय करने की योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री बहन, बसुन्धरा जी ने किया है। इसके साथ ही उदयपुर स्थित श्री नाथ जी के मंदिर पर भी भारी रकम व्यय की है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान के सुपूर्ण धार्मिक स्थानों को ठीक करने और उनकी मरम्मत करने व आवागमन के लिए रास्तों को ठीक कराने हेतु धरराशि उपलब्ध कराई जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : महोदय, तेली जाति को तीसरी सूची में अंतर्भूत करने के बारे में महाराष्ट्र शासन ने एक सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है, लेकिन अब तक केन्द्र सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार तेली जाति को तीसरी सूची में शामिल करे। उसी प्रकार केन्द्र शासन के आयकर विभाग ने इस जाति को अपमानित करने का प्रयास एक विज्ञापन के द्वारा किया है। इस दृष्टि से एक दैनिक अखबार में दिनांक 26-10-2005 को "जिंदगी राजा भोज की और आयकर गंगू तेली का" इस है। के तहत विज्ञापन दिया गया। इस प्रकार से इस जाति को हीन लिखने का घिनौना प्रयास इस विभाग ने किया है। इस बात का विचार करते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी हरकतों पर ध्यान दिया जाए और जिन अधिकारियों ने ऐसा विज्ञापन देकर तेली जाति को नीचा दिखाने का जो घिनौना प्रयास किया गया है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री का ध्यान बिहार की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार में एलपीजी गैस की काफी कमी हो गई है। वहां गैस न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को गैस के लिए सुबह से शाम तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी गैस नहीं मिल रही है। गैस की कमी ने एजेंसी को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए खुलमखुल्ला छूट दे रखी है। गैस एजेंसी पूरे तौर पर खुलेआम ब्लैक करवा रही है ओर 200 रुपए से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। खास तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में गैस की काफी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में लोगों को पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब हस्तक्षेप करें और बिहार में गैस की कमी की पूर्ति कराने की व्यवस्था करें। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो पटना शहर है वहां गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कराएं ताकि वहां नागरिकों को जो कठिनाईयों का सामाना करना पड़ रहा है, उससे वे दूर हो सकें और लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, केन्द्र सरकार के नियमों में उन केन्द्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है जिनकी सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। यह कुल भर्ती का पांच प्रतिशत है। सामान्यत: उनके आश्रितों को उन्हीं विभागों में नियुक्ति दी जाती है जहाँ वे कर्मचारी अथवा अधिकारी मृत्यु के समय कार्यरत थे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हजारों आवेदन लम्बित पड़े हैं। ऐसा लगता है कि सम्बंधित विभाग अब इस प्रकार कार्य रहा हैं कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से किस प्रकार मना किया जाए।

महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में जब बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, यह आवश्यक है कि पांच प्रतिशत की शर्त को खत्म किया जाए। चूँकि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित हैं, इसलिए सरकार को एक कानून बनाकर वर्तमान नियमों को बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह शीघ्र इस विषय में कोई कदम उठाए। इसे एक सामाजिक सुरक्षा के कदम के रूप में तथा मानवीय आधार पर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005/ 28 अग्रहायण 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	डा. शफीकुर्रहमान बर्क श्री चन्द्रभूषण सिंह	342
2.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	343
3.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	344
4.	श्री पंकज चौधरी श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	345
5.	श्री अब्दुल्लाकुट्टी श्री बापू हरी चौरे	346
6.	श्री बालासोवरी वल्लमनेनी श्री कैलाश मेघवाल	347
7.	श्री वी.के. थुम्मर श्री हरिसिंह चावड़ा	348
8.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	349
9.	डा. राजेश मिश्रा	350
10.	श्री सनत कुमार मंडल श्री जुएल ओराम	351
11.	श्री सीता राम यादव श्री प्रभुनाथ सिंह	352
12.	श्री रायापति सांबासिवा राव	353
13.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	354
14.	श्री अजय चक्रवर्ती	355
15.	डा. सुजान चक्रवर्ती	356
16.	श्री रशीद मसूद	357
17.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	358
18.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई श्री वीरेन्द्र कुमार	359
19.	श्री गणेश सिंह	360
20.	श्री बसुदेव आचार्य	361

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	3578
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3531, 3594, 3621
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3531, 3535
4.	अग्रवाल, डा, धीरेंद्र	3523, 3584, 3610
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3534, 3608
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	3517, 3616
7.	अतिथन, श्रीधनुषकोडी आर.	3545
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3509, 3553, 3593, 3644, 3659
9.	बर्मन, श्री हितेन	3499, 3608, 3642
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3635
11.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3562
12.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3505, 3575
13.	बोस, श्री सुब्रत	3499, 3508
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3538, 3634
15.	चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह	3550, 3648
16.	चौरे, श्री बापू हरी	3595, 3616
17.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3544, 3552
18.	चावडा, श्री हरिसिंह	3523, 3544, 3584
19.	चिन्ता मोहन, डा.	3626
20.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3599, 3619
21.	चौधरी, श्री पंकज	3585
22.	धोत्रे, श्री संजय	3595

1	2	3
23.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3500
24.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3639
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	3524
26.	गणेशन, श्री एल.	3559
27.	गंगवार, श्री संतोष	3551
28.	गोहेन, श्री राजेन	3540
29.	हमज़ा, श्री टी.के.	3560
30.	हसन, श्री मुनव्वर	3659
31.	जगन्नाथ, डा. एम.	3546
32.	झा, श्री रघुनाथ	3515, 3558, 3592, 3646, 3653
33.	जोशी, श्री प्रहलाद	3636
34.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3510, 3536, 3598, 3618, 3627
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3503
36.	खां, श्री सुनील	3497
37.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3632
38.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3634
39.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3506, 3577, 3581, 3635, 3650
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3495
41.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3533, 3582, 3608, 3629
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3528
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3567, 3601, 3608
44.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3553, 3630
45.	महरिया, श्री सुभाष	3543, 3647
46.	महतो, श्री बीर सिंह	3536, 3610
47.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3608, 3638
48.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3634
49.	महताब, श्री भर्तुहरि	3641
50.	महतो, श्री टेक लाल	3565, 3603, 3658
51.	मंडल, श्री सनत कुमार	3573, 3605, 3625, 3631
52.	मनोज कुमार, श्री	3515
53.	मनोज, डा. के.एस.	3633
54.	मसूद, श्री रसीद	3597, 3617
55.	मेघवाल, श्री कैलाश	3589
56.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3515, 3529
57.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3496, 3587
58.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3549
59.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3525, 3579
60.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	3504
61.	मोहन, श्री पी.	3529
62.	मुकीम, मो.	3600, 3659
63.	मो. ताहिर, श्री	3533, 3582, 3608, 3637
64.	मोहिते, श्री सुबोध	3493, 3643
65.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3547
66.	मुन्शी राम, श्री	3582, 3585, 3608, 3637
67.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3540
68.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3500
69.	निखिल कुमार श्री	3591
70.	ओराम, श्री जुएल	3596
71.	ओवेसी, श्री असादूदीन	3521, 3591, 3614
72.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3512
73.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3529
74.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3494, 3532
75.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3529

1	2	3
76.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3530, 3580
77.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	3568, 3583, 3602, 3654
78.	पाठक, श्री ब्रजेश	3557, 3600, 3649, 3656
79.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3502, 3529, 3576, 3608, 3652
80.	पाटील, श्री डी.बी.	3548
81.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3539
82.	पाटील. श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3514
83.	पटेल, श्री शिशुपाल	3533, 3582, 3608
84.	पिंगले, श्री देविदास	3542
85.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3556, 3608
86.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3529
87.	रामदास, प्रो. एम.	3520, 3645, 3651
88.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	3526, 3602, 3622
89.	राणा, श्री काशी राम	3556, 3613, 3638
90.	राणा, श्री रविन्दर कुमार	3529
91.	राव, श्री के.एस.	3608
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3588, 3611, 3612, 3626
93.	रावले, श्री मोहन	3513
94.	रावत, श्री अशोक कुमार	3511, 3536, 3608, 3629, 3637
95.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3498, 3529, 3570
96.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3568
97.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3536, 3590, 3613
98.	साई प्रताप, श्री ए.	3536
99.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3536, 3563, 3626
100.	शर्मा डा. अरुण कुमार	3522, 3577, 3607, 3628, 3658
101.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3549
102.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3518
103.	सेनथिल, डा. आर.	3659
104.	सेठी, श्री अर्जुन	3527
105.	शाहिद, मोहम्मद	3533, 3582, 3608, 3637
106.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3531
107.	शिवन्ना, श्री एम.	3537
108.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3533, 3582, 3608, 3629
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3507
110.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3530, 3544, 3580
111.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3538
112.	सिंह, श्री दुष्यंत	3544
113.	सिंह, श्री गणेश	3540, 3574, 3608, 3620
114.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3615
115.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3592
116.	सिंह, श्री राकेश	3554
117.	सिंह, श्री रेवती रमन	3516
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	3583, 3602, 3609, 3623
119.	सिंह, श्री उदय	3561
120.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3572
121.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3501, 3571, 3606, 3655, 3657
122.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3553, 3555
123.	सुमन, श्री रामजीलाल	3528, 3626
124.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3566
125.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3532

1	2	3
126.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3541, 3585, 3622
127.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3586, 3511, 3624, 3630
128.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3544, 3648
129.	वीरेन्द्रकुमार, श्री एम.पी.	3515
130.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3626
131.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3531, 3569
132.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु	3593, 3615
133.	यादव, श्री मित्रसेन	3587
134.	यादव श्री राम कृपाल	3519
135.	यादव, श्री सीता राम	3587
136.	यास्खी, श्री मधु गौड	3640
137.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3556, 3564, 3604, 3627

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	346, 358
वित्त		342, 345, 349, 350, 352, 354, 356, 361
विधि और न्याय		
खान		
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत		347, 351, 359
महासागर विकास		
विद्युत	:	343, 360
ग्रामीण विकास		344, 348
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		357
वस्त्र		353, 355

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	3504, 3595
वित्त	3493, 3494, 3495, 3498, 3499, 3503, 3507, 3508, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3522, 3527, 3528, 3530, 3532, 3534, 3538, 3545, 3550, 3551, 3553, 3556, 3558, 3559, 3560, 3567, 3568, 3570, 3578, 3580, 3584, 3585, 3586, 3570, 3578, 3580, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3591, 3592, 3593, 3598, 3599, 3601, 3602, 3611, 3612, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3621, 3622, 3625, 3627, 3630, 3636, 3638, 3645, 3646, 3648, 3649, 3651, 3652, 3654, 3659
विधि और न्याय	3529, 3620, 3635
खान	3521, 3547, 3561, 3583, 3596, 3634, 3657
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	3512, 3520, 3572, 3576, 3613, 3642, 3655, 3658
महासागर विकास	
विद्युत	3496, 3500, 3502, 3511, 3513, 3514, 3524, 3531, 3536, 3537, 3540, 3541, 3544, 3546, 3548, 3552, 3557, 3563, 3564, 3565, 3582, 3594, 3603, 3604, 3608, 3610, 3626, 3633, 3644, 3650

ग्रामीण विकास	:	3523, 3533, 3535, 3539, 3543, 3555, 3566, 3569, 3574, 3581, 3589, 3590, 3600, 3623, 3629, 3631, 3637, 3639, 3640, 3641, 3643, 3647, 3653, 3656
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		3497, 3510, 3542, 3554, 3573, 3577, 3579, 3597, 3607
वस्त्र		3501, 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3549, 3562, 3571, 3575, 3605, 3606, 3609, 3627, 3628, 3632

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.partiamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।